खण्ड–513, अंक–07
सोमवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1942
(01 मार्च, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 513 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

112 L.A. (01-03-2021)

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	1-6
प्रश्नोत्तर	...	...	...	7-128
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	128-129
गोरखपुर स्थित मुक्ताकाशी रंगमंच में सुविधाओं के अभाव के बावजूद गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से रु0 29500/- प्रतिदिन का किराया तय कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	130
जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र बदायूं के अन्तर्गत बदायूं-दातागंज रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	130-131
जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर के अन्तर्गत भागलपुर एवं जिरासो के बीच में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	131
जनपद इटावा में विधान सभा क्षेत्र भरथना अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	131-132
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत डींगरा जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करके इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	132
जनपद फतेहपुर के नगर पंचायत किशनपुर द्वारा सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत एवं नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायती सीमा के बाहर ग्राम निर्माण कार्य में किये गये भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	132-133
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत ग्राम-डभौरा सिमरा खादर में राजकीय नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	133
जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ अन्तर्गत 35 ग्रामों के अभिलेख जल के राख हो जाने से कोई अभिलेख अभी तक न उपलब्ध कराये जाने के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	133-134

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद चन्दौली में आर0वी0एस0के0 अन्तर्गत ए0एन0एम0 के संविदा भर्ती को निरस्त कर पुनः भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
उतर प्रदेश में विद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत लघु एवं मध्यम वर्गीय किसानों, छोटे व्यापारियों का जिला सहकारी बैंक, सहकारी बैंक व सहारा बैंक ऑफ इण्डिया में जमा धनराशि की निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	135
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत नहर पटरी मार्ग जोकि सलेमपुर, डिहवां वाया ओड़सरा होते हुए नगरा, सिकन्दरपुर मार्ग में मिलता है, का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135-136
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र कैम्पियरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	136
जनपद मुरादाबाद, सम्भल, गोण्डा एवं गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व नवीन परिसीमन/पुनर्गठन के अनुसार वार्डवार जातिगत त्वरित सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136-137
जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौंद अन्तर्गत ग्राम जुगराजपुर में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल, मलिहाबाद तथा काकोरी में एक-एक राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद अन्तर्गत ग्राम बगुली से कमालपुर मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश में समाचार-पत्र वितरकों के लिए सुविधा/पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुगैल में राजकीय महिला इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत पीली नदी पर कतिपय ग्रामों में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
उत्तर प्रदेश में वृद्ध आश्रय स्थल घोटाला के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत करने एवं निःशुल्क भवन वृद्ध आश्रय स्थल संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139-140
जनपद उन्नाव के तहसील बांगरमऊ स्थित जनता इण्टर कालेज, राजेपुर अन्तर्गत सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ अन्तर्गत ग्राम बरहरा से ग्राम कटौरा, दांदों एवं बुढ़ी के मध्य सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140-141
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2013 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	141
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-18-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	141
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-11-2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	141
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति-पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2016-17 (सदन के पटल पर रखा गया)	142
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2017-2018 (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	142
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड का पन्द्रहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2018-2019 (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	142
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2014-2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	142

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2015-2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	142
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	142-143
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (सशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	143
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	143
उत्तर प्रदेश भू-गर्भ (जल प्रबन्धन और विनिमय) (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	143
उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	143
राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	144
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	144
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)	144
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	144-145
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)...	145-146
श्री कमलेश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)	146
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)	147
श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	147-148
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)...	148

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	148-149
श्री विनोद कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	149
श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	149-150
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	150
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	150
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)...	151-152
श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	152
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	152
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	153
श्री शीतल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	153
श्री सुरेश राही, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	153
श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य विधान सभा, की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	153-154
श्री दयाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	154
'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	154-155
श्री वीरेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	155

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 01 याचिका तथा जनपद-झांसी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	155-156
श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	156
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	157
श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित 09 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	157-158
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	158-159
श्री अजीत पाल त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	159
श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	159-160
श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	160
श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	160-161
श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)	161
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	161-162
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं, जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 01 याचिका व जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत)	162-163
डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	163-164
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा, की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	164

विषय	पृष्ठ संख्या
डॉ0 लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	164
डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	164-165
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत)	165
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	165-166
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 2017 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत)	166
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 2017 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	166
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत)	166-167
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	167
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	167-168
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों के नाम-निर्देशित करने हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	168-169

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	169-193
उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 (पारित)	193-202
श्री मौहम्मद फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद की 03 एवं जनपद सम्भल की 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	202-203
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)... ...	203-208
पीठ द्वारा बजट चर्चा हेतु समय निर्धारण	208-209
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	210-260
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	260-262
जनपद कानपुर नगर के के0पी0एम0 अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य... ...	262-264
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य ...	264-265
ग्राम्य विकास विभाग डी0आर0डी0ए0 कर्मियों की पेंशन, नगदीकरण तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव ललई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	266-267
प्रदेश में कार्यरत चौकीदारों को मानदेय व अन्य सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	267
जनपद रायबरेली में नगर पंचायत द्वारा सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	267
लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद अयोध्या में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)...	267
जनपद श्रावस्ती में तटबन्ध बनाने में की गयी अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में श्री असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य ...	268-269

विषय	पृष्ठ संख्या
फिरोजाबाद में राजकीय मेडिकल कालेज में सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	269-270
दिनांक 08 जुलाई, 2019 को आगरा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे में मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	270-271
जनपद गाजियाबाद के आवास विकास की कालोनियों में अवैध निर्माण रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	272
जनपद चित्रकूट में अधूरे पड़े ब्लास्टिंग कूप के सम्बन्ध में श्री आनन्द शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य	273
जनपद उन्नाव-बांगरमऊ मार्ग पर कतिपय पुनर्निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	273-274
प्रदेश में आयुष चिकित्सक व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुष मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	274
नत्थियां	275-293

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-335

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
3. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
4. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
5. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
6. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
7. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
8. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
9. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
10. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
11. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
12. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
13. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
14. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
15. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
18. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
19. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
20. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
21. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
22. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
23. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
24. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
25. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
26. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
27. अवधेश सिंह, प्रो0 (डॉ0) — वाराणसी
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
29. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
30. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
31. असलम अली, श्री — हापुड़
32. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
33. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
34. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
35. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
36. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
37. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
38. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
39. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
40. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
41. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
42. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
43. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
44. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
45. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
47. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
48. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
49. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर

50. उषा सिरोही, श्रीमती बुलन्दशहर
51. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
52. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
53. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
54. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
55. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
56. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
57. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
58. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
59. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
60. काली प्रसाद, श्री देवरिया
61. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
62. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
63. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. केसर सिंह, श्री बरेली
66. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
67. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
68. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
69. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
70. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
71. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
72. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
73. गौरी शंकर, श्री जालौन
74. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
75. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
76. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
77. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
78. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
79. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
80. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
81. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
82. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
83. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
84. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
85. जयमंगल, श्री महाराजगंज
86. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
87. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
88. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
89. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
90. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
91. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
92. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
93. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
94. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
95. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
96. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
97. दल बहादुर, श्री रायबरेली
98. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
99. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
100. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
101. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
102. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
103. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
104. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
105. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
106. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
107. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
108. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
109. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
110. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
111. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
112. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
113. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर

114. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
115. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
116. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
117. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
118. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
119. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
120. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
121. नाहिद हसन, श्री शामली
122. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
123. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
124. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
125. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
126. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
127. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
128. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
129. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
130. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
131. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
132. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
133. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
134. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
135. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
136. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
137. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
138. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
139. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
140. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
141. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
142. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
143. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
144. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
145. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
146. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
147. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
148. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
149. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
150. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
151. बावन सिंह, श्री गोण्डा
152. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
153. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
154. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
155. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
158. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
159. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
160. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
161. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
162. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
163. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
164. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
165. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
166. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
167. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
168. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
169. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
170. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
171. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
172. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
173. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
174. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
175. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
176. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
177. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
178. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
179. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
180. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद

181. मूलचन्द्र सिंह, श्री — जालौन
182. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
183. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री — श्रावस्ती
184. मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
185. मो0 फईम इरफान, श्री — मुरादाबाद
186. युवराज सिंह, श्री — हमीरपुर
187. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री — आगरा
188. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
189. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
190. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
191. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
192. रत्नाकर मिश्र, श्री — मिर्जापुर
193. रफीक अन्सारी, श्री — मेरठ
194. रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
195. रमाशंकर सिंह, श्री — मिर्जापुर
196. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री — औरैया
197. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री — जौनपुर
198. रवि कुमार सोनकर, श्री — बस्ती
199. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — भदोही
200. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री — अलीगढ़
201. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
202. राकेश प्रताप सिंह, श्री — अमेठी
203. राकेश राठौर, श्री — सीतापुर
204. राकेश सिंह बघेल, श्री — सन्तकबीर नगर
205. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
206. राज करन कबीर, श्री — बांदा
207. राजकुमार अग्रवाल, श्री — हरदोई
208. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री — मैनपुरी
209. राजकुमार पाल, श्री — प्रतापगढ़
210. राजकुमार सहयोगी, श्री — अलीगढ़
211. राजबाला, श्रीमती — रामपुर
212. राजमणि कोल, श्री — इलाहाबाद
213. राजीव तरारा, श्री — अमरोहा
214. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री — बदायूं
215. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री — झांसी
216. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री — प्रतापगढ़
217. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री — बरेली
218. राजेश गौतम, श्री — सुल्तानपुर
219. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 — बदायूं
220. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 — गोरखपुर
221. राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकरनगर
222. राम कृष्ण भार्गव, श्री — सीतापुर
223. राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
224. राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
225. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री — मैनपुरी
226. राम नरेश रावत, श्री — रायबरेली
227. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
228. राम प्रताप सिंह, श्री — आगरा
229. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री — बलरामपुर
230. राम फेरन पाण्डेय, श्री — श्रावस्ती
231. रामरतन कुशवाहा, श्री — ललितपुर
232. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
233. रामानन्द बौद्ध, श्री — कुशीनगर
234. रितेश कुमार गुप्ता, श्री — मुरादाबाद
235. रोशन लाल वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
236. लकी यादव, श्री — जौनपुर
237. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
238. लाखन सिंह, श्री — औरैया
239. लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
240. लाल बहादुर, श्री — कौशाम्बी
241. लीना तिवारी, श्रीमती — जौनपुर
242. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — खीरी
243. विकास गुप्ता, श्री — फतेहपुर

244. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
245. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
246. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
247. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
248. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
249. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
250. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
251. विनय शाक्य, श्री औरैया
252. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
253. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
254. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
255. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
256. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
257. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
258. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
259. वीरेन्द्र, श्री एटा
260. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
261. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
262. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
263. शशांक वर्मा, श्री खीरी
264. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
265. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
266. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
267. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
268. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
269. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
270. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
271. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
272. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
273. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
274. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
275. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
276. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
277. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
278. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
279. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
280. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
281. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
282. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
283. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
284. संजय यादव, श्री बलिया
285. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
286. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
287. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
288. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
289. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
290. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
291. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
292. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
293. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
294. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डॉ0 देवरिया
295. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
296. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
297. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
298. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
299. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
300. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
301. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
302. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
303. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
304. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
305. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
306. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
307. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
308. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
309. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया

310. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री	वाराणसी	324. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0	मेरठ
311. सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर	325. सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
312. सुरेश कुमार, श्री	अमेठी	326. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री	कानपुर नगर
313. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	327. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
314. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	328. स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ
315. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	329. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
316. सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	330. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
317. सुरेश राही, श्री	सीतापुर	331. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
318. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	332. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
319. सुशान्त सिंह, कुँ0	बिजनौर	333. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
320. सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद	334. हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
321. सुषमा पटेल, श्रीमती	जौनपुर	335. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव
322. सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया		
323. सूर्यभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर		

नोट :-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी), अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में वर्ष 2018-19 व 2019-2020 में डेंगू, स्वाइन फ्लू, टी0बी0 आदि के उपचार हेतु साधन व सुविधाएं उपलब्ध कराने व इस हेतु योजना बनाने विषयक

***1-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में डेंगू, स्वाइन फ्लू, टी0बी0 के कितने मामले प्रकाश में आये हैं एवं कितने मरीजों की उक्त से मृत्यु हुई है तथा कितने मरीजों का उपचार चल रहा है ? क्या सरकार के पास उक्त रोगों के उपचार हेतु पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो इन बीमारियों से निपटने हेतु कोई कार्य योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

एनफ्लुएन्जा-ए-एच1एन1 (स्वाइन फ्लू), डेंगू एवं टी0बी0 रोग ग्रसित रोगियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

स्वाइन फ्लू (एनफ्लुएन्जा-ए-एच1एन1)

क्र0-सं0	वर्ष	ग्रसित	मृतक
1	2018	65	08
2	2019	2067	37
3	2020	252	12

चूंकि स्वाइन फ्लू रोग का प्रभाव कुछ समय तक ही रहता है। अतः वर्तमान में किसी रोगी का उपचार नहीं चल रहा है।

डेंगू

क्र0-सं0	वर्ष	ग्रसित	मृतक
1	2018	3829	04
2	2019	10640	27
3	2020	3101	06

वर्तमान में डेंगू के 04 रोगियों का उपचार चल रहा है।

टी0बी0

क्र0-सं0	वर्ष	ग्रसित	मृतक
1	2018-19	429983	9670
2	2019-20	493587	16084

वर्तमान में टी0बी0 रोग के कुल 19850 रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

जी हां, राज्य सरकार के पास स्वाइन फ्लू (एनफ्लुएन्जा-ए-एच1एन1), डेंगू एवं टी0बी0 के उपचार हेतु पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इन बीमारियों से निपटने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए कार्य योजना बनायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आजाद अरिमर्दन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किया है 2018, 2019 और 2020 का स्वाइन फ्लू, डेंगू और टी0बी0 के मरीजों के सन्दर्भ में, इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूँ। स्वाइन फ्लू, डेंगू और टी0बी0 के सम्बन्ध में जो आंकड़ा दिया गया है वर्ष 2019 में उसके बढ़ने का कारण क्या है ? दूसरा, स्वाइन फ्लू, डेंगू और टी0बी0 मरीजों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा एवं जांच की सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्या माननीय मंत्री जी उसे उपलब्ध करायेंगे ? तीसरा, स्वाइन फ्लू, डेंगू और टी0बी0 के रोगों से उत्तर प्रदेश को कब रोगमुक्त करेंगे और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या कार्य योजना है कि उत्तर प्रदेश इन रोगों से मुक्त हो जाय। यह हमारे तीन छोटे-छोटे सवाल हैं, कृपया इनका जवाब दे दें।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की बीमारियां हमारे पास पहले से ही हैं और उनके उपचार एवं रोकथाम के लिए अलग-अलग प्रकार की वैक्सीन भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। चूंकि ये बीमारियां ऐसी जगह पनपती हैं जहां गंदगी होती है। इसलिए अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ ऐसी जगहों पर स्वच्छता अभियान हम लोग पिछले दो-तीन साल से चला रहे हैं। इसके लिए हम उन इलाकों को चिन्हित करते हैं जहां पर इनका थोड़ा भी प्रकोप दिखाई देता है और उसके अनुसार उपचार तत्काल कराते हैं। आप आंकड़े देख ही रहे हैं, माननीय सदस्य ने भी बताया है और मैं स्वाइन फ्लू के सम्बन्ध में यह बताना चाहूँगा कि 2009 से 2019 तक, इसका एक साइकिल होता है, तीन साल पर लगभग यह पुनः वापस आ जाता है तो तीन साल के हिसाब से देखेंगे तो 2019 से लेकर काफी संख्या है इसमें धीरे-धीरे कभी घटा भी है और बीच में आप देखेंगे कि संख्या बिलकुल न्यूनतम भी हो जाती है। जैसे वर्ष 2014 में

हमारे पास केवल दो केस आये थे और जीरो मृत्यु हुई थी, इसी प्रकार से वर्ष 2017 में देखेंगे कि 3858 केस आये थे और 132 की मृत्यु हो गयी थी, तो साइकिल के हिसाब से रोकथाम करने के लिए हम प्रयास करते हैं। स्वाइन फ्लू और डेंगू इन दोनों को हम वैक्सीन के साथ पूरा प्रिवेंटिव-मेजर गांव स्तर तक देखते हैं, शहरों में फॉगिंग कराते हैं और ढूंढ निकालते हैं और पूरा हमारा विभाग इसी में लगा रहता है। इसके साथ-साथ जितनी भी आवश्यकता पड़ती है उसके हिसाब से प्रयोगशाला में टेस्ट कराना, थ्रोट का, श्वांस का टेस्ट कराना हम उस सीजन में लगातार करते रहते हैं। इसी वजह से डेंगू 2008 से लेकर अभी तक 3.9 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 3.2 प्रतिशत रहा जिसमें 2012 में गिरावट दिखी और वर्ष 2020 में घटकर 0.2 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार से हम स्वाइन फ्लू और डेंगू के लिए व्यवस्था करते हैं। तीसरा मान्यवर, टी0बी0 के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी की भी एक योजना है कि वर्ष 2025 में इसका उन्मूलन होना चाहिए। हमारे 75 जनपदों में हर प्रकार के ट्रू-नेट मशीन, सी0वी0 नेट मशीन पहले से ही स्थापित थे। उसका थोड़ा बहुत यूज हमने कोरोना में किया था अन्यथा इनका यूज टी0बी0 के लिए करते हैं। प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी टी0बी0 केस आता है तो तुरन्त उसको अपलोड किया जाता है और उसको फिर हम डॉस कार्यक्रम से जोड़ते हुए 500 रुपये प्रतिमाह डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में देते हैं और रोग की रोकथाम करते हैं। उसी में एम0डी0आर0 करके एक बहुत सीरियस उसी टी0बी0 में हो जाता है जब वह पूरे समय से दवाइयां नहीं लेते हैं तो वह व्यक्ति ड्रग रजिस्टेंस हो जाता है और ड्रग रजिस्टेंस के लिए अलग तरह की दवाइयां भारत सरकार के द्वारा आ रही हैं और बेहतर दवाइयां आ रही हैं। इस प्रकार से हम स्वाइन फ्लू, डेंगू और टी0बी0 की रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं और जहां तक होता है हम आंकड़े भी पिछले साल के दिखा रहे हैं, काफी अन्तर्विभागीय समन्वय के कारण आया है और हमने इसको नियन्त्रित किया है।

श्री आजाद अरिमर्दन-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में अपेक्षाकृत क्यों बढ़ोत्तरी हो गई ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह साइकिल है और हर तीसरे साल बढ़ता है तो मान्यवर, अगर यह प्रतिस्थापित है कि हर तीसरे साल स्वाइन फ्लू और डेंगू बढ़ रहा है तो जो साल बढ़ने वाला साल है यदि उस साल विशेष प्रयास किये जायें तो नतीजे और अच्छे आयेंगे। तो क्या माननीय मंत्री जी द्वारा यह जानते हुए भी कि यह तीसरे साल बढ़ेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि यह साइकिल है हर तीसरे वर्ष स्वाइन फ्लू बढ़ता है, चूंकि 65 से 2000 बढ़ गये, इन्होंने कहा कि हर तीसरे साल बढ़ रहा है तो अगर यह पहले से प्रतिस्थापित है कि हर तीसरे साल बढ़ेगा तो इसके हिसाब से इन्तजाम भी करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो निश्चित करते होंगे।

श्री लालजी वर्मा-

तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि इसको रोकने के लिए कि तीसरे साल यह बढ़ने न पाये, क्या इसके लिए पर्याप्त इन्तजाम किये गये हैं, यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि टी0बी0 जैसी बीमारी से 16084 लोग 2019-20 में मर गये। हमने मुक्ति पाने की बात की थी कि हम टी0बी0 से मुक्ति पा गये और उसके बाद भी अगर इतनी मृत्यु हो रही है तो निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है तो क्या इस सम्बन्ध में जांच कराकर माननीय मंत्री जी विशेष अभियान चलायेंगे ? जिससे कि दवाओं का जो उस पर एंटी दवा का असर हो जाता है उसका असर न पड़ने पाये, क्या इस तरह की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब क्या योजनाएं चलाने जा रहे हैं, यही माननीय सदस्य का प्रश्न है।

श्री जय प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, डॉक्टरों का मानना है कि हर तीन साल पर इसका साइकिल आता है। हमने प्रत्येक जनपद में जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित किया है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उसी हिसाब से हम प्रत्येक जनपद में प्रत्येक वर्ष कार्य करते हैं और उसके नियंत्रण के लिए हम उनके वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा भी करते हैं।

महोदय, टी0बी0 उन्मूलन में हमने पहले से ही तय कर रखा है। हमारा जो माहवार विशेष अभियान चलता था, उसमें कोरोनाकाल के कारण बाधा आ गयी थी, परन्तु अभी दो माह पहले ही हमने विशेष अभियान के रूप में इसे पुनः चलाया है। इसके तहत हमने बहुत सारे टी0बी0 मरीजों को खोजा भी है और उनको निक्षय पोर्टल से जोड़कर उपचार भी शुरू कर दिया है। टी0बी0 बहुत गम्भीर बीमारी है, इसलिए समय-समय पर अभियान चलाकर हम इसका उन्मूलन करेंगे।

प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन मध्यम व गरीब लोगों को निःशुल्क लगाये जाने की योजना विषयक

***2-श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री उमाशंकर सिंह तथा श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को निःशुल्क लगाये जाने की कोई योजना सरकार ने बनायी है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

हां, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक 16-01-2021 से कोविड वैक्सीनेशन चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क किया जा रहा है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं

एवं द्वितीय चरण में प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके उपरान्त भारत सरकार के अग्रेतर दिशा-निर्देश के अनुरूप टीकाकरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से एक छोटा-सा अनुपूरक करना चाहूँगा। हमारे प्रश्न में है कि क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को निःशुल्क लगाये जाने की कोई योजना सरकार ने बनायी है ? आपके जवाब में है कि हां, भारत सरकार के निर्देशानुसार। यानी उनका जो निर्देश है दिनांक 16-01-2021 को कि हम चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क वैक्सीन प्रथम चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं द्वितीय चरण में प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं। हमने आपसे पूछा है कि प्रदेश में जो हमारी 24 करोड़ की जनसंख्या है, क्या उन लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन करने की सरकार की कोई योजना है, क्योंकि तमाम स्टेट अपने-अपने फैसले ले रहे हैं। अभी गुजरात सरकार का निर्देश आया है कि वहां की सरकार रुपये 250 या जो भी हो, में वैक्सीन लगायेगी, जिसको भी लगवाना है वह लेकर लगवाये। इसी तरह हम जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए यह वैक्सीन निःशुल्क मा0 मंत्री जी उपलब्ध करायेंगे ?

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी से सम्बन्धित मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से एक प्रश्न इस आशय के साथ पूछना चाहता हूँ कि आपने उत्तर दिया है कि निःशुल्क वैक्सीन प्रथम चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं द्वितीय चरण में प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 35 हजार आयुष डॉक्टर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट तथा वार्ड ब्वाय कोविड में राज्य वित्त आयोग से संविदा पर रखे गये थे और पांच महीने तक फ्रंट में रहकर ही वह एल-1 हास्पिटल में अपनी सेवा दे रहे थे, जो कोविड संक्रमित लोगों के सीधे टच में थे। उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया और उनका वैक्सीनेशन भी नहीं किया गया। उन 35 हजार लोगों में से लगभग 50 लोग प्रत्येक जनपद में संविदा पर रखे गये थे। उन्हें न तो

निःशुल्क वैक्सीनेशन दिया गया और न ही उनकी निष्ठा के अनुरूप उनका विनियमितीकरण किया गया और न ही संविदा पर एक्सटेंशन मिला है। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहूँगा कि क्या उन 35 हजार लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन की श्रेणी में लाकर सरकार तुरन्त वैक्सीनेशन करने का कार्य करेगी।

श्री जय प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका जो प्रश्न है, वह थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन मा0 सदस्य उमाशंकर सिंह जी को यह बात जरूर बताना चाहेंगे कि कोविड या वैक्सीनेशन से संबंधित गाइड लाइन भारत सरकार से आती है।

उस गाइड लाइन के अनुसार 16 तारीख से हेल्थ वर्कर्स और उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स के दो फेज को हमने पूरा किया है और उसका माप-अप राउण्ड भी हम अगले हफ्ते करने जा रहे हैं। दोनों मिलाकर लगभग 90-92 प्रतिशत लोगों को लग चुका है और सेकेण्ड डोज भी उनका कम्पलीट होने जा रहा है। हम जो भी वैक्सीनेशन करते हैं वह भारत सरकार के दिशा-निर्देश में करते हैं। दूसरी बात जो फ्री लगाने की बात है तो अब जो आज से वैक्सीनेशन प्रारम्भ हुआ है 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का तथा 45 से 59 वर्ष के लोग जो किसी असाध्य रोग से ग्रसित लोगों के लिए, उसमें भी हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वाल्व कर दिया है। भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार चिन्हित अस्पतालों में 250 रुपये में, जिसमें 150 रुपया प्लस 100 रुपया सर्विस चार्ज रहेगा, इस रेट पर प्राइवेट हास्पिटल में वैक्सीन लगेगी। बाकी हमारे गवर्नमेंट के जितने भी जिला अस्पताल, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 इन सब जगहों पर लगेंगे। वैक्सीनेशन हम भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप ही कर रहे हैं।

दूसरी बात माननीय सदस्य श्री संजय गर्ग जी ने बताया जहां तक हमारी जानकारी है उस समय जब वैक्सीनेशन 16 तारीख से शुरू हुआ उस समय जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर थे चाहे वे संविदा के हों या हमारे स्थायी कर्मचारी हों, सबको वैक्सीन लगाया गया था। यदि उसके पहले वह चले गये होंगे उस पर हम विचार कर लेंगे क्योंकि मान्यवर, वैक्सीन सबको लगनी है। अगर उन्होंने तीन या चार महीना काम किया जितना भी उनका संविदा का समय था, अगर वह छूटे होंगे और किसी कारण से उनको नहीं लगा होगा तो हम इसको दिखवा लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर ठीक ही दिया। लेकिन एक चर्चा यहां पर आयी कि वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों और कुछ प्राइवेट दुकानों में उपलब्ध होगी और उसका एक निश्चित रेट होगा, कोई भी व्यक्ति खरीद कर लगवा सकता है। पहले सरकार ने कहा था कि हम जो भी वैक्सीन लगायेंगे, फ्री में लगायेंगे। तो क्या फ्री वाली बात सही है या फिर प्राइवेट अस्पताल व प्राइवेट दवा की दुकानों पर वैक्सीन मिलेगी और दाम देकर लगवाया जायेगा, यह बात सही है, मंत्री जी इसको जरा स्पष्ट कर दें।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों बात सही है। हम सरकारी-तंत्र में पूरा फ्री लगायेंगे इसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है और जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज के दिन में एक प्राइवेट हास्पिटल शेखर हास्पिटल उसको निर्धारित कर दिया है और एक वेबसाइट भारत सरकार ने बनाया है उस पर वह पूरा डिटेल संख्या के साथ अपलोड कर देगा, उसको 150 रुपये में वैक्सीन भेजा जायेगा। प्राइवेट सेक्टर अपनी संख्या के हिसाब से धनराशि जमा कर देगा और उसको उतनी वैक्सीन उपलब्ध हो जायेगी ? इसमें 100 रुपया सर्विस चार्ज है, कुल मिलाकर 250 रुपये में वैक्सीन लगेगा। अब इधर जो आज से शुरू हो रहा है यह प्राइवेट सेक्टर को ले करके शुरू हुआ है। सरकारी तंत्र हमारा अलग है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी सरकारी तंत्र में जाकर अपने को अपलोड कर लेगा उसको वहां भी उपलब्ध हो जायेगा। दूसरी बात जो दुकानों की कर रहे हैं तो वह अभी दुकानों पर नहीं उपलब्ध होगा। केन्द्र सरकार ने केवल उतना ही एलाऊ किया है कि जो बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं उनको ही एप्रोच किया जा सकता है। हो सकता है कि 60 प्लस और 45 से 59 वर्ष की आयु के बीच में जितने लोग होंगे इनके वैक्सीनेशन के बाद आम जनता के लिए शुरू होगा। इसके लिए भारत सरकार से गाइड लाइन आयेगी उसके बाद ही हम बता पायेंगे, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूँ कि यह वैक्सीन जिस स्टेट में भी आ रही है वह भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार ही आ रहा है। भारत सरकार के द्वारा ही स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध करायी जा रही है। क्योंकि यह भी निश्चित है कि कितनी क्वांटिटी में वैक्सीन एक स्टेट को आ रही है। उसमें यह भी तय है कि अगर प्राइवेट हास्पिटल आइडेंटीफाई हुआ है कि इस प्राइवेट हास्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगायी जायेगी तो यह भी तय होगा कि इतनी क्वांटिटी में भारत सरकार ने दी होगी। माननीय मंत्री जी संवेदनशील भी हैं और इस बात को समझते भी हैं कि प्रदेश की आम जनता के हित में आपका यह भी कहना है कि सरकारी अस्पतालों में हम फ्री में दे रहे हैं और प्राइवेट हास्पिटल में मिनिमम चार्ज ले करके दे रहे हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन प्राइवेट हास्पिटल में दे रहे हैं, आम जनता के हित में उस वैक्सीन की जो कीमत है, क्या सरकार खुद वहन करेगी। आप तो बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, तो वह वैक्सीन की कीमत सरकार खुद वहन करे और उसको आम लोगों को फ्री में दिया जाय। यही मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री जय प्रताप सिंह-

अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा दवाई जो सीधे प्राइवेट सेक्टर में जा रही है उसका व्यय उन्हीं को वहन करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खाद्य पदार्थों के अन्दर नुकसान देय तत्वों की मौजूदगी जांचने वाली प्रयोगशालाओं की स्थापना व जांचे गये नमूनों की जांच संबंधी

***1-श्री मौहम्मद फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फल, सब्जी, मांस, मछली, मसाले आदि खाद्य पदार्थों में नुकसानदेय तत्वों की मौजूदगी पता करने की प्रयोगशालाएं कहां-कहां स्थापित हैं ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त प्रयोगशालाओं में विगत 3 वर्षों में कितने नमूने जांचे गये तथा उसके क्या परिणाम रहे ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

खाद्य पदार्थों की जांच हेतु विभाग की 06 प्रयोगशालाएं क्रमशः लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा एवं झांसी में स्थापित हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन प्रयोगशालाओं में कुल 29229 नमूने जांचे गये, जिनमें 16998 नमूने मानक के अनुरूप तथा 12231 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 28170 नमूने जांचे गये, जिनमें से 14107 नमूने मानक के अनुरूप तथा 14063 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह जनवरी, 2021 तक कुल 20432 नमूने जांचे गये, जिनमें 9618 नमूने मानक के अनुरूप तथा 10814 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा प्रश्न है वह मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि खाद्य पदार्थ की जांच हेतु वर्तमान सरकार ने कौन-कौन सी प्रयोगशालाएं स्थापित कीं। क्या सरकार आधुनिक उपकरण से लैस खाद्य पदार्थ की जांच प्रयोगशाला प्रत्येक जिले अथवा मण्डल स्तर पर स्थापित करने की योजना बनाएगी ? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वक्त शराब को लेकर काफी मौतें हो रही हैं। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि क्या सरकार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को शराब के नमूने लेने का अधिकार देगी और एक सवाल और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार इस जहरीले रसायनों के प्रयोग से पैदा चीजों के मानव जीवन पर दुष्प्रभाव बताने वाला कोई विज्ञापन प्रकाशित करने और जागरूकता फैलाने के पाठ्यक्रम विभिन्न कक्षाओं में शामिल करने की कोई योजना सरकार बनाएगी।

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 धर्म सिंह सैनी)-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर बहुत ही गम्भीर हैं और जैसा मैंने बताया कि हमारे प्रदेश में 6 प्रयोगशालाएं फिलहाल संचालित हैं और बाकी 12 मण्डलों में भी माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश हैं कि 12 के 12 मण्डलों में यह प्रयोगशालाएं स्थापित होनी हैं जिनमें हमें 6 मण्डलों में भूमि भी मिल गयी है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि प्रत्येक जिला स्तर पर। जिला स्तर पर नहीं मण्डल स्तर पर यह प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार खाद्य एवं औषधि विभाग को शराब के नमूने लेने का अधिकार देगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ क्योंकि यह बड़ा गम्भीर विषय है, जैसे कि मिठाई या खाने की चीजें या जो भी सामान जरूरत के होते हैं उनकी जांच के लिये इनके अधिकारी नियुक्त होते हैं वह वहां पर जांच करने के लिये जाते हैं। इनके जवाब में यह आया कि कुल 29,229 नमूने लिये गये पूरे साल में जिसमें 16,998 को बरी भी कर दिया गया। जबकि आप यह देखिये कि मेरी विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्दर कम से कम 14 बच्चे एक मिठाई की दुकान से मिठाई खाकर बीमार पड़े और उनके हालात बद से बदतर हो गये। जब जांच नमूना उनका गया, पता नहीं आगरा गया कि कहां गया, जांच आई पॉजिटिव। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इतने गम्भीर विषय पर जैसे जिला मुरादाबाद के अन्दर इस तरीके की कोई व्यवस्था लागू करने की कोशिश करेंगे।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने बताया है 6 प्रयोगशालायें हैं और 6 की 6 प्रयोगशालाओं में उन नमूनों की जांच की जाती है। जैसा मा0 सदस्य ने अपने जनपद के बारे में कहा है, उसमें भी जब हमारे अधिकारी नमूने लेते हैं तो 4 नमूने लेते हैं, 4 नमूने लेने के उपरान्त एक नमूना व्यापारी के पास रहता है, एक नमूना हमारे अधिकारी के पास रहता है, दो नमूने हमारी प्रयोगशालाओं में जाते हैं। अगर वहां कहीं कोई इस तरह की शंका या नमूने में अनियमितता पायी गयी है तो नमूना दोबारा जांच के लिए भी भेजा जा सकता है। अगर कहीं इस तरह की कोई अनियमितता की गयी है, आप मुझे अवगत करा दें, मैं उसे दोबारा जांच के लिए भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (क) का तारांकित प्रश्न संख्या-3 बीच में छूट गया था।

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आवारा जानवरों से किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने हेतु नीति विषयक

***3-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा/अन्ना जानवरों से फसलों को हो रहे भारी नुकसान के कारण किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है और उनमें भारी असुरक्षा की भावना व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार छुट्टा/अन्ना पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 योगी जी की सरकार ने अन्ना जानवरों के प्रबन्धन के लिए 70 साल बाद इतना ऐतिहासिक फैसला लेकर किसानों को अपनी सरकार माना है, एहसास कराया है, लेकिन फिर भी समाधान के लिए मेरे 4-5 छोटे-छोटे प्रश्न हैं। गौ-आश्रय की भांति हर गांव में जो खलिहान बंजर ग्राम सभा की जमीन है, उसको चारागाह के रूप में विकसित करने का क्या कोई प्लान है, क्या सरकार निराश्रित गौ-वंश के एक किसान को 4 की जगह 10 गौ-वंश की अनुमति, गौमूत्र से बनने वाली वस्तुओं को बढ़ावा देगी ? रासायनिक उर्वरकों से विषाक्त भोजन करने से जो कैंसर, किडनी, डायबिटीज घातक बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए क्या सरकार गौमूत्र से गाय पर आधारित गोबर की खाद से बनने वाली चीजों आलू, प्याज, अनाज को बढ़ावा देगी, जिससे कम से कम यह घातक बीमारियां न हों, और जहां तक गौ-वंश को सुरक्षित रखने की बात है तो कम से कम अगर हर किसान गाय अपने खेत पर रखेगा तो निश्चित रूप से एक किसान एक गाय से 10 एकड़ की खेती कर सकता है। क्या सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी ? क्या सरकार शिक्षा मित्र की भांति चरवाह मित्र रखने की अनुमति देगी ? क्या सरकार मनरेगा से गौ-आश्रय स्थल को जोड़ेगी ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कृषि विभाग से संबंधित प्रश्न है या ग्राम्य विकास विभाग के मनरेगा से संबंधित प्रश्न है या यह पशुधन विभाग से संबंधित प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष-

यह जो कन्फ्यूजन आपको हो रहा है कि प्रश्न किस विभाग का है, यह कन्फ्यूजन आज हो रहा है या जब सवाल मिला था तब हुआ था ?

श्री लक्ष्मी नारायण -

माननीय अध्यक्ष जी, आज ही कन्फ्यूजन हुआ है।

श्री अध्यक्ष -

आमतौर पर जब किसी मा0 मंत्री का कार्यालय यह बताता है कि यह प्रश्न कई विभागों से संबंधित है, विस्तीर्णता है तो वह प्रश्न हमारे कार्यालय आता है और हम सम्यक् विचारोपरान्त उसे निरस्त कर देते हैं। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। आप उत्तर दीजिये।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मा0 सदस्य ने कहा है हमारे और भी मित्र बैठे हुए हैं, आदरणीय श्याम सुन्दर शर्मा जी बैठे हुए हैं, खन्ना जी हैं, रमापति शास्त्री जी हैं। हमें यह सौभाग्य है कि 1999 में आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार में गौ-सेवा आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले किसी गौशालाओं को कोई दान नहीं दिया जाता था। इसके बाद जो पंजीकृत गौशालायें हैं, उनको दान देना शुरू किया गया था। इसके बाद बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं, ऐसी सरकारें रहीं, जिन्होंने इसका कोई ध्यान नहीं किया। जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आयी है तब से गौ सेवा आयोग के माध्यम से अब तक हमने मात्र 3 साल में 81 करोड़ रुपये गौशाला को गौ सेवा आयोग के द्वारा उनको भी सहायता दी है जो भी गौशालाएं हैं उनमें हमने यह कोशिश की है कि उनमें खाद भी बनाई जाये, उनमें गैस प्लांट भी लगाये जायें। उनका जो खाद निकलता है उसका प्रयोग आर्गेनिक खेती के लिए किया जाये। ज्यादा से ज्यादा इसके लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सदस्य बुन्देलखण्ड से आते हैं। बुन्देलखण्ड में ऐसे कई गांव हैं जिन पूरे के पूरे गांवों ने आर्गेनिक खेती करना शुरू किया हैं। गौ-सेवा आयोग के द्वारा हम लोगों ने उनको सहायता भी दी है। इसका पूरा प्रयास हम कर रहे हैं जहां तक ग्राम सभा की जमीनों की बात है ग्राम सभा की जमीन पर ही हम वृहद् गौशालाओं का निर्माण कर रहे हैं। जहां जमीन मिलती है वहीं हम उनका निर्माण भी कर रहे हैं। जितनी भी चारागाह की जमीन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। चारागाह की जमीन पर हम कोई पक्का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सरकार उसकी नवैयत भी चेंज नहीं कर सकती लेकिन गोचारण की जो जमीने हैं जहां भी हमारी गौशालाएं हैं हम यह प्रयास कर रहे हैं कि उनमें ऐसा चारा पैदा किया जाये जिससे हमारी गायों का भरण-पोषण हो सके।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय सदस्य ने जो कहा है कि शिक्षा मित्र की भांति चरवाहा मित्र रखने का कार्य सरकार करेगी इसके बारे में भी बता दीजिये। यह बड़ा अच्छा सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी ने भी इंगित किया है कि क्या शिक्षा मित्र की भांति चरवाहा मित्र गठन करने पर विचार करेंगे।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो निराश्रित गौ वंश है। निराश्रित गौ वंश का जो पालन हो रहा है और निराश्रित गौ-वंश जो रखे जा रहे हैं उनकी जो संख्या है क्या उतनी

संख्या गौशालाओं में रह रही है या नहीं। ऐसा प्रायः देखा जा रहा है कि जो निराश्रित गौ वंश गौशाला में जा रहे हैं और कुछ दिनों बाद पुनः छोड़ दिये जा रहे हैं और किसानों को उससे समस्या हो रही है क्या उनकी भी कुछ गणना माननीय मंत्री जी के पास है कि नहीं है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक अनुपूरक पूछना चाहती हूँ। गौ वंश हमारी सभ्यता का, हमारे समाज का अभिन्न अंग रहा है। क्या वजह है कि पिछले चार वर्षों में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गईं कि गौ वंश को हमने अन्ना जानवर और छुट्टा जानवरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। क्या सरकार की ऐसी कुछ नीतियां थीं जिसकी वजह से किसान इतना परेशान हो गया है कि आज वह भुखमरी के कगार पर है। कोई यह दैवी आपदा तो थी नहीं, इसको अच्छी तरह से संभाला जा सकता था। अगर इस तरह की कोई समस्या थी। सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों के सामने समस्या खड़ी हुई है। आज उसकी मेहनत की कमाई, खून-पसीने की कमाई समाप्त होती चली जा रही है। सरकार ने उसकी आय तो दोगुनी की नहीं, क्या सरकार द्वारा मुआवजा देने की बात लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उठा रहा है। क्या अन्ना जानवरों की वजह से, छुट्टा जानवरों की वजह से जो किसानों को नुकसान हो रहा है, क्या सरकार उन किसानों को मुआवजा देने की नीति पर विचार करेगी। अगर करेगी तो कब तक। अगर नहीं तो इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि यह किसानों के भविष्य का, प्रदेश के भविष्य का सवाल है। जिस तरह से अन्य प्रदेशों में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में एक मॉडल निकाला गया है कि गौशालाओं में गोबर को एक निर्धारित राशि में सरकार खरीद रही है ताकि वह गौ वंश पालन-पोषण को प्रोत्साहित कर सके। क्या सरकार इस तरह की कोई नीति, इस तरह का कोई रोडमैप सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनाने का प्रयास करेगी।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय नेता कांग्रेस ने बहुत अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि क्या गौ वंश इतना बढ़ गया है या हमारी नीति ऐसी है जिससे समस्या पैदा हो गई है। माननीय सदस्या के पिता जी का सानिध्य मुझे बहुत मिला है। गौ द्विज दैव धेनु हितकारी कृपासिंधु मानुष तन धारीं। जब कभी भी गौ, ब्राह्मण पर संकट आया है, ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अपने बन्दे को भेजा है। इस प्रदेश में संकट था, इसीलिए उन्होंने गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को यहां भेजा है। क्या इतने समय में गाय इतनी बढ़ गयी हैं ? इसलिए यदि मैं पीछे का डाटा देना शुरू कर दूं तो गौ-सेवा आयोग बनने के बाद भी जो सरकारें आयीं, किसी सरकार ने 05 साल में मात्र 03 करोड़ रुपये गौशालाओं को दिये गये, दूसरी सरकार आयी उसने 05 साल में मात्र 10 करोड़ रुपये दिये और हमने केवल 02 साल के अन्दर 81 करोड़ रुपये गौशालाओं के लिये दिये। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) गायों की रक्षा के लिये जहां छुट्टा गायों की बात है तो यह कोई आज की बात नहीं है, बल्कि जब हम लोग विपक्ष में बैठते थे तब भी हम

बुन्देलखण्ड के छुट्टा गाय और पशुओं का सवाल उठाते थे। यह तो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। भारत वर्ष के इतिहास में आजादी के बाद पहली यह योगी सरकार है जिसने इतने व्यापक पैमाने पर गौ संरक्षण केन्द्र बनाकर साढ़े पांच लाख गौ वंश का संरक्षण कर रही है। आदरणीय सदस्य ने एक बात कही थी कि क्या उनका वेरिफिकेशन कराया जाता है तो मैं बताना चाहूँगा कि हम 900 रुपये प्रतिमाह एक गाय के भरण-पोषण के लिये देते हैं, जिसमें सबसे पहले गांव का प्रधान, फिर एस0डी0एम0 तथा उसके बाद सी0डी0ओ0 उसको वेरिफाई करता है, उसके बाद अन्त में डी0एम0 के खाते में हम धनराशि भेजते हैं और डी0एम0 धनराशि जारी करता है। जब इतना प्रोसीजर फॉलो करने के बाद धनराशि दी जाती है और उसके बाद फिर भी यदि कहीं इस तरह की कोई शिकायत हो तो हम जांच कराने के लिये तैयार हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, सवाल गौ वंश की सुरक्षा का नहीं था, बल्कि किसानों को आपदा का जो सामना करना पड़ रहा है, उसका है। यहां पर कोई भी मा0 सदस्य ऐसा नहीं है जो इस बात से इंकार कर सकता हो कि किसानों के खेत में अन्ना जानवर की वजह से आज भीषण समस्या उत्पन्न हो चुकी है। जिस तरह से आज फसल की फसल नष्ट होती चली जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपने पूछ लिया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा सीधा सा सवाल था कि क्या सरकार उन किसानों को कुछ मुआवजा देने की बात करेगी ? मेरे सवाल का जवाब तो आ जाने दीजिये। मैंने किसानों के मुआवजे की बात पूछी है, उस पर हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, आपका क्षेत्र भी इस समस्या से परेशान है। मा0 मंत्री जी इस पर कोई जवाब दे दें कि किसानों को जो समस्या हो रही है, उनको जो नुकसान हो रहा है, क्या सरकार उनको कोई मुआवजा देने पर विचार करेगी?

श्री विनय शंकर तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी मा0 नेता कांग्रेस ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तो आने दीजिये। अभी उत्तर नहीं आया है। अभी मा0 नेता कांग्रेस ने सवाल किया, उसका उत्तर आया नहीं और आप बीच में बोलने लगे।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न भी एक ही प्रकृति का है और यह लोकहित का मुद्दा है। मा0 मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा कि एक गाय के लिये 900 रुपये की व्यवस्था की गयी है। आज की तारीख में बाजार में भूसा 600 से 700 रुपये प्रति कुंतल है। जैसा मा0 मंत्री जी ने बताया कि एक जानवर के लिये भूसे के अतिरिक्त महीने में और भी खर्चे होते होंगे तो क्या महीने में 900 रुपये में एक जानवर का भरण-पोषण किया जा सकता है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछ लूं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, आदरणीय लल्लू जी ने तो कभी किसी नेता को अपना नेता माना ही नहीं है। इसलिए मैं यह अनुरोध कर रहा था कि हम 900 रुपये प्रतिमाह जो दे रहे हैं और पिछले साल से हमने एक नियम बना दिया है कि प्रत्येक अप्रैल और मई में हम किसान के रूप में भी भूसा मांगते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख 36 हजार कुंतल भूसा हमारी गौशालाओं में दान के रूप में भी आया है।

इसके अलावा अप्रैल और मई के महीने में हम टेण्डर से भूसा खरीदते हैं और जितनी हमारे पास जगह होती है, उतना भूसा ले लेते हैं। इसके अलावा साल भर हम उसी रेट पर भूसा लेते हैं। इसलिए 900 रुपये में हम अपना खर्चा चलाते हैं। आदरणीय नेता कांग्रेस ने एक सवाल उठाया था कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पैदावार घट रही है और किसान का नुकसान हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2016-17 में तिलहन और दलहन तथा फूड ग्रेन की कुल पैदावार 551 लाख मीट्रिक टन हुई है, 2017-18 में 573 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है और 2018-19 में इन गायों की कृपा से 604 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। मैं तो सोच रहा था कि आप गाय के हित की बात करेंगी क्योंकि अब तो जिन लोगों ने कभी गौरक्षा आन्दोलन में गोलियां चलाकर सैंकड़ों लोगों को मार दिया था वह लोग भी गाय की बात कर रहे हैं, फिर आपको तो गायों के हित में बात करनी ही चाहिए।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं एक सवाल आराधना जी से जोड़ते हुए करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपके सवाल पर चर्चा होने लगेगी, आपकी पार्टी का व्यू आ गया है। ठीक है पूछ लीजिये।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने गौ-आश्रय की बात कही है। इस सम्बन्ध में ललितपुर में सैंकड़ों गाय रख-रखाव और चारे के अभाव में मर गयीं। इसी तरह आगरा और मैनपुरी में भी हुआ है जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अजय जी, मैं आपको बता दूं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी मैं ललितपुर, आगरा और मैनपुरी की बात कर रहा हूँ। इन जगहों का वीडियो वायरल हुआ है। जब मैं वहां की यात्रा करने गया तो मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

हम आपकी बात सुनेंगे। पहले आप हमारी बात सुन लीजिये। जिन स्थानों के नाम आप ले रहे हैं, उन स्थानों के बारे में मा0 सदस्य ने सवाल नहीं किया है। मा0 मंत्रीगणों के पास उत्तर देने के लिए वही सामग्री होती है जिसका सवाल में उल्लेख हो अथवा सवाल से संबंध हो। अब आप जिन क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो। हो सकता है कि न ठीक हो। लेकिन इसका उत्तर मा0 मंत्री जी की फाईल में नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रश्न से संबंधित सवाल पूँछना चाहते हैं तो पूँछ सकते हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा सवाल अन्ना जानवरों एवं गौ-आश्रय से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

हां, ठीक है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के तमाम गौ-आश्रय से संबंधित मामले की जानकारी मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न से संबंधित उनके पास फाईल नहीं होगी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, यह एक घटना है। 100 से अधिक गाय रख-रखाव और चारे के अभाव में मर गयी हैं। ऐसी ही घटना आगरा में हुई है और मैनपुरी में भी हुई है। इसकी जानकारी मा0 मंत्री जी को भी है। मैं जब वहां पर गौ बचाने के लिए गया तो मुझे गिरफ्तार

करके जेल भेज दिया गया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अगर गायों के रख-रखाव की बात मा0 मंत्री जी कर रहे हैं तो क्या जहां गाय, जिनको हम माता की संज्ञा देते हैं, जिससे हमारा भावनात्मक रिश्ता एवं नाता है तो क्या जो गाय रख-रखाव एवं चारे के अभाव के कारण दम तोड़ चुकी हैं। मैं ललितपुर, मैनपुरी और आगरा की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही प्रदेश के तमाम गौ-आश्रय स्थलों पर है तो क्या मा0 मंत्री जी इसकी जांच कराकर कार्यवाही करके सुनिश्चित करेंगे ? दूसरा सवाल यह है कि आपने किसानों की बात करी है। बाड़ तहसील में मैं गया था। एक आलू उत्पादक किसान था जोकि रात-दिन खेत का पहरा देकर आलू की फसल बचाता था। लेकिन एक दिन उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वह इलाज कराने के लिए दिल्ली सफदरगंज चला गया। सिर्फ रात वह किसान खेत का पहरा नहीं दे पाया जिसके कारण अन्ना जानवरों ने उसकी पूरी आलू की फसल बर्बाद कर डाली। जिसके कारण उस किसान ने आत्महत्या कर ली। ऐसे तमाम उदाहरण उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं, जहां अन्ना जानवरों की वजह से किसानों ने आत्महत्या की है। क्या इसके लिए मा0 मंत्री जी कोई मुआवजे का प्राविधान करेंगे ? और जो गाय मरी है, उसकी जांच मा0 मंत्री जी करायेंगे ? मा0 अध्यक्ष जी, मैं जवाब चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल प्रसंग से बाहर है। आप इतने बड़े नेता होकर विषयांतर कर रहे हैं। अब आप कृपया बैठ जायें। आपका विषय आ गया है।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में दिसम्बर 2019 से 2020 तक खरीदे गये वेंटीलेटर के विवरण की जानकारी

***2-श्री विनय शंकर तिवारी-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिसम्बर, 2019 तक कितने वेंटीलेटर उपलब्ध थे तथा कोरोना संक्रमण के दौरान दिनांक 10-07-2020 तक कितने वेंटीलेटर की संख्या बढ़ायी गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रत्येक जनपद में कितने-कितने वेंटीलेटर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रदेश में माह दिसम्बर, 2019 तक 225 वेंटीलेटर उपलब्ध थे तथा कोरोना संक्रमण के दौरान दिनांक 10-07-2020 तक 189 नये वेंटीलेटर लगाये गये हैं।

जी हां।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 414 वेंटीलेटर कार्य कर रहे हैं, जिनका जनपदवार विवरण संलग्न† है।

---

† देखिये नत्थी, 'क' आगे पृष्ठ सं0 275-277 पर।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ अनुपूरक पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी अपने उत्तर में कहा है कि 225 वेंटीलेटर पहले उपलब्ध थे और उसके बाद 189 नये वेंटीलेटर लिये गये। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो नये वेंटीलेटर लिये गये तो क्या यह केवल कोरोना के लिए इस्तेमाल हुए या अन्य गम्भीर बीमारियों में भी इनका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, वेंटीलेटर चलाने के लिए किसी ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है तो जब 189 वेंटीलेटर लिये गये तो क्या इसके लिए सरकार के पास 189 या कितनी संख्या में उसको चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ मौजूद था और अगर नहीं था तो क्या माननीय मंत्री जी ने या सरकार ने नये स्टाफ की भर्ती की ? कितने नये स्टाफ भर्ती किये गये, दूसरे माननीय मंत्री जी ने गोरखपुर जिले की लिस्ट दी है। गोरखपुर जिले में कोई वेंटीलेटर की खरीद नहीं हुई है। कोरोनाकाल में तो वहां के मरीजों को कैसे देखा गया। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 14 वेंटीलेटर थे तो वहां के मरीजों को कैसे देखा गया। क्योंकि वेंटीलेटर एक बार किसी मरीज को लग गया तो उसका उपयोग दूसरी बीमारी में फिर नहीं हो सकता। वहां का काम कैसे किया गया। साथ ही साथ एक वेंटीलेटर जो गोरखपुर में है, उसकी औसत आयु क्या है ? क्योंकि वहां पर पहले से ही पड़े हुए हैं। ये प्रश्न हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, कोरोनाकाल में कोरोना के पहले कुछ जगहों पर ही कुछ वेंटीलेटर उपलब्ध थे। कोरोनाकाल आने के बाद जो विधायक जी का प्रश्न है, इसमें 10-07-2020 तक विभिन्न जनपदों में कुल 225 वेंटीलेटर उपलब्ध थे जो कोरोना संक्रमण के दौरान दिनांक 10-07-2020 तक मेडिकल कारपोरेशन द्वारा खरीदा गया था और उसके बाद 189 नये वेंटीलेटर उपलब्ध कराये गये। बाद में अलग से परचेज किया गया था। यह सब मिलाकर 414 वेंटीलेटर हम लोगों ने उस समय एल-2 की व्यवस्था में और एल-3 तो मेडिकल कालेज का होता है। एल-2 की व्यवस्था में हमने प्रयास किया कि सभी जनपदों में कम से कम 4 या 5 वेंटीलेटर जैसे उपलब्ध हो पायें, उतना हम उसको स्थापित कर दें। सब मिलाकर भारत सरकार के द्वारा भी हमको उपलब्ध कराया गया था 679 वेंटीलेटर। यह सब मिलाकर हमारे पास 1093 वेंटीलेटर हमारे जिला चिकित्सालयों पर और एल-2 वाली व्यवस्था पर हमने स्थापित किया है, इनकी ट्रेनिंग हमारे पास जो वर्तमान स्टाफ थे, पी0जी0आई0 के माध्यम से आनलाइन ट्रेनिंग हमने लगातार एक सप्ताह करवाई थी और उन्हीं के माध्यम से एल-2 व्यवस्था स्थापित करने के बाद उन टेक्नीशियन से काम कराया था और उन्होंने ही काम किया था।

श्री अध्यक्ष-

बहुत स्पष्ट उत्तर आपका आ गया है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी हमने आपके माध्यम से पूछा था कि वेंटीलेटर की औसत आयु जो पहले से वेंटीलेटर वहां थे और यह मशीन कुछ दिन तक ही काम करती है। उसके बाद वह काम नहीं करती है।

श्री अध्यक्ष-

औसत आयु तो हर उपकरण की अलग-अलग निकाली जाती है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

उनकी औसत आयु क्या है, जो गोरखपुर अस्पताल में थे ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2019 के बाद 189 वेंटीलेटर बढ़ाये गये हैं। हमारे साथी का प्रश्न था कि क्या सरकार बतायेगी कि प्रत्येक जनपद में कितने-कितने वेंटीलेटर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि जी हां, वर्तमान में प्रदेश में कुल 414 वेंटीलेटर कार्य कर रहे हैं जिनका जनपदवार विवरण संलग्न है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान संलग्न विवरण की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आपकी सूचना के अनुसार बहुत सारे जनपदों में शून्य वेंटीलेटर दिखाये गये हैं जिसमें हमारा जनपद बलिया भी शामिल है। जनपद बलिया कोरोना से अत्यधिक प्रभावित जनपदों में से रहा है। फिर भी वहां पर वेंटीलेटर की संख्या जीरो है। आजमगढ़ में भी संख्या को जीरो दिखाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जो जनपद जीरो की संख्या वाले हैं। क्या वहां पर वेंटीलेटर की सुविधा उपलब्ध करायेंगे और यदि करायेंगे तो कब तक करा देंगे ?

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो सूचना उपलब्ध कराई है वह दिनांक 10-07-2020 तक की है। जिन जनपदों में शून्य की स्थिति दिखाई जा रही है वहां पर केन्द्र सरकार से वेंटीलेटर उपलब्ध कराये गये हैं और मेडिकल कारपोरेशन से भी खरीदे गये हैं। वर्तमान में सभी जिला चिकित्सालयों में वेंटीलेटर उपलब्ध हैं। हम माननीय सदस्य को अलग से सूची उपलब्ध करा देंगे।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिये जाने विषयक

***3-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है क्या सरकार ने उक्त योजना में महिला संगठनों एवं राजनीतिक दलों के लिए कोई भूमिका निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

जी हां, महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में महिलाओं के कल्याणार्थ 181 महिला हेल्पलाइन सम्बद्ध 112 हेल्पलाइन महिला शक्ति केन्द्र, वन स्टाफ सेन्टर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला, निराश्रित महिला पेंशन, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उक्त योजनाओं में विद्यमान गाइडलाइन के अनुसार महिला संगठनों एवं राजनीतिक दलों के लिए कोई भूमिका निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह प्रश्न सरकार की आलोचनात्मक दृष्ट से नहीं है, बल्कि यह प्रश्न केवल समालोचनात्मक दृष्टिकोण से किया गया है। इस प्रश्न के संदर्भ में उधर के लोगों को भी चिन्ता है और इधर के लोगों को भी चिन्ता है तथा यहां से बाहर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को भी चिन्ता है। वैसे तो महिलाओं का सम्मान सदियों से होता रहा है। भगवान राम के जाने से श्रीराम से पहले माता सीता की पूजा होती है और लोग सीता-राम कहते हैं। कृष्ण से पहले राधा की पूजा होती है और लोग राधा-कृष्ण कहते हैं। कृष्ण-राधा कोई नहीं कहता है। आज जो प्रदेश में हो रहा है उस दृष्टि से मैंने बहुत रचनात्मक प्रश्न किया है कि महिलाओं के अपराधों के दोषियों के केस सालों तक चलते रहते हैं और वह तमाम तरह से प्रेशर बना लेते हैं। सारे केसेज में यदि कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था हो जायेगी तो उससे महिलाओं का ज्यादा कल्याण होगा और लोगों में भय भी होगा। क्या सरकार सभी केसेज में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लेगी अथवा नहीं लेगी। दूसरा, सुधार गृहों में पूरे प्रदेश ओर अपने प्रदेश में महिलाओं के साथ शोषण के कुछ मामले सामने आये हैं और महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए सरकार काफी चिन्तित भी दिखाई दी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कितने केस हुए, उन पर क्या कार्यवाही की गई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से इन दोनों अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ।

श्रीमती स्वाती सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सदन के बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ हैं और मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के जमाने से ही महिलाओं का सम्मान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी और मुझे बार-बार इस विषय पर बोलना भी पसन्द नहीं है, लेकिन फिर भी

चूंकि माननीय सदस्य ने महिला सम्मान की बात की है तो मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि मेरी उत्पत्ति ही महिला सम्मान के माध्यम से हुई और जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरा साथ दिया, तब यह लोग बैठे हुए थे। कोई सरकार में था, कोई केन्द्र में मेरे खिलाफ बोल रहा था। कोई सरकार में बैठकर उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ बोल रहा था और उन दोषियो को सजा हमारी सरकार में मिली है। उस समय किसी ने सवाल नहीं खड़े किये थे। जहां तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि कुछ समय पीछे अगर आप जाकर देखें तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसका आदेश दिया था। आपने कहा कि सुधार गृहों में जो बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है। आप एक भी कोई मामला ऐसा बता दीजिये कि मा0 योगी जी ने जबसे उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला है, किसी भी सुधार गृह में किसी भी ऐसे गृह में जहां पर बच्चियां रहती हैं, जहां बच्चे रहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी क्राइम नहीं हुआ है। हम पूरी तरह से उनको सुरक्षित रखे हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि यह योगी सरकार है। यहां पर किसी भी दोषी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह का हम संरक्षण नहीं देते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जहां तक आपने संख्या की बात कही है तो आपके सवाल में यह नहीं था कि हमें यह संख्या लेकर यहां आना है कि कितने ऐसे मामले हैं। कितनों में दोषियों को सजा मिल गयी। अगर आप चाहेंगे तो मैं पटल पर मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से भिजवा दूंगी। वहां से आपके कार्यालय में चला जायेगा।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

आपने तो हमारे ऊपर आरोप भी लगा दिया। चलिये, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अखबार में पढ़ा था कि देवरिया में सुधार गृह में कोई घटनाक्रम हुआ। अगर मा0 मंत्री जी को कोई जानकारी हो तो बता देंगी तो बड़ी कृपा होगी। न हो तो कोई बात भी नहीं है। सिर्फ छोटा सा प्रश्न और है कि महिला हेल्प डेस्क चलती है और वहां महिला शौचालयों का प्राविधान नहीं है। इतनी छोटी सी बात है। अगर वहां शौचालय बनवा दें तो क्या इसका आश्वासन देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

वन स्टाप सेंटर की बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के हेल्प डेस्क के लिए हैं। वन स्टाप सेंटर हैं। 181 महिला हेल्पलाइन नम्बर है, महिला कल्याण के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं। आप किस स्पेसिफिक योजना के बारे में बोल रहे हैं वह बता दें।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

जहां भी महिला जाती हों, जहां भी महिला हेल्प डेस्क लाइन आपकी हो।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मैं मा0 सदस्य को बताना चाहूँगी कि हमारे पूरे 75 जनपदों में वन स्टाप सेंटर का संचालन होता है। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार यूनिवर्सलाइजेशन आफ वीमेन

हेल्पलाइन स्कीम के अन्तर्गत 181 महिला हेल्पलाइन कॉल सेंटर का 08 मार्च, 2016 से प्रदेश में संचालन किया जा रहा है जिसमें उक्त योजना के उद्देश्य निम्नवत् हैं। कहिये तो मैं आपको उद्देश्य भी बता दूं या यह बता दूं कि इसमें काम कैसे होता है। मान्यवर, हम पूरे प्रदेश में 75 जिलों में वन स्टाप सेंटर चलाते हैं जिसमें एक ही छत के नीचे सारी महिलाओं को अगर उनके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना घट रही है। अगर पुलिस की सुविधा चाहिए तो वन स्टाप सेंटर में वह सुविधा उपलब्ध है। अगर उन्हें डॉक्टर या वकील या काउंसलर की सुविधा चाहिए। सारी सुविधाएं उस एक प्रीमाइस के नीचे उपलब्ध हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन जनपदों में हमारी वन स्टाप सेंटर की अपनी बिल्डिंग नहीं बनी है वहां पर भी बिल्डिंग बनने का काम हो रहा है और जब तक वहां पर बिल्डिंग नहीं बनती है, हम किराये के भवन को लेकर उसमें वन स्टाप सेंटर संचालित कर रहे हैं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मेरा प्रश्न है कि जहां शौचालय नहीं हैं वहां के बारे में बता दें और देवरिया के बारे में जानकारी अगर हो तो बता दें।

श्रीमती स्वाती सिंह-

शौचालय सभी जगह हैं। जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें शौचालय होता है और मैंने कहा है कि हम किराये पर भवन लेकर वन स्टाप सेंटर संचालित कर रहे हैं। वहां पर भी शौचालय हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि किसी बिल्डिंग में शौचालय नहीं है तो हमें जानकारी उपलब्ध करा दीजियेगा। मैं जांच करा लूंगी। दूसरी बात आपने देवरिया की कही। फिर आप कहेंगे कि हम आपके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। उन सुधार गृहों को आप चला रहे थे। मा0 अध्यक्ष जी, जिन सुधार गृहों में इस तरह के मामले होते थे, उन सभी सुधार गृहों को मा0 योगी सरकार ने बन्द कराने का काम किया है। अब उत्तर प्रदेश में मात्र 09 सुधार गृह संचालित हो रहे हैं, बाकी सभी सुधार गृहों को जहां पर इस तरह का काम हो रहा था, हमने उन सुधार गृहों की जांच कराकर बन्द कराने का काम किया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां पर ऐसी महिलाएं एवं बच्चियां रहती हैं, पिछली सरकारें महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा के लिए गम्भीर नहीं थीं, इसलिए इस काम को मा0 योगी सरकार ने किया है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश के आधुनिकीकरण मदरसा शिक्षकों का बकाया मानदेय देने तथा उनके हितार्थ सेवा नियमावली के सम्बन्ध में

***4-हाजी इरफान सोलंकी (अनुपस्थित)-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आधुनिकीकरण मदरसा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान करने तथा उनके हितार्थ शिक्षक सेवा नियमावली सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मदरसा आधुनिकीकरण की योजना केन्द्र पुरोनिधानित है। भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन गाइड लाइन दिनांक 13-07-2018 में निर्धारित मानकों/पात्रता के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा योजना संचालित की जा रही है तथा शासनादेश संख्या 2432/52-3-2018-बजट(17) /2010, दिनांक 11 जनवरी, 2019 द्वारा योजनान्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। अतएव अलग से नियमावली बनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रदेश में आयुष्मान योजना में पात्रता सूची से बाहर रह गये गरीबों को लाभ दिलवाये जाने की योजना के सम्बन्ध में।

***5-श्री नाहिद हसन-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुष्मान कार्ड योजनान्तर्गत प्रदेश में आयुष्मान कार्ड पात्रता मानक क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजनान्तर्गत पात्रता सूची में आने वाले कितने पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त पात्रता सूची से बाहर रह गये गरीब लोगों को भी उपरोक्त योजना का लाभ दिलाने हेतु कोई कार्य योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित परिवारों की पात्रता का निर्धारण सामाजिक, आर्थिक, जातिगत सर्वेक्षण-2011 (एस0ई0सी0सी0-2011) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों एस0ई0सी0सी0 डाटा की वंचित श्रेणियों (डी-1, डी-2, डी-3, डी-4, डी-5 तथा डी-7) एवं स्वतः शामिल श्रेणियों तथा शहरी क्षेत्रों में 11 पेशेवर कामगार श्रेणियों के आधार पर किया गया है। योजना के पात्र परिवारों की सूची भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 1.26 करोड़ परिवारों, जिनमें लगभग 06 करोड़ लाभार्थी हैं, में से 1.15 करोड़ लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड दिनांक 8 फरवरी, 2021 तक बनाये जा चुके हैं। आच्छादित सत्यापित पात्र लाभार्थी परिवारों में से 49 प्रतिशत परिवारों के कम से कम 01 सदस्य को गोल्डेन कार्ड जारी हो चुका है तथा 51 प्रतिशत लाभार्थी परिवारों के कार्ड बनाया जाना शेष है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पात्रता सूची से छूटे हुए पात्र परिवारों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा एस0ई0सी0सी0 में निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर सर्वे के माध्यम से मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 8.43 लाख परिवारों को चिन्हित करते हुए योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

श्री नाहिद हसन-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है और जहां तक हम देख रहे हैं कि इस योजना का और योजनाओं की तरह सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार ही हो रहा है और धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड का सर्वे वर्ष 2011 में हुआ था। चूंकि वर्ष 2011 से अब वर्ष 2021 आ गया है, इसलिए बहुत सारे हालात बदल गये हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जैसे 10-11 वर्ष बाद कुछ-कुछ इम्पलीमेंट हो रहा है। मा0 मंत्री जी मौके और हालात को देखते हुए इसमें कुछ करेक्शन करेंगे ? जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया है कि 49 प्रतिशत परिवारों के कम से कम एक सदस्य को गोल्डेन कार्ड दिया गया है। पूरे परिवार को छोड़कर सिर्फ परिवार के मुखिया को गोल्डन कार्ड दिया गया है। मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर में ही दर्शाया गया है कि यह योजना बड़ी धीमी गति से चल रही है, इसमें सरकार थोड़ी तेजी लाये। जितने लोग सहारनपुर मण्डल में पात्र हैं और वे किसी वजह से छूट गये हैं तो क्या मा0 मंत्री जी उनको जल्दी से जल्दी शामिल करने का काम करेंगे ? जैसा कि लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड योजना बिलो एवरेज एवं गरीब लोगों के लिए है। जानकारी का अभाव होते हुए जो मा0 मंत्री ने डी-1, डी-2, डी-3, डी-4 और डी-5 श्रेणियां रखी हैं, उससे गरीब आदमी का दुरुपयोग न हो, इन श्रेणियों को वहां पर समझाने का प्रयास किया जायेगा तो वह इस योजना से फायदा उठा सकता है। मेरा बस इतना ही कहना है कि क्या सरकार इसमें तेजी लायेगी और क्या ये हर परिवार के एक-एक बन्दे तक यह योजना पहुंच जाएगी, अगर नहीं पहुंच जाएगी तो उसका एक-एक कारण बता दें।

श्री जय प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आरम्भ 23 दिसम्बर, 2018 को हुआ था। उसके पहले उसको आधार कार्ड बनाने का आधार चाहिए था। वह सूची 2011 में आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षण हुआ था, उसी को आधार मानते हुए इस योजना में इन सारे लोगों को, क्योंकि वह सूची उस तरह के लोगों की बनी थी जिसमें वह सब लोग आते हैं, उसको आधार मानते हुए 23 दिसम्बर, 2018 से यह प्रोग्राम शुरू हुआ और अभी तक उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख लोग सूची के मुताबिक चिन्हित किये गये थे, उसमें से 1 करोड़ 15 लाख लोगों का गोल्डेन कार्ड बन चुका है। एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, गोल्डेन कार्ड सभी का नहीं बन पाता है। इस बात को हम स्वीकार भी करते हैं और हमने जवाब में भी लिखा है कि 49 प्रतिशत का हम लोग बना चुके हैं। 51 प्रशित का और बनाना है, जिसमें सभी परिवारों को शामिल करना है। मगर इसमें तेजी करने के लिए समय-समय पर बहुत सारे अभियान भी चलते हैं। जैसे अभी ही संचारी रोग अभियान शुरू हुआ, टी0बी0 का

अभियान चला था। सभी अभियानों में गोल्डेन कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। सूची के मुताबिक परिवारों को चिन्हित करते हैं और प्रति परिवार मुख्य मंत्री आरोग्य मेला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रारम्भ करते हैं। वहां भी अलग से कम्प्यूटर लगवा कर गोल्डेन कार्ड बनवाने की व्यवस्था भी करते हैं तो पूरी तरह हम लोग इसमें तेजी करते हैं। आज भी ग्राम पंचायत स्तर पर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्राम प्रधान के माध्यम से भी यह सूची ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराकर निश्चित दिवस पर इनको टारगेट करके इनका कार्ड बनाना हमारा लक्ष्य है। हर प्रकार से हम इसमें तेजी ला रहे हैं। अभी ही एक महीने में विशेष अभियान चलाकर 10 लाख कार्ड बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यही तो मा0 सदस्य कह रहे हैं कि आप तेजी लाइए और आप तेजी ला भी रहे हैं।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, मेरा कहना है कि बदलते हालात के साथ योजना में जो चेंज कराया जा सकता है जिससे गरीब आदमी का नाम आ जाये तो मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या इसमें तेजी दिखायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो पहले ही बता चुके हैं।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मान्यवर, मेरा कहना है कि जो यह योजना चल रही है, लेकिन इसमें कैटेगरी दे दिया है जैसे कैंसर का रोगी है, किडनी प्रत्यारोपण का रोगी है, हार्ट का बाई पास कराना है तो उसको केवल 80,000 एलाउ है जिसकी वजह से उसको लाभ नहीं मिल पाता है। हम लोग मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से अगर लाभ दिलवाना भी चाहते हैं तो उसको आयुष्मान योजना से आच्छादित दिखाते हुए उसे बैन कर दिया जाता है। क्या मा0 मंत्री जी से यह प्रावधान करेंगे कि मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष में गम्भीर रोगियों के लिए आयुष्मान से छूट प्रदान की जाये, क्योंकि इससे आच्छादित होने की वजह से उसे लाभ से वंचित किया जाता है, उसको भी लाभ मिले।

श्री नाहिद हसन-

क्या सरकार जल्दी से जल्दी कोई योजना बनाने का काम करेगी या हर बार की तरह योजना कागजों तक रह जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, सरकार योजना बनाएगी। मा0 मंत्री जी के पड़ोस में जो विधायक जी बैठे हैं। उनका अन्तिम प्रश्न है, उसका जवाब दे दीजिये।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, आयुष्मान भारत के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के लिए जो पैकेज तैयार किया जाता है, वह ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज की एक टीम के विशेषज्ञ होते हैं। पूरे देश में किस तरह की बीमारी में, कितना खर्च लगता है, उसका एक पैकेज तैयार करते हैं, उसको आयुष्मान कार्ड से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसी तरह से जो भी आपरेशन किया जाता है, आपरेशन करने के बाद प्राइवेट सेक्टर के लोग मांग करते हैं कि हमें इसके लिए इतना पैसा मिलना चाहिए, यदि उसमें भी कहीं कोई कमी आती है। यदि प्री-आपरेशन एण्ड पोस्ट आपरेशन में कहीं भी थोड़ी-बहुत कमी आती है तो वह वापस उस विशेषज्ञ समिति को रिफर हो जाता है और उस पर विचार करके कहीं-कहीं वह बढ़ा भी देते हैं। ऐसा कोई पक्का वो नहीं है, जो पैकेज बनता है, पैकेज में भी कभी-कभी 2-4 परसेंट का फर्क करके उसका हम लोग पेमेंट भी कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इसमं बहुत सारे लोग छूटे भी हैं। जो एससीसी सूची है, 2011 की, उसमें अभी भारत सरकार के द्वारा परिवर्तन नहीं हुआ है, मगर उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग छूटे हुए थे, जो हमने चिन्हित किया था, उसमें मुख्य मंत्री जन आरोग्य प्रोग्राम के अन्तर्गत 8.43 लाख लोगों को हमने उसमें इन्क्लूड किया है और अभी भी हो सकता है कि कुछ लोग और छूटे होंगे। उनको हम और भी इन्क्लूड करेंगे और वैसे हमारे 6.14 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज अभी तक प्राप्त हो चुका है, जिसमें 643 करोड़ रुपया आयुष्मान कार्ड के अन्तर्गत खर्चा भी किया गया है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय मंत्री जी, बनारस में जो बी0एच0यू0 का हास्पिटल है, उसमें हमारे क्षेत्र का एक आदमी भर्ती था, उसके पास यह कार्ड भी था। लेकिन उन लोगों ने उसे माना ही नहीं, उसमें पैसा ही नहीं दिया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप नाम नोट कर लें, विक्रमा वर्मा जो मेरे विधान सभा क्षेत्र मनियर के हैं, उनके पास यह कार्ड भी है, लेकिन इसका लाभ वहां उनको डॉक्टर नहीं दे रहे हैं, कृपया दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, जो नेता विरोधी दल वाला विषय है, इसको दिखवा लीजिये।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, हम दिखवा लेंगे।

प्रदेश के जनपदों में कोरोना वायरस टेस्ट हेतु लैब खोलने पर विचार करने विषयक

***6-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभन्न जनपदों में कोरोना वायरस पाजिटिव के कितने मरीज हैं तथा प्रदेश के कितने हास्पिटल में कोरोना वायरस

के टेस्ट के लिए कितनी लैब है ? क्या सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में लैब खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

1-प्रदेश में दिनांक 02-12-2020 तक कुल 549228 कोरोना रोगी पाये गये।

2-वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत संचालित मेडिकल कालेज एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालयों सहित कुल 46 चिकित्सालयों में आर0टी0पी0सी0आर0 विधि से कोविड-19 जांच की व्यवस्था है।

3-प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में ट्रू-नेट विधि द्वारा कोविड-19 की आर0टी0पी0सी0आर0 विधि द्वारा जांच एवं त्वरित जांच किये जाने हेतु एंटीजेन किट द्वारा जांच किये जाने की व्यवस्था है।

4-प्रदेश के 10 जनपदों के 14 चिकित्सालयों में सी0बी0 नाट विधि द्वारा कोविड-19 की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच की व्यवस्था है।

5-वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 रोग की जांच की आवश्यकता के अनुरूप समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का एक मिनट लेना चाहता हूं। वर्तमान सरकार ने जैसाकि हमारे विपक्ष के नेता ने भी कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने फोन करके उनको वहां तक पहुंचाया, आज वह स्वस्थ हैं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि मैं भी 27 अगस्त को कोविड से ग्रसित हुआ था और चन्दन हास्पिटल पहुंच गया था। एक छोटे मैसेज ने माननीय मुख्य मंत्री को विचलित किया और उनको यह लगा कि असलम राइनी भी आज अन्तिम सांस ले रहा है तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जीवन और जिन्दगी तो ईश्वर देता है, लेकिन इस धरती पर अगर किसी ने मेरा या माननीय विपक्ष के नेता का सहयोग किया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। मैं उनको धन्यवाद देते हुए, माननीय मंत्री जी से मात्र 03 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक बताने का कष्ट करें कि पूर्वांचल के जनपदों में आर0टी0पी0सी0आर0 की जांच के लिए एनेस्थीसिया, चेस्ट स्पेशलिस्ट व लैब टेक्नीशियन के पदों पर सभी जनपदीय स्तर के हास्पिटलों में 32 से 35 वर्ष की आयु के डॉक्टर की पोस्टिंग आप कब तक करा देंगे ?

नम्बर दो, मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी कृपापूर्वक बताने का कष्ट करें कि वर्तमान में मा0 सदस्य व उनके परिवारों के लिए कोविड हो जाने पर लखनऊ के पी0जी0आई0 या के0जी0एम0यू0 या आपके लोहिया या जो प्राइवेट हास्पिटल हैं, जैसे वेदान्ता, सहारा या चन्दन

में इनके परिवारों के लिए आपकी कौन सी सुविधा, आपका कौन सा आदेश कब तक पहुंच जायेगा कि उनको वे त्वरित टेकअप करें और उनके कोविड-19 के मरीजों को भर्ती कर लें। हमने तो सोर्स लगा लिया, मा0 मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने भर्ती करा दिया, लेकिन जो मेरे परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, अगर वे अचानक कोविड से ग्रसित हो जायें तो उनका इलाज कैसे होगा, क्या इस पर आपका कोई आदेश होगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप अभी तक कोई सवाल नहीं कर पाये हैं।

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

नम्बर तीन, और अन्तिम प्रश्न, मेरा मा0 मंत्री जी से यह है कि पूर्वांचल के अति पिछड़े मण्डल देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती में कोविड-19 की जांच, आर0टी0पी0सी0आर0 जांच बहराइच, मेडिकल कालेज में कोविड जांच की मशीन और मेडिकल लैब की कमी के कारण नहीं हो पाती है तो क्या मा0 मंत्री जी कोविड मशीन व मेडिकल स्टाफ बहराइच मेडिकल कालेज में बढ़ाने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप जिन जनपदों के नाम ले रहे हैं, वे सवाल में नहीं हैं तो ये कैसे उत्तर देंगे ?

श्री जय प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि आपका पहला सवाल और तीसरा सवाल तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है और आपने पहले सवाल में तो नियुक्ति के बारे में बात की थी। इसलिए उसके बारे में तो मेरे पास अभी कोई बहुत ज्यादा कागज नहीं हैं इनका तीसरा सवाल बहराइच मेडिकल कालेज से था और वहां पर आर0टी0पी0सी0आर0 के लिए ए0एस0एम0सी0 मुझे लगता है कि यह मेडिकल कालेज ही है तो उसमें तो आर0टी0पी0सी0आर0 मशीन है और वहां पर जांचें भी हो रही हैं।

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

श्रावस्ती, बलरामपुर और गोण्डा के सैम्पल को वहां न ले करके सीधे लखनऊ भेज दिया जाता है। अगर वहां मशीनें उपलब्ध हों और वहां आपका स्टाफ भी अधिक हो जाये तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोण्डा के जो सैम्पल जाते हैं तो उनकी जांच बहराइच में हो जाये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्टाफ कब तक बढ़ा देंगे ? यह मेरा मा0 मंत्री जी से सवाल है।

श्री जय प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बहराइच में जब आर0टी0पी0सी0आर0 मशीन है तो उसको कहीं भेजा नहीं जाता, वहीं पर उसकी जांच हो जाती है। गोण्डा में मण्डलीय चिकित्सालय में भी आर0टी0पी0सी0आर0 मशीन लग गयी है तो वहीं पर उसकी जांच हो जाती है। कहीं भेजने की

आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि श्रावस्ती में अभी चूंकि वहां पर उसकी व्यवस्था नहीं है, बाकी सब तो अलग-अलग स्थानों पर जाते हैं और अब तो हमारे पास 46 आर0टी0पी0सी0आर0 ट्रेसर लग चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

राइनी साहब, अब आप मुतमईन हो जाइए। आगे बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है मा0 संजय गर्ग जी का, उसको एक मिनट में हो जाने दीजिए।

प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण हेतु नीति बनाने विषयक

***7-श्री संजय गर्ग-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण हेतु सरकार की कोई ठोस नीति है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या का स्थिरीकरण प्रदेश की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या स्थिर किये जाने के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम 1950 के दशक से चलाया जा रहा है, जोकि लक्ष्यमुक्त व पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार को सीमित रखने हेतु स्थाई एवं अस्थाई विधियां सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के बास्केट ऑफ च्वाइस को विस्तारित करते हुए नवीन गर्भ निरोधक अन्तर इंजेक्शन एवं गर्भ निरोधक गोली छाया प्रत्येक उपकेन्द्र स्तर तक उपलब्ध करायी जा रही है। प्रसव पश्चात् सेवाओं तथा सुरक्षित गर्भपात पश्चात् सेवाओं पर विशेष ध्यान करते हुए, परिवार नियोजन हेतु सलाह-मशविरा के उपरान्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत आच्छादित 03 या 03 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में नवविवाहितों के लिए नई पहल किट (शगुन किट) आशा द्वारा नवविवाहित दम्पतियों को उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश के 57 जनपदों में जनसमुदाय के मध्य गर्भ निरोधक साधनों की ग्राह्यता बढ़ाने हेतु ग्राम स्तर पर व सास-बहू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। समुदाय में परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न विधियों में प्रशिक्षित सेवाप्रदाताओं की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से चिकित्सक को महिला एवं पुरुष नसबन्दी की विधा में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के साथ-साथ ए0एन0एम0 और स्टाफ नर्सों को मिनीलैप, लैप्रो, आई0यू0सी0डी0 और पी0पी0आई0यू0सी0डी0 तकनीक में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रदेश के निजी चिकित्सालयों को एक्रीडिएट कर, हौसला साझीदारी के अन्तर्गत परिवार नियोजन की सेवाएं प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। नसबन्दी के लाभार्थियों को घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेन्स की सेवा दी जाती है।

नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु से सम्बन्धित प्रकरणों में दिनांक 01-04-2013 से परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना लागू की गयी है।

उत्तर प्रदेश की कुल सकल प्रजनन दर (टी0एफ0आर0) में 1.1 की गिरावट आयी है (डाटा सोर्स एन0एफ0एच0एस0-3) के अनुसार 3.8 था, जोकि एन0एफ0एच0एस0-4 के अनुसार घटकर 2.7 है)

परिवार कल्याण सेवाओं का समुदाय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं गति प्रदान करने के उद्देश्य से माह नवम्बर, 2020 से प्रदेश में अनोखी पहल के तौर पर प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर से ग्रामीण स्तर तक के समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर परिवार नियोजन सम्बन्धित गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ क्योंकि यह बहुत ज्वलन्त प्रश्न है, तात्कालिक है और बजट सत्र है। तमाम सरकारें रही हैं और इसमें पक्ष-विपक्ष की कोई बात नहीं है। जितनी चिन्ता आपकी है, उतनी ही हमारी भी है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल दो प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जनसंख्या विस्फोट के कारण जो भी बजट किसी भी योजना के अन्तर्गत पास होता है तो वह योजना उस हद तक कामयाब नहीं हो पाती। इन तमाम स्तरों के बावजूद भारत में जो स्थिति है, नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली में प्रति महिला प्रजनन दर सबसे कम 1.6 प्रतिशत है और आंकड़ों के मुताबिक आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में प्रजनन दर 8.7 प्रतिशत है, जबकि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में 8.8 प्रतिशत है। कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रजनन दर का कारण यहां की इलिट्रेसी/अशिक्षा और आर्थिक गरीबी, गुरबत सबसे बड़ा कारण है। जितने भी प्रोग्राम और कार्यक्रमों के बारे में मा0 मंत्री जी ने बताया उन चीजों से अन्तर पड़ा है। परन्तु उस सबके बावजूद मैं कैटेगरली आपके माध्यम से केवल यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जनसंख्या विस्फोट होने पर तुरन्त रोक लगाने हेतु जनजागृति जिससे लोगों में पैदा हो सके तो क्या मा0 मंत्री जी इन पंचायतीराज चुनावों में विभिन्न पदों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों पर दो बच्चे से ज्यादा होने पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी या नहीं करेगी ? क्या सरकार प्रदेश में अपनी जनसंख्या नीति पर विचार कर रही है। यदि कर रही है तो वह क्या नीति है और एक समग्र नीति पर विचार कर रही है या नहीं कर रही है ?

श्री जय प्रताप सिंह -

मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, संजय गर्ग जी पहले सरकार में भी रहे हैं और संसदीय परम्पराओं की जानकारी भी उनको अच्छी है। मान्यवर, यह पंचायती राज से सम्बन्धित सवाल मा0 संजय गर्ग जी ने उठाया है और चिकित्सा, स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मान्यवर, घुटने का इलाज कोई दाढ़ का डॉक्टर नहीं करता है (सदन में हंसी)। घुटना ठीक कराना है और दाढ़ के डॉक्टर के पास पहुंच गये हैं। मान्यवर, वैसे तो आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन मान्यवर, यह सवाल मूल प्रश्न से मिलता-जुलता नहीं है और फिर उस विभाग से भी सम्बन्धित नहीं है और जहां तक आबादी की बात है यह एक दिन की परवान नहीं है, वर्षानुवर्ष किसी भी प्रकार से आप किसी को दोषी ठहरा दें, लेकिन यह वर्षों की हमारी जो लिविंग स्टाईल है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारा सरकमस्टेन्सेज है, जो हमारा सिनेरियो है, उसका ही परिणाम, यह बढ़ती हुई आबादी है। मान्यवर, चिन्ता बिलकुल सही है, मंशा भी सही है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा भी है कि हम पक्ष-विपक्ष की कोई बात नहीं कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हां, यह कहा भी है कि लेकिन यह सब बिलकुल सही है कि आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। यह किसी कानून से नियंत्रित नहीं हो सकता है। यह सामाजिक परिस्थिति है। इसकी पूरी तरह समाज को ही इस बारे में चिन्ता करनी पड़ेगी। ये किसी कानून से भी सम्बद्ध नहीं है। पहले परिवार में कितने-कितने बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज ज्यादातर परिवारों में उसमें कितनी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन एक बार जब आबादी बढ़ गई तो उसको उसी हिसाब से लेना भी चाहिए। चिंता भी सही है और मान्यवर, इस बात की आवश्यकता भी है। पक्ष और विपक्ष सभी लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं। पूरे सदन को इसमें योगदान के बारे में सोचना चाहिए। मेरी आपसे केवल इतनी ही गुजारिश है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बात को घुमाया है। एक तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि जनसंख्या को घटाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। (सदन में हंसी) इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात हमारे मा0 सदस्य संजय गर्ग ने यह जानना चाहा था कि कई दिन से समाचार-पत्रों के माध्यम से यह पता चला कि सरकार इस पंचायत चुनाव में इस बात को लागू करने जा रही है कि 2 बच्चे या 3 बच्चे, 2 बच्चे से अधिक जिनके बच्चे हों, वह प्रधानी का, जिला परिषद् का, बी0डी0सी0 का, जिला प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ सकते। यह बिलकुल अवैधानिक है और यह एक खराब बात है। इसी बात को

क्लियर करना चाहते थे कि क्या सरकार ऐसा कोई नियम लागू करना चाहती है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार लागू करना चाहती है तो इसे न लागू किया जाये। कोई नई परिपाटी न स्थापित की जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।†

प्रदेश में कोरोना की जांच व मानकानुसार वेन्टीलेटर की व्यवस्था करने की जानकारी

***8-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 15-06-2020 तक कोरोना महामारी से संक्रमित कितने व्यक्तियों की जांच कराई गई तथा उनमें कितने पॉजिटिव पाये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि मार्च, 2020 तक प्रदेश में कितने वेन्टीलेटर उपलब्ध थे एवं कोरोना महामारी के कारण कितने वेन्टीलेटर कितनी धनराशि में क्रय किये गये व वर्तमान में कितने वेन्टीलेटर क्रियाशील व कितने अक्रियाशील हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वेन्टीलेटर की उपलब्धता डब्लू0एच0ओ0 के मानकों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

दिनांक 15-06-2020 तक प्रदेश में कुल 479026 नमूने एकत्रित किये गये, जिनमें से कुल 14091 व्यक्ति कोविड-19 रोग हेतु धनात्मक पाये गये।

जी हां।

मार्च, 2020 तक प्रदेश के चिकित्सा इकाइयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार कुल 225 वेन्टीलेटर उपलब्ध थे।

कोरोनाकाल में उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा कुल 184 नग वेन्टीलेटर का क्रय किया गया, जिसकी कुल लागत रुपये 35896928 है।

कुल उपलब्ध 409 वेन्टीलेटर्स में से 405 क्रियाशील हैं तथा 04 मरम्मत योग्य हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को गैर बीमित दुधारू पशुओं की घातक बीमारी से मौत होने से किसानों को शत-प्रतिशत पशु बीमा के सम्बन्ध में

***9-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को उनके गैर बीमित दुधारू पशुओं की घातक बीमारी से मृत्यु होने पर नुकसान उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या

---

† नोट :-आज की कार्यसूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-07 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

सरकार किसानों के शत-प्रतिशत पशुओं का बीमा कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी का लाभ 05 पशु इकाइ प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित है। यदि लाभार्थी के पास 05 से कम पशु/01 पशु इकाइ है, तो ही उसे सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश के लिए एक पशु इकाइ को 10 भेड़/बकरी/सूकर/खरगोश के बराबर माना जाता है।

उक्त योजना भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार प्रदेश में क्रियान्वित है। प्रतिवर्ष लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश पर आधारित होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिनांक 28-10-2020 तक कोरोना से मृतकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

***10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 28-10-2020 तक कोरोना महामारी से कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार दैवीय आपदा मानते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रदेश में दिनांक 28-10-2020 तक कोविड-19 रोग के कारण कुल 6958 रोगियों की मृत्यु हुई थी।

प्रत्येक मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्ले ग्रुप पैटर्न हेतु बच्चों के लिए सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

***11-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में निजी विद्यालयों की तरह प्ले ग्रुप पैटर्न पर बच्चों

को शिक्षित करने का आदेश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार निजी विद्यालयों की तरह आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी प्ले ग्रुप पैटर्न हेतु बच्चों के लिए सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 03-06 वर्ष के बच्चों हेतु शाला पूर्व शिक्षा का प्रावधान है। उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 बाल उपयोगी कहानियों की किताबें पहुंचायी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण ई0सी0सी0ई0 संचालन हेतु गतिविधि पुस्तिका, बाल मूल्यांकन कार्ड, ई0सी0सी0ई0 मैनुअल (पहल) तथा वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर आदि को मुद्रित कराये जाने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कोरोनाकाल में क्वारंटाइन किये गये पाजिटिव मरीजों पर प्रति मरीज प्रतिदिन व्यय तय मानकों का अनुपालन किये जाने की जानकारी

***12-इंजी0 बृजेश कठेरिया-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोविड-19 महामारी में क्वारंटाइन किये गये कोरोना पाजिटिव मरीजों की देख-रेख हेतु प्रति मरीज, प्रतिदिन कितनी धनराशि व्यय करने के क्या मानक हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-1046/पांच-5-2020, दिनांक 05-05-2020 के द्वारा राजकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कोविड-19 रोगियों के भोजन व्यवस्था हेतु प्रति रोगी/प्रतिदिन रु0 100/- (रु0 एक सौ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु दर निर्धारित की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आयुष विभाग भारत सरकार द्वारा प्रदेश के आयुर्वेद विभाग को गत तीन वर्षों से प्राप्त धनराशि का भिन्न मदों में उपयोग व आवश्यक धनराशि की मांग विषयक

***13-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-**

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आयुष विभाग अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग को विगत तीन वर्षों में कितनी धनराशि भारत सरकार से दवाओं के निर्माण, भवनों के

निर्माण, दवाओं की खरीद आदि मद में मिला है तथा उसका उपयोग कहां-कहां पर हुआ है ? क्या सरकार ने उक्त में अधूरे कार्यों हेतु धनराशि का आंकलन कर उसकी मांग भारत सरकार से की है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 धर्म सिंह सैनी)

(धनराशि रु0 लाख में)

वित्तीय वर्ष	दवाओं का निर्माण	दवाओं की खरीद	भवनों का निर्माण	कुल योग
2017-18	शून्य	150.00	2650.00	2800.00
2018-19	शून्य	4208.00	1350.00	5558.00
2019-20	शून्य	4244.00	2950.00	7194.00
महायोग	**शून्य**	**8602.00**	**6950.00**	**15552.00**

जी नहीं।

किन्तु वार्षिक कार्य योजनाओं में पूर्व वर्षों में स्वीकृत अवशेष धनराशि की मांग भारत सरकार से की जाती है। वर्षवार उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित कार्य योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार की प्रचलन दिशा-निर्देशिका के अनुसार क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

प्रदेश में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण हेतु नीति विषयक

***14-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लिपिक के स्थानान्तरण की कोई नीति है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक की वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 29-03-2018 व काार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 2019 की स्थानान्तरण नीति दिनांक 28-05-2019 के अनुक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समूह 'ग' लिपिकीय श्रेणी कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण विषयक

शासनादेश संख्या-2072/सेक-2-पांच-19-4(79)/2008, दिनांक 17-06-2019 निर्गत किये गये थे। सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वर्ष 2020-21 में शासनादेश दिनांक 12-05-2020 द्वारा अपरिहार्य स्थिति को छोड़ते हुए सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में राज्य पोषण मिशन अन्तर्गत चिन्हित कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु जिला अस्पतालों में पृथक वार्डों की स्थापना कराने विषयक

***15-श्री नफीस अहमद-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सहित जनपद आजमगढ़ में राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत चिन्हित किये गये कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए जिला अस्पतालों में पृथक वार्ड स्थापित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कुपोषित बच्चों के उपचार एवं संक्रमण से बचाव हेतु जिला अस्पतालों में पृथक वार्ड की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद आजमगढ़ में राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत चिन्हित किये गये कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु जिला अस्पताल में पोषण पुनर्वास केन्द्र एन0आर0सी0 (पृथक वार्ड) स्थापित किया गया है।

वर्तमान में प्रदेश के 71 जनपदों के जिला चिकित्सालयों (पुरुष/संयुक्त)/मेडिकल कालेज एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में कुल 77 एन0आर0सी0 (पृथक वार्ड) स्थापित है।

शेष 04 जनपदों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पोषण पुनर्वास केन्द्र एन0आर0सी0 (पृथक वार्ड) चरणबद्ध रूप से स्थापित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अन्दर वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आरोग्य योजनान्तर्गत निजी अस्पतालों में बीमारी के इलाज हेतु भुगतान तथा मरीजों के इलाज पर व्यय किये जाने विषयक

***16-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अन्तर्गत निजी अस्पतालों में कुल कितने बीमार व्यक्तियों का इलाज किया गया एवं इलाज के लिए अस्पतालों को कुल कितना भुगतान किया गया तथा सरकारी अस्पतालों में कुल कितने मरीजों का इलाज किया गया व उनके इलाज पर कितना व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारम्भ दिनांक 23 सितम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक उपचारित की संख्या व हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है :-	
निजी अस्पतालों में उपचारित मरीजों की संख्या-52,218	उपचारित मरीजों पर हुआ व्यय रु0 58,57 करोड़
सरकारी अस्पतालों में उपचारित मरीजों की संख्या 13,862	सरकारी अस्पतालों में उपचारित मरीजों पर हुआ व्यय रु0 15,86 करोड़

विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गांव स्तर पर आशा कार्यकत्री के रूप में महिलाओं का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में।

***17-श्री मसूद अख्तर-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांव स्तर पर आशा कार्यकत्री के रूप में कार्यरत महिलाओं का मानदेय बढ़ाने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

विगत वर्षों से आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि में निरन्तर वृद्धि की जा रही है जिसमें नवीन मदों में प्रतिपूर्ति राशि देने का प्राविधान एवं नियमित गतिविधियों में वृद्धि समय से की गयी है :

- नियमित गतिविधियों हेतु माह-अक्टूबर, 2018 से पहले आशाओं को प्रतिमाह रुपये 1000/- की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती थी। जिसमें रुपये 1000/- प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए वर्तमान में रुपये 2000/- प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।
- वर्ष 2018-2019 में हेल्थ प्रमोशन दिवस हेतु आशाओं को प्रतिमाह रु0 200/- की धनराशि प्रदान की जा रही है।
- शासन के आदेश दिनांक 09 मार्च, 2019 के द्वारा आशा/आशा संगिनी एवं अरबन आशा की प्रतिपूर्ति राशि में कार्य आधारित रु0 750/- प्रतिमाह की दर से वृद्धि की गयी है।
- प्रदेश में वर्ष 2017-2018 में औसत प्रति आशा भुगतान रु0 2857/- प्रतिमाह था, जोकि वर्ष 2018-2019 में रु0 3416/- प्रतिमाह, वर्ष 2019-2020 में रु0 3983/- प्रतिमाह एवं वर्ष 2020-2021 दिसम्बर तक रु0 4270/- प्रतिमाह औसत भुगतान किया गया।

---

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 278 पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त अस्पतालों के बर्न वार्डों को वातानुकूलित किये जाने की योजना सरकार द्वारा बनाये जाने के सम्बन्ध में

***18-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थित कितने बर्न वार्ड वातानुकूलित हैं तथा कितने वातानुकूलित नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त सभी बर्न वार्डों को वातानुकूलित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में स्थित बर्न वार्ड वातानुकूलित हैं। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बर्न के मरीजों के लिए अलग से बर्न वार्ड नहीं है। अपितु वहां पर बर्न के मरीजों को सामान्य वार्डों में प्राथमिक उपचार हेतु भर्ती किया जाता है और गम्भीर मरीजों को जिला अस्पताल व अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों में समुचित इलाज हेतु रिफर कर दिया जाता है।†

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत बच्चियों की माताओं के खाते में कुल धन प्रेषित किये जाने की जानकारी

***19-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना लागू होने के उपरान्त 30 अक्टूबर 2020 तक कितनी बच्चियों का जन्म हुआ है ? इनमें से पात्र कितनी बच्चियों के माताओं के बैंक के खाते में मिलने वाली धनराशि की प्रथम किस्त प्रेषित कर दी गयी है ? क्या ऐसे पात्र सभी बच्चियों के एक वर्ष पूरे होने के उपरान्त उनके माताओं के खाते में द्वितीय किस्त की धनराशि प्रेषित कर दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसे कितने बच्चियों के माताओं के खातों में कुल कितना धन प्रेषित कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

महिला कल्याण विभाग द्वारा मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना दिनांक 01-04-2019 से संचालित की गयी है। योजना के अन्तर्गत 06 श्रेणियों में कुल रुपये 15,000/- की धनराशि

---

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 279 पर।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। बच्चियों के जन्म संबंधी सूचना महिला कल्याण विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती।

योजना के अन्तर्गत श्रेणी-1 (प्रथम श्रेणी) में बालिका के जन्म पर रु0 2000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के प्रारम्भ से वर्तमान समय तक श्रेणी-1 (प्रथम श्रेणी) के लिए आवेदित आवेदन-पत्रों में से अब तक पात्र 177687 लाभार्थियों को धनराशि प्रदान की गयी।

योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 (द्वितीय श्रेणी) में बालिका के एक वर्ष के पश्चात् समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर रु0 1000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के प्रारम्भ से वर्तमान समय तक श्रेणी-2 (द्वितीय श्रेणी) के लिए आवेदित आवेदन-पत्रों में से अब तक पात्र 182380 लाभार्थियों को धनराशि प्रदान की गयी।

श्रेणी-1 के लिए रु0 2000/- की दर से 177687 लाभार्थियों को कुल रु0 35,53,74,000/- की धनराशि तथा श्रेणी-2 के लिए रु0 1000/- की दर से 182380 लाभार्थियों को कुल रु0 18,23,80,000/- की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित

लखनऊ मण्डल में तैनात राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ के सीनियर लैब टेक्नीशियन द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें व उन्हें ब्लैकमेल कर सरकारी कार्य बाधित किये जाने के सम्बन्ध में

1-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में 20 वर्ष से तैनात राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ के सीनियर लैब टेक्नीशियन द्वारा विगत कई वर्षों से कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध फर्जी अनावश्यक शिकायतें कर उन्हें ब्लैकमेल करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने विषयक मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई का पत्रांक मु0चि0अ0/एल0टी0/2016-17/5385 दिनांक 06 जनवरी, 2017 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रकरण की जांच निदेशक (नर्सिंग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की गयी। उक्त जांच आख्या के आधार पर महानिदेशालय के आदेश संख्या-4डी(2)/948(8),

दिनांक 18-09-2020 द्वारा सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में उल्लिखित लघु शास्तियों के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन को उनके कृत्य हेतु परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के ग्राम जरसेन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ व इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की योजना विषयक

2-श्री गौरी शंकर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के ग्राम जरसेन में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कितना स्टाफ स्वीकृत है ? क्या सरकार उक्त केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो, क्यों?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरसेन, जनपद कानपुर देहात में चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वाय व स्वीपर के एक-एक पद स्वीकृत हैं।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपलब्ध मानकों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरसेन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बनाया जा सकता है।

प्रदेश के मदरसा अरबिया शमशुल उलूम सिकरीगंज अहाता नवाब, जनपद गोरखपुर को फाजिल की मान्यता दिये जाने विषयक

3-श्री सन्त प्रसाद-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा अरबिया शमशुल उलूम, सिकरीगंज, अहाता नवाब, जनपद गोरखपुर को फाजिल की मान्यता तथा मदरसा अन्जुमन इस्लामियां खूनीपुर, जनपद गोरखपुर को मदरसा बोर्ड से फाजिल की मान्यता किस सन् व दिनांक को प्रदान की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि मदरसा गोरखपुर सेन्टर के नाम से वर्ष 1992 से 1998 तक जनपद गोरखपुर में अस्तित्व में थी ? यदि हां, तो इसका मूल पता क्या है तथा इसको मुंशी की मान्यता मदरसा बोर्ड से किस सन् व दिनांक को प्राप्त हुई थी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मदरसा अरबिया शमशुल उलूम, सिकरीगंज, अहाता नवाब, जनपद गोरखपुर को स्थायी मान्यता तत्कालीन रजिस्ट्रार, अरबी तथा फारसी परीक्षाएं, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 18-06-1979 को प्रदान की गयी।

मदरसा अरबिया शमशुल उलूम, सिकरीगंज, अहाता नवाब, जनपद गोरखपुर को मान्यता उ0प्र0 शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-ग-2/1290/15-40(41)-65, दिनांक 18 जून, 1969 "Rules of Recognition Arabic and Persian Madrasas Uttar Pradesh" के अन्तर्गत दी गयी थी।

मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली, 1987 प्रख्यापित दिनांक 22 अगस्त, 1987 के नियम-5 निम्न प्रकार है :-

क्र0-सं0	कार्रवाई का स्वरूप	उचित शुल्क
1	मान्यता के लिए आवेदन-पत्र	दस रुपये किन्तु आवेदन-पत्र की दो प्रतियों का मूल्य 15 रुपये होगा।
2	मुंशी (फारसी) तथा मौलवी (अरबी) परीक्षाओं की मान्यता शुल्क	पचास रुपये।
3	आलिम (अरबी), कामिल (फारसी) तथा फाजिल (अरबी) परीक्षाओं की मान्यता शुल्क	सौ रुपये।

नियम-6 निम्न प्रकार है :-

एक बार में एक ही परीक्षा की मान्यता हेतु आवेदन-पत्र ग्रहण किये जायेंगे। उच्चतर स्तर की मान्यता तब तक देय न होगी जब तक कि उससे सम्बद्ध निम्न स्तर परीक्षा की मान्यता प्राप्त न हो और उसका विगत दो वर्षों का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न हो।

इस प्रकार आलिम, कामिल एवं फाजिल परीक्षाओं के लिए अलग से मान्यता प्राप्त किये जाने का प्राविधान प्रथम बार मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली, 1987 दिनांक 22 अगस्त, 1987 में किया गया। चूंकि मदरसा अरबिया शमशुल उलूम सिकरीगंज, अहाता नवाब, जनपद गोरखपुर की मान्यता वर्ष 1987 से पूर्व की है। ऐसी दशा में उक्त मदरसे के लिए फाजिल की अलग से मान्यता लेना उ0प्र0 शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-ग-2/1290/15-40(41)-65, दिनांक 18 जून, 1969 के अनुसार बाध्यकारी नहीं था।

मदरसा अंजुमन इस्लामियां, खूनीपुर, गोरखपुर लगभग वर्ष 1931 से संचालित है। अत्यधिक पुराना मदरसा होने के कारण मदरसा प्रबन्ध समिति के पास पुराना मान्यता प्रमाण-पत्र अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिसके कारण तत्कालीन रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षाएं उ0प्र0 द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक, 1890, दिनांक 25 मार्च, 2004 द्वारा उक्त मदरसे को उच्च आलिया स्तर (जिसमें फाजिल भी शामिल है) का प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। उक्त मदरसे को Deputy Secretary to Government United Provinces के पत्र संख्या-19-III, दिनांक 05-01-1948 से राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार आलिम, कामिल एवं फाजिल परीक्षाओं के लिए अलग से मान्यता प्राप्त किये जाने का प्राविधान प्रथम बार मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली, 1987 दिनांक 22 अगस्त, 1987 में किया गया। चूंकि मदरसा अंजुमन इस्लामियां, खूनीपुर, गोरखपुर की मान्यता वर्ष 1987 से पूर्व की है। ऐसी दशा में उक्त मदरसे के लिए फाजिल की अलग से मान्यता लेना उ0प्र0 शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-ग-2/1290/15-40(41)-65, दिनांक 18 जून, 1969 के अनुसार बाध्यकारी नहीं था।

रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षाएं, उ0प्र0, इलाहाबाद वर्ष 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन से पूर्व शिक्षा विभाग में व्यवहारित हो रहा था। तद्समय मुंशी/मौलवी आदि परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के अंक-पत्र/सनद में नाम/पिता का नाम व जन्म तिथि अंकित किया जाता था और मदरसे के नाम के स्थान पर जिस जनपद से परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होता था, उस जनपद का नाम केन्द्र के रूप में लिखा जाता था। उदाहरण स्वरूप जनपद गोरखपुर से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के मदरसे के नाम के स्थान पर गोरखपुर केन्द्र लिखा जाता था।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ हाईकोर्ट की रिट याचिका संख्या-33166 (एस0एस0)/2019 द्वारा राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में हाउस फिजिशियन की नियुक्ति विषयक पत्र दिनांक 21-08-2020 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

4-श्री दिनेश चौधरी-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6 नं0-442997, दिनांक 21-08-2020 जो लखनऊ हाई कोर्ट की रिट याचिका संख्या-33166 (एस0एस0)/2019 द्वारा राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में हाउस फिजिशियन की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

डॉ0 अमित कुमार द्वारा हाउस फिजिशियन की नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-33166 (एस0एस0)/2019 डॉ0 अमित कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य दाखिल किया गया है, जिसमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराया जा चुका है, अंतिम निर्णय मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद गोण्डा में गोवर्धन मंदिर व पंचमुखी शिवाला को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने विषयक

5-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में सत्तावनवीं क्रान्ति में क्रान्तिकारियों की शरणस्थली से सम्बन्धित गोवर्धन मंदिर व पंचमुखी शिवाला को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य, प्रोटोकाल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी)-

जनपद गोण्डा में सगरा ताल स्थित गोवर्धन मंदिर के पर्यटन विकास की योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत चयनित किया गया है, जिसके अन्तर्गत रु0 50.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु0 25.00 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 22-02-2021 को निर्गत कर दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त मुख्य मंत्री घोषणान्तर्गत भी सगरा ताल के पर्यटन विकास हेतु रु0 90.55 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किस्त के रूप में 27.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में संयुक्त जिला चिकित्सालय (महिला एवं पुरुष) के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 को प्रेषित पत्र पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

6-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 300 शैय्या का संयुक्त जिला चिकित्सालय महिला एवं पुरुष के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 को प्रेषित पत्र संख्या-314/भूमि व्यवस्था-5-रिफ्रेन्स दिनांक 25 जून, 2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

300 शैय्या चिकित्सालय निर्माण हेतु नई मद की मांग का प्रस्ताव परामर्शी विभाग को प्रेषित किया गया था, किन्तु उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में संयुक्त जिला चिकित्सालय (महिला व पुरुष) की स्थापना कराने विषयक

7-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में संचालित जिला अस्पताल (महिला व पुरुष) को मेडिकल कालेज के रूप में परिवर्तित करने के कारण जनपद स्तर पर जिला चिकित्सालय नहीं रह गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला फिरोजाबाद में 300 शैय्या का संयुक्त जिला चिकित्सालय (महिला एवं पुरुष) की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल के द्वारा जनपद के नागरिकों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में साऊघाट अन्तर्गत ग्राम-बढ़या राजा में स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन की मरम्मत कराने विषयक

8-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली, जनपद बस्ती में विकास क्षेत्र साऊघाट के अन्तर्गत ग्राम-बढ़या राजा में सरकार द्वारा स्थापित स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन की स्थिति जर्जर एवं बदहाल होने के कारण गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को टीकाकरण की सुविधा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां ? तो क्या सरकार जनपद बस्ती के ब्लाक साऊघाट में स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन की मरम्मत कराकर स्वास्थ्य सेवा में उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

ग्राम बढ़या राजा में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को माइक्रोप्लान के अनुसार टीकाकरण की सुविधा निरन्तर उपलब्ध करायी जा रही है।

ग्राम बढ़या राजा में स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन जर्जर होने के कारण इसे ध्वस्तीकरण की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। नियमानुसार स्वीकृति के पश्चात् ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत उपकेन्द्र भवन के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

9-श्री मनीष असीजा-

[दिनांक 24-02-2021 को अतारांकित प्र0सं0-194 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत फरीदपुर व कुआंडाडा सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों पर वेंटीलेटर सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

10-डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित फरीदपुर एवं कुआंडाडा सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों पर वेंटीलेटर की सुविधा सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

निर्धारित मानक के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वेंटीलेटर मशीन की स्थापना का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर में दोषी न पाये जाने पर भी डिप्टी कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड्स, पूर्वांचल परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा बर्खास्त होमगार्ड्स की सेवा बहाल किये जाने विषयक

11-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर में होमगार्ड नं0-0721 तथा नं0-0971 पर तथाकथित आरोपों की मजिस्ट्रेट जांच की अनुशंसा की गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त जांच में दोषी न पाये जाने के बावजूद भी डिप्टी कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड्स, पूर्वांचल परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा उक्त होमगार्ड्स को जून, 2020 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है ? क्या सरकार मजिस्ट्रेट जांच के सुस्पष्ट, तथ्यात्मक एवं मन्तव्य के आधार पर उक्त होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 के दौरान होमगार्ड 0971-श्री कपिल देव मिश्रा एवं होमगार्ड 0721-श्री वेद प्रकाश उपाध्याय के द्वारा बरती गयी घोर अनुशासनहीनता के संबंध

में कन्टीजेंट इन्चार्ज की आख्या तथा पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, अम्बेडकरनगर को कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया। जांच में दोषी पाये जाने पर उक्त दोनों होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को जिला कमाण्डेन्ट द्वारा निष्कासित किया गया। होमगार्ड 0971-श्री कपिल देव मिश्रा एवं होमगार्ड 0721-श्री वेद प्रकाश उपाध्याय को डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स, पूर्वांचल परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा पारित आदेशों के क्रम में जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, अम्बेडकरनगर द्वारा आदेश दिनांक 10-08-2020 एवं दिनांक 12-06-2020 द्वारा बहाल कर दिया गया है, जो विभाग में सेवारत् है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में पात्रों को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ दिलाये जाने विषयक

12-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद आजमगढ़ में कितने पात्र लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है तथा उक्त में से कितने लाभार्थियों को पेंशन की पहली किस्त मिलने के पश्चात् उनका आवेदन फार्म पी0एफ0एम0एस0 एकाउन्ट पर रिजेक्ट हो गया है ? क्या सरकार पी0एफ0एम0एस0 एकाउन्ट पर रिजेक्ट हुए पात्र लाभार्थियों के आवेदन-पत्र को पुनः चालू/सक्रिय कराकर उक्त पेंशन योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जनपद आजमगढ़ में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 40320 लाभार्थियों को पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन अनुमन्य करायी जा रही है। पहली किस्त मिलने के पश्चात् उक्त में से किसी भी लाभार्थी का आवेदन फार्म पी0एफ0एम0एस0 एकाउन्ट पर रिजेक्ट नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

13-श्री बिरेन्द्र कुमार यादव-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पाद बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई नवीन योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त नवीन कार्य योजना का स्वरूप क्या है एवं कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0सी0डी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य योजना एवं आर0आई0डी0एफ0 से ऋण तथा आई0डी0एफ0 से अनुदान के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता के अन्तर्गत प्रदेश के 09 विभिन्न जनपदों में नवीन ग्रीन फील्ड डेरीप्लाण्ट की स्थापना का कार्य गतिमान है जिसमें कतिपय नवीन दुग्ध उत्पाद श्रृंखला का निर्माण प्रस्तावित है। यथा, पाश्चुरीकृत क्रीम, मक्खन, घी, पनीर, खोया, लस्सी, दही, श्रीखण्ड, छाछ, यूएचटी, दूध, चीज, योगार्ट एवं आइसक्रीम आदि।

प्रदेश में बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास हेतु वाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु योजना विषयक

14-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास के लिए वाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार ने कोई विशेष कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध पर्यटक स्थल सारनाथ में पर्यटन विकास हेतु लगभग रुपये 130 करोड़ एवं कुशीनगर में पर्यटन विकास हेतु लगभग रुपये 37 करोड़ की विश्व बैंक की सहायता से कार्य योजना बनाई गई है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के किले में रानी लक्ष्मी बाई के जन्मदिन पर दीप प्रज्ज्वलित कर पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने विषयक

15-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत झांसी के किलों में रानी लक्ष्मी बाई के जन्मदिन 19 नवम्बर को दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

जी नहीं।

झांसी किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार के अधीन है। अतएव, झांसी किले में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्णय/कार्यवाही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा ही कराया जा सकता है।

16-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

[दिनांक 23-02-2021 के अतारांकित प्र0सं0-188 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद अलीगढ़, विधान सभा क्षेत्र कोल, विकास खण्ड धनीपुर, ग्राम गडराना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने विषयक

17-श्री अनिल पाराशर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल, विकास खण्ड धनीपुर, ग्राम गडराना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 4305/पीआरओ/2020, दिनांक 25-10-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां, प्राप्त हुआ।

मानक पूर्ण न होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत 3 वर्षों में दूध से जुड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा उनके उत्पादन अन्यत्र भेजे जाने संबंधी

18-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से संबंधित फैक्ट्रियों की स्थापना कहां-कहां की गई है ? क्या प्रदेश की दुग्ध फैक्ट्रियों में निर्मित दूध, घी, मक्खन, पनीर व मावा आदि दूसरे प्रदेशों और विदेशों में भेजने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

विगत 03 वर्षों में निजी क्षेत्रों में कुल उन्नीस फैक्ट्रियां (लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, एटा, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, आगरा, गोरखपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, मेरठ, बलिया) तथा सहकारी क्षेत्र में पी0सी0डी0एफ0लि0 अन्तर्गत कुल 05 डेयरी (वाराणसी, गोरखपुर, कन्नौज, बरेली एवं मुरादाबाद) में दुग्ध उत्पादन से संबंधित फैक्ट्रियों की स्थापना की गयी है।

निजी क्षेत्र की दुग्ध फैक्ट्रियां अपनी फैक्ट्रियों में निर्मित दूध, घी, मक्खन, पनीर व मावा आदि दूसरे प्रदेशों व विदेशों में भेजने हेतु स्वतंत्र हैं।

सहकारी क्षेत्र में निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को दूसरे प्रदेशों और विदेशों में भेजने की कोई योजना वर्तमान में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में वरिष्ठ सहायकों के दो पदों पर अनियमित पदोन्नति की जांच व कार्रवाई विषयक

19-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-07-सेक-4/पांच-2012-700(78)/2011, दिनांक 03-01-2013 द्वारा रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में वरिष्ठ सहायकों के दो पदों को प्रधान सहायक के पदों पर उच्चीकृत किया गया, जिन पर दो प्रधान सहायक वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त शासनादेश के अनुसार वर्तमान में वरिष्ठ सहायक का पद रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में नहीं है ? यदि हां, तो वरिष्ठ सहायक का पद न होने के बावजूद चिकित्सालय के प्रभारी द्वारा वरिष्ठ सहायक पद पर नियम विरुद्ध तैनाती कराकर वेतन आहरित कर वित्तीय अनियमितता की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जी हां।

रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कर्मी को महानिदेशालय के आदेश संख्या-4डी(1)/17/2021/597-602, दिनांक 12-02-2021 द्वारा वीरांगना अवन्ती बाई, महिला चिकित्सालय, लखनऊ में समायोजित कर दिया गया है।

डॉ0 अनिल कुमार आर्या, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-530/सेक-2-पांच-2021, दिनांक 18-02-2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा में कोविड-19 में राहत खर्च विषयक

20-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में कोविड-19 से उत्पन्न महामहारी से राहत में मास्क, सेनेटाइजर में कितना बजट खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जनपद महोबा में कोविड-19 से उत्पन्न महामारी से राहत हेतु मास्क, सेनेटाइजर में कुल रु0 24,79,411 बजट खर्च किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को लाभ दिलाने विषयक

21-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0-2011 की सूची में छूट गये पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु एस0ई0सी0सी0-2011 की निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर जिलाधिकारी स्तर पर चिन्हित करते हुए छूटे हुए परिवारों को मुख्य मंत्री आरोग्य योजना में लाभान्वित कराये जाने वाले परिवारों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद फिरोजाबाद में उक्त सूची के अतिरिक्त एस0ई0सी0सी0-2011 की निर्धारित पात्रता श्रेणी को पूरा करने के बावजूद योजना का लाभ लेने से कितने परिवार शेष रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वेक्षण के उपरान्त इनको पात्रता के आधार पर उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद फिरोजाबाद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0-2011 की सूची में छूट गये पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु एस0ई0सी0सी0-2011 की निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर जिलाधिकारी स्तर पर चिन्हित करते हुए छूटे हुये परिवार जिन्हें मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान से लाभान्वित किया गया है, ऐसे परिवारों की संख्या 8,671 है।

जनपद फिरोजाबाद में एस0ई0सी0सी0-2011 की निर्धारित पात्रता सूची से वंचित 8,671 एस0ई0सी0सी0-2011 की निर्धारित पात्रता श्रेणी को पूरा करने वाले परिवारों को जिलाधिकारी के स्तर से सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित किया गया था। उक्त सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2018-19 में जनपद स्तर पर किया गया था, तदोपरान्त जनपद फिरोजाबाद में कोई अन्य सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

वर्तमान में कोई नया सर्वेक्षण प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की कोरोना टेस्टिंग व अन्य खर्चों के विवरण व मानीटरिंग की व्यवस्था विषयक

22-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोविड-19 महामारी में दिनांक 17-06-2020 तक प्रदेश के कुल कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि क्वारंटाइन किये गये संक्रमित मरीजों पर जनपदवार कुल कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

दिनांक 17-06-2020 तक प्रयोगशाला परीक्षण में कुल 15181 व्यक्ति कोविड-19 रोग से संक्रमित पाये गये।

दिनांक 17-06-2020 तक कुल 512063 नमूने कोविड-19 रोग के परीक्षण हेतु एकत्रित किये गये।

कोविड संक्रमित मरीज को क्वारंटाइन नहीं किया जाता है, अपितु उनको डेडीकेटेड कोविड चिकित्सालयों में भर्ती कर उपचारित किया जाता है। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 से प्राप्त सूचना के अनुसार कोविड-19 रोगियों के उपचार पर कुल रुपये 7951.76 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की पर्याप्त नियुक्ति की व्यवस्था करने विषयक

23-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के अभाव के कारण आम जनता को इलाज में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला चिकित्सालय, मैनपुरी में मानकानुसार डॉक्टर की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जिला चिकित्सालय, मैनपुरी में कुल 12 चिकित्सक कार्यरत हैं, जिनके द्वारा जनता को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्साधिकारियों/विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड धनीपुर के ग्राम गडराना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में

24-श्री अनिल पाराशर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत विकास खण्ड धनीपुर के ग्राम गडराना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-4216/पीआरओ/2020, दिनांक 18-08-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

मानक पूर्ण न होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के नगर पंचायत मंडराक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में

25-श्री अनिल पाराशर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत मंडराक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर ट्रामा सेंटर/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 4216/पीआरओ/2020, दिनांक 18-08-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर ट्रामा सेंटर/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव जिला अनुश्रवण समिति से अनुमोदित नहीं है एवं निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तथा जनपद अलीगढ़ में ट्रामा सेंटर पूर्व से निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम मुकन्दपुर पर स्थित वन चेतना केन्द्र को पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में

26-श्री अनिल पराशर-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत आगरा रोड के ग्राम मुकन्दपुर पर स्थित वन चेतना केन्द्र को पर्यटन स्थल बनाये

जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2670, दिनांक 04-11-2019 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल बनाये जाने की कार्रवाई नहीं की जाती है, अपितु पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कराये जाने की कार्रवाई की जाती है।

मा0 सदस्य के प्रश्न में इंगित पत्र संख्या-2670, दिनांक 04-11-2019 पर्यटन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 सदस्य के अन्य पत्रों यथा-संख्या-क-6 नं0-129958, दिनांक 11-10-2019, संख्या-क-6 नं0-129725, दिनांक 11-12-2019 एवं संख्या क-6-129396, दिनांक 04-12-2019 के आधार पर जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत आगरा रोड के ग्राम मुकन्दपुर पर स्थित वन चेतना केन्द्र के पर्यटन विकास हेतु मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0-111/2021/378/41-2021-38 (बजट)/2021, दिनांक 10-2-2021 द्वारा रु0 49.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु0 24.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के पशु पालकों से अनुपयोगी पशु खरीदने एवं पशु पालन हेतु आर्थिक सहायता देने विषयक

27-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पशु पालकों से उनके अनुपयोगी पशु खरीदने अथवा पालने हेतु आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में सी0एच0सी0 सेन्टरों पर निगेटिव टेस्ट पर दोबारा टेस्ट कराये जाने के सम्बन्ध में

28-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत एन्टीजेन टेस्ट में निगेटिव केस के लिए पांच दिन के अन्तराल पर

आवश्यक टेस्ट हेतु प्रत्येक सी0एच0सी0 पर कोरोना टेस्ट के लिए टीम गठित कर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

शासनादेश संख्या-1828/पांच-5-2020 दिनांक 10-09-2020 द्वारा बस्ती सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में कोविड-19 रोग की टेस्टिंग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

1-आर0टी0पी0सी0आर0/ट्रू-नाट/सी0वी0 नाट, रैपिड एन्टीजेन टेस्ट में से किसी भी प्रकार की जांच में धनात्मक पाये गये व्यक्ति की धनात्मक जांच को पुष्ट माना जाये। ऐसी स्थिति में पुनः कोई जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

2-कोविड धनात्मक रोगी के क्लीनिकली रोग मुक्त हो जाने के बाद उसको कोविड उपचार इकाइ से विमुक्त करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है।

3-यदि किसी व्यक्ति की रैपिड एन्टीजेन टेस्ट विधि से जांच ऋणात्मक आने के उपरान्त ऐसे व्यक्ति में लक्षण परिलक्षित होते हैं तो पुनः आर0टी0पी0सी0आर0 विधि द्वारा जांच कराई जानी चाहिए।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन जनपद बस्ती सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में भी सी0एच0सी0 स्तर तक किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के बभनजोत विकास खण्ड योजना में चयनित ग्राम पंचायत सैदापुर दौलतपुर ग्रंट, देवरिया में पाइप लाइन परियोजना पर कार्य शुरू करने विषयक

29-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बभनजोत विकास खण्ड में एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत पाइप पेयजल हेतु चयनित ग्राम पंचायत सैदापुर दौलतपुर ग्रंट, देवरिया, मददौ, बस्ती खास व अतलीपुर में उक्त परियोजना का कार्य सरकार शुरू करेगी। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

जनपद गोण्डा के बभनजोत विकास खण्ड में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सैदापुर दौलतपुर ग्रंट, देवरिया, मददौ, बस्ती खास व अतलीपुर में पाइप पेयजल योजना की स्थापना हेतु जिलाधिकारी, गोण्डा के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव को दिनांक 09-01-2019 एवं 31-01-2020 को सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्मिलित किया गया। विषयगत परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पद एवं

आवर्तक व्यय की सहमति नहीं दी गई है, फलस्वरूप विषयगत पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महोबा के चरखारी में 108 राधाकृष्ण मंदिरों का ट्रस्ट बनाकर संरक्षण करने के सन्दर्भ में

30-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के चरखारी में स्थित 108 राधाकृष्ण के मंदिर का संरक्षण न होने से अधिकांश मंदिर क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मंदिरों को संरक्षित करने के दृष्टिगत ट्रस्ट का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नीलकण्ठ तिवारी-

जनपद महोबा के तहसील चरखारी में स्थित 108 मंदिरों में 26 मंदिर (जिनमें से 10 मंदिर क्षतिग्रस्त जीर्ण-शीर्ण हैं) राधाकृष्ण के हैं। शेष 82 मंदिर (जिनमें से अधिकांश क्षतिग्रस्त/जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं) अन्य हिन्दू देवी-देवता के हैं। इन्हीं मंदिरों में से 01 मंदिर (जो श्री गुमान बिहारी जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है) का ट्रस्ट गठित है।

शेष अन्य मंदिरों के स्वामी/कर्ता-धर्ता यदि ट्रस्ट का गठन करना चाहते हैं, तो वे नियमानुसार ट्रस्ट का गठन करने की कार्यवाही कर सकते हैं।

जनपद महोबा में गौशालाओं के संचालन विषयक

31-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में कितनी गौशालायें कहां-कहां वर्तमान में संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जनपद महोबा के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 गौशालायें पंजीकृत हैं :-

1-श्री तुलसी गौशाला समिति, गांधी नगर, महोबा।

2-श्री गोपाल गौ सदन (गोपाल गौ सदन न्यास द्वारा संचालित) चरखारी, महोबा।

3-श्री हनुमान गौशाला समिति, बिलवा खरेली, महोबा।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

32-इंजी0 बृजेश कठेरिया

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मीरानगर व मुर्तजानगर, अहिबनपुर, भुड़कुड़ा, बाबूपुर के संचालन के सम्बन्ध में

33-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मीरानगर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुर्तजानगर, अहिबनपुर, भुड़कुड़ा, बाबूपुर चांदपुर, शेखपुर बिलौली तथा पोखरा कला के संचालन की कोई समय-सीमा सरकार निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

दिनांक 31-03-2022 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के आला हजरत हज हाउस में एसटीपी हाउस खोले जाने विषयक

34-श्री नाहिद हसन-

प्रथम सत्र, 2019 के द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-8 के उत्तर के क्रम में क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के आला हजरत हज हाउस में एसटीपी हाउस प्लाण्ट लगाने की प्रक्रिया किस तिथि तक पूर्ण कर आला हजरत हज हाउस को हज यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार खोल देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

आला हजरत हज हाउस, गाजियाबाद में एसटीपी निर्माण वर्ष 2019 में हो चुका है, जो क्रियाशील है। आला हजरत हज हाउस, गाजियाबाद हज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अलीगंज में स्थित नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में

35-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के अलीगंज स्थित नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त केन्द्र पर चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता मानकानुसार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

उक्त केन्द्र में 04 विशेषज्ञ (जनरल सर्जन/रेडियोलॉजिस्ट/डी0जी0ओ0-2) चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाटा के जर्जर भवन को ध्वस्त कर नये वार्ड का निर्माण कराये जाने विषयक

36-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाटा में जर्जर भवन को ध्वस्त कर नये वार्ड के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये वार्ड के निर्माण में हो रहे विलम्ब का कारण सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

निर्माण एजेंसी द्वारा ई-निविदा के अनुमोदन के उपरान्त निर्माण कार्य दिनांक 22-01-2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के क्रम में सिविल चिकित्सा से सेवानिवृत्त डॉक्टर के अवकाश नकदीकरण व अन्य देयकों के भुगतान विषयक

37-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के क्रम में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ से माह जून, 2019 में सेवानिवृत्त डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव को अवकाश नकदीकरण व अन्य देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त वरिष्ठ परामर्शदाता को ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0, पेंशन एवं जी0आई0एस0 का भुगतान कर दिया गया है। डॉ0 श्रीवास्तव द्वारा अवकाश नकदीकरण हेतु आवेदन-पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अवकाश नकदीकरण का भुगतान नहीं किया गया है।

डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव का अवकाश नकदीकरण आवेदन-पत्र नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने तथा मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण-पत्र में आन्तरिक सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार देयता की स्थिति का निवारण होने

के उपरान्त अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव के सेवाकाल में इनके स्थानान्तरण/योगदान प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में तिथि विवाद बिन्दु पर इनके विरुद्ध शासन के कार्यालय, ज्ञाप दिनांक 17-07-2019 द्वारा विभागीय कार्रवाई संस्थित है, जिसमें निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड जागीर में भांवत के पुल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन लगवाने विषयक

38-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड जागीर में भांवत के पुल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन न होने से आम जनता को इलाज में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र पर एक्स-रे मशीन की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

एक्स-रे हेतु मरीजों को समीप के चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय रिफर किया जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जागीर में उपकरणों, जिसमें एक्स-रे मशीन भी सम्मिलित है, के क्रय हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिनांक 01-01-2021 को निर्गत कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति के मानक व वर्ष 2014 से उक्त पद पर हुई प्रोन्नति की जानकारी

39-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति के क्या मानक हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि वर्ष 2014 से प्रोन्नति की कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका पद पर चयन हेतु "उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992" समय-समय पर यथासंशोधित, 1998, 2001 व 2006 लागू है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका के पद पर चयन हेतु निम्नवत् कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है :-

पचास प्रतिशत हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो और पचास वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न कर ली हो, नियम-15-ख के अनुसार चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

चयन समिति निम्नलिखित रीति से अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची तैयार करेगी :-

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी को दस वर्ष की अर्हकारी सेवा के लिए दस अंक और उसके पश्चात् सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए एक अंक दिये जायेंगे।

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी को हाई स्कूल और उच्च परीक्षा में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए क्रमशः तीन अंक या दो अंक या एक अंक अलग से दिये जायेंगे।

उक्त खण्ड- (क) और (ख) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को जोड़ा जायेगा और इस प्रकार आये अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को योग्यता सूची में ऊपर रख जायेगा।

जी हां।

अर्ह/पात्र आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मुख्य सेविका के पद पर चयन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका के पद पर चयनित हुई महिलाओं की सेवानिवृत्ति व मृत्यु के कारण रिक्त हुए पदों पर चयन की कार्यवाही हेतु अर्ह आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का डाटा संकलित व संशोधित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुष विभाग के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के दरियागंज कालेज में हास्टल निर्माण की जानकारी

40-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुष विभाग के अन्तर्गत संचालित दरियागंज कालेज, लखनऊ का हास्टल निर्माण व अन्य भवनों का निर्माण वर्ष 2017

से हो रहा है ? यदि हां, तो कितने भवन बनकर तैयार हैं एवं कितने बनने शेष हैं ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त पर कितना धन व्यय होना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां, आयुष विभाग के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, टूड़ियागंज (दरियागंज नहीं), लखनऊ का हॉस्टल वर्ष 2017 से निर्माणाधीन है।

1-महिला एवं पुरुष शौचालय बनकर तैयार है।

2-धनवन्तरि छात्रावास का 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

क्र0सं0	योजना का नाम	मूल्यांकित लागत (लाख में)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	महिला एवं पुरुष शौचालय	34.05	33.05	01
2	धनवन्तरि छात्रावास	1026.99	821.592	205.398

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शामली व सहारनपुर में ग्रीन फील्ड नवीन डेयरी प्लांट्स की स्थापना विषयक

41-श्री नाहिद हसन-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रीन फील्ड नवीन डेयरी प्लांट्स की स्थापना हेतु वर्तमान में कोई मानक तय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली व जनपद सहारनुर में भी नवीन डेयरी प्लांट्स की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में जनपद मुजफ्फरनगर में 40,000 ली0 तथा जनपद सहारनपुर में 30,000 ली0 क्षमता का दुग्ध अवशीतन केन्द्र कार्यरत है।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित अवशीतन केन्द्र में जनपद शामली की समितियों का भी दूध एकत्र किया जाता है। वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर स्थित दुग्ध अवशीतन केन्द्र में

लगभग 4000 किग्रा0 दुग्ध प्रतिदिन प्राप्त किया जा रहा है, जबकि जनपद सहारनपुर के अवशीतन केन्द्र में लगभग 1000 किग्रा0 दुग्ध प्रतिदिन प्राप्त किया जा रहा है।

इस प्रकार उक्त दोनों ही अवशीतन केन्द्रों की स्थापित क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं हो पा रहा है। अस्तु जनपद सहारनपुर एवं जनपद शामली में सहकारी क्षेत्र में नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट्स की स्थापना का औचित्य नहीं है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली, ब्लाक रामनगर अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सगरा में मानकानुसार डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में

42-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सगरा में डॉक्टर की नियुक्ति न होने के कारण मरीजों को जनपद सिद्धार्थनगर सी0एच0सी0 डुमरियागंज जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों की सुविधा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सगरा में मानकानुसार चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर क्षेत्रान्तर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सगरा में चिकित्सक, पैरामेडिकल व चतुर्थ श्रेणी स्टॉफ तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती, ब्लाक रामनगर की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत संस्थाओं के निर्माण के सम्बन्ध में

43-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में विकास एवं रोजगार हेतु एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत चयन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में आई0टी0आई0, पालीटेक्निक, कौशल विकास केन्द्र, महिला विद्यालय, पी0एच0सी0 आदि की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) योजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में आई0टी0आई0, राजकीय पालीटेक्निक, कौशल विकास केन्द्र, महिला विद्यालय, पी0एच0सी0 आदि की स्थापना के क्रम में जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र दिनांक 02-12-2020 द्वारा राजकीय आई0टी0आई0 का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे दिनांक 08-01-2021 को सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना को सम्मिलित किया गया। राज्य स्तरीय समिति ने उक्त योजना का अनुमोदन कर दिया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में निर्भया फण्ड मद में अनुदान व परियोजना में व्यय के विवरण विषयक

44-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में निर्भया फण्ड की मद में कुल कितना अनुदान दिया गया है तथा उपरोक्त अनुदान प्रदेश सरकार ने किस-किस परियोजना में कितना व्यय किया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

प्रदेश के महिला कल्याण विभाग को केन्द्र सरकार से विगत दो वर्षों में निर्भया फण्ड के मद में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। अनुदान प्राप्त न होने की दशा में निर्भया फण्ड में कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

45-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सहारनपुर के के0पी0 जच्चा-बच्चा अस्पताल में चिकित्सक, स्टाफ व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने विषयक

46-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर नगर के के0पी0 जच्चा-बच्चा अस्पताल में महिला चिकित्सक, शिशु चिकित्सक, स्टाफ तथा अन्य जरूरी दवायें उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में महिला चिकित्सक, शिशु चिकित्सक, स्टाफ की तैनाती तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

के0पी0 जच्चा-बच्चा अस्पताल भारतीय रेड क्रास सोसाइटी संस्था, सहारनपुर द्वारा संचालित है, जिसमें राजकीय हस्तक्षेप नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में जन औषधि केन्द्र खोले जाने में विलम्ब होने का कारण सहित विवरण दिये जाने विषयक

47-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसामान्य को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत जन औषधि केन्द्र खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्र नहीं खुले हैं ? यदि हां, तो जनपद कुशीनगर में उक्त योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बी0पी0पी0आई0, जोकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था है, से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर के हाटा क्षेत्र के ग्राम व पोस्ट बोदरवर, पुलिस स्टेशन, कप्तानगंज में श्री राजेश कुमार प्रजापति द्वारा 01 जन औषधि केन्द्र खोला गया है।

उपरोक्तानुसार जन औषधि केन्द्र क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ में कार्यरत सीनियर लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

48-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ में कार्यरत सीनियर लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में निदेशक (नर्सिंग) की जांच में सभी गम्भीर आरोप प्रमाणित पाये जाने के बावजूद नियमों की अनदेखी कर लघु दण्ड प्रदान करने तथा उन्हें पुनः लखनऊ के सीमावर्ती जनपद में तैनात किये जाने की कार्यवाही करने विषयक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 का पत्र संख्या-3115/वी0आई0पी0/श्रम एवं सेवा0/2020, दिनांक 01-09-2020 अपर

मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

इस सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए सक्षम स्तर से परिनिन्दा प्रविष्टि दी गयी है।

श्री राजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन को जनपद कौशाम्बी में पद रिक्त न होने के कारण महानिदेशालय के आदेश दिनांक 26-11-2020 द्वारा एम0सी0एच0 विंग, बाराबंकी में रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर का आवासीय एवं मुख्य भवन की मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में

49-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर का आवासीय एवं मुख्य भवन जर्जर होने से बरसात के दिनों में छतों से पानी टपकने के कारण चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टॉफ रात्रि निवास नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का आवासीय व मुख्य भवन का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर का भवन जर्जर होने के कारण उक्त केन्द्र के चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ/अन्य स्टाफ समीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासीय भवन में निवास कर रहे हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर के क्षतिग्रस्त आवासीय भवन के मरम्मत कार्य हेतु रुपये 62.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24-12-2020 को निर्गत की गयी है। मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 केन्द्रों की रंगाई, पुताई व रिपेयर कराये जाने के सम्बन्ध में

50-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के सभी सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 केन्द्रों की रंगाई, पुताई व रिपेयर कराने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

यह कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर नियमित रूप से कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के पुजारियों/महंतों व मंदिर में कार्य करने वालों के उत्थान हेतु बीमा व गुजारा भत्ता दिये जाने की योजना बनाने विषयक

51-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुजारियों/महंतों व मंदिर में कार्य करने वाले महानुभावों के उत्थान हेतु इनका बीमा तथा प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नीलकण्ठ तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-6 नं0 152436, दिनांक 10-02-2020 जनपद सहारनपुर के के0पी0 जच्चा बच्चा अस्पताल में चिकित्सक, स्टाफ व दवायें उपलब्ध कराये जाने विषयक

52-संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-6 नं0-152436, दिनांक 10-02-2020 जो जनपद सहारनपुर नगर के के0पी0 जच्चा-बच्चा अस्पताल में महिला चिकित्सक, शिशु चिकित्सक, स्टाफ तथा अन्य जरूरी दवायें उपलब्ध कराने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महाराजगंज में कोविड-19 हेतु क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती रोगियों व उन पर व्यय का विवरण देने के सम्बन्ध में

53-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महराजगंज में कितने कोविड-19 क्वारंटाइन सेन्टर बनाये गये ? उक्त सेन्टर में दिनांक 06-11-2020 तक कितने लोग क्वारंटाइन हुए तथा कुल कितनी धनराशि उक्त लोगों पर व्यय हुई, क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में 05 तथा विकास खण्ड महराजगंज में 01 क्वारंटाइन सेन्टर स्थापित किये गये।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज तथा महराजगंज में दिनांक 06-11-2020 तक क्वारंटाइन किये गये व्यक्तियों एवं उन पर किये गये व्यय की सूचना निम्नवत् है :-

विकास खण्ड का नाम	क्वारंटाइन किये गये व्यक्तियों की संख्या	क्वारंटाइन किये गये व्यक्तियों पर किये गये व्यय की धनराशि
बिलरियागंज	4360	रु0 615760
महराजगंज	23	रु0 38905

प्रश्न नहीं उठता।

सी0एम0ओ कार्यालय, जनपद कौशाम्बी में कार्यरत वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर दूरस्थ जनपद में स्थानान्तरित किये जाने विषयक

54-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी के अधीन कार्यरत वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच में सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने पर भी लखनऊ मण्डल के समीप जनपद में पुनः स्थानान्तरित/समायोजित किये जाने विषयक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्र संख्या-2752/वी0आई0पी0/श्रम एवं सेवा0 सम0/2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रकरण में महानिदेशालय के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18-02-2020 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कौशाम्बी के अधीन तैनात किया गया था, लेकिन वहां पर पद रिक्त न होने की दशा में श्री राजेन्द्र सिह, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन को महानिदेशालय के आदेश दिनांक 26-11-2020 द्वारा फैजाबाद मण्डल के अधीन एम0सी0एच0 विंग, बाराबंकी में स्थानान्तरित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 100 बेड के अस्पताल का निर्माण कराये जाने विषयक

55-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में एम0एस0डी0पी0/प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 100 बेड का अस्पताल की वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद गोण्डा के बभनजोत विकास खण्ड में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत 100 बेड का अस्पताल की स्थापना हेतु जिलाधिकारी गोण्डा के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव को दिनांक 09-01-2019 को सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्मिलित किया गया। उक्त परियोजना हेतु पद एवं आवर्तक व्यय के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गयी, फलस्वरूप विषयगत 100 बेडेड हास्पिटल की स्वीकृति नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना संबंधी जांच अनिवार्य रूप से कराने संबंधी

56-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य रूप से कोरोना संबंधी जांच कराने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

शासनादेश संख्या-1828/पांच-5-2020, दिनांक 10-09-2020, द्वारा कोविड-19 की जांच हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके अनुपालन में विदेश यात्रा से वापस आये, कोविड धनात्मक व्यक्ति के निकट सम्पर्क के समस्त व्यक्ति, कन्टेनमेन्ट जोन के व्यक्ति तथा इनफ्लुएन्जा लाइक इलनेस (आई0एल0आई0) एवं सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी इलनेस (एस0ए0आर0आई0) से कोविड-19 की जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मदरसा आधुनिक शिक्षकों को मानदेय दिलाये जाने विषयक

57-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मदरसा शिक्षकों को मानदेय दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या, अ-4/884, दिनांक 22-09-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री नाहिद हसन-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

59-श्री देवमणि द्विवेदी-

[दिनांक 23-02-2021 को अतारांकित प्र0सं0-200 के अन्तर्गत उत्तरित]

रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम्, लखनऊ में वरिष्ठ सहायक का पद स्वीकृत न होने के बावजूद वेतन आहरित करने की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

60-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में वर्ष 2013 से वरिष्ठ सहायक का पद स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि वित्तीय अनियमितता करते हुए उक्त पद का वेतन आहरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए आहरित धनराशि की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-07सेक-4/पांच-2012-700(78)/2011, दिनांक 03-01-2013 द्वारा लिपिक संवर्ग के पुनर्गठन करने पर शासनादेश संख्या-2156/पांच-1-08-5(58)/98 टीसी, दिनांक 27-08-2008 द्वारा वरिष्ठ सहायक के पूर्व से स्वीकृत 02 पदों को प्रधान सहायक पद नामित करते हुए ग्रेड वेतन रुपये 4200 अनुमन्य किया गया है।

रानी लक्ष्मीबाई, संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ सहायक को महानिदेशालय के आदेश संख्या-4डी(1)/17/2021/597-602, दिनांक 12-02-2021 द्वारा स्थानान्तरित करते हुए वीरांगना अवन्तीबाई, महिला चिकित्सालय, लखनऊ में समायोजित कर दिया गया है।

डॉ0 अनिल कुमार आर्या, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रानी लक्ष्मीबाई, संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम, लखनऊ के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-530/सेक-2-पांच-2021, दिनांक 18-02-2021 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित कर दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सुरक्षित संस्थागत प्रसव हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक

61-श्री नाहिद हसन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुरक्षित संस्थागत प्रसव के दृष्टिगत उक्त केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती सहित ढांचागत सुविधाएं यथा प्रसवोत्तर केन्द्र, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, शिशु रोग विशेषज्ञ आदि उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या उपाय करे हैं ? क्या सरकार बताएगी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैराना जनपद शामली में प्रसवोत्तर केन्द्र निर्माण, स्त्री रोग विशेषज्ञ व बाल रोग विशेषज्ञ सरकार तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुरक्षित संस्थागत प्रसव हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती उपलब्धता के अनुसार की जाती है।

नये प्रसवोत्तर केन्द्र की कोई योजना संचालित न होने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैराना में प्रसवोत्तर केन्द्र का निर्माण नहीं हो सकता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती उपलब्धता पर निर्भर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैराना पर प्रसव सुविधा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा प्रदान की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त जिला चिकित्सालय, कुशीनगर के ब्लड बैंक में तैनात महिला कर्मचारी पर अत्याचार के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच विषयक

62-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त जिला चिकित्सालय, कुशीनगर के ब्लड बैंक में तैनात जिला परामर्शदात्री महिला कर्मचारी पर किये जा रहे अत्याचार संबंधी प्रकरण की आई0जी0आर0एस0 सं0-40018920017086, दिनांक 27-06-2020 में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर के आदेश सं0-346/जि0सं0चि0 /जांच/2020-21, दिनांक 09-06-2020 के क्रम में की गई जांच में महिला कर्मचारी की उक्त शिकायत सत्य पाये जाने के बाद दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर के आदेश दिनांक 09-06-2020 के क्रम में प्रकरण की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा करायी गयी। जांच में महिला कर्मचारी की शिकायत सत्य प्रतीत होने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर द्वारा श्री अरविन्द राय, एल0टी0 (लैब टेक्नीशियन) को ब्लड बैंक विंग से हटा दिया गया। उक्त जांच से शिकायतकर्ता के संतुष्ट न होने पर निदेशक (पैरामेडिकल) की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा पुनः जांच करायी गयी, जिसमें प्रश्नगत शिकायतों की पुष्टि नहीं हो पायी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के पिलखुआ एनएच-9 स्थित मदर डेयरी में निर्मित पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के परिणाम का विवरण विषयक

63-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के पिलखुआ एनएच-9 पर स्थित मदर डेयरी तथा पिलखुआ के निकट ग्राम खैरपुर खैराबाद में स्थित आनंदा डेयरी में निर्मित पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच अंतिम बार कब कराई गई थी तथा उक्त जांच में पेय पदार्थों का क्या परिणाम आया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद हापुड़ के पिलखुआ एनएच-9 पर स्थित मदर डेयरी में निर्मित पेय पदार्थों की गुणवत्ता की अंतिम बार जांच दिनांक 23-01-2020 को कराई गई थी, जिसमें पेय पदार्थ

मिश्रित दूध के कुल 03 नमूने जांच हेतु संग्रहीत किये गये थे। नमूनों के विश्लेषणोपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने विशुद्ध घोषित किये गये। पिलखुआ के निकट ग्राम खैरपुर खैराबाद स्थित आनंदा डेयरी से दिनांक 14-09-2019 को पेय पदार्थ भैंस का दूध का नमूना जांच हेतु संग्रहीत किया गया था। विश्लेषणोपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना विशुद्ध घोषित किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय, राजापुर कला में डॉक्टर, फार्मासिस्ट आदि की तैनाती किये जाने विषयक

64-श्री राजकुमार पाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय राजापुर कला में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स व वार्ड ब्वाय की तैनाती न होने से मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में डाक्टर एवं कर्मचारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र में राजापुर कला नाम का कोई प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय स्थापित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अस्पतालों सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने विषयक

65-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अस्पतालों सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष डॉक्टरों, विशेषज्ञों सहित अन्य कर्मियों की तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक/अन्य कर्मियों के कुल स्वीकृत 35 पदों के

सापेक्ष 28 कार्यरत व 07 पद रिक्त हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक/अन्य कर्मियों के कुल स्वीकृत 32 पदों के सापेक्ष 25 कार्यरत व 07 पद रिक्त हैं।

चिकित्सक/विशेषज्ञ सहित अन्य कार्मिकों की तैनाती उपलब्धता एवं विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में जिला कमांडेंट कार्यालय में होमगार्ड्स को सेवा से हटाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

66-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में जिला कमांडेंट के कार्यालय में तैनात होमगार्ड्स को सेवा से हटाये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18-06-2020 के पश्चात् भी वापस नहीं लिये जाने के विषयक महानिदेशक व कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या अ-4/477 दिनांक 11-10-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

होमगार्ड मुख्यालय द्वारा जिला कमाण्डेन्ट, कुशीनगर को सम्बन्धित होमगार्ड के प्रत्यावेदनों पर समुचित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिये गये। सम्बन्धित भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को अपीलीय अधिकारी मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स, गोरखपुर द्वारा अपने विभिन्न आदेशों दिनांक 10-08-2020 एवं 11-08-2020 से निरस्त किये जाने के बाद पुनः याचीगण द्वारा पृथक-पृथक रिट याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयीं। प्रश्नगत रिट याचिकाओं में रिट याचिका 11340/2020 रामदरस कुशवाहा बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-12-2020 के अनुपालन में जनपद कुशीनगर के निष्कासित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को पुनः होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर बहाल कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन व अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित कराने विषयक

67-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षित प्रसूति एवं नवजात शिशुओं को उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में

जनपद शाहजहांपुर के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन तथा अल्ट्रासाउण्ड मशीन सरकार स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

बजट की उपलब्धता के आधार पर जनपद शाहजहांपुर के सी0एच0सी0 पर एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन की स्थापना करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती, ब्लाक राममनगर अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सगरा में मानकानुसार डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में

68-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सगरा में डॉक्टर की नियुक्ति न होने के कारण मरीजों को जनपद सिद्धार्थनगर सी0एच0सी0 डुमरियागंज जाना पड़ता है। यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों की सुविधा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सगरा में मानकानुसार चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर क्षेत्रान्तर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सगरा में चिकित्सक, पैरामेडिकल व चतुर्थ श्रेणी स्टाफ तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली में स्वीकृत आंगनबाड़ी के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

69-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में महिलाओं के प्रसव आदि की सुविधा हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 18 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रति केन्द्र 1-1 लाख रुपये की प्रथम किस्त जारी की गयी परन्तु 3 साल बीत जाने के बाद दूसरी किस्त न जारी करने के कारण निर्माण कार्य अधूरा

है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि निर्गत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 18 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 30-03-2017 द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि केन्द्रांश के रूप में रुपये 40.61 लाख अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रुपये 27.07 लाख शामिल करते हुए प्रथम किस्त की धनराशि रुपये 67.68 लाख दिनांक 11-10-2017 को कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण संघ लिमिटेड को हस्तान्तरित की गयी।

जी हां।

प्रथम किस्त की धनराशि रुपये 67.68 लाख के उपभोग प्रमाण-पत्र शासन के पत्र दिनांक 05-01-2021 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं, किन्तु द्वितीय किस्त की धनराशि अभी तक अप्राप्त है। धनरशि प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष धनराशि निर्गत की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में गौ पशु आश्रय स्थलों में गौ वंश के मृत्यु के कारणों की जांच व दोषियों पर कार्रवाई के विवरण विषयक

70-श्री नफीस अहमद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में स्थापित गौ-पशु आश्रय स्थलों में वर्ष 2019 से 6 नवम्बर, 2020 तक उक्त आश्रय में कुल कितने गौ-वंशों की मृत्यु किस कारण से हुई है क्या सरकार बताएगी कि इन गौ वंशों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है तथा कितने जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में कुल 05 गौ-वंश आश्रय स्थल संचालित हैं। वर्ष 2019 से 06 नवम्बर 2020 तक कुल 37 गौ-वंशों की मृत्यु हुई है, जिनमें 32 गौ-वंशों की मृत्यु वृद्ध होने के कारण स्वाभाविक रूप से, 04 गौ-वंशों की मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त होने के उपरान्त उपचार के दौरान एवं 01 गौ-वंश की मृत्यु बबेसियोसिस बीमारी (रक्त अल्पता) के कारण हुई है।

समस्त गौ-वंशों की मृत्यु स्वाभाविक/बीमारी से होने के कारण किसी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जा सकती।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व पिलखुआ स्थित जी0एस0 कोविड-19 अस्पताल द्वारा कोरोना के मरीजों पर व्यय धनराशि के गबन की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई विषयक

71-श्री असलम अली-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व पिलखुआ में स्थित जी0एस0 कोविड-19 अस्पताल द्वारा शासन द्वारा दी गई रु0 50,00,000 की धनराशि उक्त अस्पताल में कोरोना के 2527 मरीजों के खान-पान पर होने वाले व्यय को मिली-भगत कर गबन कर लिये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के ग्राम शेखपुर खिचरा की यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित सद्गुरू इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0 कम्पनी में निर्मित पेय पदार्थों की जांच कराने विषयक

72-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के ग्राम शेखपुर खिचरा की यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित सद्गुरू इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में निर्मित पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कब कराई गई थी और उक्त जांच का परिणाम क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद हापुड़ के ग्राम शेखपुर खिचरा की यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित सद्गुरू इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में निर्मित पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु की गयी कार्रवाई में उक्त फर्म से दिनांक 29-04-2015 को स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड बेवरेज किंग सिटी प्राइड-01 तथा स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड बेवरेज किंग सिटी लेमन-01, दिनांक 20-06-2015 को पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर किंग सिटी-01 तथा स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड बेवरेज किंग सिटी कोला-01 एवं दिनांक 23-06-2018 को कार्बोनेटेड वाटर किंग सिटी लेमन-01 कुल 05 नमूने जांच हेतु संग्रहीत किये गये थे। विश्लेषणोपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट में स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड बेवरेज किंग सिटी लेमन का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के

उल्लंघन युक्त पाया गया, जिसके विरुद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध रुपये 25000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अन्य सभी नमूने जांच में विशुद्ध पाये गये। उक्त फर्म पर दिनांक 11-02-2020 को अन्तिम बार कार्यवाही की गई, जिसमें नमूना किस्म कार्बोनेटेड बेवरेज विद फ्रूट जूस सिटी बज्ज का 01 नमूना जांच हेतु संग्रहीत किया गया था। उक्त नमूना जांच में विशुद्ध पाया गया है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना में कुल पात्र लाभार्थी व शेष आयुष्मान गोल्डेन कार्डों को वितरित कराने की जानकारी

73-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना में वर्तमान में कुल कितने पात्र लाभार्थी हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त लाभार्थियों को दिनांक 1 नवम्बर, 2020 तक कुल कितने आयुष्मान गोल्डेन कार्ड वितरित किये गये हैं तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष आयुष्मान गोल्डेन कार्डों को वितरित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना में क्रमशः कुल 1,30,120 तथा 8,671 लाभार्थी परिवार हैं।

दिनांक 01 नवम्बर 2020, तक कुल 1,38,791 गोल्डेन कार्ड बनाये जा चुके हैं। जनपद में लगभग 80 प्रतिशत लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनाना शेष है।

शेष लाभार्थी योजनान्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों अथवा जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से सत्यापन के उपरान्त अपना गोल्डेन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एस0ई0सी0सी0-2011 की सूची में अधिक संख्या में अनेक लाभार्थी पात्रता श्रेणी में नहीं होने की जांच कराये जाने की योजना की जानकारी

74-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना में एस0ई0सी0सी0-2011 की सूची में अधिक संख्या में

लाभार्थी पात्रता श्रेणी में नहीं होने के बावजूद उक्त योजना का लाभ उठा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर प्रदेश स्तर पर इन अपात्र लाभार्थियों को हटाते हुए पात्रता श्रेणी के नागरिकों को उक्त योजना का लाभ दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

पात्रता सूची एस0ई0सी0सी0-2011 के आंकड़ों के आधार पर बनायी गयी है।

भारत सरकार से प्राप्त परिपत्र दिनांक 30 अगस्त, 2018 के क्रम में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/स्टेट हेल्थ एजेंसी के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2019 के माध्यम से लाभार्थी सूची में सम्मिलित किसी परिवार के अपात्र पाये जाने पर नाम हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही का दायित्व जिलाधिकारियों को सौंपा गया है, जिससे अपात्र लाभार्थियों का नाम समयान्तर्गत पात्रता सूची से हटाया जा सके। उक्त के क्रम में जांचोपरान्त पूरे प्रदेश में 12 अपात्र लाभार्थियों का नाम योजना की पात्रता सूची से हटाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पशुपालन विभाग, उ0प्र0 में पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति में दलाली कर सम्पत्ति अर्जित करने की जांच कराने विषयक

75-श्री श्रीराम सोनकर-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-733/भा0ज0पा0/वि0म0द0/2020 दिनांक 04-08-2020 जो पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति में से0नि0 पशु चिकित्सक निवासी 4/59, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा दलाली करके अकूत सम्पत्ति अर्जित करने की जांच कराने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

कार्यालय निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में डॉ0 जे0पी0 मिश्रा, पशु चिकित्सक दिनांक 31-01-2010 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिस कारण उनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के लगभग 11 वर्ष उपरान्त नियमानुसार जांच कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

उल्लेख करना है कि कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2015/13/9/98/का-1-2015, दिनांक 22-04-2015 के प्रस्तर-20 में निम्न प्राविधान हैं :-

'यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई तथ्य सामने आये तो सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के तहत कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते कि जिस घटना के संबंध में जांच प्रारम्भ की जाये, जांच प्रारम्भ करने की तिथि को उस घटना को चार वर्ष से अधिक समय न बीत चुका हो।'

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ में मंदुरी एयरपोर्ट से उड़ानें संचालित कराने विषयक

76-श्री नफीस अहमद-

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मंदुरी एयरपोर्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एयरपोर्ट से उड़ानें संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ स्थित हवाई-पट्टी को नो फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु निर्माण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

आजमगढ़ नो फ्रिल्स एयरपोर्ट से उड़ानों के संचालन हेतु एयरोड्रोम लाइसेन्स के लिए नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। एयरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त होने के उपरान्त ही उड़ानों का संचालन आरम्भ हो सकता है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित एयररूट पर उड़ानों का संचालन प्रारम्भ कराये जाने का दायित्व नागर विमानन मंत्रालय/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में आयुष्मान योजनान्तर्गत पंजीकृत अस्पतालों के विवरण विषयक

77-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत कितने व कौन से अस्पताल वर्तमान में पंजीकृत हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद आजमगढ़ में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 17 निजी एवं 25 राजकीय चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं, जिनका विवरण संलग्न† है।

---

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 280 पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में डॉक्टरों की नियुक्ति व आवश्यक उपकरणों की पूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में

78-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में डॉक्टरों की कमी और आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण न होने से मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर मानकानुसार डॉक्टरों की नियुक्ति व आवश्यक उपकरणों की पूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलरियागंज एवं महराजगंज, परशुरामपुर आजमगढ़ पर आवश्यकतानुसार चिकित्सक एवं चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आने वाले मरीजों का समुचित इलाज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 2011 जनगणना की एस0ई0सी0सी0 सूची में छूटे पात्र नागरिकों को योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में

79-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0-2011 की सूची में छूटे पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु एस0ई0सी0सी0-2011 की निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर जिलाधिकारी स्तर पर चिन्हित कराते हुए छूटे परिवारों को सरकार लाभान्वित करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि उक्त सर्वेक्षण में भेजे गये पात्र परिवारों के अतिरिक्त प्रदेश में एस0ई0सी0सी0-2011 की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के बावजूद उक्त योजना का लाभ लेने से वंचित रह गये प्रदेश के शेष नागरिकों को उक्त योजना का लाभ दिलाये जाने हेतु सरकार के द्वारा कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रदेश के ऐसे परिवार जो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पात्रता रखते हैं, परन्तु जिनका नाम एस0ई0सी0सी0-2011 की सूची में शामिल नहीं था, ऐसे परिवारों

को ए0बी0-पी0एम0जे0ए0वाई0 के समतुल्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत सर्वेक्षण कराकर जोड़ा गया है।

वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक निर्भया फण्ड में अवशेष धनराशि के उपयोग के लिए विशेष कार्य योजना की जानकारी

80-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक निर्भया फण्ड में कुल कितनी धनराशि अवशेष है ? क्या सरकार उक्त धनराशि के उपयोग के लिए विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

प्रदेश के महिला कल्याण विभाग को निर्भया फण्ड योजना के अन्तर्गत कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी जिला क्षय रोग चिकित्सा अधिकारी व जिला कुष्ठ अधिकारी व समस्त पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में चिकित्सक व अन्य स्टाफ को स्थानान्तरण नीति अनुसार स्थानान्तरित करने विषयक

81-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी जिला क्षय रोग चिकित्सा अधिकारी व जिला कुष्ठ अधिकारी, जनपद के सभी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित जनपद शाहजहांपुर में सभी पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में कितने चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ स्थानान्तरण नीति के विपरीत 10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त को चिन्हित कर स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद में 15 चिकित्सक तथा 303 अन्य कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/2020/1/3/96-का-4-2020, दिनांक 12-05-2020 द्वारा अपरिहार्य स्थिति को छोड़ते हुए स्थानान्तरण सत्र, 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गयी है। आगामी स्थानान्तरण सत्र हेतु नीति निर्धारण के उपरान्त अग्रेतर यथावश्यक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में चिकित्साधिकारियों/चिकित्सकों के स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध 03 वर्ष से अधिक समय से तैनाती का प्रकरण

82-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कितने चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध क्या एक ही जनपद में कार्यरत चिकित्सकों पर स्थानान्तरण नीति लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद बस्ती में 48 चिकित्साधिकारी 03 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/2020/1/3/96-का-4-2020, दिनांक 12-05-2020 द्वारा अपरिहार्य स्थिति को छोड़ते हुए स्थानान्तरण सत्र, 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गयी है। आगामी स्थानान्तरण सत्र हेतु नीति निर्धारण के उपरान्त अग्रेतर यथावश्यक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन किये जाने की जानकारी

83-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कौन सी संस्था करती है तथा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि 30 अक्टूबर, 2020 तक कितने फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन संस्था को प्राप्त हुआ, उनमें से कितने अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रदेश में फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन उ0प्र0 फार्मेसी काउन्सिल, लखनऊ द्वारा किया जाता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी प्राप्त अभ्यर्थियों का समस्त

शैक्षिक/तकनीकी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आदि प्राप्त करते हुए मूल प्रमाण-पत्र से मिलान कर कार्यालय में जमा किया जाता है। उक्त के पश्चात् सम्बन्धित कालेज/संस्थान से सत्यापन के उपरान्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

उ0प्र0 फार्मेसी काउन्सिल को अक्टूबर, 2020 तक 1,25,660 आवेदन प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष अक्टूबर, 2020 तक 1,07,369 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया है। वर्तमान में 18,291 शेष हैं।

जी हां।

सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कालेज/संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन होने के उपरान्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन मशीन को चालू कराने के सम्बन्ध में

84-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल में विगत 4 माह से सी0टी0 स्कैन मशीन खराब होने के कारण मरीजों का इलाज सुचारु रूप से नही हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब सी0टी0 स्कैन मशीन को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में एन0एच0एम0 योजनान्तर्गत पी0पी0पी0 मोड पर सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है, जिसके द्वारा मरीजों को निःशुल्क सी0टी0 स्कैन की सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में विधवा पेंशन के अन्तर्गत प्रतीक्षारत/वंचित पात्र लाभार्थियों को पेंशन दिये जाने विषयक

85-श्री नफीस अहमद-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में दिनांक 6 नवम्बर, 2020 तक विधवा पेंशन के अन्तर्गत कुल कितने पात्र विधवाओं को पेंशन स्वीकृत हुई है ? कितने पात्र लाभार्थी पेंशन प्राप्त करने से शेष हैं ? क्या

सरकार अवशेष पात्र लाभार्थियों को पेंशन जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में दिनांक 6 नवम्बर 2020 तक पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत कुल 4309 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन प्राप्त करने से वंचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

तदैव।

जनपद फिरोजाबाद में सदर विधान सभा क्षेत्र स्थित चन्द्रवार में शिव मंदिर के विकास हेतु मा0 मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत आगणित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में

86-श्री मनीष असीजा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में मा0 मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद सदर विधान सभा क्षेत्र के चन्द्रवार में शिव मंदिर के पर्यटन विकास हेतु यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 यूनिट-04, आगरा द्वारा रुपये 48.69 लाख का आगणन जिलाधिकारी फिरोजाबाद के द्वारा महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक संख्या 3209/मा0मु0प0सं0यो0/2020 दिनांक 07-11-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

जी हां।

फिरोजाबाद सदर विधान सभा के चन्द्रवार क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर के पर्यटन विकास हेतु मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 26/2021/4385/41-2020-100 (बजट)/2020, दिनांक 13-01-2021 द्वारा रु0 44.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु0 16.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर व जलालाबाद में खाद्य निरीक्षकों द्वारा अवैध वसूली विषयक

87-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-2019 को जनपद शाहजहांपुर, तहसील तिलहर तथा जलालाबाद क्षेत्र के खाद्य निरीक्षकों द्वारा दुकानदारों से

सैम्पल भरने के नाम पर (अवैध धन उगाही) के सम्पन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस', मा0 सदस्य, विधान सभा का उक्त पत्र दिनांक 08-07-2019, आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18152190066634 के माध्यम से पोर्टल पर दिनांक 10-07-2019 को प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अभिहित अधिकारी, शाहजहांपुर को प्रकरण में जांचोपरान्त आख्या हेतु निर्देशित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18152190055466, 18152190055460, 18206190023558, 18152190022809, 18152190025565 एवं 18152190025560 के माध्यम से मा0 सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र संख्या-147213, दिनांक 13-02-2019 तथा पत्र संख्या-080876, दिनांक 13-06-2019 पूर्व में प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 तथा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा तत्कालीन अभिहित अधिकारी को जांच कर आख्या देने हेतु निर्देशित किया गया था। तदनुक्रम में अभिहित अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांचोपरान्त आख्या पत्र संख्या-768/एफ0एस0डी0ए0/जांच/2019-20, दिनांक 20-04-2019 तथा पत्र संख्या-814/एफ0एस0डी0ए0/जांच-2019-20 दिनांक 11-07-2019 द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 को प्रेषित की गयी थी। उक्त आख्या में प्रश्नगत शिकायतों/आरोपों को पुष्ट, सिद्ध नहीं पाया गया था तथापि प्रकरण में आख्या प्राप्त होने से पूर्व ही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित कार्मिक श्री शम्भू दयाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तिलहर, शाहजहांपुर को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 30-06-2019 द्वारा जनपद शाहजहांपुर से बदायूं स्थानान्तरित कर दिया गया था, जिसके क्रम में उन्हें दिनांक 12-07-2019 को जनपद शाहजहांपुर से कार्यमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में स्वीकृत नवीन चिकित्सालय का निर्माण कार्य कराने हेतु

88-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या आयुष मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की जिला योजना वर्ष 2018-19 दिनांक 06-08-2018 को जौरा पट्टी चिन्ता (पहाड़पुर) विकास खण्ड जैतीपुर, विधान सभा क्षेत्र कटरा में स्वीकृत नवीन चिकित्सालय का निर्माण शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जौरा पट्टी चिन्ता (पहाड़पुर) विकास खण्ड जैतीपुर, विधान सभा क्षेत्र कटरा में कोई भी नवीन राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत नहीं हुआ है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली, ग्राम बिजवाडा में पशु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

89-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम बिजवाडा, ब्लाक बिनौली में पशुओं के इलाज हेतु चिकित्सक उपलब्ध हैं, किन्तु पशु चिकित्सालय न होने के कारण ग्रामीणों को पशुओं के इलाज में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में चिकित्सालय हेतु आरक्षित भूमि पर पशु चिकित्सालय बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम बिजवाडा, ब्लाक बिनौली में पूर्व से पशु सेवा केन्द्र संचालित है।

उक्त प्रस्तावित ग्राम से पशु चिकित्सालय जिवाना गुलियान की दूरी 03 किलोमीटर तथा पशु चिकित्सालय बिनौली की दूरी 05 किलोमीटर है, जबकि विभागीय मानक के अनुसार नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु एक पशु चिकित्सालय से दूसरे पशु चिकित्सालय की दूरी 09 किलोमीटर निर्धारित है। अतः उक्तानुसार विभागीय मानक पूर्ण न होने के कारण प्रस्तावित ग्राम में नवीन पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम सूप राजपुर में पशु चिकित्सा केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

90-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम सूप राजपुर, ब्लाक छपरौली तथा ब्लाक बिनौली के ग्राम धनौरा टीकरी में पशुओं के इलाज हेतु कोई पशु चिकित्सालय न होने के कारण ग्रामवासियों को अपने पशुओं के

इलाज हेतु गांव से बाहर दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है। यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सूप राजपुर तथा ग्राम धनौरा टीकरी में पशु चिकित्सालय का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

जी नहीं।

जनपद बागपत के ग्राम धनौरा टीकरी, ब्लाक बिनौली एवं ग्राम सूप राजपुर, विधान सभा क्षेत्र छपरौली में पूर्व से पशु सेवा केन्द्र संचालित है। उक्त प्रस्तावित ग्राम धनौरा टीकरी से पशु चिकित्सालय निरपुड़ा की दूरी 05 किलोमीटर है, जबकि विभागीय मानक के अनुसार नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु एक पशु चिकित्सालय से दूसरे पशु चिकित्सालय की दूरी 09 किलोमीटर निर्धारित है। अतः विभागीय मानक पूर्ण न होने के कारण दोनों ग्राम में नवीन पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम गांगनौली में पशु सेवा केन्द्रों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

91-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम गांगनौली में बीमार व चोटिल पशुओं के उपचार व देखभाल हेतु पशु सेवा केन्द्र का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तावित ग्राम गांगनौली से 03 किलोमीटर की दूरी पर पशु सेवा केन्द्र प्रसार तथा 05 किलोमीटर की दूरी पर ही पशु चिकित्सालय दोघट स्थापित है, जबकि विभागीय मानकों के अनुसार किसी भी ग्राम में पशु सेवा केन्द्र स्थापित करने पर तभी विचार किया जा सकता है, यदि उक्त ग्राम के 05 किलोमीटर की परिधि के अन्दर पशु सेवा केन्द्र न हो। अतः वर्णित परिस्थिति में ग्राम गांगनौली के विभागीय मानकों के अन्तर्गत संतृप्त होने के कारण वहां नवीन पशु सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने का अवसर विद्यमान नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में निर्मित 100 बेड के हास्पिटल में शेष बेडों के संचालन विषयक

92-श्री राजकुमार पाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में जिला महिला चिकित्सालय में निर्मित 100 बेड का हॉस्पिटल में से

60 बेड का ही संचालन हो रहा है ? क्या सरकार मरीजों के उपचार की सुलभ सुविधा देने हेतु शेष 40 बेडों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जिला महिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में निर्मित 100 बेड मेटरनिटी विंग में से पुराने 62 बेड को संचालित किया जा रहा है।

जी हां, शेष बेडों को संचालित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

मानव संसाधन एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में विधवा पेंशन हेतु दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक कितने आवेदन-पत्र जांच हेतु तहसील/ब्लाक स्तर पर लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने विषयक

93-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद फिरोजाबाद में विधवा पेंशन हेतु दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक कितने आवेदन-पत्र जांच हेतु तहसील/ब्लाक स्तर पर लम्बित हैं ? क्या सरकार जांच हेतु लम्बित इन आवेदनों का निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक स्तर पर क्रमशः 375 व 244 आवेदन-पत्र जांच हेतु लम्बित थे।

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी हां।

विहित प्रक्रिया के अनुसार उक्त लम्बित सभी 619 आवेदन-पत्रों की जांचोपरान्त पेंशन हेतु अनुमन्य धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला क्षय रोग चिकित्सा अधिकारी व जिला कुष्ठ अधिकारी व समस्त पीएचसी व सीएचसी में चिकित्सक व अन्य स्टाफ को स्थानान्तरण नीति अनुसार स्थानान्तरित करने विषयक

94-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की पीएचसी व सीएचसी, मुख्य चिकित्साधिकारी जिला क्षय रोग, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी तथा पल्स पोलियो कार्यालय में कितने अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में

स्थानान्तरण नीति के विपरीत 10 वर्षों से जनपद में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात उक्त का स्थानान्तरण जनपद के बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद शाहजहांपुर की पीएचसी व सीएचसी, मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला क्षय रोग/जिला मलेरिया अधिकारी/जिला कुष्ठ अधिकारी तथा पल्स पोलियो कार्यालय में स्थानान्तरण नीति के विपरीत 10 वर्षों से 339 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/2020/1/3/96-का-4-2020, दिनांक 12-05-2020 द्वारा अपरिहार्य स्थिति को छोड़ते हुए स्थानान्तरण सत्र, 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गयी है। आगामी स्थानान्तरण सत्र हेतु नीति निर्धारण के उपरान्त अग्रेतर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र संख्या-2986, दिनांक 24-06-2019 पर कार्रवाई विषयक

95-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2222, दिनांक 13-06-2019 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर, शाहजहांपुर के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रकरण की जांच जिला अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर से करायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर की जांच आख्या के आधार पर डॉ0 ओमेन्द्र कुमार, तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, शाहजहांपुर के विरुद्ध नीलामी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के कारण उनकी वर्ष 2019-20 की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील भानपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 की मरम्मत/निर्माण व पैरामेडिकल स्टाफ के रात्रि निवास के सम्बन्ध में

96-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्मित आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण पैरामेडिकल स्टाफ रात्रि निवास नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र के आवासीय भवनों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर का भवन जर्जर है। इस कारण वहां से 150.00 मीटर की दूरी पर बने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासीय भवन में चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ/अन्य स्टाफ निवास कर रहे हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम पंचायतों में स्थापित गौशालाओं के प्रति अधिकारियों की लापरवाही के सम्बन्ध में।

97-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम पंचायतों में स्थापित किये गये गौशालाओं का अधिकारियों की लापरवाही से उचित प्रबन्धन न होने के कारण आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को छति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गौशालाओं के उचित प्रबन्धन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के लिए कड़ाई से आदेश जारी कर लापरवाह एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली में 02 अस्थायी गौ-आश्रय स्थल हैं, जिनमें कुल 76 गौ वंश संरक्षित हैं तथा नगर पंचायत रुधौली में एक कान्हा गौशाला है, जिसमें कुल 179 गौ वंश संरक्षित हैं। विकास खण्ड रामनगर में 09 अस्थायी गौ-आश्रय स्थल हैं, जिनमें कुल 335 गौ

वंश संरक्षित हैं। सल्टौवा गोपालपुर में 04 अस्थायी गौ-आश्रय स्थल हैं, जिनमें कुल 102 गौ वंश संरक्षित हैं। विधान सभा क्षेत्र रुधौली के गौ-आश्रय स्थलों में समुचित प्रबन्धन के साथ-साथ गौ वंश के भरण-पोषण की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था है।

जनपद बस्ती के विकास खण्डों में क्रय किये जा रहे पी0पी0ई0 किट, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, मास्क, सेनिटाइजर आदि प्राइवेट फर्मों से क्रय करने पर कार्रवाई विषयक

98-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-05-2020 का पत्र जो जनपद बस्ती के सभी विकास खण्ड में क्रय किये जा रहे पीपीई किट, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, मास्क, सेनिटाइजर आदि ई-टेन्डर व जेम पोर्टल से न क्रय कर अपने ही द्वारा बनाई गई या प्राइवेट फर्मों से क्रय किये जाने विषयक है। मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निश्चय पोषण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्रता की श्रेणी में चिन्हित टी0बी0 के मरीजों व पात्र रोगियों को प्रतिमाह दी जाने वाली धनराशि में देरी के कारण टी0बी0 रोग से पीड़ित मरीजों को होने वाली असुविधा के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराते हुए राशि खाते में डलवाने विषयक

99-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निश्चय पोषण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में टी0बी0 के मरीज पात्रता की श्रेणी में चिन्हित करे गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि कितने पात्र रोगियों को 500 रुपये प्रतिमाह दी जाने वाली धनराशि माह जुलाई, 2019 से 10 नवम्बर, 2020 तक प्राप्त हुई है ? क्या सरकार देरी के कारण टी0बी0 रोग से पीड़ित मरीजों को होने वाली असुविधा के लिए दोषी जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराते हुए अनुदान राशि खाते में डलवाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

11 अप्रैल, 2018 से उपचार प्राप्त कर रहे समस्त पंजीकृत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के टी0बी0 मरीज निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से रुपये 500/- प्रतिमाह की दर से उपचार अवधि तक मात्र हैं।

माह जुलाई, 2019 से नवम्बर, 2020 तक 323051 क्षय लाभार्थी को कुल रुपये 72.55 करोड़ डी0बी0टी0 के माध्यम से टी0बी0 मरीज के खाते में धनराशि स्थानान्तरित की जा चुकी है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण विलम्ब हुआ है। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के विकास खण्ड क्षेत्र छपरौली के ग्राम रमाला में पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में डॉक्टरों की नियुक्ति व आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराने के विषय में

100-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रमाला में पी0एच0सी0 तथा टीकरी में सी0एच0सी0 में डॉक्टरों की कमी और आवश्यक चिकित्सीय उपकरण न होने के कारण मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में डॉक्टरों की तैनाती व जरूरी उपकरणों की पूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रमाला में ग्रामीण पी0एच0सी0 पर 01 चिकित्सक, 01 फार्मासिस्ट, 01 ए0एन0एम0, 02 वार्ड ब्वाय तथा 01 लैब सहायक तैनात है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरी पर स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत 02 चिकित्सक, 02 फार्मासिस्ट, 02 वार्ड ब्वाय, 01 ए0एन0एम0 तथा 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं।

उक्त चिकित्सा इकाइयों पर आवश्यक चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध हैं तथा मरीजों का समुचित इलाज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र छपरौली में ग्राम लूम्ब में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में

101-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम लूम्ब में उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण प्रशासन द्वारा कराया जा चुका है किन्तु उक्त केन्द्र पर किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को इलाज हेतु सी0एच0सी0 छपरौली व सी0एच0सी0 बड़ौत जाने के लिए क्रमशः 18-20 व 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

संदर्भित ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जा चुका है। जिस पर मानकानुसार ए0एन0एम0 एवं सी0एच0ओ0 की तैनाती है तथा नियम सभी चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली, तहसील बड़ौत, ब्लाक बिनौली, ग्राम बूढ़पुर में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराकर चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में

102-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली की तहसील बड़ौत के ब्लाक बिनौली के ग्राम बूढ़पुर स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 10 वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार बूढ़पुर के उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराकर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली की तहसील बड़ौत के ब्लाक बिनौली के ग्राम बूढ़पुर स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है।

क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

103-श्री मनीष असीजा-

[02-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद में 2011 की एस0ई0सी0सी0 डाटा में नाम न होने के कारण कतिपय पात्र नागरिक आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने से वंचित नागरिकों का व्यापक सर्वेक्षण कराते हुए पात्रता के आधार पर आयुष्मान कार्ड जारी करने विषयक

104-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 2011 की एस0ई0सी0सी0 डाटा में नाम न होने के कारण कतिपय पात्र नागरिक आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन वंचित नागरिकों का व्यापक सर्वेक्षण कराते हुए पात्रता के आधार पर आयुष्मान कार्ड जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0-2011 की सूची में छूट गये पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान संचालित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद में एस0ई0सी0सी0-2011 की निर्धारित पात्रता सूची से वंचित नागरिकों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु एस0ई0सी0सी0-2011 की निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर जिलाधिकारी स्तर पर व्यापक सर्वेक्षण कराते हुए जनपद फिरोजाबाद में 8,671 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान के माध्यम से योजनान्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है एवं इन परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड (आयुष्मान कार्ड) जारी किये जाने का प्राविधान है।

चिन्हित किये गये लाभार्थी अपना व्यक्तिगत पहचान-पत्र (जैसे कि आधार कार्ड अथवा सरकार द्वारा जारी अन्य कोई पहचान-पत्र) एवं परिवार का पहचान-पत्र (राशन कार्ड, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रेषित-पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल) दिखाकर किसी भी सूचीबद्ध चिकित्सालय में निःशुल्क अथवा जन सेवा केन्द्र पर रु0 30/- का शुल्क देकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक विधवा पेंशन हेतु जांच के उपरान्त कितने पात्र आवेदन-पत्र महिला कल्याण निदेशालय लखनऊ को अग्रसरित आवेदनों की अपेक्षित प्रक्रिया पूरी कराते हुए पात्र लाभार्थियों की खाते में पेंशन भुगतान कराये जाने विषयक

105-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक विधवा पेंशन हेतु जांच के उपरान्त कितने पात्र आवेदन-पत्र महिला कल्याण निदेशालय लखनऊ को अग्रसरित करे गये हैं एवं कितने किये जाने शेष हैं ? क्या सरकार इन अग्रसरित आवेदनों की अपेक्षित प्रक्रिया पूरी कराते हुए पात्र लाभार्थियों की खाते में पेंशन भुगतान कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत जांच के उपरान्त कुल 1238 पात्र आवेदन-पत्र महिला कल्याण निदेशालय लखनऊ को अग्रसरित किये गये थे एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के स्तर पर कोई भी आवेदन-पत्र तत्समय अग्रसारण हेतु अवशेष नहीं था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के नगर पंचायत रुधौली बाजार में आयुष्मान भारत योजना लागू कराने विषयक

106-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के नगर पंचायत रुधौली बाजार में आयुष्मान भारत योजना लागू कराकर पात्र लाभार्थियों को लाभ सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

आवश्यकतानुसार पात्र लाभार्थी योजना का लाभ सूचीबद्ध चिकित्सालय ले सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त पी0पी0सी0 सेंटर सी0एच0सी0 तिलहर में भ्रष्टाचार के संबंध में पत्र पर कार्रवाई की जानकारी

107-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-564521, दिनांक 04-03-2020 जो पी0पी0सी0 सेंटर सी0एच0सी0 तिलहर में व्याप्त

भ्रष्टाचार निर्माण में करने के सम्बन्ध में है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

उक्त प्रकरण पर पूर्व में ही तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जांच की जा चुकी है। पी0पी0सी0 सेंटर के भवन के छतों की स्थिति बहुत जीर्ण-शीर्ण थी,कभी कोई असामयिक दुर्घटना हो सकती थी, जिस कारण छतों का पुनर्निर्माण कराया गया। पुनर्निर्माण के समय छत तोड़ने के उपरान्त पुरानी सरिया/मलबा आदि की कीमत सम्बन्धित ठेकेदार के बिल से कटौती कर ली गयी थी। भवन के छतों के पुनर्निर्माण कराये जाने में सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया। वर्तमान समय में पी0पी0सी0 सेन्टर तिलहर क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नवादा, विकास खण्ड खुदागंज में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य की जांच कराने विषयक

108-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नवादा दरोवस्त, विकास खण्ड खुदागंज में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य में ईंट पीला तथा सरिया, सीमेन्ट की मात्रा कम के कारण दीवारें अभी से चटकने लगी हैं। क्या सरकार उपरोक्त निर्माण कार्य की जांच उच्च अधिकारी द्वारा गठित कमेटी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्नगत निर्माण की जांच प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0, ग्राम विकास विभाग, बरेली मण्डल, बरेली से करायी गयी है। जांच में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत चिकित्सा से जुड़े व अन्य कर्मचारियों को हटाये जाने विषयक

109-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीपर, जनपद बलिया में चिकित्सा स्टाफ व अन्य कर्मचारी कितने दिनों से तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात कर्मचारियों को अन्य स्थानान्तरित करेगी ? यदि

हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाओं व जांच की समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, बलिया में चिकित्सा स्टाफ व अन्य कार्मिक वर्ष 2005 से वर्ष 2019 के बीच की अवधि से तैनात हैं।

वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर समस्त दवायें व जांच की समुचित सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं विषयक

110-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन सी परियोजनायें सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0) योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के चयनित विकास खण्ड-रामनगर में 25 आंगनबाड़ी केन्द्र, 10 पाइप पेयजल योजना निर्माणाधीन हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :-

25 आंगनबाड़ी केन्द्र-विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत-पिरैला नरहरिया, खैरा, पटवरिया, नौवागांव, शकरपुर छितिरगावा, खोरिया, अतरडीहा, गंधारिया बुजुर्ग, सकतपुर, पिपराहिया, बेइली, खमहरिया, पश्चिम पलनी, करेली पिपरा, हलुआहसनपुर, टेढ़ीकुईया, नौवागांव, तुषायल, परसा कुतुब, पिरला गरीब, बरडीहाखास-1, बरडीहाखास-2, जोगिया पाठक।

10 पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड-रामनगर के ग्राम पंचायत-पिरैला गरीब, बइली खमहरिया पश्चिम, गदापुर चक्र नौवागांव, कोहड़ी, तुसायल, खमहरिया पूरब, पकड़ी, भोलापुर।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

जनपद शाहजहांपुर कार्यालय में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय अन्तर्गत सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 केन्द्रों पर एम्बुलेन्स की तैनाती व उनके सम्पूर्ण व्यय आदि का विवरण दिये जाने विषयक

111-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स 108 तथा 102 की कितनी एम्बुलेन्स, किस सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 पर चल रही हैं ? क्या सरकार उक्त एम्बुलेन्स के नम्बर, चलने की तिथि, ड्राइवर का नाम स्वास्थ्य केन्द्र का नाम सहित दिनांक 01-04-2016 से 01-09-2019 तक कितना तेल तथा किस गाड़ी में कितनी रिपेयर हुई ? का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद शाहजहांपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 108 और 102 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा जी0वी0के0-ई0एम0आर0आई0 सेवा प्रदाता द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें 108 ई0एम0टी0एस0 के अन्तर्गत कुल 37 नग एम्बुलेन्स तथा 102 नेशनल एम्बुलेन्स सर्विसेज के अन्तर्गत कुल 27 अदद एम्बुलेन्स संचालित हैं। इन एम्बुलेन्सों के डिप्लायमेंट का विवरण क्रमशः संलग्नक 1 व 2 संलग्न है। एम्बुलेन्स सेवा में नियुक्त सभी ई0एम0टी0एस0/पाइलेट तथा अन्य कर्मचारी सेवा प्रदाता जी0वी0के0-ई0एम0आर0आई0 द्वारा ही नियुक्त हैं एवं उन्हीं के नियंत्रणाधीन कार्यरत हैं।

जी0वी0के0-ई0एम0आर0आई0 सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रभारी चिकित्साधिकारी जिला कारागार, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत की जांच विषयक

112-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री संदर्भ सं0 1815280240202 जो प्रभारी चिकित्साधिकारी जिला कारागार शाहजहांपुर के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच के सम्बन्ध में था की जांच महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर को जांच हेतु आदेशित किया गया है ? यदि हां तो मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर ने प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच कार्य पूर्ण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ सं0 281-287 पर।

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर की जांच आख्या दिनांक 04-05-2019 पर मा0 सदस्य की आपत्ति के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र दिनांक 13-10-2020 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार मा0 सदस्य से साक्ष्य प्राप्त कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28-08-2020 को नामित प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार गुप्ता के भी बयान लिये गये। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या दिनांक 09-11-2020 में डॉ0 पी0पी0 श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला कारागार, शाहजहांपुर के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों/दर्ज कराये गये बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। प्रकरण की उपरोक्तानुसार जांच पूर्ण कर ली गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा अधीक्षक तिलहर के विरुद्ध पेड़ों की नीलामी में भ्रष्टाचार विषयक

113-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-564522 जो चिकित्सा अधीक्षक तिलहर के विरुद्ध पेड़ों की नीलामी में व्याप्त भ्रष्टाचार के जांच के विषयक है दिनांक 02-04-20 को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-564522 प्राप्त हुआ है, किन्तु उसकी तिथि 29-02-2020 अंकित है।

शिकायती-पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांच करायी गयी। जाचोंपरोन्त निष्कर्ष के आधार पर डॉ0 ओमेन्द्र कुमार, तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0 केन्द्र तिलहर के विरुद्ध उनकी वर्ष 2019-20 की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम किरठल में निर्मित राजकीय पालीटेक्निक कालेज की चारदीवारी कराने हेतु

114-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम किरठल में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में राजकीय कालेज व

आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु चारदीवारी बनना शेष है ? यदि हां, तो क्या सरकार परिसर में उक्त चारदीवारी बनवाकर शैक्षिक सत्र का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की 10वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 03-12-2018 में उक्त प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गयी है। वर्तमान में राजकीय पालीटेक्निक सहारनपुर में सत्र संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम किरठल में निर्मित राजकीय पालीटेक्निक कालेज में शैक्षिक सत्र शुरू करवाने के विषय में

115-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम किरठल में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में राजकीय कालेज का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण उक्त संस्था के तीन पाठ्यक्रम (इलेक्ट्रानिक्स इंजी0, इलेक्ट्रिकल इंजी0 व मैकेनिकल इंजी0) की कक्षाएं मेंटर संस्था राजकीय पालीटेक्निक कालेज, सहारनपुर में संचालित की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शैक्षिक सत्र शुरू करवाने की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

जी हां।

वर्तमान में विद्युत कार्य, सेनेटरी वर्क, खिड़की के शीशे, एप्रोच रोड एवं बाउण्ड्री की मार्किंग का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। तदोपरान्त परियोजना हस्तान्तरण की कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के समस्त पशु चिकित्सालयों में भ्रष्टाचार की जांच के विषयक।

116-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाक 09-03-2019 जो जनपद के सभी पशु चिकित्सालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में था, मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन को दिनांक 15 मार्च, 2019 को प्राप्त उपरोक्त पत्र प्रमुख सचिव

पशुधन विभाग को 19-03-2019 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस', मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 09-03-2019 जन सुनवाई पोर्टल पर संदर्भ संख्या 18150190040818 के रूप में प्राप्त हुआ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सन्दर्भ में यथावश्यक कार्रवाई करते हुए, निदेशालय द्वारा प्राप्त सूचना/वस्तुस्थिति से पशुधन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1194/37-1-2019, दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0 को अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मुख्य मंत्री संदर्भ सं0 18152180240202 व 18150180240193 प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला कारागार, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत की जांच विषयक

117-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री संदर्भ सं0 18152180240202 एवं 18150180240193 जो प्रभारी चिकित्साधिकारी जिला कारागार शाहजहांपुर के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि महानिदेशक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 शासन को जांच हेतु मुख्य मंत्री के विशेष सचिव द्वारा दिनांक 12-01-2019 को आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो महानिदेशक ने प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच कार्य पूर्ण करा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पत्रों पर विशेष सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 29-01-2019 को नियमानुसार कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर की जांच आख्या दिनांक 04-05-2019 पर मा0 सदस्य की आपत्ति के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र दिनांक 13-10-2020 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मा0 सदस्य से साक्ष्य प्राप्त कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 28-08-2020 को नामित प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार गुप्ता के भी बयान लिये गये। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या

दिनांक 09-11-2020 में डॉ0 पी0पी0 श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला कारागार, शाहजहांपुर के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों/दर्ज कराये गये बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। प्रकरण की उपरोक्तानुसार जांच पूर्ण कर ली गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तरह जिला प्रशासन द्वारा चलाई गई 'पराली दो खाद लो' योजना को अन्य जिलों में चलाने सम्बन्धी

118-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई 'पराली दो खाद लो' योजना को प्रदेश स्तर पर लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 'पराली दो खाद लो' योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

119-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

[02-शुक्रवार के अतारांकित प्र0सं0-65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में तहसील नगीना में पुरानी यूनानी अस्पताल को नयी इमारत में शिफ्ट कराने विषयक

120-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर यूनानी अस्पताल बनवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में तहसील नगीना में यूनानी अस्पताल किराये की जर्जर इमारत में संचालित है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल को नयी इमारत में शिफ्ट सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां।

निःशुल्क भूमि एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत चिकित्सालय का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

तदनुसार उक्त अस्पताल को नई इमारत में शिफ्ट कराने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के पशु चिकित्सालय समय से खुलने व बन्द होने तथा चिकित्सकों के जनपद से बाहर रहने की जांच व कार्रवाई विषयक

121-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जन सुनवाई संदर्भ सं0 18150190098386 जो जनपद शाहजहांपुर के सभी पशु चिकित्सालय समय से न खुलने व बन्द होने तथा जनपद के सभी चिकित्सक जनपद से बाहर रहने की जांच के सम्बन्ध में दिनांकित 7-10-19 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस', मा0 सदस्य विधान सभा का उक्त शिकायती-पत्र मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल को जन सुनवाई पोर्टल पर संदर्भ संख्या 18150190098386 में प्राप्त हुआ।

मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल द्वारा अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली को जांच करने के निर्देश दिये गये जिस पर अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा संयुक्त निदेशक, गायनोकोलॉजिस्ट, बरेली से जांच करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में की गयी शिकायतें निराधार पायी गयीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मुख्य मंत्री संदर्भ सं0 18152190022809, 18206190023558 के सम्बन्ध में तिलहर व जलालाबाद के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से सैम्पल लेने के बदले धन उगाही पर कार्रवाई के संबंध में

122-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल संदर्भ सं0 18152190022809, 18206190023558 तथा 18150190103093 जो जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर तथा जलालाबाद के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से हर्पा सैम्पल

लेने के बदले में अवैध धन की उगाही की जांच के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल संदर्भ सं0 18152190022809, 18206190023558 तथा 18150190103093 में की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 से आख्या प्राप्त की गयी। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में प्रश्नगत शिकायतों/आरोपों को पुष्ट/सिद्ध नहीं पाया गया। तथापि प्रकरण में उक्त आख्या प्राप्त होने से पूर्व ही प्रश्नगत शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित कार्मिक, श्री शम्भू दयाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तिलहर, शाहजहांपुर को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 30-06-2019 द्वारा जनपद शाहजहांपुर से बदायूं स्थानान्तरित कर दिया गया था, जिसके क्रम में उन्हें दिनांक 12-07-2019 को जनपद से कार्यमुक्त भी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के सिविल हास्पिटल को अन्यत्र स्थानान्तरित एवं नयी तकनीकी चिकित्सा युक्त बड़ा अस्पताल निर्माण विषयक

123-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की बढ़ती आबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत सिविल हास्पिटल/जिला अस्पताल को आधुनिक तकनीकी चिकित्सा युक्त बड़ा अस्पताल बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय, झांसी में हीमोडायलिसिस, सी0टी0 स्कैन, डिजिटल एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, पैथोलॉजी यूनिट, ई-हास्पिटल सुविधा, ई-संजीवनी सुविधा, जिरियाटिक यूनिट सुसज्जित वार्ड, नॉन कम्युनिकेबिल डिजीज यूनिट, उपकरणों से सुसज्जित ओ0टी0 (सी0 आर्म सहित) जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है। गम्भीर एवं असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों को समुचित इलाज हेतु मेडिकल कालेज, झांसी रिफर किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्रामीण परिवारों को गौ-वंश पालन हेतु प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में

124-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को गौ-वंश पालन एवं उससे होने वाले लाभों हेतु प्रोत्साहन हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रदेश में गरीब पशुपालकों, निर्बलवर्गों एवं भूमिहीन श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभाग द्वारा निम्नवत् सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं :-

1-कृत्रिम गर्भाधान योजना (रा0यो0)

2-राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

3-गायों एवं भैंसों में अनुवर्रता एवं बांझपन निर्वारण योजना।

4-सेक्स्ड सार्टेड योजना द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम।

5-पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला/शिविर (मण्डल स्तर/विकास खण्ड स्तर)

6-बधियाकरण

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के मोंठ में सी0एच0सी0 में बने ट्रामा सेंटर को चालू कराये जाने विषयक

125-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के मोंठ कस्बे के सी0एच0सी0 में बने ट्रामा सेंटर को चालू करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6 747755 दिनांक 7 सितम्बर, 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या 349/2020/1980/पांच-6-2020, दिनांक 29-12-2020 द्वारा उपकरण एवं साज-सज्जा की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त के क्रम में क्रय सम्बन्धी कार्यवाही परिधिगत स्तर से एवं यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा नियमानुसार की

जा रही है। वर्तमान में ट्रामा सेन्टर स्थानीय व्यवस्था पर उपलब्ध मानव संसाधन से क्रियाशील हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफों द्वारा की जा रही बदतमीजी के सम्बन्ध में

126-श्री असलम अली-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों के साथ स्टाफों द्वारा बदतमीजी की घटनाओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के मिहीपुरवा सी0एच0सी0 के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 50 बेड का हाल बनाये जाने विषयक

127-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत मिहीपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 50 बेड के हाल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधनों के कारण।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के जालिम नगर में पी0एच0सी0 की स्थापना कराये जाने विषयक

128-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत जालिम नगर की आबादी 40 हजार है ? यदि हां, तो

पी0एच0सी0 का मानक 30 हजार की आबादी पूर्ण करने वाले जालिम नगर में पी0एच0सी0 की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत जालिम नगर की जनसंख्या लगभग 12196 है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के एरच कस्बे में होली महोत्सव पर्यटन विभाग से कराये जाने विषयक

129-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के एरच कस्बे (प्रहलाद जी नगरी) में दिनांक 26, 27 व 28 मार्च 2021 को आयोजित होने वाले होली महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग से कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-759737 दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

जी हां।

दिनांक 26 से 28 मार्च 2021 के मध्य आयोजित होने वाले एरच महोत्सव में आयोजित होने वाली होली महोत्सव के अवसर पर प्रचार-प्रसार हेतु पर्यटन विभाग द्वारा जिलाधिकारी, झांसी को रु0 5.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। स्थानीय स्तर पर उक्त महोत्सव में उप निदेशक, पर्यटन, झांसी द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र बलहा के मिहीपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने विषयक

130-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत मिहीपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन न होने के कारण मरीजों को इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिहीपुरवा में 100 एम0ए0 एक्स-रे मशीन क्रय हेतु उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन को मांग-पत्र प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2017-18 में जिला योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कटरा ग्राम जौरा पट्टी चिंता (पहाड़पुर) ब्लाक जैतीपुर में होम्योपैथिक चिकित्सालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य कराने विषयक

131-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2017-18 में जिला योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम जौरा पट्टी चिंता (पहाड़पुर) ब्लाक जैतीपुर में स्वीकृत होम्योपैथिक औषधालय के नवीन भवन का निर्माण धन का आवंटन न किये जाने से शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु आवंटन कर निर्माण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2017-18 में जिला योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम जौरा पट्टी चिंता (पहाड़पुर) ब्लाक जैतीपुर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना/निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर कार्यालय के जूनियर इंजीनियर द्वारा कराये गये निर्माण व पेंटिंग कार्य का विवरण पटल पर रखे जाने विषयक

132-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर कार्यालय के जूनियर इंजीनियर द्वारा दिनांक 01-04-2018 से 01-12-2020 तक निर्माण तथा पुताई पेंटिंग का कार्य किस सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 पर कितनी धनराशि के कब कराये गये क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

दिनांक 01-04-2018 से दिनांक 01-12-2020 तक कुल धनराशि रु0 11048839/- से विभिन्न सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 पर वार्षिक मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के कार्य अनुबन्धित फर्म से कराये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न है।†

जी हां, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वर्तमान में संचालित अर्बन सेंटर के निरीक्षण व जांच तथा नियमित खुलवाये जाने विषयक

133-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने अर्बन सेंटर वर्तमान में कहां संचालित हैं तथा कौन कर्मचारी किस तिथि से किस सेंटर पर नियुक्त है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद के अधिकतर अर्बन सेंटर बन्द रहते हैं तथा मरीजों को चिकित्सा, पानी तथा बैठने की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अर्बन सेंटरों की जांच कराकर नियमित खुलवा कर जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

11 अर्बन सेंटर विभिन्न मोहल्लों में संचालित हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी सूची संलग्न है।††

अर्बन सेंटर नियमित रूप से खुलते हैं तथा ओ0पी0डी0 में मरीजों का उपचार किया जाता है। प्रत्येक बुधवार व शनिवार को टीकाकरण किया जाता है और पीने के पानी की तथा बैठने की समुचित व्यवस्था है।

नियमित रूप से अर्बन सेंटर खोले जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा अधीक्षक तिलहर के विरुद्ध पेड़ों की नीलामी में भ्रष्टाचार विषयक

134-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 04-12-2019 जो चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर

---

† देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ सं0 288-290 पर।

†† देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ सं0 291-292 पर।

द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार तथा चिकित्सालय कालोनी में खड़े पेड़ों की नीलामी में नियमानुसार कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर से करायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर की जांच आख्या के आधार पर डॉ0 ओमेन्द्र कुमार, तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, शाहजहांपुर के विरुद्ध नीलामी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के कारण उनकी वर्ष 2019-20 की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा अधीक्षक तिलहर के विरुद्ध पेड़ों की नीलामी में भ्रष्टाचार विषयक

135-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-09-2019 जो चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, के क्रम में उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र सं0-वी0आई0पी0-48/सेक-2-पांच, 2019, दिनांक 21 अगस्त, 2019 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच किये जाने हेतु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने पत्र दिनांक 27-08-2019 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को निर्देश दिये गये। मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर ने आदेश दिनांक 06-09-2019 द्वारा संयुक्त मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहांपुर की संयुक्त जांच समिति से जांच करायी गयी। उक्त जांच आख्या दिनांक 25-11-2019 को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र दिनांक 04-12-2019 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी।

शासन स्तर पर कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-02-2020 द्वारा डॉ0 ओमेन्द्र कुमार के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील), नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सम्बन्धित चिकित्सक के विरुद्ध नीलामी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के कारण उनको 'परिनिन्दा' का दण्ड दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, विधान सभा क्षेत्र कटरा में हेल्थ विजिलेंस सेंटरों की जांच कराने विषयक

136-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-05-2020 जो जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में एक वर्ष पूर्व बने हेल्थ वेलनेस सेंटर की दीवारें चटकने तथा फर्श धंसने के संबंध में है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के समस्त सी0एच0सी0 व पी0एच0सी के सफाई कार्य का ठेका व इस हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति व उनका पूर्ण विवरण दिये जाने विषयक

137-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के सभी सी0एच0सी0 व पी0एच0सी की सफाई कार्य का ठेका दिनांक 01-04-2020 से 01-11-2020 तक किस संस्था को दिया गया तथा ठेकेदार ने किस सी0एच0सी0 व पी0एच0सी में किन कर्मचारियों की नियुक्ति कितनी धनराशि पर की है ? क्या सरकार नियुक्त कर्मचारियों के नाम व पद, वेतन नियुक्ति तिथि सहित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर की पी0एच0सी की सफाई कार्य का ठेका दिनांक 01-04-2018 से दिनांक 01-11-2020 तक किसी भी संस्था को नहीं दिया गया है, किन्तु समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की साफ-सफाई, रख-रखाव एवं लाण्ड्री व्यवस्था का ठेका मेसर्स साल्वेशन आउटसोर्सिंग सोल्यूशन प्रा0लि0, शाहजहांपुर को दिया गया था। ठेकेदार द्वारा नियुक्त किये गये कार्मिकों को दिये गये मानदेय का विवरण संलग्न है।[†]

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ सं0 293 पर।

जनपद लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ में गाड़ी स्टैण्ड पर गलत वसूली विषयक

138-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ में आने-जाने वाले लोगों से स्टैण्ड के नाम पर गलत वसूली की जा रही है एवं फ्लाइट लेट होने पर प्राइवेट गाड़ियों से पार्किंग के नाम पर अधिक शुल्क की वसूली होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गलत वसूली पर रोक लगाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी नहीं।

चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लखनऊ के संचालन, प्रबन्धन, अनुरक्षण एवं विकास कार्य हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं एस0पी0वी0 अडानी, लखनऊ इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मध्य दिनांक 14 फरवरी, 2020 को 50 वर्षों की अवधि के लिए अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। इस प्रकार लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन दिनांक 02 नवम्बर, 2020 से निजी संस्था अडानी, लखनऊ इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

चीफ एयरपोर्ट आफिसर, अडानी, लखनऊ इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लखनऊ पर पार्किंग से सम्बन्धित कोई अवैध या अनुचित वसूली नहीं की जा रही है, बल्कि पार्किंग शुल्क नियमानुसार पूर्व निर्धारित दर से लिया जा रहा है। फ्लाइट समय पर होने या लेट होने से इसका किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्किंग चार्ज एक सामान्य व्यवसायिक प्रक्रिया है, जो वाहनों द्वारा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट रोड एवं एयरपोर्ट परिसर के इस्तेमाल करने पर एयरपोर्ट आपरेटर द्वारा चार्ज किया जाता है।

चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ में आने वाले लोगों से स्टैण्ड के नाम पर गलत वसूली की कोई शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लागू नहीं।

मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद में राजकीय महिला शरणालय, मुरादाबाद को नवीन भवन में स्थानान्तरित करने विषयक

139-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि मुरादाबाद मण्डल में राजकीय महिला शरणालय, मुरादाबाद किराये की बिल्डिंग में संचालित है, जोकि वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण

अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय महिला शरणालय के लिए निजी भवन बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

मुरादाबाद मण्डल में राजकीय महिला शरणालय, मुरादाबाद वर्तमान में किराये के भवन में संचालित है।

जी हां।

राजकीय महिला शरणालय, मुरादाबाद के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के गांव बिसाना में पशु चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में

140-श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के गांव-बिसाना में पशु चिकित्सालय की स्थापना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ग-6 नं0 234255, दिनांक 22-12-2020 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रस्तावित ग्राम बिसाना से 07 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय पशु चिकित्सालय सादाबाद संचालित है तथा ग्राम-बिसाना में नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु विभाग के पक्ष में निःशुल्क एवं निर्विवादित भूमि उपलब्ध नहीं है, जबकि विभागीय मानक के अनुसार नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु एक पशु चिकित्सालय से दूसरे पशु चिकित्सालय की दूरी 09 किलोमीटर तथा निःशुल्क/निर्विवादित भूमि होना आवश्यक है। अतः विभागीय मानक पूर्ण न होने के कारण उक्त स्थान पर नवीन पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने का कोई अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा सत्र, 2020-21 में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति करने संबंधी

141-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

वित्तीय वर्ष/शिक्षा सत्र, 2020-21 में योजनान्तर्गत दिनांक 26 जनवरी, 2021 को 21377 पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। छात्रवृत्ति वितरण हेतु संशोधित शासनादेश संख्या-170/2020/3712/26-3-2020-4(215)/90 टी0सी0-III, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 (पूर्वदशम छात्रवृत्ति) एवं संशोधित शासनादेश संख्या-164/2020/3575/26-3-2020-4(358)/90 टी0सी0-III, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसायनी को उच्चीकृत करते हुए एफ0आर0यू0 के रूप में स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या- मु0चि0अ0/एफ0आर0यू0/ उसायनी/2019-20/7619, दिनांक 15-03-2020 एवं प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-क-6 नं0-452529, दिनांक 17-03-2020 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

142-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक फिरोजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसायनी में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एफ0आर0यू0 के रूप में स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या-मु0चि0अ0/एफ0आर0यू0/उसायनी/2019-20/7619, दिनांक 15-03-2020 एवं प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या-क-6 नं0-452529, दिनांक 17-03-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

इस सम्बन्ध में महानिदेशक से आख्या प्राप्त की गयी। यह पाया गया कि जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसायनी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकरण हेतु मानक पूर्ण नहीं कर रहा है। अतएव एफ0आर0यू0 बनाना सम्भव नहीं है, क्योंकि एफ0आर0यू0 के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का होना आवश्यक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में 108 एवं 102 एम्बुलेंस के संचालन तथा निर्धारित मानकों की तुलना में 108 व 102 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने की शिकायतों पर कार्रवाई विषयक

143-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में कितनी 108 एवं 102 एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं तथा निर्धारित मानकों की तुलना में इनका रिस्पाँस टाइम क्या है ? क्या सरकार को फिरोजाबाद में अनेक बार 108 व 102 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त पत्र की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में 108 एम्बुलेंस सेवा की 28 एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं। दिनांक 15-04-2019 को निष्पादित नवीन अनुबन्ध के क्रम में 108 एम्बुलेंस सेवा के द्वितीय चरण का संचालन दिनांक 15-06-2019 से प्रारम्भ हुआ है एवं वर्तमान अनुबन्ध में निर्धारित मानक के अनुसार रिस्पाँस टाइम 15 मिनट का है, जिसकी तुलना में जनपद फिरोजाबाद में शहरी क्षेत्र में रिस्पाँस टाइम 21:12 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्र में रिस्पाँस टाइम 22:13 मिनट है।

जी हां।

108 एम्बुलेंस सेवा हेतु दिनांक 15-06-2019 से प्रारम्भ हुए द्वितीय चरण के लिए निर्धारित मानक के अनुसार रिस्पाँस टाइम 15 मिनट से अधिक होने पर रु0 60/-प्रति मिनट का आर्थिक दण्ड सेवा प्रदाता पर अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में रिस्पाँस टाइम में विलम्ब होने पर उपरोक्तानुसार आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राइवेट क्लीनिक/नर्सिंग होम के डॉक्टर की परामर्श शुल्क को निर्धारित करने के लिए नीति बनाने विषयक

144-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित प्राइवेट क्लीनिक/नर्सिंग होम के डॉक्टर के परामर्श शुल्क को निर्धारित करने के लिए सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइवेट चिकित्सा इकाइयां नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 से आच्छादित हैं, जिसमें अधिकतम दरों के निर्धारण हेतु मानक निर्धारित नहीं है। प्राइवेट चिकित्सा इकाइयां दरों का निर्धारण उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की गुणवत्ता, इकाई की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध विशेषज्ञों की विशेषज्ञता, अनुभव आदि के आधार पर अपने स्तर से निर्धारित करती हैं, जिसमें एकरूपता लाना सम्भव नहीं है।

जिला चिकित्सालय, मऊ में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती किये जाने विषयक

145-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, मऊ में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती न होने से जनमानस को समुचित स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में जिला चिकित्सालय, मऊ में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-59/2020/3008/सेक-2-पांच-2020, दिनांक 29-10-2020 द्वारा डॉ0 नवीन कुमार सिंह (वरि0 क्र0-10956, रेडियोलॉजिस्ट), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया को स्थानान्तरित करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता (रेडियोलॉजिस्ट), जिला चिकित्सालय, मऊ के पद पर तैनात किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रक्तदान करने वाली संस्थाओं हेतु बजट स्वीकृत करने विषयक

146-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रक्तदान करने वाली संस्थाओं के प्रचार-प्रसार एवं रक्तदाता को रक्तदान के समय पर खान-पान हेतु बजट स्वीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 'नाको', भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के माध्यम से प्रदेश के नाको सहायतित राजकीय रक्तकोषों में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं के सूक्ष्म जलपान हेतु प्रति रक्तदाता रु0 25/- तथा रक्तकोषों को प्रति रक्तदान शिविर हेतु रु0 2500/- बजट आवंटित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में प्राइवेट संस्था द्वारा बनवाये गये सेंटरों पर मानकानुरूप सीमेंट, सरिया न लगे होने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

147-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में करीब 25-25 वेलनेस सेन्टर जो पैक्सपैड संस्था द्वारा बनवाये गये हैं, में मानक के अनुरूप सीमेंट, सरिया नहीं लगी है तथा पीला ईंटा से भवन का निर्माण कराने से दीवारें चटकीं तथा छतों से बरसात में पानी टपकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की तहसीलों में बने अरुण सेंटरों पर मरीजों व स्टाफ हेतु व्यवस्था किये जाने विषयक

148-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के सभी तहसीलों में बने अरुण सेंटर बन्द रहने, मरीजों को बैठने तथा पानी की व्यवस्था न होने, स्टाफ की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-06-2020 का मुख्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्रेषित पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

अर्बन सेन्टर तिलहर नगर से सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ है।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी की जांच आख्या दिनाक 18-02-2021 के अनुसार उक्त सेन्टर तिलहर नगर के मुहल्ला पचासा में किराये के भवन में चल रहा है। इसमें मरीजों को बैठने एवं पानी पीने की समुचित व्यवस्था है तथा अर्बन सेन्टर का कोई भी स्टाफ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर पर सम्बद्ध नहीं है। समस्त स्टाफ अर्बन सेन्टर, तिलहर पर ही कार्यरत है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों को चिकित्सा सुविधा मिल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के एरच कस्बे में होलिकोत्सव आयोजन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने विषयक

149-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के एरच कस्बे में श्री भक्त प्रह्लाद जी की नगरी एरच में होलिकोत्सव के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6-759825, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

जी हां।

दिनांक 26 से 28 मार्च 2021 के मध्य आयोजित होने वाले एरच महोत्सव में आयोजित होने वाले होली महोत्सव के अवसर पर प्रचार-प्रसार हेतु पर्यटन विभाग द्वारा जिलाधिकारी, झांसी को रु0 5.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। स्थानीय स्तर पर उक्त महोत्सव में उप निदेशक, पर्यटन, झांसी द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम पंचायत भानपुर में कोरोना मरीजों को मानकानुसार खाद्य सामग्री दिये जाने विषयक

150-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम पंचायत भानपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आश्रम पद्धति विद्यालय में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निर्धारित मानक के अनुसार खान-पान की व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार एल-2 सेन्टर भानपुर में भर्ती मरीजों को मानक के अनुसार खाद्य सामग्री की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम पंचायत भानपुर में आश्रम पद्धति विद्यालय में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता था। वह क्वारन्टाइन सेन्टर के रूप में संचालित था, जिसके खान-पान व अन्य व्यवस्था की देख-भाल करने हेतु जिला प्रशासन की तरफ से प्रभारी की नियुक्ति की गई थी। क्वारन्टाइन किये गये व्यक्तियों की खान-पान व अन्य सुविधाएं मानक के अनुसार थीं।

ग्राम पंचायत भानपुर में एल-2 सेन्टर नहीं बना था। क्वारन्टाइन सेन्टर में खान-पान व अन्य सुविधाएं मानक के अनुसार थीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में स्वीकृत आंगनबाड़ी के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि मुक्त कराने के सम्बन्ध में

151-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में महिलाओं के प्रसव आदि की सुविधा हेतु वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 18 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रति केन्द्र 1-1 लाख रुपये की प्रथम किस्त के बाद दूसरी किस्त न जारी करने के कारण निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि निर्गत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 18 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 30-03-2017 द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि केन्द्रांश के रूप में रु0 40.61 लाख अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रु0 27.07 लाख शामिल करते हुए प्रथम किस्त की धनराशि रु0 67.68 लाख दिनांक 11-10-2017 को कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण संघ लिमिटेड को हस्तान्तरित की गयी।

जी हां।

प्रथम किस्त की धनराशि रु0 67.68 लाख के उपभोग प्रमाण-पत्र शासन के पत्र दिनांक 05-01-2021 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं, किन्तु द्वितीय किस्त की धनरशि अभी तक अप्राप्त है। धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष धनराशि निर्गत की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध सुहागपुर, धामपुर, जिला बिजनौर सहित आयुवेर्दिक कालेजों से उत्तीर्ण आयुर्वेद शास्त्री उपाधिधारकों का पंजीकरण कराने विषयक

152-श्री लालजी वर्मा -

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 से सम्बद्ध सुहागपुर, धामपुर, जिला बिजनौर सहित विभिन्न आयुर्वेदिक कालेजों से उत्तीर्ण आयुर्वेद शास्त्री उपाधिधारकों का उ0प्र0 आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण नहीं किया जा रहा

है ? क्या सरकार उक्त आयुर्वेद शास्त्री उपाधिधारकों का आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण करायेगी ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 से सम्बद्ध सुहागपुर, धामपुर, जिला बिजनौर सहित विभिन्न आयुर्वेदिक कालेज एवं उनके द्वारा प्रदत्त अर्हता आयुर्वेद शास्त्री उपाधि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में मान्य संस्था/अर्हता के रूप में सम्मिलित नहीं है।

क्या सरकार उक्त आयुर्वेद शास्त्री उपाधिधारकों का आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण करायेगी ?

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तलाकशुदा एवं 35 वर्ष से अधिक आयु की एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में

153-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तलाकशुदा और 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की एकल महिलाओं को मासिक पेंशन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी नहीं।

किन्तु अवगत कराना है कि तीन तलाक प्रथा से पीड़ित महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में महिला कल्याण विभाग में कार्रवाई विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में समस्त विधवा निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में

154-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत 30 अक्टूबर 2020 तक पति की मृत्यु के उपरान्त कितनी निराश्रित महिलाएं थीं तथा इनमें से कितनी महिलाओं को पेंशन दी जा रही ? क्या सरकार शेष पात्र निराश्रित महिलाओं को भी पेंशन देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत 30 अक्टूबर, 2020 तक पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु कुल 9188 आवेदन प्राप्त हुए थे। विहित प्रक्रिया की पूर्ति के उपरान्त उक्त में से 9125 लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की जा रही है।

जी हां।

प्रत्येक आवेदक द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना का आवेदन करने की तिथि से 04 माह के अन्दर पात्रता की श्रेणी में होने पर पेंशन का भुगतान कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपने ठेकेदार की निविदा को स्वीकार करने विषयक

155-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बस्ती में गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लस (जी0ई0एम0) के माध्यम से जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग से मानव शक्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 7 अगस्त, 2020 को निकाली गई निविदा में पारदर्शिता हेतु भारत सरकार द्वारा जेम पोर्टल पर आपत्ति लिये जाने का गाइड लाइन किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती द्वारा जेम पोर्टल पर आई आपत्तियों को निरस्त कर अपने पूर्व के चहेते ठेकेदार को मानव शक्ति आपूर्ति किये जाने के निविदा को स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-सम्भल (बहजोई) के बहापुर पट्टी स्थित पोस्टमार्टम हाउस में लाशों की उचित रखरखाव सम्बन्धी

156-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-सम्भल (बहजोई) के बहापुर पट्टी स्थित पोस्टमार्टम हाउस पर दिनांक 02-11-2020 को किसी जानवर द्वारा चार

साला मासूम की लाश का चेहरा नोचने की घटना की जानकारी सरकार को है ? क्या सरकार प्रदेश के पोस्टमार्टम हाउसों में लाशों के उचित रखरखाव एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हाँ।

शासनादेश दिनांक 31-07-2007 एवं फोरेंसिक मेडिसिन में निहित प्राविधानों के अनुसार शव विच्छेदन का कार्य सम्पदित किया जाता है। प्रदेश के सभी जनपदों में पोस्टमार्टम हाउस में आने वाले शवों का उसी दिन सूर्यास्त से पूर्व दिन के प्रकाश में पोस्टमार्टम किये जाने का प्राविधान है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी की अनुमति से सूर्यास्त के पश्चात्, समुचित कृत्रिम प्रकाश में पोस्टमार्टम किये जाने के प्राविधान के अन्तर्गत समुचित व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील तिलहर व जलालाबाद सदर के खाद्य निरीक्षकों के द्वारा किये भ्रष्टाचार की जांच व कार्रवाई विषयक

157-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18152190066634 जो जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर तथा जलालाबाद सदर के खाद्य निरीक्षकों के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत, आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18152190066634 के माध्यम से श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस', मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-147286, दिनांक 08-07-2019 पोर्टल पर दिनांक 10-07-2019 को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अभिहित अधिकारी, शाहजहांपुर को प्रकरण में जांचोपरान्त आख्या हेतु निर्देशित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18152190055466, 18152190055460, 18206190023558, 18152190022809, 18152190025565 एवं 18152190025560 के माध्यम से मा0 सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र संख्या-147213, दिनांक 13-02-2019 तथा पत्र संख्या-080876, दिनांक 13-06-2019 पूर्व में प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 तथा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा तत्कालीन अभिहित

अधिकारी को जांच कर आख्या देने हेतु निर्देशित किया गया था। तदनुक्रम में अभिहित अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांचोपरान्त आख्या, पत्र संख्या-768/एफ0एस0डी0ए0/जांच/2019-20, दिनांक 20-04-2019 तथा पत्र संख्या-814/एफ0एस0डी0ए0/जांच/2019-20, दिनांक 11-07-2019 द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 को प्रेषित की गयी थी। उक्त आख्या में प्रश्नगत शिकायतों/आरोपों को पुष्ट/सिद्ध नहीं पाया गया था, तथापि प्रकरण में आख्या प्राप्त होने से पूर्व ही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित कार्मिक श्री शम्भू दयाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तिलहर, शाहजहांपुर को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 30-06-2019 द्वारा जनपद शाहजहांपुर से बदायूं स्थानान्तरित कर दिया गया था, जिसके क्रम में उन्हें दिनांक 12-07-2019 को जनपद शाहजहांपुर से कार्यमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को चिन्हित कराते हुए पात्र लाभार्थियों को कुष्ठावस्था पेंशन प्रदान कराये जाने विषयक

158-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने कुष्ठ रोगी हैं ? क्या सरकार एक सघन अभियान चलाते हुए कुष्ठ रोगियों को चिन्हित कराते हुए पात्र लाभार्थियों को कुष्ठावस्था पेंशन प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रदेश के परिधिगत जनपदों में माह जनवरी, 2021 तक 8091 रोगी पंजीकृत हैं।

कुष्ठ रोगियों को चिन्हित कर उपचार भी प्रदान किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील तिलहर व जलालाबाद सदर के खाद्य निरीक्षकों के द्वारा किये भ्रष्टाचार की जांच व कार्रवाई विषयक

159-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जनपद शाहजहांपुर के अभिहित अधिकारी तथा तहसील जलालाबाद, तिलहर, सदर के खाद्य निरीक्षकों के द्वारा की जा रही अवैध वसूली के विरुद्ध था, मुख्य मंत्री को दिनांक 10-07-2020 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(12:24) नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें 23 मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई हैं :-

पहली सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर स्थित मुक्ताकाशी रंगमंच में सुविधाओं के अभाव के बावजूद गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से रु0 29500/- दिन का किराया तय कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बदायूं अन्तर्गत बदायूं-दातागंज रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री काली प्रसाद की जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर अन्तर्गत ग्राम भागलपुर एवं जिरासो के बीच में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत डींगरा जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करके इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के नगर पंचायत किशनपुर द्वारा सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत एवं नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायती सीमा के बाहर ग्राम निर्माण कार्य कराये गये भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत ग्राम डभौरा सिमरा खादर में राजकीय नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती अर्चना पाण्डेय की जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ अन्तर्गत 35 ग्रामों के अभिलेख जल के राख हो जाने से कोई अभिलेख अभी तक न उपलब्ध कराये जाने के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली में आर0बी0एस0के0 अन्तर्गत ए0एन0एम0 के संविदा भर्ती को निरस्त कर पुनः भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की उ0प्र0 में विद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत लघु एवं मध्यम वर्गीय किसानों, छोटे व्यापारियों का जिला सहकारी बैंक, सहकारी बैंक व सहारा बैंक ऑफ इण्डिया में जमा धनराशि की निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में है,

बारहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत नहर पटरी मार्ग जोकि सलेमपुर, डिहवां वाया ओड़सरा होते हुए नगरा सिकन्दरपुर मार्ग में मिलता है, का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री फतेह बहादुर की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र कैम्पियरगंज अन्तर्गत ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री मौहम्मद फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद, सम्भल, गोण्डा एवं गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व नवीन परिसीमन/पुनर्गठन के अनुसार वार्डवार जातिगत त्वरित सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौंद अन्तर्गत ग्राम जुगराजपुर में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल, मलिहाबाद तथा काकोरी में एक-एक राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद अन्तर्गत ग्राम बगुली से कमालपुर मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की प्रदेश में समाचार-पत्र वितरकों के लिए सुविधा/पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री संजीव कुमार की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुगैल में राजकीय महिला इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत पीली नदी पर कतिपय ग्रामों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की उ0प्र0 में वृद्ध आश्रय स्थल घोटाला के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत करने एवं निःशुल्क भवन वृद्ध आश्रय स्थल संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के तहसील बांगरमऊ में स्थित जनता इण्टर कालेज, राजेपुर अन्तर्गत सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा तेइसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ अन्तर्गत ग्राम बरहरा से ग्राम कटौरा, दांदो एवं बुढ़ी के मध्य सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री गंगा, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री सुभाष पासी, श्री मसूद अख्तर, श्री लकी यादव, श्री रामअचल राजभर, श्री आजाद अरिमर्दन, डॉ0 हरगोविन्द भार्गव, श्री असलम अली तथा श्री बम्बा लाल।

गोरखपुर स्थित मुक्ताकाशी रंगमंच में सुविधाओं के अभाव के बावजूद गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से रु0 29500/- दिन का किराया तय कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, गोरखपुर में रायगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत मुक्ताकाशी रंगमंच का संचालन गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू कर दिया गया है और एक आवेदक सत्य सारथी सोसाइटी से पत्रांक-448/रस-सम्पत्ति/गो0वि0प्रा0/2020-21, दिनांक 22-02-2021 के द्वारा प्राधिकरण ने एक दिन के संचालन के लिये कुल रु0 29500/- की मांग की गयी है।

दिनांक 28 फरवरी को हमने मुक्ताकाशी रंगमंच का निरीक्षण किया। यह देखकर मैं दंग रह गया कि स्थाई निर्माण के अलावा कला-मंचन तथा उसकी तैयारी की दृष्टि से वहां सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी निहायत अनुभवहीन व्यक्ति ने इसको अन्तिम रूप दिया है।

मुक्ताकाशी रंगमंच की कोई फर्निशिंग नहीं की गयी है। कलाकारों के तैयार होने वाले ग्रीन रूम में कमरे की चार दीवारों के अलावा कोई सुविधा ही नहीं है। शीशे, कुर्सियां, ड्रेसिंग टेबिल की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मंच के लिए साइड विंग्स, अनुकूल लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। अज्ञानता के कारण आरकेस्ट्रा लाइट लगवाई गई है। वहां बनवाए गए 2 गेस्ट रूम में एक भी फर्नीचर नहीं है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जेनरेटर तक की व्यवस्था नहीं है।

लखनऊ स्थित भारतेन्दु नाट्य अकादमी अपने मंचन हाल का 7000/- प्रतिदिन, सर्व सुविधाओं से युक्त रविन्द्रालय रु0 4000/- प्रतिदिन, राय उमानाथ वली आडिटोरियम में रु0 4000/- प्रतिदिन, संगीत नाटक अकादमी के छोटे हाल का रु0 5000/- प्रतिदिन तथा प्रयागराज के उत्तर मध्य सांस्कृतिक केन्द्र का रु0 6000/- प्रतिदिन का किराया लिया जाता है।

लेकिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस सुविधा-विहीन रंगमंच का किराया रु0 25000+4500=29500/- प्रतिदिन तय किया है। यह बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय है और वास्तव में सांस्कृतिक कर्म की ब्यूरोक्रेटिक हत्या है। इससे कोई भी कलाकार इस मंच का उपयोग ही नहीं करेगा।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित विषय को नियम-301 के तहत कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र बदायूं अन्तर्गत बदायूं-दातागंज रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं के अन्तर्गत बदायूं-दातागंज रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज न हेने के कारण रेलवे क्रासिंग बन्द होने के कारण घण्टों जाम लग जाता है, जिससे आम जनमानस को अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में देरी होती है। यह रेलवे क्रासिंग बहुत महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। यातायात का दबाव अधिक होने के कारण इस मार्ग से आने-जाने वाले स्कूली बच्चे, मरीज, नौकरी करने वाले लोग समय से अपने स्कूल, अस्पताल, कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। जनहित में इस मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बदायूं-दातागंज रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर के अन्तर्गत ग्राम भागलपुर एवं जिरासो के बीच में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली प्रसाद-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर, जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर के भागलपुर गांव एवं जिरासो के बीच में एक विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 7-8 कि0मी0 की दूरी पर स्थित कुन्डौली सब-स्टेशन से सप्लाई होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या से किसानों की सिंचाई, छात्रों की पढ़ाई आदि प्रभावित हो रही है। अत्यधिक दूरी से सप्लाई होने से विद्युत फाल्ट एवं तार टूटने की घटना होने पर समय पर ठीक नहीं हो पाती है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। विद्युत फाल्ट ढूढने में भी समय अधिक लगने के कारण विद्युत सुचारु रूप से नहीं हो पाती है। जनहित में भागलपुर गांव एवं जिरासो के बीच विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास खण्ड भागलपुर के भागलपुर गांव एवं जिरासो के बीच में एक विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद इटावा में विधान सभा क्षेत्र भरथना अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र भरथना, जनपद इटावा के भरथना ब्लाक अन्तर्गत बहुत से ऐसे कच्चे मार्ग हैं जिन पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण आवागमन में काफी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्राम बिरौधी में ढकेलू केवट के घर से बांकेलाल दोहरे के घर तक एवं लाल बिहारी बाथम के घर से सुभाष केवट के घर तक, ग्राम पाली खुर्द में नाले की पुलिया से चन्द्रकेशर दुबे के अड्डे तक, ग्राम मुगुलपुर नरैनी से कल्याणपुर महाने तक, ग्राम गोढ़ी में अशर्फी लाल बाथम के घर से राजेश शाक्य के घर तक एवं राम सिंह जादौन के घर से बीरेन्द्र सिंह के घर तक, ग्राम बिरौधी में मेन रोड बाजार से अनूप कठेरिया के घर होते हुए काशीराम बहेलिया के घर होते हुए मेन डामर रोड तक, भरथना उसराहार रोड ग्राम अट्ठाइसा तक, बाराहार स्कूल से सन्तोष चौहान के घर तक, थारी से सान्हो रोड तक, वीरेन्द्र के घर से पीपू शुक्ला के घर तक, भरथना उसराहार रोड सैंफी सम्पर्क मार्ग, रमायन गांव से नगला पय गांव तक, बरीपुरा से गरैबरहो तक, पाली बम्मा से देवीदयाल के घर तक, डॉ0 बरबारी लाल के मकान से रामार के घर तक मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद अमरोहा में विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत डींगरा जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करके इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा अन्तर्गत डींगरा में एक जूनियर हाई स्कूल है। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर कोई भी इण्टर कालेज न होने के कारण छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण गरीब छात्र-छात्राएं इण्टर की शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। इस विद्यालय के उच्चीकरण हेतु पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। क्षेत्र की जनता इण्टर छात्र-छात्राओं की इण्टर की शिक्षा हेतु इस विद्यालय को उच्चीकृत किये जाने हेतु काफी समय से मांग कर रही है। परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए डींगरा जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टर कालेज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के नगर पंचायत किशनपुर द्वारा सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत एवं नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायती सीमा के बाहर ग्राम निर्माण कार्य में किये गये भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, नगर पंचायत किशनपुर, जनपद फतेहपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 24 लाख 82 हजार रुपये बिना विद्युत विभाग की अनुमति के ग्राम रामपुर प्रथम में उपयोग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया, जो पंचायत की सीमा के बाहर है और बिना विहित प्राधिकारी के अनुमति के नगर पंचायत के बाहर खर्च किया गया। इसी प्रकार से नगर के बाहर पम्प नं0-03 की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं अस्पताल की भूमि में 180 मीटर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया। इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक बहुत से कार्य नगर पंचायत की धनराशि से उसके सीमा से बाहर कराकर धन दुरुपयोग किया गया है, जो जांच का विषय है। इस प्रकार से नगर पंचायत का पैसा सीमा से बाहर उपयोग किये जाने से नगर पंचायत का विकास प्रभावित हुआ है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर पंचायत किशनपुर, जनपद फतेहपुर की सीमा से बाहर कराये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत ग्राम डभौरा सिमरा खादर में राजकीय नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड तिलहर के ग्राम डभौरा सिमरा खादर में राजकीय नलकूप की स्थापना न होने से कृषकों को अपनी फसल की सिंचाई करने में बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। समय से उनकी फसलें सिंचाई न होने से प्रत्येक वर्ष नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि उक्त गांव में एक राजकीय नलकूप की स्थापना हो जाती है तो किसानों को बहुत बड़ी सुविधा होगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ अन्तर्गत 35 ग्रामों के अभिलेख जल के राख हो जाने से कोई अभिलेख अभी तक न उपलब्ध कराये जाने के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के 35 ग्रामों के अभिलेख 1990 में चकबन्दी प्रक्रिया के समय आग लगने के कारण जल गये थे, जिसके कारण भी अब तक उक्त ग्रामों के किसानों को अभिलेखों के अभाव में कोई सरकारी सहायता एवं ऋण आदि नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में उक्त ग्रामों में पुनः चकबन्दी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। चकबन्दी प्रक्रिया समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु 04 चकबन्दी अधिकारी, 08 सहायक चकबन्दी अधिकारी, 10 चकबन्दीकर्ता, 24 लेखपाल, 02 वरिष्ठ सहायक,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

08 कनिष्ठ सहायक, 20 चपरासी, 02 सहायक आयतीकरण अधिकारी, 04 आयतकर्ता, 04 सारणीयक एवं 08 चैनमैन की तैनाती करते हुए समयबद्ध सीमा में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराकर 35 ग्रामों के किसानों के अभिलेखों को तैयार कराकर उन्हें उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद चन्दौली में आर0बी0एस0के0 अन्तर्गत ए0एन0एम0 के संविदा भर्ती को निरस्त कर पुनः भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद चन्दैली में आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में संविदा द्वारा की गयी ए0एन0एम0 की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आधार पर भर्ती कर दिये जबकि आर0बी0एस0के0 जिले के नोडल अधिकारी को कमेटी में नहीं रखा गया। अल्पसंख्यक कोटे के डॉक्टर के स्थान पर सीनियर डॉक्टर के स्थान पर जूनियर डॉक्टर को रखा गया। साथ ही साथ आरक्षण का भी पालन सही ढंग से नहीं किया गया। इस प्रकार उपर्युक्त संविदा भर्ती को निरस्त करते हुए पुनः संविदा भर्ती किया जाना न्याय संगत होगा।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

उ0प्र0 में विद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति वर्ष 2015 के बाद प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के हजारों पद रिक्त हैं। बड़ी संख्या में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक ही अध्यापक कार्यरत है। कुछ जूनियर विद्यालय अनुदेशकों के सहारे चल रहे हैं। उपरोक्त विद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों के सापेक्ष रिक्त प्रधानाध्यापकों एवं सहायकों के पदों पर प्रोन्नति किया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त चल रहे प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के पदों पर प्रोन्नति किये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत लघु एवं मध्यमवर्गीय किसानों, छोटे व्यापारियों का जिला सहकारी बैंक, सहकारी बैंक व सहारा बैंक ऑफ इण्डिया में जमा धनराशि की निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, जनपद बस्ती के मेरे विधान सभा क्षेत्र रुधौली के लगभग हजारों लघु एवं मध्यमवर्गीय किसानों, छोटे व्यापारियों व मेहनतकश मजदूरों का पैसा जिला सहकारी बैंक व सहारा बैंक ऑफ इण्डिया में जमा किया गया है। अधिकांश उपभोक्ताओं के द्वारा एफ0डी0 भी कराया गया है जिसकी अवधि भी पूरी हो चुकी है, परन्तु सहारा बैंक के द्वारा उपभोक्ताओं की जमा धनराशि का भुगतान न हो पाने की स्थिति में लघु एवं कुटीर उद्योग से जीवन-यापन करने वाले तथा मेहनतकश मजदूरों को अपनी आवश्यकता पर समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है। आपातकालीन स्थितियों के लिए एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों के द्वारा पैसा बैंकों में जमा किया गया है ताकि समय से उनका पैसा वापस मिल सके। परन्तु सहारा बैंक में किसानों एवं लघु उद्यमियों, मजदूरों के द्वारा जमा धनराशि बिना उनके सहमति के अन्य योजनाओं में जमा करके शोषण किया जा रहा है। यही स्थिति जिला सहकारी बैंक के उपभोक्ताओं की भी है जिसमें किसानों, मजदूरों, व्यापारियों की जमा धनराशि समय से वापस नहीं हो पा रही है। जमाकर्ता बार-बार बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं। बैंक कर्मियों के द्वारा झूठे आश्वासन दिये जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता बहुत ही आक्रोशित हैं। प्रकरण जनहित से जुड़ा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत नहर पटरी मार्ग जोकि सलेमपुर, डिहवां वाया ओड़सरा होते हुए नगरा-सिकन्दरपुर मार्ग में मिलता है, का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत एक नहर पटरी मार्ग सलेमपुर, डिहवां वाया ओड़सरा होते हुए नगरा-सिकन्दरपुर मार्ग में जाकर मिलती है, अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण इस मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं कारित हो रही हैं। चूंकि यह नहर पटरी मार्ग कई गांवों में आने-जाने हेतु प्रमुख मार्ग है। इसलिए इस जर्जर एवं ध्वस्त हो चुके मार्ग को जनहित में बनाया जाना अति आवश्यक है, जिससे जनता को सुलभ आवागमन उपलब्ध हो सके।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नहर पटरी मार्ग जोकि सलेमपुर, डिहवां वाया ओड़सरा होते हुए नगरा-सिकन्दरपुर मार्ग में जाकर मिलता है, उसे जनहित में अविलम्ब बनवाये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र कैम्पियरगंज अन्तर्गत ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फतेह बहादुर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग के 10 कि0मी0 की परिधि में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना आवश्यक है। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण लगभग 30,000 की क्षेत्रीय आबादी समुचित चिकित्सा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाती है। जनहित में ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद, सम्भल, गोण्डा एवं गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व नवीन परिसीमन/पुनर्गठन के अनुसार वार्डवार जातिगत त्वरित सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जिला मुरादाबाद, सम्भल, गोण्डा एवं गौतमबुद्ध नगर में त्रिस्तरीय पंचायतों का अवशेष पुनर्गठन/परिसीमन कार्रवाई-2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार हाल में सम्पन्न हो गया है, परन्तु अभी तक उत्तर प्रदेश पंचायत (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या का अवधारण और प्रकाशन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या का अवधारण और प्रकाशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 के प्राविधानों के अनुसार पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों और नागरिकों की संख्या का अवधारण और प्रकाशन करने हेतु त्वरित सर्वेक्षण (रैपिड सर्वे) के कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। उक्त चारों जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के नवीन परिसीमन/पुनर्गठन के अनुसार चुनाव पूर्व त्वरित सर्वेक्षण कराये बगैर वर्ष 2015 में हुए पुराने सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों का त्रुटिहीन आरक्षण कार्य सम्पन्न होना असम्भव है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व या जनहित के उपरोक्त विषय में सरकार से तुरन्त संज्ञान लेकर समस्याग्रस्त उपरोक्त चारों जिलों में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व नवीन परिसीमन/पुनर्गठन के अनुसार वार्डवार जातिगत त्वरित सर्वेक्षण कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की मांग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौंद अन्तर्गत ग्राम जुगराजपुर में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[महोदय, 220, कालपी विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम जुगराजपुर में कन्या इण्टर कालेज न होने के कारण ग्रामीण अपनी बालिकाओं को शिक्षा हेतु ग्राम के बाहर नहीं भेजते हैं, जिससे बालिकाओं की प्रतिभा सामने नहीं आ पा रही है।

अतः जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम जुगराजपुर में एक कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराने का कष्ट करें, जिससे छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो जायेगा।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल, मलिहाबाद तथा काकोरी में एक-एक राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[महोदय, सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद उच्च शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा है। विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजकीय डिग्री कालेज व विश्वविद्यालय नहीं है। विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड माल, काकोरी, मलिहाबाद में छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की समस्याओं को देखते हुए जनहित तथा लोकहित में प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक डिग्री कालेज जनहित में बनाया जाना अति आवश्यक है, जिससे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा उनके विकास खण्ड में प्राप्त हो सके, उच्च शिक्षा के लिए शहर न जाना पड़े। विकास की दृष्टि से भी मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। विज्ञान, वाणिज्य और कला की संयुक्त मान्यता के साथ राजकीय डिग्री कालेज बना कर क्षेत्र की उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु जनहित में प्रयास किया जाय। मेरे द्वारा जनता की मांग को सदन में कई बार रखा गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः सदन के माध्यम से पुनः अनुरोध करना चाहती हूँ कि विकास खण्ड माल, मलिहाबाद तथा काकोरी में प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक राजकीय डिग्री कालेज बनवाने का कष्ट करें। मैं सदन की आभारी रहूँगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गत ग्राम बगुली से कमालपुर मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय-

[महोदय, कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिला हाथरस के मेरे विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गम ग्राम बगुली से कमालपुर मार्ग तक लम्बाई लगभग 2.5 कि0मी0 सड़क अत्यधिक जर्जर/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उक्त सड़क पर कई ग्राम पंचायतें पड़ती हैं एवं उक्त क्षतिग्रस्त सड़क से हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। क्षतिग्रस्त सड़क होने से आयेदिन राहगीरों के साथ मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्चाधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है। मेरे द्वारा स्वयं भी कई बार सरकार से क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में समाचार-पत्र वितरकों के लिए सुविधा/पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। समाज में प्रिंट मीडिया का अपना अलग ही महत्व है। सोशल मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया से भी पहले प्रिंट मीडिया ही ऐतिहासिक मीडिया है, जिसका आजादी की लड़ाई से अब तक सामाजिक जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान है। समाचार-पत्र मालिक व पत्रकारों के लिए सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इन पत्रों को हर मौसम, हर परिस्थिति में, यहां तक कि युद्ध व दंगे के बीच भी हर घर तक पहुंचाने वाले समाचार-पत्र वितरकों का कोई पुरसाहाल नहीं है। जबकि समाज की मेहनतकश, स्वाभिमानी इस कमजोर कड़ी को भी सरकारी सुविधाएं, मेडिकल, पेंशन आदि मिलना चाहिए।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समाचार, पत्र वितरकों को सरकारी सुविधाएं, पेंशन आदि दिये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुगैल में राजकीय महिला इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव कुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र ओबरा, जनपद सोनभद्र, विकास खण्ड चोपन अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुगैल के आस-पास 20 कि0मी0 की परिधि में कोई राजकीय महिला इण्टर कालेज नहीं है, जिससे इस क्षेत्र की गरीब छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रही हैं। अत्यधिक दूरी पर इण्टर कालेज होने के कारण दूर जाने में असमर्थता के कारण गरीब छात्राओं का भविष्य शिक्षा के अभाव में अन्धकारमय हो रहा है। जनहित में ग्राम पंचायत जुगैल में राजकीय महिला इण्टर कालेज खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुगैल में राजकीय महिला इण्टर कालेज खोले जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत पीली नदी पर कतिपय ग्रामों में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर विधान सभा के अन्तर्गत पीली नदी पर ग्राम रारीकला में पुल/रपटापुल, ग्राम लवकरिया दाऊदपुर-दुगौली खुर्द के मध्य पुल, ग्राम दुगौली कला पर पुल, ग्राम बहूर-कवेली के मध्य पुल, ग्राम एकडला-नाभीपुर के मध्य पुल, ग्राम डेहुणा-भुला के मध्य पुल का निर्माण, अभारी-बनवाहा नाले पर पुल का निर्माण, मनिकापुर में बकहवा के नार पर पुल का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इन सभी पुलों के निर्माण होने से लगभग सैंकड़ों गांव लाभान्वित होंगे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

उ0प्र0 में वृद्ध आश्रय स्थल घोटाले के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत करने एवं निःशुल्क भवन वृद्ध आश्रय स्थल संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि उ0प्र0 में 75 वृद्ध आश्रय स्थल शासन द्वारा वित्तीय सहयोग से संचालित हैं। इन वृद्ध आश्रय स्थलों का संचालन सोसाइटीज एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं (एन0जी0ओ0) द्वारा किया जा रहा है। एक-एक स्वैच्छिक संस्था एक से भी कहीं अधिक वृद्ध आश्रय स्थल संचालित कर रही हैं। एक-एक व्यक्ति की एक से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकाधिक स्वैच्छिक संस्थाएं पंजीकृत हैं, जोकि वृद्ध आश्रय स्थल संचालित कर रही हैं। जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित परिक्षेत्र गोवल पतीपुरा में एक वृद्ध आश्रय स्थल संचालित है, जिसका भवन का किराया 25 हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। इतना ही मासिक किराया भवन के स्वामी द्वारा लिया जाना स्वीकार किया गया है। वृद्धों की संख्या उप जिलाधिकारी, बीसलपुर के निरीक्षण के समय 32 तथा जिलाधिकारी, पीलीभीत के निरीक्षण के समय मात्र 26 पायी गयी, जबकि निःशुल्क भवन नगर बीसलपुर की सीमा के अन्दर विधान मण्डल क्षेत्र, विकास निधि से निर्मित भवन की उपलब्धता है, जिसमें वृद्ध आश्रय स्थल संचालन निःशुल्क किये जाने का आग्रह किया जा रहा है। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वृद्ध आश्रय स्थलों के संचालन में भारी घोटाला है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा वृद्ध आश्रय स्थल घोटाला के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराकर प्रदत्त निःशुल्क भवन वृद्ध आश्रय स्थल में संचालन कराने की कृपा की जाये।]

जनपद उन्नाव के तहसील बांगरमऊ में स्थित जनता इण्टर कालेज, राजेपुर अन्तर्गत सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद उन्नाव के तहसील बांगरमऊ में स्थित जनता इण्टर कालेज, राजेपुर में आज तक आयोग द्वारा प्रधानाचार्य नियुक्त नहीं किया गया है और न ही मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती है। मात्र कुछ अध्यापकों के सहारे कालेज चल रहा है। यह क्षेत्र काफी पिछड़ा है। माँ गंगा और कल्याणी के बीच मात्र एक इण्टर कालेज है। यह जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए जनता इण्टर कालेज, राजेपुर, बांगरमऊ, उन्नाव में अति शीघ्र सभी पदों पर नियुक्ति की मांग करता हूँ।]

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ अन्तर्गत ग्राम बरहरा से ग्राम-कटौरा, दांदों एवं बुढ़ी के मध्य सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड के जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत ग्राम-बरहरा, जोकि वर्तमान में सड़क मार्ग से जाने पर, जिला मुख्यालय से लगभग 75-80 किलोमीटर दूर है। यद्यपि ग्राम-कदौरा से होकर जाने पर मात्र 50-55 किलोमीटर दूर रह जाता है। अतः ग्राम-बरहरा से ग्राम-कदौरा के मध्य सड़क (लगभग 03 किलोमीटर), ग्राम-बरहरा से ग्राम-दाँदों के मध्य सड़क (लगभग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

03 किलोमीटर) एवं ग्राम-बरहरा से ग्राम-बुढ़ी के मध्य सड़क (लगभग 01 किलोमीटर) का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, जिसके निर्माण के पश्चात् राठ क्षेत्र के लगभग 20 गांवों के लोगों को उक्त समस्या से निजात मिल सकेगा।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर उपरोक्त समस्या के निदान हेतु मैं सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

(12:25) उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2013 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2013 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा-(7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-18-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-18-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम-1975 की धारा-12 की उपधारा-(7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

(इसी मध्य अपरान्ह 12 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

(12:26) उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-11-2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-11-2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम-1975 की धारा-12 की उपधारा-(7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति-पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2016-17†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति-पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2016-17 को दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा-(11) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

(12:27) उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का चौदहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2017-18†

ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का चौदहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2017-18 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार टिप्पणी सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का पन्द्रहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2018-19†

ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का पन्द्रहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2018-19 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार टिप्पणी सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का सोलहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2014-15†

ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का सोलहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2014-15 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार टिप्पणी सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16†

ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार टिप्पणी सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021,

---

† छापा नहीं गया।

जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापा नहीं गया।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-11 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-12। श्री बृजेश कुमार उपस्थित नहीं हैं।

(12:29) श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण के हड़हा बलाई ढोड़ीघाट मार्ग क्षेत्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका तथा

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास के अन्तर्गत ग्राम हाजीपुर गोसा में गेंदेलाल मास्टर के दरवाजे से लवकुश के दरवाजे तक लगभग 400 मी0 मार्ग में इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरिश्चन्द्र रावत, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत फतेपुर चौरासी में मतलबपुर से टिकरेश्वर मन्दिर तक नहर की पटरी पर लगभग 02 कि0मी0 कच्ची सड़क पर

---

† छापा नहीं गया।

डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत मुस्तफाबाद माइनर पर ग्राम सभा रायपुरगढ़ी के निकट पुलिया/कोलाबा सिंचाई विभाग द्वारा पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम अमेठनगढ़ी मजरा मढ़िया तथा ग्राम बिरसिंहपुर के मजरा चितौली में बरातशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज के अन्तर्गत ग्राम शंकरखेड़ा, पोस्ट-परेन्दा में किसानों का सिंचाई हेतु एक राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव के ग्राम आसीवन तरफ, ब्लाक मियाँगंज सिद्धनाथ पंचायत घर से श्री सुन्दर चौरसिया के घर तक लगभग 900 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरवन चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 10 याचिकाएं†

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बरेली के अन्तर्गत अभयपुर रिठौरा मार्ग से लाडपुर होते हुए जटउ पट्टी तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नत्थू लाल गंगवार व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली के अन्तर्गत नगर पंचायत रिठौरा से नदी तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम मैमोर से ठकिया तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मदास मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम बादशाहनगर से जोगीठेर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली के अन्तर्गत न्यूधना से अधकटा ब्रम्हनान तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद बरेली के अन्तर्गत धौरा से सब्जीपुर खाता तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगनलाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद बरेली के अन्तर्गत धौरा से सब्जीपुर खाता मार्ग से बजरिया जागीर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज पाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

8-जनपद बरेली के अन्तर्गत सरनिया से जोगीटेंर होते हुए रूपपुर तक सड़क की मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

9-जनपद बरेली के अन्तर्गत मुड़िया चेतराम की नहर की पुलिया से वीरपुर मकरूका तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेमराज मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका, तथा

10-जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम रिठौरा से भड़सर होते हुए कुंवरपुर बंजरिया तक सड़क की मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री अधिष्ठाता -

श्री कमलेश शुक्ल उपस्थित नहीं हैं।

श्री कमलेश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

1-जनपद देवरिया के विकास खण्ड रामपुर कारखाना में महुआनी से आमघाट पुल तक बिहार बार्डर को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

2-जनपद देवरिया के विकास खण्ड रामपुर कारखाना में डिघवां से ग्राम सभा लाला मुण्डेरा तक एवं भगौतीपुर शिव मन्दिर से पिपराइच तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री दीपक जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

3-जनपद देवरिया के खुखुन्दु को विकास खण्ड घोषित किये जाने विषयक श्री नथुन राय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री अधिष्ठाता -

श्री कैलाश नाथ शुक्ल उपस्थित नहीं हैं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड हरैया सतघरवा के अन्तर्गत मथुरा बाजार में विद्युत उप केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सोनी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड तुलसीपुर के अन्तर्गत तुलसीपुर नगर में खाली पड़े सी0एच0सी0 भवन में महिला अस्पताल संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशुन देव गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड हरैया सतघरवा के अन्तर्गत प्राइमरी सकरी बनकटवा से ग्राम किला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद वाराणसी के ग्राम देवनाथपुर, तहसील पिण्डरा में राजभर बस्ती से सालिक सिंह के मकान से होते हुए डॉ0 विजय नारायण सिंह के मकान तक तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सालिक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

2-जनपद वाराणसी के ग्राम वीरापट्टी, तहसील पिण्डरा में वीरापट्टी रेलवे फाटक से होते हुए ग्राम बझियाँबारी वाया पंचकोशी रोड तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

3-जनपद वाराणसी के ग्राम मवईयां, तहसील सदर में जैन डॉ0 सुरेश चन्द चौबे के घर होते हुए रूपचन्दपुर पोखरे तक पिच रोड का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परमहंस चौबे व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

4-जनपद वाराणसी के ग्राम भोपापुर, तहसील पिण्डरा में मंगरू पटेल के दुकान से उत्तर दिशा के तरफ डॉ0 राजबली पटेल के घर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगरू व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

5-जनपद वाराणसी के ग्राम वार, तहसील पिण्डरा में दुर्गा माता मन्दिर से विवेक त्रिपाठी के घर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारस व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद वाराणसी के ग्राम तेवर, तहसील सदर में तेवर विचालापुर सम्पर्क मार्ग से आलोक सिंह के घर होते हुए अनुसूचित बस्ती तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत हूसेपुरा जागीर से करन खेड़ा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका, तथा

2-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत माधौगढ़ से अमखेड़ा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राघवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा पिढ़वल के अन्तर्गत मेन रोड से कान्ता के ट्यूबवेल तक नाली पटिया एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कान्ता व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

2-जनपद मऊ के विकास खण्ड बड़राँव के अन्तर्गत ग्राम सभा मूजडाढ़ ग्राम सभा के प्रवेश द्वार पर महाराजा सुहेलदेव राजभर स्मृति द्वार बनाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रामानन्द राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

3-जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा खानपुर बुजुर्ग में जामडीह माइनर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

4-जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा पिढ़वल के अन्तर्गत भागीरथी के घर से रामलक्षन के घर तक नाली पटिया एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिनाथ अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका तथा

5-जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा नथनपुरा के अन्तर्गत पिढवल मेन रोड से लालचन्द राजभर के घर होते हुए निराव राजभर के घर तक नाली पटिया

---

† छापी नहीं गयीं।

एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यारे लाल व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका।

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मलासा के ग्राम गौरीकरण बिरमा से सिथरा तक दूरी लगभग 4 कि0मी0 तक सड़क का नव निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

2-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा के ग्राम देवराहट से मुरलीपुर तक दूरी लगभग 1 कि0मी0 तक सड़क का नव निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

3-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा के ग्राम जलालपुर से हरारा तक दूरी लगभग 3 कि0मी0 तक सड़क का नव निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका तथा

4-जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत भोगनीपुर सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत कुरा रजबहा से गोजौनिया पुल से भ्रवानपुर यादव बस्ती तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रमेश पासवान व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

2-जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत डालानगर पंचायत में डाला नई बस्ती, मोती बैगा के घर से राम निहोर गौड़ के घर होते हुए पतेहरा टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण किये जाने विषयक श्री गोविन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

3-जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत किशनपुरवा से केरवां रोड निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैयालाल व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् सोनभद्र में मोहल्ला अम्बेडकरनगर न्यू कालोनी, वार्ड संख्या-9, विकास नगर आदि में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम सोनी व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

5-जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत सिरपालपुर से करारी सम्पर्क मार्ग एवं बेलन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका तथा

6-जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत खड्डुई गांव में नागेश्वर के घर होते हुए प्राथमिक विद्यालय खड्डुई रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर अन्तर्गत सरयू नदी के कैथी घाट पर पीपे के पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 (स्थाई) सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह पिन्टू व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज में ग्राम पंचायत चन्दापुर (बाबा मठिया) में प्राचीन चन्देश्वर नाथ महादेव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महंत मदनमोहन शास्त्री व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज में ग्राम पंचायत हरिहरपुर में मनिकापुर नवाबगंज मार्ग से मफिया होते हुए रमना मोड़ से हरिहरपुर खास तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीना नाथ निषाद व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड नवाबगंज में ग्राम पंचायत परसापुर गोण्डा, अयोध्या मार्ग से गड़रियनपुरवा मनिकापुर मार्ग को जोड़ कर छग्गापुरवा होते हुए हाता गाँव शोभापुर मार्ग तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घारीघाट में रोडवेज डिपो/बस अड्डा नव निर्माण कराये जाने के

---

† छापी नहीं गयीं।

सम्बन्ध में श्री बिन्देश्वर प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 10 याचिकाएं†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में स्थित श्री श्यामवीर बाबा मंदिर से ग्राम मोहनपुरवा होते हुए ग्राम छतरापुर तक लगभग 03 किलोमीटर लम्बाई के सड़क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विमलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम भुड्डा चौराहा से गहर पुरवा तक लगभग 09 कि0मी0 लम्बाई की सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश निषाद व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के हरदोई-उन्नाव मार्ग से कलवारी हयातनगर, चकहनुमान, मंगुखेड़ा, हरईपुर होते हुए सण्डीला, बांगरमऊ मार्ग तक लगभग 20 कि0मी0 के सड़क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण पाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के बल्लापुर से सिरधरपुर होते हुए मुन्नी खेड़ा तक लगभग 14 कि0मी0 लम्बाई के सड़क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलखान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के कलवारी रोड, हसनपुर मजरा चौराहे से खम्भौली तक लगभग 1500 मीटर लम्बाई के सड़क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के बांगरमऊ कस्बा से माढ़ापुर, राजेपुर, बरुवाघाट से हफीजाबाद तक (उन्नाव-हरदोई रोड तक) लगभग 15 कि0मी0 लम्बाई के सड़क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम रोशनाबाद से बछलन खेड़ा सांवल खेड़ा होते हुए जटपुर बेल्थरा (हरदोई) सीमा तक लगभग 03 कि0मी0 लम्बाई के सड़क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसागर पाल व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8-जनपद उन्नाव विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम सुल्तानपुर में संसार ढाबा से रेलवे क्रासिंग तक सड़क लगभग 1 कि0मी0 लम्बाई के सड़क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव विकास खण्ड फतेपुर चौरासी के चौगवाँ रोड से दुर्गा पुरवा रोड तक पुलिया व लगभग 02 कि0मी0 लम्बाई के सड़क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू निषाद व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

10-जनपद उन्नाव विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम रोशनाबाद से अमर शहीद श्री सुरेश पाल शहीद स्मारक ग्राम राजबहादुर खेड़ा तक लगभग 1500 मी0 लम्बाई के सड़क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैयालाल पाल अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बछरावां और शिवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम रानीखेड़ा से मकनीखेड़ा के आगे नाला होते हुए चन्दापुर बंकागढ़ सम्पर्क मार्ग तक क्षतिग्रस्त मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री रामफेर व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के ग्राम निगोही, तहसील तिलहर के निवासी हैं। ग्राम में स्थित गाटा संख्या क्रमशः 962, 957, 969 मि0, 966, 961, 962ख, 969, 970, 971 व 963 चकमार्ग, गाटा संख्या-969ग बंजर सरकारी भूमि पर दबंग भू-माफियाओं द्वारा कब्जा रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सोनपाल व अन्य निवासीगण, जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के ग्राम विक्रमपुर चकौरा तहसील के निवासी हैं। ग्राम में स्थित गाटा संख्या क्रमशः गाटा संख्या-640 मि0 768, 860/917, 873 सुमित जायसवाल पुत्र जगदीश जायसवाल एवं गाटा संख्या-727/2, कंधई लाल पुत्र वीरबल स्थित सरकारी व उपरोक्त निजी काश्तकारों की भूमि पर दबंग भू-माफियाओं द्वारा कब्जा रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्राम चित्तीबोझी, घनश्यामपुर में याची की जमीनों का दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने विषयक श्री हरिपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड कसया के अन्तर्गत देवरिया कसया मार्ग (राज्य मार्ग) पर स्थित बनवारी टोला से एन0एच0-288 तक वाया धुरिया एवं गोपालगढ़ बड़ी नहर की पटरी का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक कुमार गौड़ व अन्य निवासीगण, जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित मानी गयी।

श्री शीतल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री शीतल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1- मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर में विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत आमी नदी के दोनों तटबन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका, तथा

2- मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर में विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत कालेश्वर शून्य से सुरंगहना तक बाईपास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गोपाल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

श्री सुरेश राही, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश राही, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर की ग्राम पंचायत नव्वापुर में अवैध पट्टों को निरस्त कर पात्रों को पट्टा किये जाने विषयक श्री धर्मराज व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कानपुर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में रिन्द नदी पर ग्राम उदईपुर गुगुरा तथा पासी का डेरा गांव के बीच रिन्द नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अवनीश साहू व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर स्थित घाटमपुर शुगर लिमिटेड रामसारी घाटमपुर चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने विषयक श्री वीरेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करवाये जाने विषयक श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

5-जनपद कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने विषयक श्री भूप किशोर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

6-जनपद कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में सीवर लाइन का कार्य करवाये जाने विषयक श्री शैलेन्द्र कुमार सक्सेना व अन्य निवासीगण, जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री दयाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री दयाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड बस्ती सदर के ग्राम पंचायत श्रीपालपुर के बक्सई में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड बस्ती सदर के ग्राम पंचायत वानगढ़ के औसापुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

3-जनपद बस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड साँऊघाट के अन्तर्गत ग्राम कोड़रा में राजकीय इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में श्री रामकेवल चौधरी व व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर में ग्राम दौलतपुर उत्तरी में पुलिया व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरू बक्श सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में ग्राम नौबतिया से उमरसड़ तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाला राम व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर में उमरसड़ बुधवाना मार्ग से उमरसड़ गौठिया तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर में उमरसड़ से सहोरा सम्पर्क मार्ग पर सुखनिया नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर में ग्राम ननिउरा के पास पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री वीरेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिकाएं†

श्री वीरेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ में पारा स्थित मकान संख्या 99/100 हंसनगर कालोनी से मुख्य सड़क तक 100 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अभिषेक कुमार यादव, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद झांसी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हमीरपुर की तहसील राठ स्थित ब्रम्हानन्द संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद झांसी के विकास खण्ड बामौर के गरौठा में नालों, नदियों से पानी उठाने हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने विषयक श्री जयदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी की धसान नदी पर स्थित झारखण्ड/विश्वामित्र स्थली के पास रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र पाठक व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी की तहसील गरौठा के कतिपय गांवों के ऊपर से गुजरी 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइनों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

5-जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकोली लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गंगा प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड नौरंगिया के महत्वपूर्ण मार्ग सिंगहा, मठिया, सूरज नगर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामअधार व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर में खड्डा विधान सभा क्षेत्र पनियहवा से बाल्मीकि बैराज तक इको आईलैण्ड भ्रमण हेतु पी0पी0पी0 मॉडल पर इंजन सहित फाइबर नाव का संचालन के सम्बन्ध में श्री जनार्दन व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के नारायणी नदी उस पार तहसील खड्डा के मरचहवा शिवपुर नरायनपुर, बकुलादह बाल गोविन्द छपरा, हरिहरपुर व तहसील निचलौल के सोहगीबरवा, भोतहा, शिकारपुर, मटियरवा, नौकाटोला, मुजाटोला, पिपरपासी आदि गांवों का प्रशासनिक रूप से कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में श्री बिहारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर में खड्डा विधान सभा क्षेत्र में पनियहवा के समीप मत्स्य विभाग की तरफ से बहुउद्देश्यीय भवन व फिश मार्केट (मत्स्य बाजार) प्रजनन केन्द्र हेतु सम्बन्धित के सम्बन्ध में श्री बिहारी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र-329, कुशीनगर के अन्तर्गत बनने वाले तहसील भवन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा में बी0आर0सी0 केन्द्र के नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत ग्राम असोहा एवं सेमरी में शुद्ध पेयजल हेतु आर0 ओ0 टंकी लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ज्ञानपुर बरहा में शुद्ध पेयजल हेतु आर0 ओ0 टंकी लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कलावती, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत कालूखेड़ा-असोहा मुख्य मार्ग पर चन्दन खेड़ा के निकट क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नारायण प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत मौरावां-मवई मुख्य मार्ग लच्छीखेड़ा से बछरावां-फतेपुर मुख्य मार्ग ताला तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य की याचिका तथा

6-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री शैलेन्द्र चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित 09 याचिकाएं†

श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत गोमती नदी पर काकरघाट (कंदरापुर) पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत कठिना नदी पर झाउपुर घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सिघारा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

3-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत शारदा नदी पर पैन्टून पुल पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 बच्चू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

4-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत 33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन, विकास खण्ड बिजुआ में बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

5-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत देवा धिदेव महादेव मंदिर, गोला गोकरननाथ का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन गिरी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

6-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत गोला कोटवारा, जड़ोरा, अलीपुर मार्ग को जिला मार्ग घोषित कर उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण किये जाने विषयक श्री आशीष मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

7-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत गणेशपुर, झाउपुर, सुभाष नगर, अमीर नगर, बसतौली, सरैली बिलियम मार्ग को जिला मार्ग घोषित कर उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

8-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत टेड़ेनाथ बाबा मन्दिर (सैदापुर), गजमोचन नाथ मन्दिर (रोशन नगर) और कलेशहरन बाबा मन्दिर (अहमद नगर) का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका तथा

9-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत अलीगंज, रायपुर, मालपुर, पूजा गांव, जौहरा गुरूद्वारा मेहन्दी मार्ग को जिला मार्ग घोषित कर उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनीत पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साण्डा दखलौन में स्थित अंजली धर्मकांटा से ग्राम गड़रिया खेड़ा होते हुए

† छापी नहीं गयीं।

उच्च प्राथमिक विद्यालय साण्डा दखिलौल तक उबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री रामखेलावन व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री असलम अली-

माननीय अधिष्ठाता जी, इनमें गलत छपा है। इसमें हरदोई का छाप दिया और नाम मेरा है। मेरी जो याचिका थी, वह नहीं छपी है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जाइये। माननीय अध्यक्ष जी को इसको लिखकर दे दीजियेगा।

श्री अजीत पाल त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अजीत पाल त्यागी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गाजियाबाद की विधान सभा मुरादनगर के ग्राम रावली कला से ग्यासपुर मार्ग तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री संजय त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका,

2-जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर टेलीफोन एक्सचेंज से शहजादपुर उजैडा माइनर की पटरी का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामभूल सैन व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका,

3-जनपद गाजियाबाद की तहसील मोदीनगर के चुंगी नं0-3 से ग्राम शहजादपुर तक मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रदीप त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका,

4-जनपद गाजियाबाद की तहसील व सदर के दुहाई पाइप लाइन मार्ग पर ग्राम शाहपुर से पाइप लाइन मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका तथा

5-जनपद गाजियाबाद की तहसील सदर के ग्राम मोरटी से अटोर नंगला मार्ग तक मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुखवीर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती मनीषा अनुरागी उपस्थित नहीं हैं।

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र जलालपुर मार्ग पर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक श्री प्रहलाद अनुरागी व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती जय देवी उपस्थित नहीं हैं।

श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती जयदेवी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के श्री सुनील कुमार के लखनऊ स्थित घर पर दबंग महिला द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द रावत व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित 10 याचिकाएं††

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिहवा कोहरा में नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आल्हा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

2-जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर के अन्तर्गत दुर्गापुर अमेठी मार्ग से पश्चिमपुर तक सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

3-जनपद अमेठी के विकास खण्ड संग्रामपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बेलखरी में बेलखरी पक्की सड़क से ईश्वरपुर तक सड़क का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री प्यारेलाल मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

4-जनपद अमेठी के विकास खण्ड संग्रामपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कसारा में गड़ेरियन का पुरवा से कसारा पुल तक दूरी लगभग 02 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र दुबे व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

5-जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर के अन्तर्गत ग्राम सभा सवनगी में सवनगी गेट से ग्राम पंचायत छोटा इस्माइलपुर तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री सोनू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

6-जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत ग्राम सभा सरैया दुबान में अहिरन का पुरवा डाडी से मुरायपुर के पुलिया होते हुए सेवांग वीर बाबा मंदिर तक दूरी लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

7-जनपद अमेठी के विकास खण्ड संग्रामपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा संग्रामपुर से छविनाथ दास कुटिया बहेरिया का पुरवा ग्राम सभा राजापुर अमेरुआ तक दूरी लगभग

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयीं।

2 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यप्रकाश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

8-जनपद अमेठी के विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम सभा ककवाँ पूरे मोती सिंह का पुरवा से सरैया दुबान में जोगलाल सिंह के घर तक दूरी लगभग 1 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

9-जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर के अन्तर्गत पीपरपुर, कल्याणपुर मार्ग से रेवड़ा तक दूरी लगभग 1 कि0मी0 सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामअवध वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका तथा

10-जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत ग्राम सभा कोहरा में पूरे शिवदास का पुरवा से पूरे जगन्नाथ चौबे तक 1.5 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आल्हा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका।

अधिष्ठाता-

सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिकाएं†

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बस्ती के विकास खण्ड गौर के ग्राम भौखरी में विजय तिवारी के मकान से काली मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिलीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

2-जनपद बस्ती के विकास खण्ड गौर के ग्राम सिकटा में बाघा कांडर अधेड़ी मार्ग से श्री राम आसरे शुक्ला, योगी बाबा के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सत्यदेव शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 10 याचिकाएं†

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बरगदपुर में पथवारी मंदिर से सरकारी ट्यूबवेल होकर पानी की टंकी पीपल के पेड़ तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बसई मोहम्मदपुर में हाकिम सिंह के घर से सामले सिंह, डॉ0 मेहताब सिह के घर से होकर सोबरन सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सोबरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला मवासी में संदलपुर से नगला मवासी तक कच्चे ऊबड़-खाबड़ सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील टूण्डला में ठा0 हीरा सिंह पर बन रहे बालिका विद्यालय के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में श्री विक्रम सिंह मझवार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम प्रेमपुर रैपुरा में गलियों में बने परिक्रमा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कुन्दन सिंह मझवार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम रामदासपुरा में प्रभूदयाल के ट्यूबवेल से अलादीपुरा प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभूदयाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद के ग्राम इटौरा में रामअवतार के घर से सूबेदार राठौर के प्लाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूबेदार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

8-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम इटौरा में मुख्य सम्पर्क मार्ग से गोपी बाल्मीकि की गली होते हुए भोलेनाथ के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपी बाल्मीकि व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम मढुआ में मुख्य सम्पर्क मार्ग श्रीनिवास के घर से प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निवास व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

10- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम अलादीपुरा में महेश चन्द्र के घर से आंगनबाड़ी केन्द्र तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं, जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री अधिष्ठाता-

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद लखनऊ के विकास खण्ड लखनऊ में मकान नम्बर 3/66 से मकान नम्बर 3/70 के मध्य एक इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में श्री बृजभान सिंह, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ में लोकमान्यगंज चौबेजी का हाता सब्जी मण्डी चारबाग में याची के भवन के आस पास एक इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में श्रीमती निशा शर्मा, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका,

3- जनपद सिद्धार्थनगर में गाँव बनकटा, पोस्ट खैरा-खास, ब्लाक खुनियांव में निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीमती सुशीला देवी, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका तथा

4-जनपद वाराणसी के लहरतारा में श्री जाफर अब्बास जैदी के मकान संख्या डी-65/174-ए-जे श्री जाफर अब्बास जैदी के मकान पर भू-माफिया/दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में श्री जाफर अब्बास जैदी व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव, विकास खण्ड होलागढ़ में ग्राम सभा भगौतीपुर खुटहना में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रज्योति सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव, विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम सभा मानी उमरपुर में अनवर के घर से रमना सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई 500 मी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कासिम व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम सभा महरौड़ा में सद्दाम के घर से अहमद हलवाई के घर तक पक्की सड़क की लम्बाई 1 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सद्दाम अली व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड सोरांव के ग्राम सभा दान्दूपुर में बनी नहर पर खेती को सुगम बनाने के लिए एक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू गौतम व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव, विकास खण्ड होलागढ़ में होलागढ़ मार्ग से कमालपुर टावर के पास तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रज्योति सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ में कुर्सी रोड सेन्ट मेरी हॉस्पिटल से टेढ़ी पुलिया होते हुए रैदास मंदिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ में नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत सीतापुर रोड, मड़ियांव थाने से आई0आई0एम0 रोड मोड़ तक स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशोर लोधी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ में अभिनव मॉडल स्कूल के भवन में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की कक्षाएं प्रारम्भ कर विद्यालय का नाम पंडित अटल बिहारी बाजपेई अभिनव मॉडल स्कूल के नाम करने के सम्बन्ध में श्री दिनेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

4-जनपद लखनऊ के चौक स्थित स्टेडियम में एक तरण ताल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन गर्ग व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत पचवल व सिधवन में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने विषयक श्री संतोष दुबे व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

2-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड क्षेत्र मड़ियाहूँ की ग्राम पंचायत रजमलपुर व सुंगुलपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने विषयक श्री अशोक पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया के ग्राम बौरडही के टोला मठिया में बेलास पाल के घर से उमाशंकर मणि के घर तक 200 मी0 इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने विषयक श्री अरुण मणि व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

2-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया में कठिनइया बेलडाड़ मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने विषयक श्री राम प्रताप यादव व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

3-जनपद देवरिया के विकास खण्ड बैतालपुर के अन्तर्गत ग्राम साण्डा उधोपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

4-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया की ग्राम सभा पिपरपाती में जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री आशीष शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-51, 52, 53 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-54 लेते हैं।

[12:44] उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि **उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019,** जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त माननीया राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन माननीया राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि **उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019** जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त माननीया राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन माननीया राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 को वापस लिए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा में लम्बित **उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019,** को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित **उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019** को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(12:46) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि **उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017** जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त माननीया राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन माननीया राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त माननीया राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन माननीया राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा में लम्बित **उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017** को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित **उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017** को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(12:48) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017,** जो राज्य

विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त माननीया राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन माननीया राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017** जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त माननीया राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन माननीया राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा में लम्बित **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017** को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017** को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(12:49) आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक

विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा-(1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ)

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों के नाम-निर्देशित करने हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 01 मार्च, 2021 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:- "यह सदन आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 01 मार्च, 2021 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य

उक्त आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।"

(इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 53 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 01 मार्च, 2021 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ)

(12:56) कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत जो सबसे पहली सूचना है वह माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी की है और इसी में अटैच हैं। माननीय अजय कुमार लल्लू जी, श्री नरेन्द्र वर्मा जी और श्री संजय गर्ग जी की।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो नियम-56 में सूचना हम लोगों ने दी है, अविलम्बनीय है, महत्वपूर्ण है, जनहित की है, समाज हित की है और प्रदेश के भी हित में है। बेरोजगारी की समस्या इस प्रदेश में सुरसा की तरह से मुंह बाये खड़ी है। लगभग 45-50 वर्षों के अन्दर

इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी देखने को नहीं मिली, न आई है। पहले नोटबन्दी और जी0एस0टी0 के कारण मन्दी का दौर इस देश और इस प्रदेश में शुरू हुआ। जब लॉकडाउन लगा तब तो करोड़ों से भी ऊपर लोग बेरोजगार हो गये। श्रीमन, सेन्टर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में मई, 2020 में आगाह किया था कि लॉकडाउन के कारण देश में बेरोजगारी दर 27 परसेन्ट हो गई है और लॉकडाउन में 9.1 करोड़ छोटे व्यापारियों, बिहारी मजदूरों का रोजगार छिन गया। 30 प्रतिशत रोजगार घट गया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर वर्तमान में लगभग 16 प्रतिशत है जो देश में सबसे बड़ा यह आंकड़ा है। सरकार ने वर्ष 2016 से रोजगार के सही आंकड़े देना बन्द कर दिया है। अब बेरोजगारी के आंकड़े नहीं आ रहे हैं बल्कि दो अधिकारियों ने रिलीज कर दिया था तो उनको निलम्बित कर दिया। नौकरी से उनको निकाल दिया गया। कितने लोग बेरोजगार हैं, और कितने रोजगार के अवसर हैं, इसका आंकड़ा जो हर साल जारी होता था वह अब बन्द हो गया है। यह आंकड़े नहीं आ रहे हैं। सरकार जो आइना दिखाये, वही जनता देख सके, इसीलिए आंकड़े देना बन्द कर दिया। 2020 में स्टेट गवर्नमेन्ट के पोर्टल पर 2.98 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ। जनवरी, 2021 के प्रथम सप्ताह तक माननीय अध्यक्ष जी 36 लाख, 12 हजार, 390 बेरोजगारों का नाम रोजगार पाने के लिए दर्ज हो गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016-17 में विज्ञप्ति हुई थी, कितने दिन हो गये हैं, आज तक वह भर्ती पूर्ण नहीं हो सकी है। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में कहा था कि 90 दिन के अन्दर जितने रिक्त पद हैं, उनको हम भर देंगे, परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं जानता हूँ कि सरकारी विभागों में लगभग 5 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक आर0टी0आई0 में यह बताया भी है कि उसने अप्रैल, 2017 के बाद से अलग-अलग विभागों के विभिन्न 12357 पदों के लिए 7 विज्ञापन प्रकाशित किये हैं। सरकार वादा करती है कि वह शीघ्र ही लाखों नियुक्तियां करने वाली है। बेरोजगारों को बहलाने के लिए मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभागों में भर्ती करने, शिक्षित बेरोजगारों, नौजवानों की भर्ती करने वाले पदों की संख्या भी प्रकाशित करा दी थी, परन्तु परिणाम शून्य है। इससे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों, नौजवानों में भयंकर आक्रोश है, आन्दोलन कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले मोबाइल के माध्यम से करोड़ों छात्रों और नौजवानों ने प्रधानमंत्री जी से रोजगार देने की बात कही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर, लखनऊ से 2018 में कुल 695 पदों की विज्ञप्ति हुई। वैसे ही विज्ञप्ति पड़ी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2018 में कुल 1953 पदों की विज्ञप्ति हुई, उसको एस0आई0टी0 जांच के नाम पर रोक दिया गया। 2018 में 2059 पदों की विज्ञप्ति हुई, उसमें परिणाम भी घोषित हो गया है, नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पायी हैं। 2018 में कुल 1477 पद विज्ञापन प्रकाशन के बाद प्रतीक्षित पड़े हुए हैं। 2018 में ही 284 पदों के परिणाम घोषित भी हो गये हैं, नियुक्ति-पत्र अभी तक नहीं मिले हैं। 2018 में कुल 16 पदों के विज्ञापन

प्रकाशन के उपरान्त परीक्षा स्थगित हो गयी है। 2019 में कुल 672 पदों पर पूर्व परिणाम घोषित हो चुका है, परन्तु कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में कुल 1364 पदों की विज्ञप्ति हुई और विज्ञापन स्थगित हो गया। 2019 में कुल 1403 पदों की परीक्षा सम्पन्न हो गयी है, परन्तु परिणाम प्रतीक्षित है। 2019 में कुल 655 पदों पर विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् परीक्षा प्रतीक्षित हो गयी। 2019 में कुल 484 पदों पर विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् परीक्षा प्रतीक्षित हो गयी। 2019 में कुल 904 पदों पर विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् परीक्षा प्रतीक्षित हो गयी। इस तरह से कुल 12357 पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाला है।

पूरे प्रदेश में हल्ला हो गया कि बहुत वैकेन्सी आ गयी हैं। अब नौजवान उछलने लगे और सरकार की ओर टुकुर-टुकुर देख रहे हैं। पता नहीं, कितने ओवरएज हो गये हैं। उनके मां-बाप ने इसीलिए पढ़ाया, कर्ज काढ़ कर पढ़ाया, खेत बंधक रखकर पढ़ाया, गहना बंधक रखकर पढ़ाया और फिर वही खेती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बेबस हो रहे हैं।

यू0पी0 बेरोजगारी में सबसे ऊपर और गुजरात सबसे बेहतर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। दिसम्बर, 2001 की खत्म तिमाही में राज्य में सबसे ज्यादा करीब 16 फीसदी की दर से बेरोजगारी दर्ज की गयी है। यह आंकड़े 2001 की आखिरी में जारी किये गये थे। तब के हैं हर उम्र के लोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 15.8 फीसदी, उड़ीसा में 14.2 फीसदी, उत्तराखंड में 13.6 फीसदी, जम्मू और कश्मीर में 13.5 फीसदी, बिहार में 13.4 फीसदी और दिल्ली में 11.8 फीसदी रही है। इसमें उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। बेरोजगारी के मामले में राज्य सरकार के पोर्टल पर राज्य सरकार का इम्प्लाइमेंट पोर्टल रोजगार संगम उत्तर प्रदेश में 2.98 लाख रोजगार रजिस्टर हो चुके हैं। जनवरी, 2020 से 2021 तक 36 लाख 12 हजार लोगों ने पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया है।

हमारे मित्र श्रम मंत्री जी मुस्करा रहे हैं। काम तो है मुख्य मंत्री जी का, जवाब इनसे दिलवायेंगे क्योंकि हम लोगों के मित्र हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक बेरोजगारी का स्तर 6.1 प्रतिशत है। श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय संतोष गंगवार ने एक लिखित उत्तर में बताया यह केन्द्र का मामला है। उन्होंने बुधवार को राज्य सभा में बताया कि देश में रोजगार के सम्बन्ध में नये और व्यापक सर्वेक्षण के जरिये जुटाये जा रहे आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी का औसत 6.1 प्रतिशत है। उन्होंने पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में बदलाव के बाद सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा लाये गये नये वार्षिक बेरोजगारी सर्वेक्षण 2017-18 में किया गया है, इसके तहत किये गये पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे पी0ए0एफ0एस0 के आंकड़ों के अनुसार भारत में श्रम बल की भागीदारी 36.9 प्रतिशत व बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत है। बन्द करने के बाद यह स्थिति है। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के सही आंकड़े जुटाने के लिए पुरानी पद्धति को 2016 से रोक दिया है।

2016 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार केन्द्र में थी। बेरोजगारी के आंकड़े न आयें, इसलिए रोक दिया गया। अध्यक्ष जी, अप्रैल में 9.1 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। लगभग 10 करोड़ का। अध्यक्ष जी, लड़के पढ़-लिख कर सड़क पर घूम रहे हैं। अभी चाहे मंत्री जी उत्तर दें, चाहे मुख्य मंत्री जी उत्तर दें, इतना लोगों को नौकरी दे दिया, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, यह समाचार-पत्रों में आता है। चैनलों में आता है तो यह 16 प्रतिशत आया कहां से ? ठीक है कुछ लोगों को दी होगी नौकरी तो हम लोगों ने दी थी। माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने डेढ़-दो लाख लोगों को तो बेसिक शिक्षा में ही नौकरी दी थी। हर विभाग में लेखपाल में भर्ती हुई, ग्राम सेवक की भर्ती हुई, जल निगम में भर्ती हुई, सहकारिता में भर्ती हुई, पशुधन में भर्ती हुई। सब अगर जोड़ दिया जाये तो जितना यह लोग कह रहे हैं, कि हमने इतना रोजगार दिया, उसका पांच गुना, छह गुना, दस गुना रोजगार मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने दिया और इनका आंकड़ा बिल्कुल असत्य है।

मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बहुत कठिन समस्या है। मैं मानता हूँ कि जितने भी बेरोजगार हैं, कोई भी सरकार उन सभी को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन हम उसके रास्ते पर कदम तो बढ़ा लें। जितने भी पद खाली हैं हम 90 दिन के अन्दर उनको भर देंगे। वांट निकली भी, लेकिन जानबूझ कर उसको रोक दिया गया, पर्चा आउट करा दिया गया। जितनी भी परीक्षाएं हुईं, उसमें अधिकांश के पर्चे आउट करा दिये गये और जानबूझ कर उसको कैंसिल कर दिया गया। पांच लाख से अधिक पद रिक्त हैं और उनको 90 दिन में भरना था। सरकार के आने और जाने के दिन आ गये, लेकिन पद वैसे ही खाली हैं। हम जानते हैं कि लगभग 20-25-30 विभाग इन्होंने बन्द कर दिये और वहां नौकरी चली गयी। विभिन्न आरोप लगाकर सैंकड़ों लोगों को जबरिया रिटायर कर दिया गया। आरोप सही हैं, गलत हैं, मैं इस पर नहीं जाता, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ कि जो नौकरी कर रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया। जिन विभागों में नौकरी थी, वह बन्द कर दिये गये और इन्होंने जो 90 दिन के अन्दर कहा था तो 5 लाख पद रिक्त हैं, एक भी भर्ती नहीं की।

श्रीमन, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बी0ए0 करो, बी0एड0 करो, बी0टी0सी0 करो, टी0ई0टी0 करो और जब यह सरकार आयी तो ऊपर से एक और सुपर टी0ई0टी0 करो, क्यों ? केवल लड़कों को फेल करने के लिए कि कहीं यह पास न हो जायें और नौकरी न देना पड़े। आई0ए0एस0 की दो परीक्षाएं होती हैं, पी0सी0एस0 की दो परीक्षाएं होती हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एक लड़का कितनी परीक्षाएं पास कर रहा है। अब वह कह रहे हैं और इस सरकार से निराश हो गये हैं। मान्यवर, जब माँ सीता जी राजा रामचन्द्र जी के दरबार में लौटीं तो मुनि जी ने कहा कि मैंने अपनी जिन्दगी में जो भी तप किये हैं, उसको साक्षी मानकर के मैं कह रहा हूँ कि सीता जी बिलकुल पवित्र हैं। तभी श्रीराम जी ने क्या कहा कि अवध की जनता यह चाहती है कि सीता जी अपनी पवित्रता की परीक्षा दें तो सीता जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हे माँ धरती, तुम फटो, आओ, मैं इस धरती पर

परीक्षा देते-देते अब थक चुकी हूँ। मैं इस धरती पर नहीं रहना चाहती। भरे दरबार में धरती फटी, माँ धरती आयीं और माँ सीता जी को नीचे लेकर चली गयीं। एक लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए कितनी परीक्षा देगा और परीक्षा के बाद भी उसको नौकरी न मिले। बी0एड0, डी0एल0एड0 करा रहे हैं। खेलकूद वाले विभाग के जो लड़के हैं, जो बी0पी0एड0 किये हैं उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, उनकी तो कोई भर्ती ही नहीं हुई, तो फिर स्कूल क्यों खोले हैं और उनके पढ़ाने की व्यवस्था क्यों की है ? मा0 अध्यक्ष जी, लड़के बहुत आक्रोशित हैं, उनका परिवार आक्रोशित है। इसमें अधिकांशतः 70-80 प्रतिशत बेरोजगार लड़के गाँव और किसानों के परिवारों से आने वाले हैं, उनको उनकी कृषि उपज का दाम नहीं मिल रहा है। उनके माँ-बाप ने अपने पैसे से जिसको पढ़ाया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। पूरी जनता में आक्रोश है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के समय में बेरोजगारी से बड़ी समस्या इस प्रदेश में कोई और नहीं है।

मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सदन की शेष कार्रवाई को रोक कर बेरोजगारी और नौजवानों को नौकरी देने जैसे मामले पर चर्चा कराने की कृपा करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

अब सभी के विषय आ गये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, थोड़ी-थोड़ी देर सभी को सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष-

इससे ज्यादा कौन-सा विषय है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल कुछ बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, यह तो चर्चा जैसी बात हो जायेगी।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 65 फीसदी आबादी 35 प्रतिशत नौजवानों की है और 50 फीसदी से ज्यादा आबादी 25 प्रतिशत की है। मा0 नेता विरोधी दल ने जो बात रखी है, मैं उस बात पर बल देते हुए कहना चाहता हूँ कि यह तात्कालिक है। नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। दूसरी तरफ केन्द्र 2016-17 के आंकड़े पेश नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह बात तो पहले ही रख दी गयी है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, एन0एच0एस0ओ0 के इम्प्लायमेंट सर्वे से 2016-17 के जो आंकड़े आने थे, वह नहीं आये हैं। 28 जनवरी को दो सरकारी सदस्यों ने इनके विरोध में इस्तीफा दे दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, जो बिन्दु मा0 नेता विरोधी दल ने उठा दिये हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, यह चर्चा नहीं है। ये तो ग्राह्यता पर मा0 नेता विरोधी दल बोले हैं।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, जो दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नोटबन्दी, जी0एस0टी0 और लॉकडाउन के बाद बुरी स्थिति पैदा हुई है। मा0 अध्यक्ष जी इससे गम्भीरता पता चलेगी। मुझे रोज इस बात का सामना करना पड़ता है कि जब दो या तीन नौजवान और उनके पिता इस बात को लेकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा अमुक संस्था में, अमुक कम्पनी में नौकरी करता था, परन्तु उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए आप किसी अन्य जगह नौकरी दिलवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये, लल्लू जी को सुन लें।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, कितनी गम्भीरता है उस बात की इसका एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूँगा। रेलवे रिक्रूटमेन्ट बोर्ड की निकाली गई नौकरियों के विज्ञापन से यह समझा जा सकता है कि इसकी गम्भीरता कितनी है। 35 हजार नॉन टेक्निकल के लिए विज्ञापन निकाला गया जिसमें ग्रेजुएट, अण्डर ग्रेजुएट कैटेगरी वाले लोगों के लिए मौका दिया गया था, परन्तु इसमें पी0एच0डी0, एम0बी0ए0, स्नातक और अण्डर डिग्री हासिल करने वाले लोगों ने परीक्षा दी, जिसमें रेलवे को एक हजार करोड़ रुपया फीस के रूप में मिला है। इतने लोगों के आवेदन करने के बावजूद भी वर्ष 2019 में एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष-

इसमें रेलवे का क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, 2.41 करोड़ लोगों ने उसके अन्दर आवेदन देने का काम किया है। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि यह तो शिक्षित बेरोजगारों की हालत है। अशिक्षित

बेरोजगारों की हालत इस तरह की बन गयी है कि नौजवान मानसिक रोग से ग्रस्त होकर इस समय बिल्कुल किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में है और वह इस बात को देख रहा है, परन्तु सरकार संवेदनहीन है और संवेदनहीनता के आधार पर गलत आंकड़े पेश करती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइए।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार कभी कहती है कि कौशल विकास में हमने इतने लाख नौकरियां दे दी हैं, जबकि स्थिति इससे अलग है और वह बेरोजगार ही नहीं है, बल्कि उसे रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप कृपया बैठ जाइये।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, यह त्वरित और तात्कालिक मुद्दा है। हमें संवेदना के आधार पर उस मानवीय ऊर्जा को जो युवा शक्ति है, जिसे हम सकारात्मक कामों में लगा सकते थे, उस युवा शक्ति को हम व्यर्थ ही जाने देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सदन में बैठकर ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, मना करने के बावजूद आप लगातार बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, इस बात की गम्भीरता इस बात से भी लगती है कि जी0डी0पी0 किस तरह से गिर रही है।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, आप फिर विषयान्तर बोल रहे हैं।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था से संबंधित यह मुद्दा है। वर्ष 2016 में 7.7 प्रतिशत जो जी0डी0पी0 थी, वह गिरकर 10.28 प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, ये सब आप पहले शामिल कर चुके हैं। इस तरह सदन कैसे चलेगा ?

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, इस कोरोनाकाल में न जाने कितने प्राइवेट एवं निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है, शादी-ब्याह न होने के कारण तमाम कलाकार भुखमरी के कगार पर हैं। स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। इसलिए इस बात का अनुरोध है कि कृपया सदन की कार्यवाही को रोककर गम्भीर मुद्दे पर चर्चा कराने की अनुमति देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है और उत्तर प्रदेश में जब यह सरकार आई थी, तो इन्होंने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 14 लाख रोजगार देंगे और 4 साल बीत गये, 56 लाख के सापेक्ष अब तक 4 लाख ही रोजगार यह सरकार दे पाई है। सरकारी भर्तियों के 5 लाख भर्तियां निकालने की और 90 दिन में भर्ती करने का इस सरकार का वादा था, लेकिन यह सरकार नौजवानों के साथ विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं कर पाई, अगर दो सालों में देखें तो लगभग 36 लाख बेरोजगारों का पंजीकृत रजिस्ट्रेशन है, जो पोर्टल पर स्थित है, उत्तर प्रदेश सरकारी भर्तियों में अगर सबसे प्रमुख अगर कोई आयोग है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। अध्यक्ष जी, 2016 से 2019 के बीच में यू0पी0एस0सी0 में 24 में से 22 भर्तियां अब तक अटकी हुई हैं। 2016 में आई 11 में से अब तक 1 भर्ती हो पाई है। अगर आयोग की भर्तियों में देखें तो बी0डी0ओ0 2018 का, युवा कल्याण अधिकारी का, गन्ना पर्यवेक्षक का, सम्मिलित तकनीकी सेवा का, आबकारी सिपाही का, 2016 के अलावा और भी भर्तियां हैं जो फाइनल स्टेज पर हैं लेकिन यह प्रक्रिया यह सरकार आगे नहीं बढ़ा पा रही। 17 महीनों से लगातार वे अभ्यर्थी आन्दोलन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुख्य मंत्री आवास पर उन लोगों ने आन्दोलन किया था। सरकार बजाय रोजगार के उन्हें लाठी-डण्डों से पीटकर उन्हें जेल की सलाखों में भेजने का काम किया है।

महोदय, 2018 में पुलिस भर्ती 49568 पुलिस की भर्ती निकलती है, 14 हजार अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है और 35568 अभ्यर्थी अभी भी रोज जनान्दोलनों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक गम्भीर नहीं बनी हुई है। महोदय, अभी 3 दिन पहले इलाहाबाद में आन्दोलन हुआ। नौजवानों ने बेरोजगारी के सवाल पर सड़कों पर आन्दोलन किया। 103 नौजवानों पर इस सरकार ने मुकदमे लिखे और 3 नौजवानों को जेल भेजने का काम किया है। महोदय अगर देखें तो 6 लाख से अधिक सी0टी0ई0टी0, यू0पी0 टेक की परीक्षा पास कर चुके हैं और इस सरकार ने यह वादा किया था कि हम भर्तियों के माध्यम से सी0टी0 टेक और यू0पी0 टेक की परीक्षा पास करने वाले

अभ्यर्थियों को रोजगार देंगे। महोदय, उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती निकली, उसमें कितना बड़ा घोटाला सामने आया और जो आयोग की मंशा थी, उसके अनुरूप उन भर्तियों को भरने का काम इस सरकार में हुआ। महोदय, लगातार बेरोजगारी का दर्द तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले दिनों आपने भी और सभी सदस्यों ने देखा होगा, तमाम नौजवानों ने रोजगार न मिलने की आस में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आज नौजवान हतोत्साहित है, परेशान है, हताश है, निराश है जो सरकार रोजगार की बात कर रही थी रोजगार के नाम पर इस सरकार ने नौजवानों को छलने का, ठगने का काम किया है। महोदय, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सदन की सारी कार्यवाही को रोक कर चर्चा करा ली जाये। यह नौजवानों के भविष्य का मामला है। इलाहाबाद में पढ़ने वाला तमाम अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है, लखनऊ में पढ़ने वाल अभ्यर्थी छात्र जो तैयारी कर रहा है। दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ने वाला उत्तर प्रदेश का नौजवान जो तैयारी कर रहा है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की पर्तियां किस तरह भर्तियों से पहले परीक्षा होना था, उसके पहले पेपर आउट हो गया। आज कितनी भी भर्तियां निकल रही हैं। उसके पेपर आउट हो जा रहे हैं और पेपर आउट होने का नतीजा है कि अभ्यर्थी अपने आपको छला और ठगा महसूस कर रहा है। बहुत गम्भीर सवाल है, नौजवानों के भविष्य से जुड़ा सवाल है, चूंकि नौजवान आज सड़कों पर आन्दोलन कर रहा है। अपने न्याय की उम्मीद में सरकार के ऊपर टकटकी लगाये हुए है, इसलिए मैं सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मामला छूट गया था जो लोक सेवा आयोग की परीक्षायें हैं, लॉकडाउन में परीक्षा तो हुई नहीं, बाद में उसमें कुछ लड़के ओवरएज हो गये लॉकडाउन के कारण। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है, जो ओवरएज हो गये हैं लॉकडाउन के कारण, उनकी भी पुनः परीक्षा कराने पर भी सरकार विचार करे और परीक्षा कराकर उनको नौकरी दिलाने की कृपा करे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, अन्य प्रदेशों में यह व्यवस्था एक जुलाई से हो गयी है। हिमांचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल अन्य जगहों पर। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अपनी बात को जोड़ते हुए कि उत्तर प्रदेश में भी उन परीक्षार्थी को चूंकि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है, उनके लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक मौका देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब अन्य प्रदेशों में हुआ है, तो अपना प्रदेश क्यों पीछे रह जाये। यह तो राम का प्रदेश है, यहां जरूर हो जाये।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्य कांग्रेस तथा माननीय संजय गर्ग आदि ने बेरोजगारी की बात को यहां प्रस्तुत करते हुए सरकार पर बहुत से तथ्यहीन आरोप लगाये। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह एक पारदर्शी सरकार है। हम नौकरी देते हैं, बेचते नहीं हैं। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रेल भर्ती बोर्ड या अन्य वह सभी चयन संस्थाएं जो संवैधानिक रूप से परीक्षा कराने के लिए अनुमन्य हैं, उनमें सरकार दखल नहीं देती है। पारदर्शिता के साथ वह अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जब यह लोग इस तरफ बैठते थे तो यही लोक सेवा आयोग लगातार पांच साल तक विवादों में रहा। यहां तक कि इन्होंने जिस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बनाया था, उसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को इन्हीं लोगों ने हटाया भी था, भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ कहा गया, यह झूठ है, यह झूठ है)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने लोक सेवा आयोग की भर्तियों की सी0बी0आई0 जांच कराई। आप बतायें कि आपने क्या पाया। यह सब झूठा प्रचार है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी कांग्रेस के नेता ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं और कहा कि आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई। मान्यवर, ग्राम विकास अधिकारी 3113 चयनित हुए। कनिष्ठ सहायक सामान्य परीक्षा में 4964 चयनित हुए, गन्ना पर्यवेक्षक में 862 चयनित हुए, प्रयोगशाला प्राविधिक में 921 चयनित हुए, सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक में 845 चयनित हुए, विधान भवन रक्षक और वनरक्षक के रूप में 578 चयनित हुए, नलकूप चालक सामान्य चयन में 3210 चयनित हुए, नक्शा नवीस मानचित्रकार पद पर 10 चयनित हुए, इसी प्रकार से तकनीकी सहायक में 46 चयनित हुए, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 में 2059 चयनित हुए, फार्मासिस्ट में 420 चयनित हुए, कनिष्ठ सहायक में 115 चयनित हुए, गन्ना पर्यवेक्षक सामान्य चयन में 420 चयनित हुए, कुल 17673 लोगों का चयन हुआ। यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का डेटा है। रही बात बी0डी0ओ0 परीक्षा की, तो इसमें विभूति खण्ड थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई जिसकी वर्तमान में एस0आई0टी0 जांच कर रही है। इसलिए यह चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। जैसे ही एस0आई0टी0 की जांच रिपोर्ट आ जायेगी तो उसके अनुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। जो आप लोगों ने यहां बातें रखी हैं तो उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को बेरोजगार किसने बनाया है। यह लोग पांच साल तक बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर भटकाते रहे। रही बात

आंकड़ों की, तो आपकी सरकार का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। जब आपकी सरकार थी, उस समय पांच साल में सेवायोजन विभाग से 169075 लोगों का चयन हुआ था।

5 साल में और 3 साल लगभग 11 महीने में हमने इस आंकड़े को 4 लाख 25 हजार 515 पर पहुंचाया है। मान्यवर, इसी के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज हम जो नियमित भर्ती किये हैं उसकी कुल संख्या-97 हजार 56 है। जो विभिन्न क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं। उसमें कुल भर्तियों की संख्या लगभग साढ़े तीन लाख है। सरकारी क्षेत्रों में जो संविदा पर रखे गये हैं, उन संविदा कर्मियों की संख्या है 36 हजार 995, इसी प्रकार से निजी क्षेत्रों में जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हम रोजगार दे रहे हैं उसमें कुल 19 लाख 14 हजार 297 हैं। इसी तरह स्वतः रोजगार में 08 लाख 1495 है और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हमने दिया है 62 हजार 997, कुल हमने रोजगार दिया है 30 लाख 2 हजार 253, मान्यवर इसी के माध्यम से हम यह भी कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को बेरोजगारों की फौज बना दिया था।

आज हम बेरोजगारों को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सेवायोजित कर रहे हैं। यही नहीं, पारदर्शिता के साथ लोगों को सेवायोजित किया जा सके, इसीलिए सेवायोजन विभाग में अन्य ऐतिहासिक परिवर्तन भी किया है। आउटसोर्सिंग भर्तियों के माध्यम से जो व्यवस्था आपकी सरकार से चली आ रही थी, वहां पर आउटसोर्सिंग कम्पनी के लोग बेरोजगार नौजवानों से नौकरी देने के नाम पर ठगी करते थे। नौकरी में रखने के बाद उनका 3-4 महीने का वेतन नहीं भुगतान करते थे और जब चाहते थे, निकाल दिया करते थे। मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करके मैंने यह कैबिनेट प्रस्ताव लाया और यह व्यवस्था दिया कि अब किसी भी सरकारी विभाग में अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होगी तो मनचाही भर्ती नहीं होगी। बल्कि सेवायोजन में बड़े पैमाने पर हमने पंजीयन का अभियान चलाया है। जिलों-जिलों में वृहद् बेरोजगार मेला लगवाते हैं, उसी बेरोजगार मेले में मैं बेरोजगार नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप सभी बेरोजगार लोगों को यदि रोजगार पाना है तो सेवा योजन वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीयन कराइये और साथ ही साथ न केवल निजी क्षेत्रों में बल्कि सरकारी क्षेत्रों में भी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियाँ होंगी इन्हीं बेरोजगार नौजवानों के नामों की सूची का पैनल जायेगा। जैसे अगर किसी विभाग से उस आउटसोर्सिंग कम्पनी जो जेम पोर्टल से कनेक्टेड है वह इण्टरव्यू लेगी और योग्यता के अनुसार उसी में से 10 लोगों को चयनित करेगी। इस प्रकार से सेवायोजन में संख्या बढ़ी है। जिन बेरोजगार नौजवानों को आपने ठगा है, उन्हीं बेरोजगार नौजवानों को पंजीयन कराकर हम नौकरी देने जा रहे हैं। यही नहीं, मान्यवर, अब अगर कोई भी आउटसोर्सिंग कम्पनी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रखा जाता है तो रखे जाने के बाद उसकी सूचना भी सेवायोजन वेबसाइट पर जायेगी। हर महीने वेतन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसकी भी सूचना वेबसाइट पर जायेगी। पी0एफ0 का पैसा महीने के महीने जा रहा है कि नहीं, यह भी सूचना वेबसाइट पर जायेगी।

यानी जो पहले से भ्रष्टाचार चला आ रहा था उस भ्रष्टाचार पर योगी सरकार ने नकेल कसी है। हमारी सरकार ने उस पर अंकुश लगाया है और साथ ही साथ हमने पारदर्शिता के साथ बेरोजगारों के सम्मान में उनको रोजगार देने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मा0 नेता विरोधी दल भी बहुत पुराने हैं और हम लोगों के बहुत वरिष्ठ हैं। हम लोग इनसे सीखते हैं और हमेशा बताया जाता है कि यहां पर तथ्यात्मक बात रखनी चाहिए लेकिन विरोधी पार्टी के लोगों को तथ्य से, आंकड़ों से कोई भी मतलब नहीं है, जो सपा, कांग्रेस झूठ, सही कह दें, वही सच है। अगर सरकार आंकड़ा देती है, सरकार सही बात कहती है तो इनके दिमाग में वह बात घुसती नहीं है क्योंकि इनके जमाने में नौकरियां बेची जाती थीं और हमारे जमाने में पारदर्शिता के साथ नौजवानों के सम्मान में नौकरियां दी जाती हैं। इसलिए मान्यवर, इनकी सूचना ग्राह्य योग्य नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी बड़े सीनियर मंत्री हैं और मित्र भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने ही तो कहा था कि मौर्या जी उत्तर दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जान रहा था कि उन्हीं से उत्तर दिलवाया जायेगा क्योंकि वह जोर से बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। नौकरियां बेची जाती थीं और यह खरीदने वाले थे। पिछली सरकार में नौकरियां बेची जाती थीं और यही खरीदते थे, तभी तो इनको पता है कि नौकरियां बेची जाती थीं। सरकार किसी पर तथ्यहीन आरोप लगायें, मैंने तो आपके सामने आंकड़े पेश किये हैं और वही आंकड़े प्रस्तुत किये हैं जो आपके आंकड़े हैं। मैंने वही प्रस्तुत किया है जो आपने संकल्प-पत्र में कहा था कि प्रदेश में जितनी रिक्तियां हैं वह 90 दिनों में भर दी जायेंगी। पांच लाख पद हैं। आपने एक भी पद पर नियुक्ति नहीं की है। अभी पांच लाख पद खाली हैं, केवल हवा में बोल देने से नहीं हो जायेगा। हमारे संकल्प-पत्र में नहीं था। यह देश का, समाजवादी, कम्युनिस्ट एवं सभी बड़े नेता का नारा था कि बेरोजगारों को काम दो या बेरोजगारी भत्ता दो। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोगों को नौकरी देने का काम किया और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया। आप बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप छाती पीट रहे थे कि लाकडाउन के समय श्रमिक एवं मध्यम वर्ग के लोग वापस आ गये, हमने उनको एक-एक हजार रुपया भेजा है। नौकरी देने के बाद एक हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, 20 हजार रुपया कन्या विद्या धन में दिया जाता था। मा0 मंत्री जी सरकारें आती हैं और जाती हैं। आप बेरोजगारों का मजाक मत उड़ाइये। (मा0 मंत्री श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी से कुछ कहने का प्रयास करने पर) बाद में सिखा दीजियेगा। एक दिन आपके ही जैसे आदमी ने मा0 मुख्य मंत्री जी को सिखा

दिया कि सहतवार का हलुआ और कान्ट्रैक्ट खेती होती है। बाद में उस बनिये का भी बयान आ गया कि मैं कान्ट्रैक्ट खेती नहीं करता हूँ, हम मार्केट से गाजर खरीदते हैं।

खेल एवं युवा कल्याण, पंचायती राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने यही कहा है कि आपने जो नौकरियां बांटने की बात कही है तो पिछली सरकार में चार ही जनपदों को नौकरियां मिली हैं। मैंने यही बात कही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने गलत बयानी की है। बेरोजगारों का अपमान किया है और कहा है कि सरकारें नौकरियां बेचती थीं। इसी तरह से एक दिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने गलत बयानी की थी कि पिछली सरकारों ने चीनी मिलों को बेच दिया। जब मा0 कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने निगम की 21 चीनी मिलों को बन्द कर दिया था और जब माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी आये तो उन्होंने 27 चीनी मिलों को प्राइवेट सेक्टर से लगवाया। यह सदन सच के लिए बना है, असत्य के लिए नहीं बना हुआ है। हमने नौकरियां बेची हैं और आपने नौकरियां खरीदी हैं। बेरोजगारों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं चलेगा।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गये)

('नौजवान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी', 'रोजी-रोटी दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है')

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी-अपनी सीट पर चलिये। आप लोग जो कहना चाहते हैं वह अपनी सीट पर जाकर कहिये। राम गोविन्द जी आप जो कहना चाह रहे हों कहिये।

(व्यवधान के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, ये सरकार नौजवान विरोधी है। बेरोजगार नौजवानों का अपमान कर रही है। किसानों को मार रही है, बेरोजगारों को मार रही है, छात्रों को मार रही है और आउटसोर्सिंग के मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 लल्लू जी और नेता विरोधी दल की एक-एक लाइन का जवाब मा0 मौर्या जी ने दिया कि सवा चार नौकरियां दी गईं, संविदा पर कितने लगाये गये, आउटसोर्सिंग पर कितने लगाये गये और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 17,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गयी, उसके जवाब में इनके पास कोई तर्क है नही। केवल यही तर्क है इनके पास कि जब देखो तो वेल में आ जायेंगे। क्या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया नहीं गया था और बाकायदा किन आरोपों में हटाया गया था। मान्यवर, पूरे तरीके से जो भी

कुछ कहा गया, पूरे तथ्यो के आधार पर कहा गया। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया गया, कितनी नौकरी दी गयी यह बताया गया, आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। ये कहते हैं कि हाउस नहीं चलाते और ये हाउस चलाने का नमूना है। ये लोग नहीं चाहते कि हाउस चले, यह सदन चले।

(वेल में आये हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

(रोजी-रोटी दे न सके जो, वह सरकार बदलनी है)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये लोग नहीं चाहते हैं कि यह सदन चले। मान्यवर, यदि आप चाहें तो 10-15 मिनट के लिए हाउस स्थगित कर दें, कम से कम इन लोगों को खाना खाने का मौका मिल जाये।

श्री अध्यक्ष-

स्थगन उपाय नहीं है, विषय क्या है ? मैं समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वह अपनी सीट पर जायें और विषय बतायें कि कहां गड़बड़ है ? टॉपिक तो बताइये, लड़ाई किस बात की है ? आप विषय बताइये लड़ाई किस बात की है ?

(नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष-

मैं बार-बार कारण पूछ रहा हूँ, किस वजह से आप वेल में आये हैं, यह वजह मालूम नहीं है, कृपया बताइये, नहीं तो हम यह मानते हैं कि आप सदन चलाने के इच्छुक नहीं हैं। आप स्थगन चाहते हैं तो स्थगित किये देते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, 15 मिनट के लिए स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(नारेबाजी जारी)

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने अपराह्न 01 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(अपराह्न 02 बजे मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।)

(अपराह्न 02 बजकर 15 मिनट पर मा0 अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मा0 राम गोविन्द चौधरी, आप बोलें।

(समाजवादी पार्टी के वेल में उपस्थित सभी सदस्य अपनी सीटों पर वापस चले गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो थोड़ा-बहुत हुआ, जिसकी वजह से हमारे मा0 सदस्यों को वेल में आना पड़ा। आप जब से इस सिंहासन पर बैठे सरकार अपना काम क्या है, वह नहीं बताती है। चार साल हो गया केवल अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने के लिए अवसर ढूढ़ती रहती है। अभी दो बार मा0 मंत्री जी ने कहा कि नौकरी बिकती थी तो मैंने पूछा कि क्या आपने खरीदी है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि लोक सेवा आयोग में इतनी बेईमानी हुई। सरकार ने सी0बी0आई0 जांच बैठायी और उसमें एक भी कुछ नहीं मिला। यह अपना काम नहीं बतायेंगे केवल विपक्ष को आज भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जनता ने इस बार इस बात का निर्णय कर लिया है कि इन्होंने चार साल में कोई काम नहीं किया है और हर वर्ग को धोखा दिया है। बेरोजगारों को बहुत बड़ा धोखा दिया। जनता इस बार उसी अखिलेश यादव को यहां पर बैठायेगी और इनको इस तरफ लेकर आयेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध है कि मेरी नियम-56 की नोटिस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी नोटिस को अग्राह्य करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

चौधरी साहब से यह कहिए कि दिन में सपने देखना बन्द कर दें। हम इस बार भी यहां बैठे हैं और अगली बार भी हम ही आएंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

14 वर्ष के बाद आये हैं और इस बार 16 वर्ष के बाद भी नहीं आयेंगे।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' अपनी सूचना पर बोलें।

श्री नरेश सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी नियम-56 की सूचना खनन से सम्बन्धित है, कृपया सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले मेरा ले लें।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अभी इसके बाद आपका भी लेते हैं।

श्री नरेश सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी, आज खनन से सम्बन्धित नियम-56 की सूचना जो कांग्रेस पार्टी की तरफ की लगाई गई है वह लोक महत्व के विषय की सूचना है। इस पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा तीन राज्यों से जुड़ी हुई है। एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ हिमाचल है और तीसरी तरफ उत्तरांचल है। इन तीनों स्टेट्स के माफियाओं द्वारा हमारे यहाँ खनन को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और साथ ही साथ जो लोकल माफिया है उनसे मिली-भगत है और उसके साथ-साथ प्रशासन से भी मिली भगत है और यह उत्तर प्रदेश के राजस्व का नुकसान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सरकार जितने तटबन्ध का काम कर रही है उन तटबन्धों को जो वर्ष 1980 के आस पास के बने हुए हैं, उनके पास खनन कर रहे हैं, इससे संभावना है कि इस बार जो बाढ़ आयेगी, उसमें वह तटबन्ध टूट जायेंगे और उसके साथ जो हरियाणा के पानी का बहाव है, वह हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ आ जायेगा। निश्चित तौर पर 10-15 गाँव तो ऐसे हैं, जिनका सहारनपुर के नक्शे से पता भी नहीं चलेगा। स्थानीय स्तर पर सरकारी खनन पट्टे आवंटित हैं, परन्तु खनन पट्टेधारक आवंटित पट्टों से खनन न करके नदियों से अवैध खनन करते हैं। उनका निर्धारण पट्टे धारक द्वारा किये गये खनन के रिकार्ड व स्थलीय निरीक्षण पर पट्टे धारक के पट्टे से हुए खनन का नाम पड़ने से पता लगाया जा सकता है। स्टोन क्रेशर से लेकर मालिकों और लोडिंग वाहन खनन सामग्री ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके कारण क्षेत्र में विकास हेतु नवनिर्मित सड़कें ओवरलोडिंग वाहनों से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सड़कों के अति क्षतिग्रस्त हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में जनता में भारी रोष व्याप्त है क्योंकि सड़क पुनर्निर्माण होने के समय पांच वर्ष के पहले ही टूट जाती है।

इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा समय-समय पर स्थानीय प्रशासन एवं भू-तत्व खनिकर्म विभाग, लखनऊ में अवगत कराया गया है। स्वयं मेरे द्वारा 31-01-2019 को प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 20-02-2019 को पत्र के माध्यम से और 24-04-2019 को प्रमुख सचिव भू-तत्व एवं खनिकर्म लखनऊ को अवगत कराया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा पुनः स्मरण हेतु दिनांक 03-06-2019 को प्रमुख सचिव खनन विभाग लखनऊ, दिनांक 12-02-2020 को मा0 मुख्य मंत्री जी को, दिनांक 16-12-2020 को प्रमुख सचिव, खनन विभाग लखनऊ को पत्र लिखे गये। इसी तरह दिनांक 21-01-2021 को मा0 मुख्य मंत्री जी से दिनांक 23-02-2021 को प्रमुख सचिव, खनन विभाग को अवगत कराया गया है, परन्तु खनन माफिया स्टोन क्रेशर मालिक स्थानीय प्रशासन की मिली-भगत से सरकारी भूमि का खनन कर रहे हैं। नदियों से अवैध खनन के संबंध में अवगत कराना

चाहूँगा। सतपुरा नदी के पास एक सोलानी नदी पड़ती है, कोई देहरादून का माफिया आया और उसका तटबन्ध ही काट दिया। उसका आप स्थानीय निरीक्षण करा सकते हैं। नदियों में कालुआला जहानपुर, सतपुरा, शाहजहांपुर आदि ग्राम में बाढ़ का प्रभाव रोकने हेतु चार वर्ष पुराने त्टबन्ध को पट्टे धारक श्री जसवीर सिंह निवासी चण्डीगढ़ द्वारा आवंटित पट्टे के स्थान को छोड़कर सरकारी भूमि में अवैध खनन करके बन्धे को हानि पहुंचा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप सूची न पढ़िये, ऐसे ही अपने बात को रखिये।

श्री नरेश सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, जनता को बाढ़ का भय सता रहा है। इसी तरह से यमुना नदी के आस पास असलमपुर गट्टा, बट्टाकोरसी, नलोनी, पटोरी, सोलीधोला, ननिहारी, योद्धावास में इसी तरह की स्थिति है। जो यमुना का बहाव है, उस तटबन्ध के पास है। इन्हें एकदम खाली कर दिया गया है और निश्चित तौर से यह जो 10 गाँव हैं, इनका इस बार नक्शे में नाम भी नहीं रहेगा। मैं ऐसे ही यह बात नहीं कह रहा हूँ, आप इसका स्थानीय निरीक्षण कराकर देख लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका विषय आ गया, अब हम पूछ लें।

श्री नरेश सैनी-

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। क्षेत्रीय जनता द्वारा स्थानीय निरीक्षण प्रशासन को अवैध खनन की शिकायत करने और उन्हें खनन माफियाओं के कहने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का काम प्रशासन करता है। इसके साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सम्बन्धित प्रकरण जनहित में अति महत्वपूर्ण है, अतः इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जाये तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर चर्चा कराने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सूचना दी गयी। विशेष रूप से इसमें विधान सभा क्षेत्र को कोड किया गया है और खासतौर से श्री नरेश सैनी जी ने अभी जो अपनी बात कही, उसी के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि अवैध खनन हो रहा है, तो अवैध खनन के लिए चेकिंग भी की गयी, जुर्माना भी किया गया और जितनी भी वैधानिक कार्रवाई सम्भव थी वह भी की गयी और साथ-ही-साथ वैधानिक रूप से पट्टे भी दिये गये, जो संचालित थे। जनपद-सहारनपुर के तहसील बेहट के नदी तल में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्डर की ई-नीलामी के माध्यम से 5 वर्षीय दीर्घकालिक पट्टे स्वीकृत हैं तथा आज की तारीख में वह संचालित भी है।

मायापुर-रूपपुर क्षेत्र की अवधि 15-06-2020 से लेकर 14-06-2025 तक की है। सरैना क्षेत्र के लिए जो टेण्डर नीलाम हुआ वह 06-06-2020 से लेकर 05-06-2025 तक है।

इसी तरह से रहना लॉक की नीलामी 05 साल के लिए 20-06-2020 से लेकर 19-06-2025 तक है। हैदरपुर हिन्दुवाला के लिए 06-10-2020 से लेकर 05-10-2025 तक तथा शेरपुर पेलो ये बेहट विधान सभा क्षेत्र का नाम है, ये 5वां नीलामी पट्टा है, ये 09-02-2021 से लेकर 08-02-2026 तक है। इसके अतिरिक्त बालू, बजरी, बोल्डर जो मिश्रित अवस्था में नियम-52(क) के अन्तर्गत 03 माह के लिए खनन अनुज्ञा-पत्र शार्ट टर्म के लिये दिये जाते हैं। ये मान्यवर, 10 क्षेत्रों में अलग-अलग दिये गये, 03-03 महीने आप कहेंगे तो उसको पढ़ भी देंगे। साथ-ही-साथ, जो आपने विशेष रूप से अवैध खनन के ऊपर जो बात कही है, उस पर हम आपके माध्यम से जानकारी दे दें। 559 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें 474.39 लाख शमन शुल्क के रूप में वसूला गया। इसके अतिरिक्त एफ0आई0आर0 भी हुई है और जो भी आपने कहा है कि प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। इस पहलू को जरूर दिखवा लेंगे। आज ही निर्देशित कर देंगे कि किसी भी तरह से अगर होगा तो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी शामिल होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जायेगी। मान्यवर, यह आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। यह नियम-56 में नहीं आता है।

श्री नरेश सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकारी पट्टे हैं, उनकी आड़ में अवैध खनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसमें स्पष्ट उत्तर भी है, आश्वासन भी है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सरकार की तरफ से बार-बार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और कानून-व्यवस्था के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी भी प्रायः अपनी सरकार का गुणगान करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ा है और अनेक घटनाओं का हम लोगों ने यहां पर जिक्र किया है। आज ताजा उदाहरण अलीगढ़ का है जिस तरह से अलीगढ़ में केवलास गांव है, थाना अकबराबाद, जिला अलीगढ़ में एक सोलह-सत्रह वर्ष की दलित बालिका कल सुबह 11 बजे से गायब होती है और शाम को उसकी लाश नग्न अवस्था में बरामद होती है। उसके साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। मान्यवर, इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। यह पहली घटना नहीं है, अनेक घटनाएं इस तरह से विशेषकर दलित समाज की बालिकाओं के साथ हुई हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार का इकबाल नहीं रह गया है। अपराधियों के खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिए,

वह नहीं हो रही है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण घटना है, कल की घटना है, तात्कालिक घटना है। पूरे गांव में इसके खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। रात में लोग लाश भी नहीं उठाने दे रहे थे। गांव वालों का पुलिस से झड़प भी हुआ। तो निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण घटना है। अभी हमारे जिले में रामनगर में एक वृद्ध महिला की लहूलुहान लाश मिलती है तो इस तरह से अनेकों घटनाएं हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा और तमाम घटनाओं का जिक्र करके मैं सदन का समय नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन मान्यवर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि अपराध भी किया जाता है, बलात्कार भी होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर प्रभावी नियंत्रण हो सके, इसलिए इस पर चर्चा की आवश्यकता है, कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करें और उसका निदान करें। यह तात्कालिक, अविलम्बनीय घटना है और वहाँ पर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि इस घटना पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की आप कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक अलीगढ़ की घटना का सवाल है, वह बहुत दुखद है, बहुत अफसोसजनक घटना है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन मान्यवर, जो बात माननीय वर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार किसके साथ खड़ी है। सरकार मान्यवर, पीड़ित पक्ष जो है उसके साथ खड़ी है और अभी तक इस सरकार का रिकार्ड रहा है, सरकार के चार साल पूरे होने जा रहे हैं कि किसी भी अपराधी को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया गया है। न किसी अपराधी को बचाने की मंशा है मान्यवर। दूसरी तरफ, आपके लोग ही, विपक्ष के लोग ही यह आरोप लगाते हैं कि इमरजेंसी लगी है। मान्यवर, इस सरकार में अपराधी जितने भी थे जो अपने आप में बरसों से चर्चित और खूँखार अपराधी रहे, उनके खिलाफ जितनी कार्यवाही हुई है। चूंकि पूरे प्रदेश की बात कही गयी, इसलिए जवाब देना जरूरी है। पांच लाख रुपये तक का इनामी जो था, वह भी मारा गया। जो एक लाख रुपये तक के इनामी थे, वह भी मारे गये। जो 50 हजार तक के इनामी थे, वह भी मारे गये और जो 25 हजार तक के इनामी थे, वह भी मारे गये। उनको जब पकड़ने की कोशिश की गयी तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, उद्दण्डता की, बराबर से पुलिस से मुठभेड़ की, नतीजा यह हुआ कि उनको मारा गया। मान्यवर, जितनी कार्यवाही इस सरकार में पिछले चार बरस में हुई है और उसी का नतीजा यह है कि आज पब्लिक परसेप्शन यह है कि इस सरकार में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है। जहां तक महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात है आप 2018 का देख लें, 2019 का देख लें और 2020 का देख लें। निरन्तर मान्यवर, यह अपराध घटे हैं। खासतौर से बलात्कार और हत्या की बात कर रहे हैं तो हत्या मान्यवर 2018 में 4018 थी, 2019 में 3663 थी और 2020 में 3468 हत्या हुई। बलात्कार देख लें, 2018 में 3946 हुए, 2019 में 2858 हुए और 2020 में 2317 हुए। यह भी न होते तो अच्छा था, लेकिन मान्यवर, किसी भी अपराधी को बचाने की

सरकार की कोई मंशा नहीं है, चाहे वह कितनी पहुंच वाला हो, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो। इसलिए वर्मा जी को इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहिए कि यह सरकार जिस दिन से आई, अगर अपराध के बारे में यह कहा कि जीरो टालरेंस है, उसको साबित करके दिखाया। इसलिए यह घटना, जिसकी बात आप कर रहे हैं, आपने यह घटना जो बताई है। मान्यवर, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, पॉक्सो ऐक्ट भी लगा है, 5/6 पॉक्सो ऐक्ट भी लगा है, 302 है, 376 भी लगा है। साथ ही साथ घटना के अनावरण के लिए पाँच टीमें गठित कर दी गई हैं। मैं आज जब सबसे पहले आया तो मैंने एस0पी0, अलीगढ़ से बात की और उन्होंने कहा कि उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद हम आपको पूरी जानकरी दे देंगे। हमने खासतौर से एस0पी0, अलीगढ़ से इस बात के लिए कहा, गृह सचिव को भी बुलाकर कहा और हमने स्वयं भी अभी पौने 11 बजे बात की है कि किसी भी तरीके से, किसी लेबल का अपराधी हो, उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्यवाही हो, वह की जानी चाहिए। मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि घटना दुःखद है। लेकिन अपराधी पकड़ा भी जायेगा और अपराधी को सजा भी मिलेगी और सरकार पूरी तरीके से पीड़ित पक्ष के साथ है और इस प्रकार के अपराधों को रोकने के पक्ष में है।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जंगलराज है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आंकड़ा तो बहुत बताया। मैं इनसे सिर्फ एक जानकारी और चाहता हूँ कि बलात्कार के बाद हत्या की प्रदेश में कितनी घटनाएं इस वर्ष हुईं, कितनी पिछले वर्ष हुई थीं, कितनी उसके पिछले वर्ष हुई थीं, इसका भी अलग से एक आंकड़ा दे दें।

श्री अध्यक्ष-

हो सकता है कि यह आंकड़ा न हो।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष, यह देंगे-देंगे। यह संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनको देना है। जवाब आने दीजिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, जवाब तो आ गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, कहाँ जवाब आया है। इनका जो सवाल था, इसका जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर उन्होंने कोई प्रश्न तो उठाया नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, इनका जवाब पूरी तरह गोलमोल है। उत्तर प्रदेश में जंगलराज है। अभी उन्नाव, हाथरस की घटना बीती नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बेकार में बीच में खड़े हो गये हैं। आप बैठिये, आपको किसने अनुमति दी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में आज कोई सुरक्षित नहीं है। गुण्डागर्दी और जंगलराज है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आप यहां जंगलराज मत फैलाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

कांग्रेस पार्टी, सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और उसके खिलाफ सदन से बहिर्गमन करती है।

श्री अध्यक्ष-

हाँ, यह काम करिये।

(व्यवधान के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।)

(सदस्य श्री लालजी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आ गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने एक निवेदन किया था और कहा था कि माननीय मंत्री जी यह बता दें कि बलात्कार के बाद हत्या की जो घटनाएं हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, पूरी घटना पर वह विस्तार से बोल चुके हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने आंकड़ा तो और बता दिया। लेकिन बलात्कार के साथ-साथ हत्या की घटनाएं कितने प्रतिशत बढ़ी हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में आज नारी सुरक्षित नहीं है और इस

तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं हो रही है। सरकार के इस कानून व्यवस्था के साथ जो यह खिलवाड़ हो रहा है। इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(व्यवधान के मध्य नेता, बहुजन समाज पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी दो मिनट में अपनी बात कह लें। बहुत संक्षेप में कहियेगा।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया, यह हमारे क्षेत्र की बात है। आजमगढ़, सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक रानी की सराय बाजार में दिनांक 11-02-2021 को तोड़-फोड़ की गई। उसमें व्यापारी रहते हैं और व्यापारियों की दुकानों को, मकानों को व सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया, यहां तक कि वह अपना सामान भी दुकान से नहीं निकाल पाये। आज स्थिति यह है कि न वहां बिजली है और न वहां पानी है, व्यापारी बुरी तरह से परेशान है। यह सरकार तो व्यापारियों की बहुत बड़ी हमदर्द है, इसके बावजूद भी जो मकान-दुकान गिरायी गयीं, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

हम सरकार से कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करायी जाय और जहां सहायता की जरूरत है, वहां यथावश्यक सहायता प्रदान की जाये।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, आपने कह दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो उनका नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा उनको दिलाने की कृपा करें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग देख लें कि क्या ज्यादती नहीं हो रही है। इतनी ज्यादा नियम-56 की सूचनाओं को सुन रहे हैं।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र का मामला है, निषाद बिरादरी का मामला है, मामला तात्कालिक है।

श्री अध्यक्ष-

बताओ, यह कब की घटना है ? आप कृपया बैठ जायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप बहुत उदार हैं, इसलिए लोग खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संग्राम जी, आप बतायें।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद आजमगढ़ की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मान्यवर, बार-बार इस सदन में न जाने कितनी बार प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में बात हुई और समय-समय पर सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया। मान्यवर, आजमगढ़ में हम सब विधायक जिसमें मैं था, नफीस जी थे, आलमबदी साहब थे, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी से समय ले करके जिले की समस्याओं के सन्दर्भ में जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे। जब हम जिलाधिकारी के गेट पर पहुँचे, वहां पर शहर कोतवाल थे, उनसे हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को 12 बजे का टाइम जिलाधिकारी की ओर से दिया गया है। मान्यवर, हमें कोई ज्ञापन भी नहीं देना था, वह अकड़ करके खड़े हो गये और कहे कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, बार-बार कहा जाता है कि वी0आई0पी0 कल्चर खत्म हो गया है, क्या अधिकारियों के लिए आपने कोई अलग से रास्ता जिलों में तय कर दिया है कि जिस रास्ते से वो जायेंगे, उस रास्ते से विधायक नहीं जा सकता है। जब हम लोगों ने कहा कि उस रास्ते से जाने में थोड़ी असुविधा है और सब सम्मानित विधायक हैं, हम लोगों का कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं है, हमें जिलाधिकारी ने समय दिया है और उस समय के अनुसार हम मिलने जा रहे हैं। मान्यवर, ऐसी डांट पिलाया है शहर कोतवाल ने कि हम क्या कहें, हम छात्र राजनीति से हैं और माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी इतने सीनियर सदस्य हैं, नफीस जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन मान्यवर, ऐसे झिड़का कि उस तरह से किसी मुजरिम के साथ भी पुलिस बर्ताव नहीं करती है। संसदीय कार्य मंत्री जी, पूरा वीडियो फुटेज है, बार-बार कहने के बावजूद कि तुम जिलाधिकारी से बात कर लो, उन्होंने समय दिया है। अगर वह मना कर देंगे कि इस रास्ते से न जाना तो हम नहीं जायेंगे। आजमगढ़ की जिला कलेक्ट्रेट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी कलेक्ट्रेट बनी है और सुविधा के लिए बनी है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपकी बात आ गई।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, उसने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया और संसदीय कार्य मंत्री जी सबसे गम्भीर बात यह है कि पांच घण्टे लगातार पांच-पांच विधायक/विधान परिषद् सदस्य उसी सड़क

पर बैठे रहे। हम लोग सड़क पर बैठे, वहां पर जिलाधिकारी महोदय आये और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको देख लेंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी विपक्ष की बातों को भी सुना जाये। माननीय नेता विरोधी दल स्वयं संज्ञान लिये और आपने भी जिलाधिकारी महोदय से बात किया। हम आभारी हैं नेता विरोधी दल के कि वह दूसरे दिन कार्यक्रम लगा करके वहाँ गये और जन प्रतिनिधियों से मिले। माननीय नेता विरोधी दल ने आश्वस्त किया था कि जब विधान सभा का सत्र आहूत है तो हम वहाँ इस बात को सरकार के संज्ञान में लायेंगे।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि अभी जो पूर्वांचल का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे बन रहा है, उसकी जमीन रजिस्ट्री भी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

इसको अलग रखिये, इसे किसी और दिन दे देना।

डॉ0 संग्राम यादव-

उस जमीन में जो किसान ने फसलें उगाई थीं, अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने मिल करके जे0सी0बी0 से फसलों को पूरी तौर पर पलट दिया और जो लोग फसलों के साथ खड़े हुए तो ऐसे किसानों पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ और उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है, कृपा करके उसका आंकलन करा लें और आंकलन के बाद जो उचित मुआवजा हो, उसे किसानों को देने का काम करें। मान्यवर, इन्हीं दो बातों के माध्यम से मैं आपका विशेष तौर पर संरक्षण चाहता हूँ कि जो कोई इस तरह का आचरण करे, बार-बार बताने के बावजूद कि हम सब विधायक हैं। हम ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। मान्यवर, यह बात 27 तारीख की है। वह इंस्पेक्टर बराबर कहता रहा कि जाइये! पीछे हटिये, हमने ऐसे विधायक बहुत देखे हैं, जाइये! हटिये, जाइये! हटिये! हम लोगों ने कहा कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आप जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कर लें, अगर वह मना कर देंगे, तो हम उस रास्ते से नहीं जायेंगे। मान्यवर, विधायकों के साथ जब इस तरह से व्यवहार होगा, तो हम कहां जायें ? मान्यवर, हम आपसे विशेष संरक्षण की उम्मीद रखते हैं। विधायिका के सम्मान के लिए इस पीठ से आपका कोई न कोई निर्देश अवश्य जाए। धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह मामला गम्भीर है। चाहे पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का। सदस्य, सदस्य है। मा0 विधान सभा के सदस्य का सम्मान मुख्य सचिव से भी अधिक है। प्रायः ये देखने में आता है कि अधिकारी लोग जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने में अपने को तौहीन समझते हैं। मैं आजमगढ़ खुद गया था। मा0 अध्यक्ष जी, आलमबदी जी को उस इंस्पेक्टर ने

धक्का दे दिया। इन्होंने हमसे खुद कहा कि आप यह मत बताइयेगा कि उस इंस्पेक्टर ने हमको धक्का दे दिया, नहीं तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। धक्का देने से ये गिर पड़े। जबकि हमारे विधायक लोग लिखित रूप से जिलाधिकारी महोदय से मिलने का समय मांगे थे। कोई यह भी नहीं था कि उनको किसी प्रकार का पत्र देना था, धरना या प्रदर्शन करना था।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस इंस्पेक्टर ने जो कुकृत्य किया है, इसमें कोई इगो न बनाकर उस पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर हो, जिससे पूरे प्रदेश में इस तरह के अधिकारी किसी भी पार्टी के जन प्रतिनिधि के साथ इस तरह की अपमानित घटना करने से बच सके।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 दुर्गा प्रसाद जी ने जो सूचना दी थी, उसके संबंध में हम दिखवा भी लेंगे और कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, उसे करा देंगे। मा0 संग्राम सिंह जी ने जो विषय उठाया, मा0 नेता विरोधी दल ने उस पर बल दिया। मान्यवर, हम उस पर आज ही रिपोर्ट मंगाकर कार्रवाई के लिए निर्देशित कर देंगे।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 की शेष सूचनाएं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाये।

(02:46) उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उज्जवल रमण सिंह जी, क्या आप इसमें कुछ बोलेंगे ?

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मा0 अध्यक्ष जी, इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य है, अगर इस उद्देश्य को हम अच्छा मान भी लें, तो भी हम सरकार से दो चीज कहना चाहते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जो निजी मकान हैं, उन पर सरकार बिना मकान मालिक की सहमति लिए सौन्दर्यीकरण के नाम पर उसको रंगवाने लगती है। यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आप हमारे मकान की पुताई करवायें, आप हमारे मकान का रख-रखाव करें। ये हमारा मूल अधिकार है। अभी तक

आपने सरकारी सम्पत्तियों को शामिल किया और सरकारी सम्पत्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस विधेयक में आप इसको भी शामिल कर लें कि निजी मकान में जहां पर मकान मालिक की सहमति न हो, तब तक सरकार उस मकान पर कोई भी इस तरीके का काम न करे, हम यह संशोधन रखना चाहते हैं।

दूसरा, ये सरकार हर चीज पर एक कार्रवाई करने लगती है कि उस पर दण्ड देना, क्रिमिनल एक्ट बनाना और उसको दण्ड देकर जेल भेजना। हमारा आपसे यह कहना है कि हर चीज को दण्डनीय अपराध मत बनाइये। हर एक्ट को सिविल एक्ट रखिये। सरकार हमेशा जल्दी में रहती है, सरकार को न मालूम क्यों एक्ट बनाने में इतनी जल्दी है। बाकी किसी चीज में जल्दी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत जल्दी एक्ट बनाने में हैं कि एक्ट जल्दी बन जाये, जल्दी पास होकर चला जाये। मैंने यह पहली सरकार देखी है, जिसमें सरकार की जल्दी के नाते एक्ट को बाद में वापस लिया जा रहा है। तो हम सरकार से यह चाहेंगे कि आप इस पर सोच-विचार कर लें और इसे प्रवर समिति को सौंप दें और प्रवर समिति में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त इसको आगे बढ़ाने का काम करें। हम उम्मीद करेंगे कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करें, जिससे एक बेहतर विधेयक बना कर हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो समझते थे कि उज्जवल रमण सिंह जी इसका स्वागत करेंगे। यह सुधार के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। माननीय सदस्य जो यहां पर अपना प्रस्ताव रख रहे थे, अगर आपका कोई पोस्टर लगा हो, आपकी तुरन्त की रंगी हुई दीवार हो, बाउण्ड्रीवाल हो, उसके ऊपर आकर कोई गन्दगी करे तो उस गन्दगी के खिलाफ हमने एक कानून बनाया। यह उसके भी खिलाफ हैं, जो बिल वापस लेने का इशारा कर रहे थे, तो बिल वापस मान्यवर, इन्हीं के हित में लिया गया है। उस अधिकरण को दो दिन के लिए प्रयागराज बैठाना है। वह आप ही के हित के लिए किया गया है। प्रयागराज आपकी जन्म स्थली व कर्म स्थली है। अधिकरण 3 दिन यहाँ बैठेगा, दो दिन वहाँ बैठेगा, इसीलिए किया गया है। अगर इनके हित में कोई बात की जाये तो भी यह विरोध समझते हैं। मान्यवर, यह बिल खासतौर से किसी निजी सम्पत्ति को या सरकारी सम्पत्ति को डिफेस करने से रोकने के लिए ही लाया गया है। इसमें केवल एन0सी0आर0 का प्राविधान है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर 24 घण्टे के अन्दर उसको साफ करा देगा तो उसको किसी प्रकार का कोई दण्ड नहीं मिलेगा। लेकिन स्वागत करने के बजाय उसकी भी आलोचना कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। मेरा आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध है कि यह जो उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 को लाया गया है, यह बहुत अच्छी मंशा और भावना से लाया गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना और किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं है। किसी प्रकार का कोई जुलूस हो, किसी प्रकार की

कोई भीड़ हो, अगर वह किसी के दीवार या चेहरे को बदरंग करना चाहती है, तो उसको रोकने के लिए इसमें प्राविधान किया गया है। उसके लिए फाइन की व्यवस्था की गयी है, उसको पूर्व स्थिति में लाने के लिए किया गया है। लखनऊ और नोएडा में यह पावर पुलिस आयुक्त को है। बाकी सभी जगह एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है। 24 घण्टे के अन्दर अगर पूर्व स्थिति में ले आये तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर नहीं करते हैं तो इसमें एन0सी0आर0 का प्राविधान है। हर प्रकार से एक अच्छी परम्परा की शुरुआत करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसलिए चाहता हूँ कि इसको पास किया जाये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उज्जवल रमण सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ। यह सरकार केवल नियम बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही है। प्रतिदिन चुनाव आयोग से लेकर सरकारी तंत्र हमारी जो सुविधाएं थीं, उसमें कटौती होती जा रही है। हमारी कमजोरी की देन है कि हम झण्डा अपनी गाड़ी पर, सर पर लगाते हैं, घर पर बाँधते हैं, पोस्टर, पम्पलेट छापते हैं और चुनाव आता है तो चुनाव आयोग उसको वर्जित कर देता है कि आप अपना झंडा ले करके नहीं चल सकते हैं। ऐसी ही सरकारों की देन है, नियम बना-बना करके। झंडा व हमारी पार्टी का अपमान होता है।

झंडा हमारी पार्टी की आत्मा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो। वाल राइटिंग का जबसे लोकतंत्र बहाल हुआ है, संविधान लागू है, जबसे हमें आजादी मिली है, तबसे वाल राइटिंग का प्रबन्ध है। हम पालीटिकल लोग अपना पोस्टर भी चिपका देते हैं दीवारों पर, कोई मना नहीं करता था। अब इनको गन्दगी दिखाई दे रही है। तो फिर राजनीतिक पार्टियां काम कैसे करेंगी। हम अपना प्रचार कैसे करेंगे ? हम पोस्टर न चिपकायें, वाल राइटिंग न करें। चुनाव में अपना झंडा न बांधें, चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी का बगल में न छापें, चुनाव चिन्ह की कोई चीज न पहनें।

माननीय अध्यक्ष जी, हम अपना झंडा, अपना चुनाव चिन्ह चुनाव के समय नहीं प्रयोग कर सकते तो फिर हम काहे को चुनाव लड़ेंगे। काहे को हम पालीटिकल पार्टी बनेंगे। कम खर्च करने का क्या मतलब है। चुनाव में जो पैसा और दारू बंट रहा है, उस पर क्यों नहीं कर रहे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, कोई आदमी, कर्मचारी, कोई कर्मचारी संगठन या कोई राजनीतिक दल धरना-प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन लेकर जा रहा है, कोई असामाजिक तत्व दुश्मनी से उस भीड़ में घुसकर कोई तोड़-फोड़ कर दे, कोई बस फूंक दे, कोई कुछ तोड़ दे तो पालीटिकल पार्टी का कार्यकर्ता तो अपना जा रहा है, तो क्या उससे वसूलेंगे। आजकल इसी तरह से हो रहा है, उससे वसूलेंगे। मैंने इसी सदन में कहा था कि यह तय कैसे होगा कि उसी ने किया है, क्योंकि पुलिस एफ0आई0आर0 करती है, पुलिस चार्जशीट लगाती है अभी तो आगे एक विधेयक आयेगा गुन्डा ऐक्ट। पुलिस कमिश्नर को उसका हेड बना दिया गया, पहले

डी0एम0 देखते थे। पुलिस ने गुन्डा ऐक्ट लगाया, किसी पर। जिलाधिकारी उसको देखेंगे कि यह ठीक है कि नहीं। चलाने लायक है कि नहीं। नोएडा में पुलिस कमिश्नर को दे दिया। तो आखिर में राजनीतिक आदमी किस हद तक जायेगा, कहां रहेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारा और आपका दायरा बहुत सिमटता जा रहा है। इसको प्रवर समिति को भेज दें। प्रवर समिति में आप ही की संख्या अधिक है। प्रवर समिति के सारे सदस्य इस पर गहनता से विचार-विमर्श करें और उसके बाद वह जो रिपोर्ट दें, उसको विधान सभा में लाइये। मैं इसको प्रवर समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल की मंशा निजी सम्पत्ति को और सार्वजनिक सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से डि-शेप करना और डि-फेस करने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है और पहुंच गये आप चुनाव आयोग। कहां की बात और कहां पहुंच गये। मान्यवर, गांव में एक मिसाल कही जाती है, इस समय अच्छा नहीं लगता, इस सदन में बोलने में। कहां नांद है और कहां मुंह मार रहे हैं। क्यों ज्यादती करते हैं आप। माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय नेता विरोधी दल ने या तो पढ़ा नहीं या वह इसके लिए थोड़ा लाइट मूड करने के पक्ष में हैं, जो मैंने समझा है। लाइट मूड करने की वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं। देखिये किसी की दीवार को पोतना, बिना उसकी मर्जी से उसकी दीवार पर पोस्टर चिपकाना या उसकी दीवार के ऊपर किसी प्रकार का विज्ञापन लिखना। अगर आपकी मर्जी के बिना, आपकी सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचाये, उसको कोई डि-शेप करे तो उसको रोकने के लिए बिल लाये हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति हो या निजी सम्पत्ति। तो मैं समझता हूँ कि इस बिल की मंशा अच्छी है और यह सुधार के लिए एक अच्छा कदम है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं मान्यवर, यह सरकार बिल बहुत तेज लाती है और फिर उस बिल को यहाँ पास कराते हैं और फिर उस बिल को वापस लेने का भी प्रस्ताव लाते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सोच-विचार कर बिल लायें या उस पर चर्चा करें। अभी आज ही बिल वापस लिये गये हैं, जो इन्होंने स्वयं पास किये थे, इसमें भी जो स्थिति है। मनमाफिक ढंग से रिपोर्ट आ जायेगी कि यहां पर क्षति हुई है तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे, जहां आपके लोग क्षति करेंगे वहां आप कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए यह केवल पक्षपातपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से आन्दोलन को दबाने की दृष्टि

से बिल आया है। मैं चाहूँगा कि इस पर पुनः विचार करें। यह सोच-समझ कर समग्र रूप से बिल आये तो ज्यादा बेहतर है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

लोक एवं निजी सम्पत्ति के विरू पण और निवारण और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक मामलों का लोक हित में उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2-जब तक सन्दर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-18 सन् 2013) में यथा परिभाषित कम्पनी से है और उसमें वह सम्मिलित है ;

(ख) 'विरूपण' में रूप या सौन्दर्य को नष्ट करना या व्यतिक्रमित करना अथवा किसी भी प्रकार से, जो भी हो, क्षतिग्रस्त करना, विद्रूपित करना, खराब करना या क्षति पहुंचाना या क्षय होना सम्मिलित है और उसमें स्याही, खड़िया, पेंट या किसी अन्य सामग्री से चिन्हित करना अथवा स्टेंसिल या किसी अन्य प्रकार, जो भी हों, से सृजित अलंकरण करना, अक्षरांकन करना, आभूषित करना आदि भी सम्मिलित है।

(ग) 'व्यक्ति' का तात्पर्य साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा-3 की उपधारा (42) और भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-11 में यथा परिभाषित व्यक्ति से है और उसमें वह सम्मिलित है ;

(घ) 'निजी सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी ऐसी चल या अचल सम्पत्ति (जिसमें कोई मशीनरी सम्मिलित है) से है जो किसी व्यक्ति या संगठन या संस्था या इकाइ के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन या नियंत्रणाधीन हो, जो किसी धर्म या न्यास से सम्बन्धित हो, जो इस अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (च) के अधीन यथा परिभाषित कोई लोक सम्पत्ति या फर्म न हो, जिन पर उनके स्वामियों का अन्त्य और आत्यंतिक विधिक अधिकार हो ;

(ङ) 'सम्पत्ति' में कोई भवन, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, चौकी या कोई अन्य निर्माण या परिनिर्माण सम्मिलित है और उसमें कोई सार्वजनिक सेवा यान (मोटर यान अधिनियम, 1988 में यथा परिभाषित) मार्ग संकेतक आदि भी सम्मिलित है,

(च) 'लोक सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी ऐसी चल या अचल सम्पत्ति (जिसमें कोई मशीनरी सम्मिलित है) से है, जो निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन या नियंत्रणाधीन हो :-

(एक) केन्द्र सरकार; या

(दो) राज्य सरकार; या

(तीन) कोई स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निकाय; या

(चार) कोई निगम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित संस्था; या

(पांच) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा-2 की उपधारा-45, में यथा परिभाषित कोई कम्पनी ;

(छः) कोई संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह कि, राज्य सरकार किसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम को इस उपखण्ड के अधीन तब तक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी, जब तक कि ऐसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम का पूर्णतः या पर्याप्त वित्त पोषण, राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप में और केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप में उपबंधित निधियों द्वारा नहीं किया जाता है।

अध्याय-2

शास्ति और अपराधों का प्रशमन

लोक सम्पत्ति के विरूपण के लिए शास्ति

3-(1) जो कोई किसी लोक अथवा निजी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी का नाम पता संसूचित करने के प्रयोजन अथवा स्थानीय स्वशासन द्वारा किये गये सौन्दर्यीकरण के सिवाय बिना सम्पत्ति स्वामी की पूर्वानुमति के ऐसी लोक अथवा निजी सम्पत्ति को विरूपित करेगा, इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया समझा जायेगा, जो ऐसी अवधि के कारावास, जो एक वर्ष तक हो सकता है, से अथवा ऐसे जुर्माने, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई अपराध, किसी अन्य व्यक्ति या किसी कम्पनी या किसी निगमित निकाय या किसी व्यक्ति संगम (चाहे निगमित हो या न हो) के लाभ के लिए हो, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति या अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता या कोई अन्य अधिकारी अथवा यथास्थिति इस कम्पनी, निगमित निकाय या व्यक्ति संगम से सम्बन्धित व्यक्ति भी ऐसे अपराध का तब तक दोषी समझा जायेगा, जब तक कि वह यह प्रमाणित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था।

अपराधों का प्रशमन करने और प्रतिकर स्वीकृत करने की शक्ति

4-(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सक्षम अधिकारिता का कार्यपालक मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, जिससे हानि क्षति कारित हुई हो, को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् किसी अपराध का प्रशमन कर सकता है। प्रशमन धनराशि पांच हजार रुपये से कम नहीं होगी और यह एक लाख रुपये तक हो सकती है। प्रशमन धनराशि की गणना में, विरूपण हटाने के लिए उपगत धनराशि इसमें जोड़ दी जायेगी। प्रशमन धनराशि की पचास प्रतिशत धनराशि क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर स्वरूप प्रदान की जायेगी और शेष पचास प्रतिशत धनराशि, राज्य सरकार की सुसंगत निधि में जमा की जायेगी।

(2) उपखण्ड (1) के अनुसार प्रशमन धनराशि का संदाय करने के पश्चात् उपरोक्त मामले का निस्तारण तत्काल किया जायेगा और असंज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में कोई सूचना रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी।

(3) उपखण्ड (1) के अनुसार प्रशमन धनराशि जमा करने के पश्चात् अभियुक्त को तत्काल आरोपों से उन्मोचित कर दिया जायेगा।

अध्याय-3

अपराधों का अनुसंधान और विचारण करने की प्रक्रिया

विरूपण हटाने और अपराधों का अनुसंधान करने आदि की शक्ति

5-(1) किसी नगर निगम का नगर आयुक्त, नगर पालिका, नगर पंचायत का अधिशासी अधिकारी, ग्राम पंचायत का लेखपाल, सचिव, जिला पंचायत का अपर मुख्य अधिकारी और छावनी बोर्ड, औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी, प्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में किसी लोक सम्पत्ति से विरूपण हटाने के लिए उत्तरदायी एवं कर्तव्यबद्ध होंगे।

(2) अधिकारी या किसी प्राधिकरी को विरूपण से हटाने और विरूपण के पूर्व विद्यमान स्थिति में किसी लोक अथवा निजी सम्पत्ति को लाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या कम्पनी को नोटिस जारी करना होगा। नोटिस प्राप्त करने पर उक्त व्यक्ति या कम्पनी सामान्य प्रक्रम में एक सप्ताह की अवधि के भीतर और यदि निर्वाचन के दौरन आदर्श आचार संहिता प्रवृत्त हो, तो 24 घण्टे के भीतर निदेश का अनुपालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति या कोई कम्पनी नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लोक अथवा निजी सम्पत्ति को पूर्व की स्थिति में लाने में विफल हो, वहां ऐसे सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकारी को विरूपण को हटाना होगा और लोक अथवा निजी सम्पत्ति के विरूपण के पूर्व की विद्यमान स्थिति में लाना होगा और ऐसे विरूपण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों या कम्पनी से किसी विरूपण को हटाने के लिए उपगत व्ययों की वसूली करनी होगी। यदि इस प्रकार उपगत धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो इसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) अधिनियम के अधीन अपराध का अनुसंधान करने वाला पुलिस अधिकारी या सम्पत्ति के विरूपण को हटाने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी सम्पत्ति के विरूपण में प्रयुक्त ऐसी किसी वस्तु को अधिग्रहीत कर सकता है।

(5) क्षेत्र के सम्बन्धित पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को, विरूपण हटाने के लिए जब कभी अपेक्षित हो, सम्पत्ति के विरूपण को हटाने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को पुलिस सहायता उपलब्ध करानी होगी।

विचारण की प्रक्रिया

6-(1) जहां कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण या कम्पनी, जो विरूपण कारित किया हो/किये हों अपराध प्रशमन के लिए तैयार न हो/हों वहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध, असंज्ञेय और जमानतीय होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण, संक्षिप्त विचारणवाद के रूप में किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-262 से 265 तक के उपबन्ध यथाशक्य ऐसे विचारण के लिये लागू होंगे।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई उपबन्ध न हो, वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध लागू होंगे।

(5) न्यायालय, निर्णय देते समय सम्पत्ति स्वामी को हुई सम्पत्ति की क्षति की क्षतिपूर्ति, विरूपण को हटाने और विरूपण के पूर्व विद्यमान स्थिति में किसी लोक अथवा निजी सम्पत्ति को लाने में उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति करने हेतु वसूल किये गये सम्पूर्ण जुर्माने या उसके आंशिक भाग के लिए आदेश देगा।

(6) क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर, अधिरोपित जुर्माना से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।

अन्य विधियां अध्यारोही करने के लिए अधिनियम

7-तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

8-राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

9-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-9 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

श्री मौहम्मद फईम इरफान अपनी याचिकाएं उपस्थित करें।

श्री मौहम्मद फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 03 याचिकाएं तथा जनपद सम्भल से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री मौहम्मद फईम इरफान की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी जायेंगी :-

1-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पीतपुर से ग्राम बाछलभूड़ तक लगभग 02 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जाबिर, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम बगरौआ से ग्राम मल्हीपुर, महमूदानगला तक लगभग 01 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलफाम, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के तहसील चंदौसी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम बलकरनपुर से ग्राम झारखण्ड तक लगभग 10 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास यादव, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम थावला से ग्राम मनकुला तक लगभग 02 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीस निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद के तहसील चंदौसी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पैगारफातपुर तक 01 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उसमान, निवासी जनपद सम्भल की याचिका।

(03:02) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो दूसरा बिल हम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 लाये हैं, इसमें दो धाराओं में बहुत छोटे-छोटे संशोधन हैं। इसमें मूल धारा-2 और धारा-6 में संशोधन लाने पर प्रस्तावित है। धारा-2 में अभी तक केवल व्यवस्था यह थी कि 2(क) जिला मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है, उसके स्थान पर जो हम संशोधन लाये हैं वह यह है कि जिला मजिस्ट्रेट में राज्य सरकार द्वारा तद्निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट सम्मिलित हैं और पुलिस आयुक्त में राज्य सरकार द्वारा तद्निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य केवल यह है कि गुण्डा एक्ट वाले अभी तक जो मुकदमे थे, उसमें केवल जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी रूप से सुनने का अधिकार था। लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गयी। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी दो जगह कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। उस स्थान पर हमने जहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है, केवल वहां पर संयुक्त पुलिस आयुक्त या उप पुलिस आयुक्त को भी यह पावर दी है कि वह भी इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई कर सकें। दूसरा संशोधन धारा-6 के अन्तर्गत है। धारा-6 में जो अतिरिक्त ज्यूरिस्डिक्शन है, अभी तक धारा-6 का ज्यूरिस्डिक्शन केवल कमिश्नर था, मण्डलायुक्त के सामने 15 दिन के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट या ए0डी0एम0 के आदेश के खिलाफ अपील हो सकती थी। उसके स्थान पर चूंकि इसमें संयुक्त पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त बढ़ाया गया, इसलिए उनके द्वारा सुने हुए मुकदमे लखनऊ और नोएडा में जो मुकदमे संयुक्त पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त द्वारा सुने जाएंगे, उनकी अपील मण्डलायुक्त के साथ-साथ पुलिस आयुक्त के कार्यालय में हो सकेगी। उनके न्यायालय में हो सकेगी। मान्यवर, यह केवल दो छोटे-छोटे संशोधन हैं। हम व्यवस्था को और ज्यादा चाक-चौबन्द और दुरुस्त करने के उद्देश्य से लाये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पारित किया जाये।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अभी माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बताया कि केवल दो छोटे से संशोधन हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर की प्रणाली लागू की गई है, परन्तु इस सबके बावजूद लॉ एण्ड आर्डर पर कंट्रोल हुआ कि नहीं यह अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। परन्तु इसी के साथ-साथ गुण्डा एक्ट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर निश्चित रूप से प्रशासनिक प्रणाली और पुलिस विभाग इन दोनों की साइक्लाजी और सोच में बहुत फर्क है। एक विभाग के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी रंजिश में राजनीतिक रंजिश में सामाजिक तौर पर जब सोसाइटी में एस0एच0ओ0 या उसके सामने कन्फ्रन्टेशन की बात आती है तो कई बार बदले की भावना से भी व्यक्ति कार्रवाई को कर देता है। ऐसे में अगर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी या ए0डी0एम0 को यह अधिकार दिया जाता है तो निष्पक्षता के साथ-साथ इस बात का मापदण्ड तय करते हुए निर्णय ले सकता है कि यह गुण्डा एक्ट में लागू होता भी है कि नहीं। यह ज्यादा न्यायपूर्ण तरीका था, परन्तु इसको भी अगर हम पुलिस कमिश्नर को देने की बात करेंगे तो तमाम और दूसरी विधायी ताकतें तो उन्हें दी ही हैं, परन्तु गुण्डा एक्ट जैसे मामले में जो बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव है, जो पिछले दिनों में कई बार राजनीतिक कारणों से भी दिया गया है, उसमें इस बात की जरूरत महसूस होती है कि इसमें दूसरे संवर्ग का अधिकारी अगर निर्णय ले तो ज्यादा बेहतर निर्णय ले सकता है। इसलिए पुलिस कमिश्नर को उसका अधिकार देना या अपील में पुलिस आयुक्त को उसका अधिकार देना, मैं समझता हूँ कि यह न्यायोचित नहीं है। इसलिए इस पर समग्र विचार हो जाये, प्रवर समिति इस पर विचार कर ले कि दो संवर्गों के बीच में जो सोच हमारे जिलाधिकारी की आई0ए0एस0 के रूप में है, आई0पी0एस0 उसका अधीनस्थ अधिकारी नहीं है। एक चालान किया और उसके बाद उस पर गुण्डा एक्ट लगा दिया, उस गुण्डा एक्ट को दुबारा से हटाना उसके अधिकारी के लिए ज्यादा मुश्किल है। वह व्यक्ति अपना पक्ष डी0एम0 या ए0डी0एम0 के समक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकता है और वह ज्यादा न्यायोचित निर्णय लेने का काम कर सकता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे। सदस्यों के नाम हम बाद में बता देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें एक व्यवहारिक कठिनाई है। कहीं पुलिस कमिश्नर बहुत सीनियर पोजीशन वाला व्यक्ति बनाया जाता है। 25-25 साल जिसकी सेवा हो गई, वह पुलिस कमिश्नर बने।

श्री लालजी वर्मा-

पहले मेरी बात आ जाने दीजिए। उसके बाद जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, जो मा0 संजय गर्ग जी ने बात रखी, वह व्यवहारिक है कभी-कभी जो परिस्थितियां आ रही हैं। मैंने देखा है कि पुलिस इंस्पेक्टर या थाने का एस0एच0ओ0 होता है, यह सब लोग किसी से किन्हीं कारणों से नाराज होकर गुण्डा एक्ट का चालान कर देते हैं। अगर वह डी0एम0 या ए0डी0एम0 के पास जाता है तो निश्चित रूप से न्यायिक रूप से उसका परीक्षण होता है। अगर पुलिस के अधिकारी को ही पावर दें तो मैं समझता हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वह बाधित होगी। हमने जहां पुलिस कमिश्नर बनाया है, उन जगहों पर भी जिला मजिस्ट्रेट है, ए0डी0एम0 है। अब दोहरी व्यवस्था लागू करना कि ए0डी0एम0 भी देखेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी देखेगा और साथ-साथ पुलिस वाले भी देखेंगे, तो वहां पर दोनों को अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा या फिर वहां पर केवल पुलिस को अधिकार रहेगा। केवल पुलिस को अधिकार रहना भी उचित नहीं है। मान्यवर, मेरे स्वयं के संज्ञान में एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति के खिलाफ केवल एक मामला दर्ज होता है और वह भी फर्जी और केवल उसी एक प्रकरण के आधार पर पुलिस वालों ने उस पर गुण्डा एक्ट लगा दिया।

निश्चित रूप से ऐसे बिन्दु जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आते हैं तो परीक्षण होकर उसका सही-सही निराकरण हो जाता है और उसको न्याय मिल सकता है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है और आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से भी आग्रह है कि ऐसा कोई निर्णय न करें जिससे आपको भी अन्यथा कठिनाई का सामना करना पड़े। जब आपने उन जिलों में डी0एम0 और ए0डी0एम0 को बनाया है जहां पर पुलिस कमिश्नरेट लागू किया है, तो या तो उस जगह पर उसको समाप्त कर देते, लेकिन अगर वहां पर डी0एम0 और ए0डी0एम0 हैं तो उनके पास पहले से जो कार्य था, व जो पावर थी, उसको आप बनाये रखिये, आप क्यों उस पावर को हटाकर पुलिस को वह पावर दे रहे हैं। पुलिस न्याय करने के लिए और मुकदमा देखने के लिए थोड़े ही है। मुकदमा देखने का मजिस्टीरियल पावर चूंकि पहले से ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिप्टी कलेक्टर को या ए0डी0एम0 को, अपर जिलाधिकारी को था और पहले तो केवल वही मजिस्ट्रेट ही हुआ करता था तो अगर पहले से उसकी एक परम्परा बनी हुई है, वह कार्य करता है, न्यायिक ढंग से कार्य करता है और इस तरह से उसका परीक्षण सही-सही हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि स्वयं मा0 मंत्री जी भी अनुभवी व्यक्ति हैं, इस बात को संज्ञान में लेते हुए आप स्वयं भी इस बात को महसूस करते होंगे कि पुलिस अपनी बात को जल्दी उलटती नहीं है। चाहे वह नीचे से आ रहा है, चाहे जहाँ से आ रहा हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, अब आप समाप्त करें। मा0 नेता विरोधी दल भी बोलेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप स्वयं वापस ले लें या प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जिससे वास्तव में न्याय हो सके।

नेता विराधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरे बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में बांसडीह कोतवाली के बगल में एक गांव केवरा है। वहां पर दूसरे गांव के एक लड़के का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, उस गांव के लोग आये और हल्ला करके चले गये। केवड़ा गांव के 09 लोगों पर पुलिस ने गुण्डा एक्ट लगाया। डी0एम0 ने एल0आई0यू0 भेज करके पता लगाया तो उन 09 लोगों में किसी के खिलाफ आज तक न तो कभी एफ0आई0आर0 हुई और जिन्दगी में न ही कभी 107/17 के अन्तर्गत कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस ने उन पर गुण्डा एक्ट लगा दिया। खैर, वह अभी जांच कर ही रहे थे तब तक उनका ट्रांसफर हो गया। हमारे कहने का मतलब है जैसे कि मा0 वर्मा जी ने भी अभी कहा कि गुण्डा एक्ट पर एफ0आई0आर0 थाने की पुलिस करती है चाहे वह थाना इंचार्ज हो, चाहे इंस्पेक्टर हो और वह गुण्डा है कि नहीं है यह देखता तो जिला मजिस्ट्रेट है। वह भले ही अपना पावर ए0डी0एम0 को ट्रांसफर करे, अगर पुलिस थाना ही उस पर गुण्डा एक्ट लगाये और पुलिस ही उसको देखे तो न्याय तो नहीं होगा, क्योंकि कौन पुलिस वाला चाहेगा कि अपने थानेदार के हम दोषी मानें। इसलिए यह अनावश्यक है। चाहे कमिश्नर से ऊपर के आई0ए0एस0 अधिकारी को आप रख लें, क्योंकि आपने कहा है कि ऊंचा पद हो गया है तो उससे ऊंचे पद का भी आई0ए0एस0 अधिकारी है, उसको इसमें इनवाल्व कर लें, लेकिन गुण्डा एक्ट देखने के लिए मजिस्ट्रेट को मत हटाइये। नहीं तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जायेगा। चाहे पुलिस कमिश्नर, आई0ए0एस0 जैसे बड़े ओहदे वाले पद हों, लेकिन मजिस्ट्रेट को रखिये। इसलिए मैं इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का समर्थन करता हूँ। आप जो यह छोटे-छोटे कह रहे हैं यह बड़ा घातक है और जनहित में नहीं है। हम लोग कोई गुण्डों की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जो गुण्डा नहीं है उसको पुलिस गुण्डा बना देती है, यह बात उसके बहुत विरुद्ध होगी। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इसे एक प्रवर समिति के सुपर्द कर दिया जाये और ठीक से छानबीन करने के बाद इसे एक अच्छे रूप में लाया जाये। पावर मजिस्ट्रेट के हाथ में हो और चालान करने का अधिकार तो पुलिस के पास पहले से है ही, लेकिन देखने का अधिकार मजिस्ट्रेट को हो, इसलिए मैं आपके माध्यम से इसे एक प्रवर समिति के सुपर्द किये जाने की मांग करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में जो व्यवस्था चली आ रही थी, वही लागू रहेगी। केवल दो जिलों में जहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गयी है, वहीं पर बदलाव किया गया है। इसकी वजह यह है कि मान लिया जाय कि किसी पुलिस कमिश्नर की

25 साल की नौकरी है और वह 1995 बैच का है और जिलाधिकारी 1993 बैच का है तो पता चला कि 95 बैच का व्यक्ति उसके पास अनुरोध भेजेगा। यानी कि सीनियर व्यक्ति अपने से जूनियर के पास भेजेगा। अपील में भी यही स्थिति होगी। इसलिए केवल दो जिलों में यह प्रणाली लागू हो रही है। बाकी पूरे प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट ही गुण्डा एक्ट के केसेज को डील करेंगे। इसलिए मान्यवर, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर आपत्ति की जाय। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पारित करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 1971 की धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(क) ''जिला मजिस्ट्रेट में राज्य सरकार द्वारा तद्निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट सम्मिलित है और पुलिस आयुक्त में राज्य सरकार द्वारा तद्निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त/उप पुलिस आयुक्त सम्मिलित है।''

धारा-8 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

(1) ''धारा-3, धारा-4 या धारा-6 के अधीन कृत किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त या पुलिस आयुक्त को अपील कर सकता है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

(03:17) पीठ द्वारा बजट चर्चा हेतु समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

अब वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट पर चर्चा जारी की जाती है। लेकिन इसमें सभी वक्ताओं से हम एक अनुरोध कर लें कि कई बार पीठ से आग्रह किया जाता है कि आप 5 मिनट में या 6 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये। लेकिन अनेक लोग बड़ा हठ पकड़ लेते हैं, जिसके कारण अनुशासन में बड़ी कठिनाई होती है। अच्छा यह हो कि जो समय निर्धारित है, जैसे दलीय नेताओं को 25 से 30 मिनट का समय दिया जाता है और माननीय विधायकों को 5 मिनट का समय दिया जाता है, अगर 5 मिनट में बात नहीं पूरी हो रही है तो 6 मिनट का ले लें। लेकिन होता क्या है हमसे भी कभी-कभी गलती होती थी। जब हम पहली बार जीत कर आये थे तो कठिनाई यह होती है कि पहले तो हम दुनियां भर की बातें बताया करते हैं, अमेरिका की, इंग्लैण्ड की और जब पीठ से यह कहा जाता है कि अब आप समाप्त करिये तब हमको अपना क्षेत्र और गांव याद आता है। इसलिए मेरा सुझाव है, आग्रह यही है कि अगर गाँव की बात करनी है तो प्रारम्भ में ही कर ली जाय तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी यह लाल बत्ती इसीलिए लगी है ताकि 5 मिनट बाद इसका इस्तेमाल किया जाय, 5 मिनट पर बत्ती का इस्तेमाल किया जाय और 6 मिनट होने पर बात खत्म कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री महमूद इकबाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध यह है कि जैसे दलीय नेताओं को 25 से 30 मिनट का समय दिया जाता है वैसे ही सदस्यों को भी कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

हम तो चाहते हैं कि मा0 सदस्य 10 मिनट से ज्यादा बोलें लेकिन संख्या अपनी ज्यादा है और कई लोग अतिक्रमण कर जाते हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (श्री चौधरी उदयभान सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है कि 5 मिनट का समय जो आपने निर्धारित किया है, मैं उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ और कहता हूँ कि 5 मिनट ही हम लोग बोलेंगे, लेकिन जो बात शेष रह जाती है, उसके लिए आप आज्ञा दे दें कि वह लिखकर दे दें ताकि बात भी पूरी हो जाय और रिकार्ड में भी आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

मान्यवर, 5 मिनट तो शुरू करने में ही लग जाते हैं, एक-आध घण्टे तक बुलवाया जाता है। 5 मिनट में कोई बात हो सकती है क्या इस विधान सभा में, यह सम्भव नहीं है या तो सदन का समय बढ़ा दिया जाये। सदन को चार दिन और बढ़ा दिया जाये, अपनी बात तो कहने का मौका मिले। हम लोगों को अदरवाइज बोलने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग पहली बार विधायक चुनकर आये हैं। तमाम विधायक पहली बार चुनकर आये हैं। वे भी यह चाहते हैं कि अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात तो कह पावें। शुरू करने में धन्यवाद देने में समय गुजर जाता है।

श्री अध्यक्ष-

कई दिन से लोग बोल रहे हैं समय के भीतर। समय का ध्यान रखा जाये, बहुत लोगों को बोलना है। आज बोलना है, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है।

(03:21) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा†

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 की इस चर्चा में मुझे शामिल किया और मैं इसके साथ-साथ धन्यवाद देती हूँ हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और वित्त राज्य मंत्री संदीप सिंह जी का और संसदीय कार्य मंत्री आनन्द स्वरूप जी का जिन्होंने इस बजट को बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय और योगदान दिया। उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। अध्यक्ष जी, जैसा कि सर्वविदित है पिछला वर्ष 2020 पूरी तरह से कोरोना की भेंट चढ़ गया। बावजूद इसके कोरोनाकाल होने के बावजूद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी न एक पल के लिए रुके, न एक पल के लिए थमे और उन्होंने निरन्तर हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार जनता से संवाद बनाये रखा, लगातार राष्ट्र के नाम संदेश देते रहे और समय-समय पर हम सभी को अवगत कराते रहे और आने वाली परेशानियों से हम सबको बचाते रहे। इस विषय में मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि सबसे ज्यादा हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने विशेष रूप से कार्य किया, जिसमें वे न सोये और न उन्होंने दिन देखा, न रात देखी। जब श्रमिकों का आवागमन उत्तर प्रदेश की ओर हो रहा था अन्य प्रदेशों से, तो जिस तरह से मुख्य मंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कार्य किया उसके लिए मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देती हूँ।

(इसी मध्य अपराह्न 03 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

हमारे मुख्य मंत्री जी ने श्रमिकों की समस्या को गम्भीरता से समझा, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। उसी के साथ-साथ कोरोनाकाल में जो प्रबन्धन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा कॉल सेन्टर लखनऊ में बनाया और उस प्रबन्धन को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वह हमारे मुख्य मंत्री जी की जागरूकता और यशस्वी मुख्य मंत्री जी की सोच का ही परिणाम था, क्योंकि मैं खुद कोरोना से पीड़ित हुई थी और अधिष्ठाता महोदय मैं बताना चाहूँगी जब मेरी कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई, उसके दूसरे दिन ही सुबह-सुबह मेरे पास लखनऊ से काल सेन्टर से फोन आया और लगातार जब तक मैं ठीक नहीं हो गयी, लगातार मेरे पास दिन में तीन बार फोन आता था और हर फोन पर यही पूछा जाता था कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप एडमिट हैं ? आपका एस0पी0ओ0 टू0 लेविल कितना है ? आपकी पल्स कितनी है ? इस तरह से इतनी गम्भीरता से एक-एक उस व्यक्ति का ध्यान रखा गया, जोकि कोरोना से पीड़ित हुआ। मैं इस सदन के माध्यम से कोरोना की वजह से जो भी पीड़ित हम सबके बीच में नहीं रहे, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और कोरोना वारियर्स को अपना

† 18 फरवरी, 2021 की कार्यवाही से।

नमन और वन्दन करती हूँ। इसी क्रम में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विषय दिया कि आपदा में ही अवसर है, उसी तर्ज पर चलते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जो कार्य किये हैं, और जो उसे मूर्त रूप देने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य कर रही है। हमारी सरकार प्रदेश में जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी, स्वावलम्बन तथा सशक्तीकरण पर केन्द्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को गति प्रदान करते हुए विकास तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया-कलापों का विकास करते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए निरन्तर अग्रसर है। अभी किसानों को लेकर एक विषय चल रहा है। सभी विपक्षी दलों को अचानक किसानों की बहुत चिन्ता हो गयी है।

मैं बताना चाहूँगी कि यही विपक्षी दल जो आज किसानों के साथ अपने दुःख को व्यक्त कर रहे हैं और किसानों के उस दुःख में शामिल हो रहे हैं, जोकि दुःख है ही नहीं। यह सारे विपक्षी दल उस समय कहां थे जब कोरोनाकाल चल रहा था। किसी भी विपक्षी दल ने कभी किसी एक गरीब को पानी तक नहीं पिलाया और एक कौड़ी का योगदान नहीं दिया। मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको, पूरे सदन को और पूरे उत्तर प्रदेश को याद होगा कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो जो सबसे पहला हमारा बजट आया उसमें 36000 करोड़ रुपये का जो ऋण माफी का प्राविधान रखा गया, वह हमारी सरकार ने ही रखा था और किसानों के लिए ही रखा था। हमारी सरकार किसानों की हितैषी हमेशा से है और हमेशा किसानों के लिए कार्य करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी सरकार द्वारा किसानों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान सुनिश्चित कराया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि इस योजना के अन्तर्गत 2,40,00,000 किसानों को 27,123 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र डिबाई की बात करूं तो हमारे डिबाई के किसानों को 131.84 करोड़ रुपये का भुगतान ऋण माफी में किया गया है, जिसके लिए मैं पूरे डिबाई के किसानों की तरफ से पूरी सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी आपको धन्यवाद देती हूँ। अक्सर किसान सम्मान निधि की बात आती है और विपक्षी दल के नेता कहते हैं कि 2000 रुपये से क्या होता है। इस विषय में मैं कहना चाहूँगी कि यह नहीं है कि इस धनराशि से किसान का जीवन-यापन हो जायेगा या किसान का पूरा संकट खत्म हो जायेगा, लेकिन जो किसान खेत में धूप में, गर्मी में, जाड़े में, बरसात मे हमेशा परेशान रहता है और खेत में खून-पसीना बहाकर मेहनत-मजदूरी करता है उस किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जब पहुंचती है तो वह अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है और

महसूस करता है कि उसका प्रधानमंत्री और उसका मुख्य मंत्री उसके साथ खड़ा है। हमारी सरकार हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। किसानों को प्रारम्भिक सहकारी कृषि समितियों के माध्यम से रियायती दरों पर फसली ऋण दिये जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप कर दीजिये। माननीय अध्यक्ष जी ने जो समय निर्धारित किया है, उसका अनुपालन करिये।

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महिला होने के नाते मुझे महिलाओं का एक विषय कह लेने दीजिये। सदन में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसलिए महिलाओं को बोलने का समय ज्यादा मिलना चाहिए तभी बराबर हो पायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

यहां पर सबको बराबर समय दिया गया है। आप संक्षेप में कह लीजिये।

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अक्सर विपक्षी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाते हुए उनका सशक्तीकरण किया जाये। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें शिक्षा, कौशल, सम्वर्धन, रोजगार तथा स्वरोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। महिला सशक्तीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं शिक्षा का प्रोत्साहन देना एवं बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15 हजार की सहायता दी जाती है। यह बहुत बड़ी योजना है। मैं यह कहना चाहूँगी कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से कार्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चियों के लिए यह जो 15 हजार करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए हमारी सरकार 1200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित कर रही है।

मान्यवर, हमारे डिबाई विधान सभा क्षेत्र के लगभग 61609 किसानों को किसान सम्मान निधि लगातार दी जा रही है। मैं इसके लिए उन किसानों की तरफ से भी धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमें कुछ मिले न मिले क्योंकि कोरोना था तो बहुत सारा आर्थिक संकट है। लेकिन मैं इतना जरूर

चाहूँगी कि यह जो हमारा 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख का बजट है इसमें कहीं न कहीं सभी विधायकों के लिए हर विधान सभा क्षेत्र में 200-200 हैण्डपम्प की व्यवस्था कर दी जाये, क्योंकि हमारा चुनावी वर्ष है और हमें हैण्डपम्प जरूर मिल जायें, क्योंकि पेयजल का तो जब होगा, तब होगा और अन्त में मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के लिए समर्पित करना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौंसलों में जान होती है क्योंकि पंखों से नहीं हौंसलों से उड़ान होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, जब से हमारी मा0 योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आयी है, उसने आते ही पूरे प्रदेश में संदेश दिया है। जो पहला बजट 2017-18 में आया वह किसानों को समर्पित रहा, 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित रहा, 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तीकरण को समर्पित रहा और 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, कौशल, संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना तथा त्वरित न्याय को समर्पित था। 2021-22 के बजट की हम बात करें तो यह प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास के साथ प्रत्येक वर्ग के स्वावलम्बन से सशक्तीकरण हेतु समर्पित किया गया है। एक सरकार गरीबों के प्रति किस प्रकार से चलनी चाहिए, किस प्रकार से समर्पित रहनी चाहिए इसको परिभाषित करने का काम उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने किया है तो मा0 योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, गोरखधाम पीठ के पीठाधीश और महाराज ने किया है। हमारी चाहे मा0 नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो, दोनों सरकारों ने बता दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आधारित हम अपनी सरकार को चलाते हैं और उसी आधार पर हमने इस बजट को पेश किया है। हमारी दोनों सरकारों के नेतृत्वकर्ताओं ने मा0 प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी ने दोनों ही लोगों ने किस प्रकार से हमारा आचरण व्यवहार हमारी सरकार कैसे चलनी चाहिए कैसे उसका लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, गरीबों को सरकार किस प्रकार से समर्पित होनी चाहिए। अगर मैं उनको बहुत विस्तार से बताऊंगा तो आज का पूरा दिन चला जायेगा।

मैं अपनी तरफ से अपने गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र की जनता और मतदाताओं की तरफ से अपनी सरकार का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वंदन और अभिनन्दन करता हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने समय की सीमा में अपनी विधान सभा क्षेत्र के कुछ विशेष मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बर्रा, गुजैनी, दादानगर, पनकी, शास्त्री नगर, विजय नगर सहित 15 वार्डों में हमारी सरकार ने वैसे

बहुत काम किया है पर जो विकास की सीमा है, उसका कोई अन्त नहीं है। अभी भी और आवश्यकता होगी और अभी काफी चीजें ऐसी हैं जिनकी जनता को प्रबल आवश्यकता है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इनमें सीवर और पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था हो, मैं इसकी आपकी पीठ के माध्यम से कृपा करने का आग्रह करता हूँ। हमारी विधान सभा क्षेत्र में छठ-मैया का सबसे बड़ा पूजन होता है और उससे एक तीन कि0मी0 की कच्ची नहर जाती है जिसके दोनों तरफ महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं और उस नहर को जब हमारी सरकार ने पहली बार साफ कराया, तो ठीक प्रकार से पूजन हुआ। चूंकि 150-150 कि0मी0 तक किसानों के खेतों में पानी पहुंचता है इसलिए उस नहर को पक्की करना आवश्यक है। अक्सर उस नहर के कट जाने से आस-पास रहने वाले लगभग 20 हजार लोग बाढ़ जैसी स्थिति की चपेट में आ जाते हैं और एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं आपसे उन लोगों को उस स्थिति से निजात दिलाने की मांग करता हूँ। हमारी विधान सभा क्षेत्र के पास में पनकी गौशाला एक संस्था है जहां पर गौ वंशों का संरक्षण होता है और वहां पर एक हजार गायें/गौ-वंश पलते हैं। उसकी बहुत सारी जमीनें, पिछले समय में मैं किसी सरकार या व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले समय में कुछ लोगों ने उन जमीनों पर कब्जा कर, किसी ने होटल, किसी ने दुकान और किसी ने शोरूम बना दिया है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया उसकी पैमाइश कराकर और उन लोगों से गौशाला के गौ-वंश के संचालन के लिए उस जमीन को मुक्त कराने की कृपा करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिछले आवास विकास मसवान वाली एक सड़क है जिस पर 15 वर्षों से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और उस सड़क को नहीं बनाया गया है। उस सड़क से लगभग एक लाख लोग लाभान्वित होते हैं, वहां पर बच्चों को स्कूल ले जाने वाले रिक्शे भी पलट जाते हैं।

पूरी विधान सभा क्षेत्र में मात्र यही एक ऐसी सड़क है जिसके बनने से जनता, मरीजों, बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों का हित होगा। इसलिए उस सड़क का बनना अति आवश्यक है।

मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इस पर कृपा हो जाये। हमारी विधान सभा क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कालोनी है। मैंने वहाँ पर 42 वर्ष व्यतीत किये हैं और इस सदन में आया हूँ। मैं वहां के कष्ट एवं दर्द को जानता हूँ। बेहद गरीब लोग उस कालोनी में निवास करते हैं। यहां पर इसके स्वामित्व का मामला लम्बे समय से अटका हुआ है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उसका स्वामित्व उन्हीं को दे दिया जाये जिससे श्रमिक कालोनी में जीवन भर से रहने वाले श्रमिकों को राहत मिले। हमारे कानपुर में एक कार्डियोलॉजी है और वह सरकारी संस्था है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर 16-17 जनपदों को लाभान्वित करने वाला कार्डियोलॉजी है जिसमें अमीर-गरीब नहीं देखा जाता है वहां पर डॉक्टर पूरी तन्मयता के साथ लोगों का इलाज करते हैं, उनकी जानों को बचाते हैं। लेकिन वहां पर

मेट्रो बनी है और मेट्रो के लिए कानुपर को बजट में बहुत दिया गया है। उसके लिए मैं पूज्य महाराज जी एवं सरकार का स्वागत करता हूँ। परन्तु उस अस्पताल तक मरीज को ले जाने के लिए, चूंकि हार्ट के मरीजों के पास बहुत कम समय होता है और उस रास्ते में रेलवे की क्रासिंग है, मेट्रो है, आधा-आधा घंटा, पौना-पौना घंटा अस्पताल तक पहुंचने में लग जाता है। जिस कारण से बहुत सारे गरीब लोगों की जान चली जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस पर आपकी कृपा हो और इस पीठ द्वारा मेरा एक आग्रह स्वीकार किया जाये कि एक एलीवेटेड रोड उस अस्पताल तक जाये जिससे 16-17 जनपदों के गरीब लोग अपनी जान बचाने का काम कर सकें। मैंने समय के अन्दर ही आपकी आज्ञा का पालन किया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज को और अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। भारत माता की जय।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 वित्त मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों पर जो प्रस्ताव रखा गया है और जिस पर नेता विरोधी दल ने अपना संशोधन प्रस्ताव, नेता बहुजन समाज पार्टी के श्री लालजी वर्मा जी ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बहुत अल्प समय है और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात प्वाइंट वाइज रख सकूँ। यह जो 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये बजट का आकार रखा गया है जबकि इसमें प्राप्तियां मात्र 05 लाख 06 हजार 181 करोड़ 84 लाख रुपये अनुमानित है। यह अपने आप में शुरू से ही बहुत ज्यादा घाटे में रखे जाने वाला बजट है और मा0 योगी जी का आखिरी बजट है। इस आखिरी बजट में किस तरह उन लोक-लुभावन योजनाओं को इस तरह से लाने की कोशिश की गयी है, जिस तरह से लोक कल्याण संकल्प-पत्र वर्ष 2017 में लोगों को बहकाने के लिए जारी किया गया था। आज आखिरी साल के बजट के बाद भी क्या वह योजनाएं लागू हो पाईं या नहीं हो पाईं। जो दिवास्वप्न दिखाकर लोगों से वोट लिया गया, लोग उसकी बांट जोह रहे हैं। मैं पिछले तीन दिन में रविदास जयंती और किसान पंचायत में गया, तो लोगों ने मुझे लोक कल्याण संकल्प-पत्र पकड़ा दिया और कहा कि मा0 वित्त मंत्री जी से पूछ लेना कि इन वायदों पर हमने आपको वोट दिया था, क्या वह वायदे पूरे हुए या नहीं हुए ? अगर नहीं हुए तो अब क्या करेंगे ? और अगर नहीं होते तो 2022 में निश्चित रूप से हमें निर्णय कुछ और लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं आईने के तौर लोक कल्याण संकल्प-पत्र 2017 के उन बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसका वायदा इन्होंने जनता से किया था। मैं केवल इस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि पांच साल पूरे होने वाले हैं परन्तु उनका कोई प्रावधान बजट के अन्दर नहीं है। यह बात अलग है कि 23 हजार 832 करोड़ का हिसाब अभी तक विभाग नहीं दे पाये हैं उनका कोई न्यूट्रीलाइजेशन सर्टिफिकेट विभागों ने प्रस्तुत नहीं किया है। इतना ही नहीं, 2018-19 में कर्मचारियों के पेंशन अंशदान 530 करोड़ अभी तक शासन ने दबा रखा है

और समस्त कर्मचारी इस बात से परेशान हैं। जो बात अंशदान के रूप में कर्मचारी द्वारा और शासन को उसमें सहयोग राशि के रूप में जो राशि पूर्णतः जमा करानी थी, वह पेंशन अंशदान का भाग जमा कराने का न इसमें प्रावधान है, न ही जमा किया गया है।

31 मार्च, 2019 को अनुदान संबंधित 23 हजार 832 करोड़ का हिसाब यानी न्यूट्रीलाइजेशन सर्टिफिकेट विभागों को दे देना था, ये सीएजी की वित्तीय वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित वित्त लेखे खण्ड-1 की रिपोर्ट में पूरी तरह से उजागर है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुदान की राशि स्वीकृत की तिथि से 12 महीने में खर्च हो जानी चाहिए थी और सक्षम अधिकारी को 18 महीने के अन्दर न्यूट्रीलाइजेशन सर्टिफिकेट महालेखाकार को भेज देना चाहिए था परन्तु वह अभी तक नहीं भेजा गया। जिसमें समाज कल्याण विभाग के द्वारा 5963.9 करोड़ रुपया, शहरी विकास विभाग के द्वारा 5811.87 करोड़ रुपया, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा 4197.80 करोड़ रुपया, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 1750.99 करोड़ रुपया, पंचायती राज विभाग द्वारा 1736.66 करोड़ रुपया और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1099.94 करोड़ रुपया है। ये टिप्पणी अपने आप में बहुत गम्भीर है जो एकाउन्टेंट जनरल ने यह सब देखते हुए सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। मैं मा0 वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बजट को वापस ले लें। दोबारा से अपने लोक संकल्प-पत्र को सामने रखें और उसे पूरा करने के हिसाब से दोबारा बजट रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस लोक संकल्प-पत्र में आपने वायदा किया था कि गन्ना किसानों की फसल बेचने के 14 दिन के अन्दर पूरा भुगतान कर दूंगा, सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की जायेगी और 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने विस्तृत रोडमैप तैयार किया जायेगा। किसानों की स्थिति आपके सामने है, न जाने कितने हजारों-लाखों किसान दिल्ली के बार्डर पर बैठे हैं, किसान की लागत बढ़ गयी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर सी-2 का रेट तय नहीं किया गया है और एम0एस0पी0 को लेकर किसान सशंकित है। धान के किसान को 1868 रुपये के नाम पर, उसकी खरीद नहीं हो पायी है। उसके बावजूद भी सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और 4 लाख किसानों का मात्र सहारनपुर में पांच हजार सात सौ करोड़ रुपया अभी भी बैंक का कर्जदार है। देवबन्द शुगर मिल पर उसका 74.22 करोड़ रुपया, गांगनौली मिल पर उसका 190.88 करोड़ रुपया, शेरमऊ मिल पर 70.79 करोड़ रुपया, गागलहेडी शुगर मिल पर 57.84 करोड़ रुपया, नानौता शुगर मिल पर 70.146 करोड़ रुपया और सरसावा शुगर मिल पर 60.19 करोड़ रुपया बकाया है। ये इन्हीं के आंकड़े हैं। गन्ना के दाम बढ़े हैं क्योंकि डीएपी का दाम जो 2018 में 1076 था वह बढ़कर 1200 हो गया, एन0पी0के0 का दाम जो 2018 में 1061 था वह बढ़कर 2021 में 1175 हो गया। डीजल का दाम जो 60 रुपये 77 पैसे था, वह बढ़कर 74 रुपये 39 पैसे हो गया और पेट्रोल का दाम जो 72 रुपये 25 पैसे था, वह बढ़कर 83 रुपये 74 पैसे हो गया। यानी किसान की

लागत बढ़ गयी, आय दुगुनी नहीं हुई, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया, परन्तु यह सरकार झूठे आंकड़ों के आधार पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है परन्तु लोक संकल्प-पत्र को पूरा करने की कोशिश करने की नीयत इनकी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

गर्ग जी, संक्षेप करिये।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, धान की खरीद व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया। सभी खेतों में कम दरों पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करने के बजाय बिजली के दाम किसान के लिए और ज्यादा बढ़े हैं, उनके इन्स्टालेशन और स्थापना में। नील गाय और आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं, उनकी फसल बर्बाद हो रही है। पशुधन की संख्या में जो गिरावट दर्ज की गयी थी, उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, केवल गौशाले जरूर खोले गये हैं, परन्तु वह पशुपालन जो सीमान्त किसान हैं, उन्होंने गौ-सेवकों के रूप में गाऊ का पालन, चूंकि अव्यवहारिक रहा तो उसे बन्द करने का काम किया गया है। फूड प्रोसेसिंग के 6 क्षेत्रों में पैकेजिंग, निर्यात और रिसर्च की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन नहीं की गयी। आपके ही लोक कल्याण-पत्र में कहा गया कि न गुण्डाराज, न भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे की बात भी की गयी है, परन्तु उन तमाम चीजों पर चर्चा की बात इसमें नहीं की गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इसी के साथ-साथ कहना चाहता हूँ, कहा गया कि 100 नम्बर हेल्पलाइन में 15 मिनट में पुलिस की सहायता होगी, इसका नम्बर जरूर बदल दिया गया, लेकिन उन गाड़ियों की हालत खस्ता है, रिस्पांस टाइम बढ़ गया है, लोगों का विश्वास हट गया है और उन गाड़ियों को विभाग के लोग दूसरी चीजों में इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में आपने कहा कि जीरो टालरेन्स करेंगे, परन्तु तमाम विधायक इस बात को जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वत और बढ़ गयी है, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है। न्याय सुधार में आपने कहा कि समयबद्ध, त्वरित और सुलभ न्याय का अधिकार दिया जायेगा, परन्तु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना को टालने का काम इस नीयत को प्रदर्शित करता है कि सरकार इसके लिए गम्भीर नहीं है। 45 वर्षों में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है, मुफ्त लैपटॉप, इण्टरनेट देने की आपने घोषणा की कि दाखिला लेने पर बिना जाति-धर्म के आधार पर देंगे, परन्तु लैपटॉप नहीं दिया गया, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में इण्टरमीडिएट पास सभी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिया गया था और लैपटॉप आप भूल गये, आपने देने का काम नहीं किया और न ही बजट में इसकी व्यवस्था की।

श्री अधिष्ठाता-

संजय जी, समाप्त करिये।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, केवल 03 मिनट और लेंगे। यह कहा गया कि सभी लड़कों के लिए बारहवीं कक्षा तक और बारहवीं में 50 प्रतिशत से अधिक पाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी, परन्तु उसका कोई प्रावधान वर्तमान बजट में दिखता नहीं और आगे भी दिखने की कोशिश इसमें लग नहीं रही है। मान्यवर, इसी तरह से जो ऊर्जा की खपत है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कन्जम्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से दिखती है और ऊर्जा की खपत यू0पी0 में हिन्दुस्तान में नीचे से आठवें पर है। आपके तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश में मात्र 606 यूनिट सालाना प्रति व्यक्ति कन्ज्यूम कर पा रहा है। यह आंकड़े उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद् ने देने का काम किया है। इसी के साथ-साथ जो अन्य आपने वायद करने की बात की थी कि लखनऊ, नोएडा में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जायेगा, कोई मेट्रो सेवा का विस्तार नहीं किया गया। यह आखिरी वर्ष है, आपने जबरदस्ती कुछ बातों का जिक्र करने का काम किया है। परन्तु उस तरह की व्यवस्था करने की न आपकी नीयत थी और न ही आपकी मंशा थी, केवल लोगों को बहकाने की कोशिश करने का काम किया गया। व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान हैं, ई-कॉमर्स का बाजार बढ़ रहा है। नीति आयोग के चेयरमैन, सहाय इस बात को कहते हैं कि 2023 तक मोहल्ले की तमाम दुकानें बन्द हो जायेंगी, उन्हें समाप्त कर दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

संजय जी, समाप्त करिये, ज्यादा समय हो गया है।

श्री संजय गर्ग-

अधिष्ठाता जी, हमसे पहले 10-10 मिनट माननीय सदस्य बोले हैं। मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कैग की एक रिपोर्ट जो चिकित्सा विभाग के ऊपर आयी है, उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। पेज-19 पर कैग रिपोर्ट, 2020, जिसमें कहा गया है कि जिला अस्पताल लखनऊ, गोरखपुर के आईसीयू यूनिट में अल्ट्रासाउण्ड, एनालिसिस मशीन आदि की कमी पायी गयी। माननीय अधिष्ठाता जी, जिला चिकित्सालय गोरखपुर में अनुमोदित चिकित्सकों की संख्या 34 है, जबकि नियुक्त हैं 44।

श्री संजय गर्ग-

अनुमोदित नर्सों की संख्या-39 है और नियुक्त हैं 99 और जिला चिकित्सालय गोरखपुर में अनुमोदित चिकित्सकों की संख्या है 15 और नियुक्त हैं 28, ऐसे ही नर्सों की अनुमोदित संख्या है 26 और नर्स नियुक्त हैं 50, इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि

उसके बावजूद जिला चिकित्सालसय, गोरखपुर में एल0ए0एम0ए0 तथा एब्सकांडिंग केस की दर 50 परसेंट होने का अर्थ है कि वहाँ वह मरीज इलाज से संतुष्ट नहीं है। मा0 अधिष्ठाता जी, आपने जो बात कही तो मैं आपकी बात को शिरोधार्य करता हूँ और मुझे केवल दो लाइनें कह लेने दीजिये। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। केवल दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि-

नन्हें चिरागों पर भी पहरे, यह तो कोई बात नहीं,
नन्हें चिरागों पर भी पहरे, यह तो कोई बात नहीं,
दिखलाये थे ख्वाब सुनहरे, यह तो कोई बात नहीं,
तू जो वक्त का सूरज है, तो घर-घर में उजियारा कर,
ऊँचे घरों तक रोशनी ठहरे, यह तो कोई बात नहीं,
जालिम, तुझको बेचारों ने अपना मसीहा समझा था,
तूने जख्म दिये हैं गहरे, यह तो कोई बात नहीं,
मीलों-मील उड़कर पंछी, दाना-दुनका लाते हैं,
इनकी परवाजों पर पहरे, यह तो कोई बात नहीं,
मतलब की कहते हो अपने, मतलब की बस सुनते हो,
पब्लिक चीखे तो तुम बहरे, यह तो कोई बात नहीं,
सब कुछ उनकी मनमानी है, यह कैसा गणतंत्र सुनो,
जो बोले गद्दार वे ठहरे, यह तो कोई बात नहीं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बजट पर अपनी बात शुरू करने से पहले अपने मा0 सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी पूरी बात आ जाये इसलिए आप हमें एक-एक सेकेण्ड का समय देने का काम जरूर करें। मा0 चौधरी साहब, इस समय हाउस में नहीं हैं। हमारे साथी ने भी बहुत शेरो-शायरी की, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। पहले तो महाराज जी के लिए कि-

कस्बा दिया था आपको, शहर बना दिया,
कितनों को रोजगार दिया, घर बना दिया,
किस तरह से स्वागत करूँ योगी जी आपका,
तकदीर बना दी है, मुकद्दर बना दिया।

इसके बाद मेरा कहना है कि-

हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं,

हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं,
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिन्दुस्तान कहते हैं।

इसके अलावा यह है कि-

हम नहीं वो हैं, हम नहीं वो हैं,
जो करें खून का दावा तुझ पर,
बल्कि पूछेगा खुदा तो भी मुकर जाएँगे,
जो मदरसे के बिगड़े हुए मुल्ला हैं,
उनको मैखाने में ले आओ सँवर जाएँगे।

मैं एक बात कहकर अपनी बात शुरू करूँगा कि-

बेहतर से बेहतर की तलाश करो,
बेहतर से बेहतर की तलाश करो,
मिल जाए नदी फिर समन्दर की तलाश करो,
टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से,
टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।

मैं एक और बात कहूँगा, चौधरी साहब नहीं हैं, उन्हें खासतौर से सुनाना चाहते थे कि-

गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या-क्या है,
गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या-क्या है,
मैं आ गया हूँ, बता इन्तजाम क्या-क्या है ?

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि हमारी सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कृषि दुर्घटना बीमा योजना। इसमें अगर किसी किसान के साथ दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो 05 लाख रुपये हमारी सरकार देती है और यह पूरे प्रदेश में लागू है। इसमें हम थोड़ा सा सुझाव देना चाहते हैं कि जब हमारे किसी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो इसमें दावा पेश करने के लिए मात्र 45 दिन दिये गये हैं। 45 दिन के अन्दर अपना दावा आप पेश करें। यदि आपने 45 दिन में दावा नहीं पेश किया तो आपका दावा निरस्त कर दिया जाता है।

मान्यवर, मेरा इसमें एक निवेदन है कि कम से कम इसमें तीन से चार माह का समय दिया जाये जिससे उस किसान का दावा स्वीकृत हो सके क्योंकि वह वैसे ही परेशान होता है और हमारे मुस्लिम धर्म में तो चालीसवां होता है। चालीस दिन वे शोकाकुल रहते हैं। हमारे जो गरीब किसान होते हैं उन्हें यह जानकारी ही नहीं हो पाती कि डेढ़ महीने में दावा प्रस्तुत करना

है। इसमें चार से पांच महीने का समय दिया जाय और कम से कम 90 दिन का समय तो होना ही चाहिए जिससे हमारे किसान दुर्घटना बीमा ले सकें। इससे पहले दिनांक 14-09-2019 को यही व्यवस्था लागू थी, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे किन अधिकारियों ने इसको अनुमन्य कर दिया। दूसरी बात इसमें हमें और कहनी है कि जो किसान कहीं खेत मेड़ पर, कहीं कण्डा वदिया या पानी चलाने पर जब दूसरे ढंग की दुर्घटना होती है और उसमें वह मारा जाता है तो उससे पहले बीमा दिया जाता था अब इसको हटा दिया। यदि लड़ाई-झगड़े में भी किसान मारा जाये तो उसमें कृषक दुर्घटना बीमा दिया जाना चाहिए। इसमें हमारा निवेदन है कि किसान की लड़ाई-झगड़े में भी यदि मृत्यु होती है तो हमारे किसान को यह बीमा मिलना चाहिए। तीसरी बात भी हमारी इसी कृषक से जुड़ी हुई है कि 70 साल की उम्र में जब किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी होती है। यदि वह दुर्घटना में मरा तो ऐसे मामलों में भी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ अनुमन्य नहीं है। मान्यवर, हमारा आपके माध्यम से यह निवेदन है संसदीय कार्य मंत्री जी अभी यहाँ पर नहीं है। शायद कहीं सुन रहे होंगे। इसमें करेक्शन जरूर किया जाय और मान्यवर, हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की है। उनसे जमीनें छुड़वायी हैं। चाहे वह सरकारी जमीन हो या चाहे गैर सरकारी जमीनें हों, उसको छुड़वाने का काम किया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ है। लगभग 67.89 हजार हेक्टेयर जमीन छुड़वाई गई है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षेप कर लीजिये।

श्री रोशन लाल वर्मा-

अभी तो मा0 अधिष्ठाता जी दो मिनट पहले हमारी बात शुरू हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

आपने शेरो-शायरी में बहुत ज्यादा समय लगा दिया। अब समय केवल 5 मिनट ही रह गये हैं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

इसमें हमारे कस्बा निगोही में गाटा संख्या-957, 969, 962, 962ख, 966, 961, 969, 970, 971, 963, 969ग विक्रमपुर चकौरा 640 में 768, 860/917, 873, 727/2 और 907 गाटा संख्या हैं। इनको बाहर जांच कराकर जिनकी जमीन हो, उनके पक्ष में छुड़वाने का काम किया जाय और आप बार-बार इशारा कर रहे हैं कि इस समय पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है और इस समय गाँव-गाँव में चौपालें भी लग रही हैं। खासतौर से कण्डा, वदिया, मेड़ की लड़ाई है।

अन्त में अपनी दो बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जब इस समय कण्डा, वढ़िया, मेड़ की पंचायत होती है, तो पंच वहाँ पर बैठते हैं। एक पार्टी के एक पंच बैठते हैं, दूसरी पार्टी के एक पंच और हमारे मा0 विधायकगण भी जानते होंगे कि पंचायत में क्या-क्या होता है, वह हम यहां नहीं कहना चाहते हैं। जिस समय पंचायत शुरू होती है और जब पंच सब फिट हो जाते हैं तो उस पर दो लाइनें कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा कि 'पन्नी पर पन्नी चली, हुए पंच सब टंच, जो ज्यादा टंची हुआ, वही बना सरपंच, पनारा यहीं चुयेगा।' मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

पनारा गिर गया है आपका, आप बैठ जाइये।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। 'सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी खानदानी चाहिए।'

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये, अनिल सिंह जी उन्नाव।

श्री अनिल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्नाव पर आपकी कृपा बनी है। संक्षेप में अपनी बात को रखूँगा। मुझे बजट पर बोलना है। मुझे विधायक बने हुए पौने चार साल हो गये हैं। पहले कुछ दिन का तो अनुभव जरा वैसा रहा, लेकिन अब अधिष्ठाता महोदय, जो काम मैं करना चाहता था अब वह काम पूरी तरह से हो रहे हैं। अब इसको दो मिनट में एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे एक मिशन चल रहा हो। पहले जब राजा-महाराजा के यहां अर्जी लगाओ कि सरकार हमको एक भैंस खरीदनी है, तो उन्होंने अनुमति दी तो दी, नहीं तो कह दिया कि भई, बकरी खरीद कर काम चलाओ, लेकिन इस समय मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि जिस तरह से मिशन बनाकर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि पहले बिजली एक महीने में 05 दिन आती थी, अब एक दिन में 18 घण्टे आ रही है। पहले लोग कहते थे विधायक जी एक खम्भा हमारे यहाँ गड़वा दीजिये, बिजली चाहे अगली बार लगवा दीजिये, लेकिन अब तो आगे भी लो, पीछे भी लो, यहाँ तक कि अधिष्ठाता महोदय, भैंस के ऊपर भी बल्ब लगा है, ऊजर-ऊजर बढ़िया और गोरी-गोरी भैंस भी दिख रही है,

तरकइया। तो यह अद्भुत है। मैं मा0 योगी जी को धन्यवाद दूँगा कि बिना माँगे एक मिशन बनाकर काम हो रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं अध्यक्ष जी के क्षेत्र से आता हूँ और अध्यक्ष जी ने मुझे लगता है कि पूरे 50 वर्ष उस क्षेत्र को दिये हैं। जो तार हमारे यहाँ 50 वर्षों से, 35 वर्षों से नहीं बदले गये थे, वह एक तरफ से 03 साल के अन्दर हटा दिये गये और नये तार लगा दिये गये हैं। यह अद्भुत है, क्योंकि मैं तो अभी विधान सभा में मा0 अध्यक्ष जी के पास अटैच हूँ। हमारी पोस्टिंग यहीं है। सबको पानी पिलाने की व्यवस्था में लगे रहते हैं कि कोई आये पुरवा वाले की तरफ से तो सबको यहीं मा0 अध्यक्ष जी के यहाँ लगे रहते हैं, सब विधायक खुश रहें और पानी-वानी पीते रहें। दूसरा बिन्दु बताऊँगा कि नहर में हमारे यहाँ 20 वर्ष से बबूल जम गये थे। पीपल के बड़े-बड़े पेड़ थे, इतने भयंकर-भयंकर पेड़ थे कि उनको उखाड़ने में बहुत दिन लगे, लेकिन आज उन नहरों में पानी जा रहा है और लोग कहते हैं कि विधायक जी नहर बन्द करवा दो, सब डूबा जाइ रहा है। तो यह अद्भुत है या नहीं है। जिस तरह से कभी विधायक लोग एक-एक काम माँगते रहे होंगे कि भइया, एक ठो पुलिया बनवा दो, अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने उद्घाटन किया है कि जितनी दे पाओ, उतनी पुलिया बना देंगे। ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। मुझे लगता है कि अधिष्ठाता महोदय जिस तरीके से सरकार, जैसे अभी ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या हम राजा-महाराजा हैं, नहीं, जनता मांगेंगी तब देंगे, नहीं, बिना मांगे देंगे, बिना किसी के अरदास लगाये देंगे, बिना अर्जी के देंगे और जो भी सुविधा देने लायक होगी, वह देंगे। इस उत्तर प्रदेश की जितनी देवतुल्य जनता है, उसे देंगे। योगी महाराज ने कहा कि जो भी योजना होगी, उनको बिना मांगे दिया जायेगा। अभी तो एक मिशन चल गया है, एक नल मांगते थे, उससे भी अब हम लोग फुरसत पा गये। अब बहुत बढ़िया हो गया है, घर-घर नल और घर-घर जल पहुंचाने का काम चालू हो गया है।

अधिष्ठाता महोदय, आप समझिये कि एक व्यक्ति विधायक बनता था और पूरे पांच साल लग जाता था उसको नल मांगते-मांगते और वो विधायक दे नहीं पाता था, अपने किसी खास आदमी के यहां लगवा देता था, जहां जरूरत थी, वहाँ नहीं पहुंच पाता था। आज एक-एक गांव में, एक तरफ से मुफ्त कनेक्शन कराये जा रहे हैं और घर-घर पानी पहुंचाया जा रहा है, यह अद्भुत है या नहीं है। एक आदमी कह रहा, मैं बिजली कनेक्शन पर बात करूँगा। आज कल रमेश-कल्लू जैसे लोग भाग रहे हैं, हम लोग पकड़-पकड़ के ला रहे हैं। अरे भइया कनेक्शन ले लो, वो कहते हैं कि नहीं सरकार बिजली का बिल आयेगा। ये अद्भुत है कि नहीं है। पहले जब कोई आदमी कनेक्शन कराने के लिए किसी लाइन मैन के पास, किसी इंजीनियर के पास जाता था तो उसको महीनों टहलाया जाता था और 5 से 10 हजार रुपये घूस भी ली जाती थी। आज देखिये, पकड़-पकड़ कर एक तरफ से कनेक्शन, मुफ्त में कनेक्शन, ऐसा अद्भुत। हो सकता है कि बहुत लोगों को अच्छा न लग रहा हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत-ही अच्छा लग रहा है, अद्भुत है। देखिये, आज सिलेण्डर, एक तरफ से सबको

मिल रहा है। जुगाड़ लग गया तो एक नहीं दो-दो सिलेण्डर। जब गरीब आदमी बीमार होता था तो उसके रिश्तेदार भाग जाते थे कि कहीं ऐसा न हो कि पैसा मांग ले। आज क्या है, 5 लाख का गोल्डेन कार्ड उसकी जेब में है, फूफा और मौसिया को नहीं ढूंढ़ रहा। आराम से हास्पिटल में एडमिट हो जा रहा है और उसे इंजेक्शन भी मुफ्त में लग रहे हैं और डॉक्टर साहब देखने जाते हैं तो केला भी लेकर जाते हैं, ताकि जल्दी स्वस्थ होकर घर जाये। हम नीचे तक अभी इसलिए नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मानसिकता 25-30 सालों से लूट-खसोट की बनी हुई है, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से एक तरफ से आवास और शौचालय दिये जा रहे हैं, मैं क्या-क्या बात करूं, ऐसी 130 योजनाएं चल रही हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी हैं और मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिस तरीके से सारी योजनाओं का लाभ उठा रही है और अगर कोई रोक रहा है तो वह उनकी कुण्ठित मानसिकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि अगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो जमीन पर 03 आदमी सुधारने वाले हैं। 1-लेखपाल, इनको भी हम लोग शुद्धीकरण में लायें। 2-गांव का मंत्री, 3-पुलिस व्यवस्था नीचे की जो थोड़ी है यह तीन व्यवस्था हम सुधार दें तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस तक योजना का लाभ हम लोग न पहुंचा सकें और मुझे लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सब कुछ आनलाइन, मतलब गाँव में पंचायत घर बना दिया गया है कि आपको आनलाइन व्यवस्था है, वहीं जाइये। न तहसील जाना है, न कहीं जाना है। इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे क्षेत्र में जो 25-25 वर्षों से काम नहीं हुए हैं वो सारे हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष, हृदय नारायण दीक्षित जी की कृपा है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया। एक लाइन सब लोग कह रहे थे, हम भी कह दें- मैं तो यह बोलूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि राम का मन्दिर बनने जा रहा है। मैं अपना जीवन धन्य समझता हूँ। इन आंखों से देखूंगा-

सजाओ घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आये हैं,
लगे कुटिया भी दुल्हन सी, प्रभु श्री राम आये हैं।
जय श्री राम।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 2021-22 के बजट पर हमें अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। सबसे पहले नेता, बहुजन समाज पार्टी श्री लालजी वर्मा और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए उनकी बातों पर बल देते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2021-22 का बजट रखा गया और ऐसा कहा गया कि यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन जो पिछला बजट था अगर उसको ध्यान से देखें तो बजट का

लगभग 30 से 35 प्रतिशत पैसा ऐसा है जो अब तक खर्च नहीं हुआ। तो जब पैसा खर्च ही नहीं हुआ है तो यह बजट बड़ा कैसे हो गया, यह बात समझ से परे है। एक तरह से देखा जाय तो यह बजट पूरी तरह से छलावा है और इस बजट के अन्दर जनता के साथ धोखा किया गया है। हर तरफ विकास की बात कही गयी कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन हम जहां से आते हैं पूर्वांचल से। पूर्वांचल का क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, चारों तरफ नदियां हैं और हर साल बाढ़ की तबाही और विभीषिका पूर्वांचल झेलता है। लेकिन पूरे बजट में बाढ़ से बचाव के लिए खासतौर से पूर्वांचल में गोरखपुर जिला है, बस्ती जिला है, सिद्धार्थनगर जिला है, महाराजगंज है, देवरिया है, बलिया है, इनके लिए कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं दी गयी है, जिससे कि बाढ़ से बचाव किया जा सके। जब भी बाढ़ उस क्षेत्र में आती है तो हर साल तबाही के रूप में आती है और तमाम गाँव कट जाते हैं, लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है और लोग वहाँ से भागने के लिए विवश हो जाते हैं और बाढ़ सहायता दी जाती है।

बाढ़ बचाव का कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको भोजन दे दिया जाता है तो आवश्यक यह है कि बाढ़ सहायता देने के बजाय बाढ़ से बचाव का काम किया जाये जोकि आमजन के लिए बेहतर हो, किसानों के लिए बेहतर हो। किसान जिनकी एक ही फसल होती है। अधिष्ठाता महोदय जी, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसान एक ही फसल पैदा कर पाता है। दूसरी फसल वह पैदा नहीं कर पाता है तो उसके बचाव का कार्य सरकार करे। हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, जहां से मैं चुनकर आता हूँ। वहां पर राप्ती नदी पर बैरिया और सरपा बंधा है। यदि वहाँ पर 06 कि0मी0 का बंधा बांध दिया जाय तो 10 हजार हेक्टेयर जमीन ऐसी है जोकि बाढ़ से बच सकती है, लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी तरह से जो घाघरा नदी है वहाँ पर खड़ेसरी से लेकर डेरवा छपिया उमराव तक बंधा पुराना है जो आर0ई0एस0 द्वारा बनाया गया है, इसके संबंध में हमने बाढ़ विभाग से कई बार अनुनय-विनय भी किया कि उस पर कोई न कोई कार्य किया जाय, लेकिन जब बाढ़ आती है तब तो विभाग जागता है और जब बाढ़ चली जाती है तो विभाग उस पर अपनी आंख मूंदकर सो जाता है तो इस तरह से किसानों के साथ सरकार अपने आपको कहती है, लेकिन आप देखें कि पूरा किसान आज परेशान है, चाहे वह छुट्टा जानवरों से परेशान है, चाहे उसको एम0एस0पी0 समर्थन मूल्य जो मिलता है, उसकी वजह से परेशान है। आज किसी भी किसान को पूरी तरीके से समर्थन मूल्य मिल नहीं पा रहा है, बिचौलिये उसको खा जा रहे हैं और आज अभी धान की फसल बेची गयी है, 19 रुपये अगर दाम था तो ज्यादातर किसान अपने धान को 10-11 रुपये में बेचने के लिए मजबूर था और जब तमाम सेंटरों पर जाकर हम लोगों ने बात की तो कहीं से भी कोई प्रापर उत्तर न मिलने की वजह से किसानों का भला नहीं हो पाया। खासकर कोरोना महामारी जो चली, जो हमारा पूर्वांचल है, उसके संबंध में

कहना चाहूँगा कि वहाँ का नौजवान बड़े महानगरों में जाकर रोजगार प्राप्त करता है और उसके माध्यम से अपना जीवन-यापन करता है।

कोरोना के समय आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टेलीविजन में भी देखा होगा, ढेर सारे लोग ऐसे थे जो बंगलौर से, बम्बई से, दिल्ली से कलकत्ता से पैदल चलकर गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ वापस आये हैं और वह जब वहाँ वापस आये हैं तो घरों में द्वन्द शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं था। उनके घरवाले यह मानते थे कि अब तक यह व्यक्ति बाहर कमा रहा था, यह अर्निंग मेम्बर था, लेकिन कोरोना महामारी ने उस व्यक्ति की आय समाप्त कर दी। उस पर भी सरकार का जो प्रापर ध्यान होना चाहिए था, वह ध्यान नहीं गया। हम सब लोग यह कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता कितना मजबूर है। आज वह करोड़ों और लाखों का मालिक तो होता है, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब उसके पेट भरने की बात आती है तो एक छोटे व्यवसायी से भी उसकी हालत बुरी होती है। उसके खेत की कीमत तो बहुत ज्यादा है, उसकी जमीन की कीमत ज्यादा है। लेकिन उसको जो मिलता है, वह बहुत कम मिलता है। तो जो बाढ़ से या आग से किसी तरह का नुकसान हो जाता है, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो बाढ़ से और आग से नुकसान हो, उसकी उपज के बराबर, जो किसान की उपज हो, जिस जमीन में जितनी उपज अनुमानित है, उतना पैसा या उतनी उसकी क्षतिपूर्ति दी जाये, न कि केवल सहायता दी जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब संक्षेप कर दीजिये।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, एक तरफ तो बड़े व्यापारियों को या बड़े घरानों को हर तरह की सहायता दी जाती है। उनके लिए इंश्योरेंस है और दुनियां भर की सुविधाएं हैं, लेकिन किसानों को कहीं भी उनकी उपज का मूल्य नहीं मिलता है और किसान सदा उसके लिए त्रस्त रहता है। आप अक्सर देखते होंगे कि कोई फैक्ट्री बन्द होती है, उसमें तालाबन्दी हो जाती है। लेकिन किसान बेचारा प्रदर्शन भी करता है तो कहीं दूध गिराता है, कहीं अपनी फसल फेंकता है, उसके बाद वह प्रदर्शन करता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कर दीजिये।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, आज किसान बेहाल है, महंगाई अपनी चरम-सीमा पर है। चाहे वह तेल की बात हो, चाहे किसी और चीज की बात हो, आज महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है।

श्री अधिष्ठाता-

विनय जी, अब समाप्त कर दीजिये।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। दो बातें हैं, बस एक-दो मिनट दे दें। हमारे विधान सभा क्षेत्र में तीन सी0एच0सी0 अस्पताल हैं और वहाँ भी आज तक पूरे डॉक्टर नहीं हो पाये हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से यह मांग करना चाहते हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि कम से कम वहां पर डॉक्टर की पोस्टिंग हो जाये। दूसरा, जो अवैध खनन हो रहे हैं, ओवर-लोडिंग हो रही है। जहाँ ओवर-लोडिंग हो रही है तो जिस गाँव की तरफ से बड़ी ट्रकें जा रही हैं तो उस गाँव की सड़कें टूट जा रही हैं साथ ही साथ वहाँ पर आस पास की जनता धूल से तबाह हो जा रही है, उनका जीवन कठिन हो जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप इन बातों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें, आपका धन्यवाद।

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

अधिष्ठाता महोदय, 2021-22 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, भारतवर्ष की जो सनातन संस्कृति है, उसमें जो रामराज्य की परिकल्पना है, वह सबसे श्रेष्ठ कल्पना और परिकल्पना है। मैं समझता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और भारत की सरकार है, विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें मैं सदस्य हूँ, वह पूरी तरह राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए तत्पर है और 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख का जो बजट है, उसी के सपने को साकार करने के लिए यह बजट है। 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने रामराज्य की परिकल्पना करते हुए लिखा-

राम राज बैठे त्रैलोका।
हरषित भए गए सब सोका।।
बयरू न कर काहू सन कोई।
राम प्रताप बिषमता खोई।।

आगे तुलसीदास जी लिखते हैं-

अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा।
सब सुन्दर सब बिरुज सरीरा।।
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना।
नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।।

अभी लगातार माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी और बजट पर चर्चा करते हुए हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। उसमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें कीं। आपने देखा कि कोरोनाकाल में पूरी दुनियां महंगाई से भी तबाह थी, पूरी दुनियां मन्दी से तबाह थी। हम पेट्रोल पर चर्चा करते हैं, महंगाई की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोरोनाकाल में जब पूरी दुनियां तबाह थी, पूरी दुनियां जानती है और पूरी दुनियां की 7 अरब जनसंख्या जानती है, हमारे विपक्ष के लोग महंगाई पर चर्चा करते हैं, 83 रुपये पेट्रोल पर चर्चा करते हैं। लेकिन कोरोनाकाल में जब भारत की जो सीमा थी, पूरी तरह से चाइना, पाकिस्तान हमला बोलने की स्थिति में थे, तब कोरोनाकाल में माननीय प्रधानमंत्री राफेल लेकर आते हैं और जो दुश्मन देशों के सीने को चीरने की क्षमता रखता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, यह सब लोग जानते हैं, कभी 83 रुपये पेट्रोल की चर्चा तो करते हैं, बेरोजगारी की चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चाइना को पीछे भागते हुए देखा, कोई भगा पाया ? भगाया तो भारत ने भगाया।

अधिष्ठाता महोदय, गरीबों की चर्चा करते हैं, 83 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के पीछे पड़े हैं, लेकिन जब गरीब के घर में पांच लाख रुपये का आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है, गरीबों को जब आवास मिलता है, जब गरीबों को शौचालय मिलता है, जब गरीबों के खाते में कोरोनाकाल में चार-चार बार पैसा आता है, जब किसानों को साल में 6 हजार रुपये हमारी सरकार देती है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, इनको केवल 83 रुपये पेट्रोल का दिखता है और बेरोजगारी दिखती है। कोरोनाकाल में जब राम मन्दिर का शिलान्यास होता है जो चार सौ साल का कोढ़ था, जो पाप था, जो आक्रान्ताओं ने हमारे देश पर आक्रमण करके हमारी धार्मिक संस्कृति को तहस-नहस किया था, जब भारत के प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीया राज्यपाल जी जब उसका शिलान्यास करते हैं, तो उसकी चर्चा एक बार भी नहीं करते हैं। महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद रामराज्य की परिकल्पना की थी, हे राम! उन्होंने कहा, सत्य व अहिंसा का पालन करते हुए राष्ट्रपिता हो गये, लेकिन जब हम जय श्रीराम कहते हैं तो हम इनके लिए साम्प्रदायिक हो जाते हैं, ये कहते हैं कि ये सारे लोग साम्प्रदायिक हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जो दुनियां की सनातन संस्कृति के लिहाज से सबसे पवित्र विधान सभा क्षेत्र है। हरैया का मुख्य धाम मखौड़ा भगवान श्रीराम का पुत्रयेष्ठ यज्ञ स्थल है। उस मखौड़ा धाम में आजादी के बाद से कोई काम नहीं हुआ था। हमारी सरकार ने 25 करोड़ रुपये लगा करके उस मखौड़ा धाम का शिलान्यास भी किया और उसमें काम भी कर रही है और यह 84 कोसी परिक्रमा धाम का पहला पड़ाव स्थल भी है। दूसरा पड़ाव स्थल है राम रेखा, वहाँ भी 4 करोड़ रुपये का काम चल रहा है। अगला पड़ाव स्थल 84 कोसी परिक्रमा स्थल का है हनुमान चकोही वहाँ भी काम चल रहा है। श्रृंगी ऋषि आश्रम में 2 करोड़ रुपये का काम चल रहा है। तपसी धाम आश्रम में पर्यटन से ही करीब 5 करोड़ रुपये का काम चल रहा है, रानी गाँव शिव मन्दिर में भी पर्यटन से काम चल रहा है,

अमोलीपुर हनुमान मन्दिर में भी पर्यटन से काम चल रहा है। लगभग 50 करोड़ रुपये का काम विधान सभा क्षेत्र में चल रहा है। ये रामराज्य नहीं तो क्या है। आखिर यही तो परिकल्पना थी। 70 साल में एक ईंट किसी पर्यटन स्थल पर नहीं रखी गई, केवल धर्मनिरपेक्षता के नाते नहीं रखी गयी। हमारे विधान सभा क्षेत्र में, केवल एक विधान सभा क्षेत्र का बता रहा हूँ, युवाओं के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये का स्टेडियम बनकर तैयार है, पालीटेक्निक बन रहा है, 71 करोड़ रुपये से अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है, आखिर रामराज्य क्या होता है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

हमारे विधान सभा क्षेत्र में राम जानकी रोड जो हमारे विधान सभा क्षेत्र से जनकपुर जाता है, उसका चौड़ीकरण, उच्चीकरण हो रहा है। हर्रैया से बभनान से दर्जीकुआं रोड का काम हो चुका है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में चौड़ीकरण की 10 रोडें, ऐसे तो 300 से ज्यादा रोडें पी0डब्लू0डी0 से बनवाई लेकिन जो महत्वपूर्ण रोड हमारे यहाँ की है, सिकन्दरपुर मसकनवां चौड़ीकरण हो रही है, आमरी से महूघाट विशेषरगंज का चौड़ीकरण हो रहा है। महराजगंज से दुबौलिया अशोकपुर मांझा चौड़ीकरण हो रही है। पीपे का पुल जो आजादी के बाद से नहीं बना, हमारी 50 हजार जनता जो नदी के उस पार थी, आ नहीं पाती थी, वह पुल आज बनकर तैयार हो रहा है, जनता आ-जा रही है। मंडवा नदी पर पांच-पांच पुल स्वीकृत हैं। दो पुल बन करके तैयार हो गये हैं। ऐसे कितने काम हैं जो रामराज्य की परिकल्पना को आच्छादित करते हैं और चिल्ला-चिल्ला करके कहते हैं कि जो काम इन सालों में हुआ, वह कभी नहीं हुआ था।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ चौड़ीकरण की रोडें हैं उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जैसे कि एन0एच0 जो दुधवा पार की ओर जा रही है, उसका चौड़ीकरण हो जाय तो बहुत अच्छा हो जायेगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ पुल का काम होना है, मनवर नदी पर पुल बन जाय तो बहुत अच्छा हो जायेगा। मैं अपनी सरकार को इस बजट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, यह सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, महिलाओं के प्रति समर्पित है, उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनता के विकास के लिए समर्पित है। आपने बोलने का अवसर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदस्य डॉ0 अवधेश सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर सदस्य श्री विजय राजभर का नाम पुकारा गया)

श्री विजय राजभर-

बहुत-बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2021-22 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 2021-22 का बजट सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाने वाला बजट है। मान्यवर, जहां आज सम्पूर्ण भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं हमारा उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है वह योगी जी के नेतृत्व में न केवल कोरोना से लड़ा है, बल्कि कोरोना को समाप्त करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी के समय हमारे प्रदेश के श्रमिक जब देश के तमाम अलग-अलग राज्यों में फंसे हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद, जो गोरखपुर और बनारस के बीच का केन्द्र है, जहाँ से 100 कि0मी0 की दूरी पर गोरखपुर और 100 कि0मी0 की दूरी पर बनारस पड़ता है। हमारे छोटे से जनपद के 58,585 मजदूर मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन और सहयोग से जनपद में आ गये। उन मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करके, राशन किट तथा आर्थिक मदद देते हुए उनको घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, हमारे जनपद के जितने छात्र-छात्राएं जनपद से बाहर रहकर पढ़ते थे, उनके माँ-बाप उनके आने की उम्मीद छोड़ दिये थे, ऐसे कुल 2200 छात्र-छात्राएं, जिनमें 500 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं थे, उन सभी को बिना किसी भेदभाव के उनके घरों तक पहुंचाने का काम हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है।

मान्यवर, अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने क्या किया है बताना चाहता हूँ कि मैं वर्ष 2019 के उपचुनाव में जीत कर आया था। पिछले बजट सत्र में मैं बोलकर गया था और उसके बाद पूरे विश्व का दुर्भाग्य था कि कोरोना जैसी महामारी ने हमें अपने आगोश में ले लिया, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया रुकने का नाम नहीं लिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने जनपद के विकास की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे जनपद में 248 सामुदायिक शौचालय बने, जिसमें से हमारी विधान सभा क्षेत्र घोसी में 81 बने, 70 पंचायत भवन बने, जिसमें से हमारी विधान सभा घोसी में 30 बने। चिकित्सा के क्षेत्र में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 13 चिकित्सालय बने, जिसमें 03 हमारी विधान सभा क्षेत्र घोसी में बने, जिसमें 100 बेड का एक हास्पिटल टड़ियांव में तथा 30 बेड का हास्पिटल मझवारा में बना। प्रधानमंत्री आवास 25,175 की संख्या में पूरे जनपद में मिला, जिसमें 7083 की संख्या हमारी विधान सभा क्षेत्र घोसी में है।

मान्यवर, सबसे बड़ा गौरव हमें तब प्राप्त होता है जब हमारे जनपद में 196 मुख्य मंत्री आवास योजना वनटांगिया और मुसहर जाति को मिलती है। सबसे ज्यादा 112 की संख्या में मुसहर और वनटांगिया जाति हमारी विधान सभा क्षेत्र घोसी में निवास करती है।

लोक निर्माण की तरफ से 8 सड़कें, कुल 5207 लाख रुपये से हमारे विधान सभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने बनाने का कार्य किया है। हमारे जनपद में 46,200 राशन कार्ड बनाये गये, जिसमें से हमारी विधान सभा क्षेत्र में कुल 9822 अन्त्योदय कार्ड हैं। पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हमारी जनपद में 3,21,131 हैं, जिसमें से 79,325 पात्र गृहस्थी कार्ड हमारी घोसी विधान सभा क्षेत्र में हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन 1,21,116 पूरे जनपद में हैं, जिसमें 29,566 हमारे घोसी विधान सभा में क्षेत्र हैं।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो मात्र साल भर पहले आया हूँ। लेकिन हमारी सरकार ने इतनी सारी उपलब्धियां हमारे विधान सभा क्षेत्र में दीं। अभी हमारे विपक्ष के साथी यह कहकर विरोध कर रहे थे कि हमारी सरकार में नौकरियां नहीं दी जाती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती, अशासकीय सहायता प्राप्त नियुक्ति, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण, नलकूप विभाग और कृषि विभाग को मिलाकर कुल 726 लोगों को हमारे जनपद में नौकरी मिली है, जिसमें से 161 लोग हमारे घोसी विधान सभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि विकास और रोजगार के मामले में हमारी सरकार एकदम आगे है और आगे रहने वाले हैं यह जनता भी स्वीकार करने को तैयार है।

मान्यवर, आगे के क्रम में हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, मैंने पिछली बार के बजट सत्र में भी आपके माध्यम से सरकार से मांग किया था। हमारे यहाँ लम्बे समय से बन्द पड़ी दोनों कताई मिलें, परदहां और स्वदेशी कॉटन मिल, जिस पर हमारी सरकार ने वहाँ की खाली भूमि पर बजट सत्र में एक्सपो लगाने का प्रस्ताव रखा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि हमारी जो सैंकड़ों एकड़ भूमि पड़ी हुई, इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वहां बाउण्ड्रीवाल है, बिजली, पानी है, सारे आफिसेज बने हुए हैं, एन0एच0 से तथा रोडवेज से नजदीक है, मेरा आपसे अनुरोध है कि वहाँ इलेक्ट्रानिक, फूड या कास्मेटिक प्रोसेसिंग या कोई भी यूनिट बैठा दी जाये, ताकि हमारे जनपद के कम से कम 8-10 हजार मजदूरों, गरीबों को रोजगार मिल सके। घोसी में स्थित ताल नरजा और ताल पिउआ के बारे में पिछली बार भी कहा था, लेकिन कोरोना के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पायी थी। उसका पूरा सीमांकन हो गया है। ये दोनों ताल जल-संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। एक हजार बीघे में ये दोनों ताल फैले हुए हैं। यहां जल संरक्षण का कार्य हो सकता है। मैं माननीय जल संरक्षण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर जल संरक्षण कराने का काम करें। मेडिकल कालेज के लिए पी0पी0ई0 मॉडल में हमारा जनपद भी आ चुका है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 100 बेड का महिला अस्पताल है, मऊ का सदर हास्पिटल भी 100 बेड का है और अभी एक नव निर्मित हास्पिटल है वहाँ भी 100 बेड उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री व वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर पी0पी0ई0 मॉडल न दे करके वहां सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना की जाये।

हमारे पास 300 बेड के हास्पिटल भी हैं और वहाँ पर पर्याप्त जगह है, तो वहाँ बनाने का काम करिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब संक्षेप करिये।

श्री विजय कुमार राजभर-

मान्यवर, दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की धरती से आता हूँ। मैं युवा हूँ और इस सरकार ने युवाओं को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ जब वन के लिए निकले थे, तो हमारे जनपद के वन देवी धाम में उनका पवित्र चरण पड़ा था। आज उसकी स्थिति बहुत जीर्ण-शीर्ण है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे पर्यटन मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहां जो वन देवी धाम है, उस पर मा0 मंत्री जी की नजर पड़ जायेगी तो हमें लगता है कि उसका भी उद्धार हो जायेगा।

श्री अधिठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री विजय कुमार राजभर-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र की जनता की बहुत लम्बे समय से एक आर0ओ0बी0 की मांग है। उसके लिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन्दारा जंक्शन पर आर0ओ0बी0 को बनवाने का कष्ट करें। हमारे यहाँ धानी दास मोड़ अमिला होते हुए आजमगढ़ को जो रोड जोड़ती है उस पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गयी है और वह सड़क पतली होने के कारण आयेदिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मेरा आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के मा0 मंत्री जी जो हमारे उप मुख्य मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन है कि इस सड़क को दो लेन बनवाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री विजय कुमार राजभर-

मान्यवर, अभी कानून-व्यवस्था व अपराध की बात हो रही थी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मऊ जनपद से आता हूँ और मेरी उम्र 32 साल की है, सदर विधान सभा क्षेत्र में मेरा घर है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने विधायक को नहीं देखा ? वोट मैंने कई बार दिया, वोट देना मेरा अधिकार है। लेकिन हमारे जैसे तमाम युवाओं ने अपने विधायक को नहीं देखा है। विधायक मुख्तार अंसारी जो माफिया डॉन कहा जाता है। उनको संरक्षण देने का काम ये लोग करते हैं और अपराध की बात करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री विजय कुमार राजभर-

2005 में मुझे खुद याद है। मेरी भी फुटपाथ पर सब्जी की दुकान है। उनके इशारे पर जब सरकारें चलती थीं तो उन्होंने पूरे मऊ को फूंकने का काम किया था। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मऊ जनपद बुनकरों की नगरी है, मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन जब मैं मुसलमानों के बीच में जाता हूँ तो वह कहते हैं कि हम सभी का दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी और बसपा की वजह से मुख्तार का राज स्थापित हो गया था। मान्यवर, हमारे जनपद की बहुत बड़ी पीड़ा है, मैं उस धरती से आता हूँ, जिस धरती पर एक ऐसे कवि पैदा हुए जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखीं और उनकी कविता के माध्यम से महाराणा प्रताप जी का नाम लिया जाता है। पं0 श्याम नारायण पाण्डेय की जन्म भूमि से मैं आता हूँ, जिन्होंने रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था कविता लिखी थी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि ऐसे वीर रस के कवि की पावन स्मृति के लिए वहाँ पर एक पुस्तकालय स्थापित हो जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री विजय कुमार राजभर-

मैं अखिल भारतीय राजभर समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस सरकार को पर्यटन विभाग के मंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि श्रावस्ती नरेश जिन्होंने एक हजार साल पहले कुख्यात जो आया था मुगल शासक, सैय्यद सलार मसूद गाजी को मारने का काम किया था, उनकी स्मृति में जिन्होंने अभी 16 तारीख को बहुत बड़ा पैकेज देने का काम किया, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को मान्यवर। इसी के साथ मैं, अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत, बहुत धन्यवाद।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, धन्यवाद कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया है। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता बसपा लालजी वर्मा जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उससे सम्बद्ध करते हुए माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बजट खोखला बजट है। यह बजट गरीबों को भटकाने और भुलावे में रखने वाला बजट है। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की उसमें जो उनका अपना स्वयं का जो राजस्व था 31 जनवरी तक उसमें लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक की कमी खुद माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार की है। मैं तो माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 27 हजार करोड़ की नई परियोजनाओं का

आपने इस बजट में प्राविधान रखा है । एक तरफ 35 से 40 प्रतिशत की कमी है स्वयं के करों में और दूसरी तरफ 27 हजार करोड़ का नई परियोजना के लिए आपने प्राविधान किया है। कैसे इसकी भरपाई करेंगे, मैं तो यह माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों में आपने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की चर्चा की कि इतने-इतने ग्रांटों का एक भी पैसा जारी नहीं हुआ। मैं तो माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि पांचवाँ बजट आपने दिया है। पिछले 4 सालों में आपके कितने प्रस्तावों में एक भी रुपया जारी नहीं हुआ आप यह सदन को बतलाने का काम करें। मैं तो यह चाहता हूँ कि जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की चर्चा होती है तो कहीं न कहीं हमारे सत्ता पक्ष के साथी दो फीट ऊपर या दो फीट नीचे जाने का काम करते हैं। मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपको देना चाहूँगा सकल घरेलू उत्पाद, जब हमारी सरकार थी तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे तो क्या था। 2013 में 4.47 प्रतिशत, 2014 में 4.75 प्रतिशत, 2015 में 7.24 प्रतिशत, 2016 में 7.56 प्रतिशत, 2017 में 7.04 प्रतिशत और जबसे वर्तमान सरकार आई 2017-18 में 6.12, 4.18 और इस साल 10.28 लगातार गिरावट होती चली आ रही है। माइनस 10.28 लगातार गिरावट होती चली जा रही है जीडीपी की दरों में। ऐसे ही अखिलेश यादव जी को प्रदेश की जनता याद नहीं करती है। प्रदेश में मैं लखनऊ शहर की बात करना चाहता हूँ। मेट्रो से, जहाँ से अधिष्ठाता महोदय आप आते हैं। मेट्रो अमौसी से मुंशी पुलिया तक अखिलेश यादव जी ने बनवाईं इसको एक कि0मी0 आगे इस सरकार ने बढ़ाने का काम नहीं किया।

चकगंजरिया में जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हुआ, आज तक वह कैंसर इंस्टीट्यूट चालू नहीं हो पाया। यह इस सरकार की उपलब्धि है। यह सरकार की उपलब्धि है। माननीय अधिष्ठाता महोदय कि जो जे0पी0एन0आई0टी0 जो लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के नाम पर बना था, उसको आज तक पूरा नहीं करा पाये। यह आपकी उपलब्धि है, वह एक्सप्रेस-वे जिसको देखते ही आप बीमार पड़ने लगते हैं, 22 महीने में अखिलेश यादव जी ने बनवाया। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बन रहा है। आज भी मात्र 4 साल के बाद पांचवाँ साल लग गया। मात्र 69 परसेंट बनकर तैयार है। इसको अगले साल तक भी आप पूरा नहीं कर पायेंगे। आधा-अधूरा एक्सप्रेस-वे आप बनायेंगे। यह है माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार और वर्तमान सरकार में फर्क। आपने वायदा किया था कि विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एक हजार रुपया करेंगे। आपने अपने संकल्प-पत्र में कहा था कि आज तक 700 रुपये से उसको आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। यह कब तक होगा, मैं नहीं समझ सकता। यह कब तक आप लोग करेंगे। यह सरकार है, यह सरकार न करने में विश्वास रखती है। मैं तो अपने जनपद के बारे में कहूँगा। प्रयागराज का गुणगान, प्रयागराज की चर्चा, प्रयागराज की महिमा यह सब बातें सरकार बहुत करती है। जब देखिये प्रयागराज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि

लखनऊ शहर में क्या रस है, क्या शहद है कि सारा पैसा लखनऊ शहर मे लगाया जाता है और जनपद प्रयागराज की उपेक्षा की जाती है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार ने 5 सालों में जनपद प्रयागराज में कोई भी काम नहीं किया है। हमारी सरकार में मा0 अखिलेश यादव जी ने हमारे क्षेत्र में एक राज्य विश्वविद्यालय बनाया, आपने उसका नाम रज्जू भैया के नाम पर रखा, लेकिन मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक रुपये का धन आवंटन इस सरकार में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी को देने का काम नहीं किया है, यह सौतेला व्यवहार जनपद प्रयागराज के साथ है। जनपद प्रयागराज में अगर कोई बीमार हो जाता है, कैंसर का पीड़ित है, लीवर का पीड़ित, किडनी का पीड़ित है तो सीधे पी0जी0आई0 भाग कर आता है। अगर जनपद प्रयागराज में आप एम्स की स्थापना करा देते तो मैं समझता कि योगी जी बड़ी सरकार का बड़ा दिल है, लेकिन आपने एम्स की स्थापना के लिए जनपद प्रयागराज का नाम काट दिया है, कहीं पर भी नहीं रखा है। जनपद प्रयागराज की आबादी 50 से 60 लाख के आस पास है। वहाँ पर एम्स की जरूरत और मांग है। मैं इस सरकार से एक अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मांग करता हूँ। एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम जनपद प्रयागराज में बनना चाहिए। हमारे इलाके में मा0 अखिलेश यादव जी ने एक सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने का काम किया था। आपकी सरकार में एक हाईटेक सिटी आज तक बनकर तैयार नहीं हो पायी है, यह सरकार कच्छप गति के साथ चल रही है।

आज कल लोग किन्हीं कारणों से चीनी कम खा रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी जबान की मिठास भी कम हो जाये। कहीं हमारी जुबान में भी कटुता आ जाये, हम जबान से भी इतने जहरीले हो जायें, यह संस्कार, यह परम्परा हमारी नहीं रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह लाल टोपी इन्कलाब और क्रांति का प्रतीक है। हमने कभी यह नहीं कहा है कि आप काली टोपी क्यों पहनते हो, आप नीली टोपी क्यों पहनते हो, आप पीली टोपी क्यों पहनते हो। हमने इस पर प्रश्नचिन्ह नहीं उठाया, लेकिन आपने कटाक्ष करके उस मानसिकता का परिचय दिया है, उस मानसिकता को जाहिर किया है, जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, जिनकी सोच देश को एकरूपता में बनाना चाहती है। यह देश बहुआयामी देश है। इस देश के चरित्र को खत्म करने का काम मत करिये, व्यक्तिगत कटुता मत पैदा करिये। काम के बजाय देश को बांटकर आप वोट लेना चाहते हैं। देश को बांट कर आप उस गद्दी पर बैठना चाहते हैं, मैं अपने साथियों से कहूँगा कि ऐसे कामों को करेंगे तो कहीं न कहीं पूरे देश का नुकसान होगा। जनपद प्रयागराज से लगातार आप एक के बाद एक निदेशालय को हटाते चले जा रहे हैं, यह सौतेला व्यवहार नहीं तो और क्या है ? मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि डॉ0 लोहिया ने 6 सितम्बर, 1963 को लोक सभा में एक भाषण दिया था। आप कभी-कभी अपने भाषणों में डॉ0 लोहिया की चर्चा कर देते हैं, लेकिन डॉ0 लोहिया के सिद्धान्तों पर चलना सीखिये। केवल नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने अपने भाषण में कहा था, यह

डॉ0 लोहिया के शब्द हैं, मैं केवल उनको याद दिलाना चाहता हूँ। वह किस्सा जो 1917 में गांधी जी ने बड़े वायसराय के बारे में कहा था। वायसराय अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करता था, लेकिन उतना नहीं जितना यह हजरत करते हैं, वह इसका छठा भाग भी न था तब महात्मा गांधी ने कहा था कि यह बड़ा भूखा देश है, बड़ा गरीब देश है। खाने को नहीं मिलता। अगर बड़े लार्ड इतना खर्च करने से ही अपनी जिन्दगी बचाते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा है कि वह मर जायें। यह गांधी जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। फिर डॉ0 लोहिया ने कहा है कि आखिर में उतना ही कहूँगा बहुत जबरदस्त धधकती आग है भूख और गरीबी की, बेरोजगारी और महंगाई की, तबियत तो मेरी कहने की यही करती है। धधकती आग में यह सरकार जलकर खाक हो जाये और मेरे जैसे निकम्मे आदमी जो इस सरकार को न हटा पायें शायद खुद के लिए भी खत्म हो जाना ही अच्छा है। आज जो महंगाई का हाल है, आज जो बेरोजगारी का हाल है, इसमें हम लोग खुद चाहते हैं कि यह सरकार अगर खास नहीं होती तो कहीं न कहीं आम लोगों को मजबूरी में मिटना पड़ेगा। इस आन्दोलन को तेज करने के लिए हम लोग काम करते हैं। हम आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहेंगे। एक छोटी सी बात कहकर हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे।

अभी तो सिर्फ परिन्दो को शुमार करना है। अभी तो सिर्फ परिन्दों को शुमार करना है। यह बाद में बताएंगे कि किस, किस का शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर हमें भी जिद है कि हमें दरिया पार करना है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह उम्मीद करूंगा कि सरकार जन-कल्याणकारी काम करे और जो संशोधन का प्रस्ताव है, उस पर बल देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती लीना तिवारी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट 2021-22 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार। वर्ष 2021-22 के लिए पांच लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के बजट में 27598 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं को शामिल करके मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करना जानती है। यह बजट राज्य की अर्थव्यवथा को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेडिकल के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट में अद्भुत निर्णय लिये हैं। अमेठी और बलरामपुर में नये मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए 175 करोड़ रुपये अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्थापित करने के लिए 100 करोड़ और 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति लाने का काम किया है

जिसके लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य मंत्री सहित सम्पूर्ण योगी सरकार को बधाई। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर को नल से जल देने के लिए 15 हजार करोड़ की व्यवस्था करके हमारी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह ग्रामीण अंचल में पीने के पानी की समस्या नहीं आने देगी।

अधिष्ठाता महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिये 5,395 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लिए, 1300 करोड़, आयुष्मान भारत मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, 142 करोड़ महिलाओं की चिकित्सा सुविधा हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लिए 320 करोड़ की व्यवस्था करके स्वास्थ्य के प्रति भी हमारी सरकार ने संवेदना दिखाई है। इस बजट में कृषकों के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़, मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़, रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था करके अन्नदाताओं को सम्मानित करने का पुनीत कार्य किया गया है। इसके लिए कृषि मंत्री सहित मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इस बजट में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास का ध्यान रखते हुए सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शौचालय सहित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन निर्गत करके अन्तिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है। महोदय, मैं इस शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मस्जिद की बात हो तो शिवालों की बात हो, मस्जिद की बात हो तो शिवालों की बात हो, बजट कोई भी हो, गरीब जनता के निवालों की बात हो। हमारी पार्टी अपना दल के संस्थापक डॉ0 सोनेलाल पटेल जी हमेशा गरीबों, मजदूरों, कमेरों, दलितों, शोषितों, वंचितों की बात किया करते थे। उनकी आवाज को बुलन्द किया करते थे। उन्हीं की तर्ज पर हमारी नेता बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज को बुलन्द करती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 12 फरवरी को लोक सभा में पासियों की बेटी वीरांगना ऊदा देवी पासी की वीर गाथा को पाठ्य-पुस्तकों में शामिल करने की बात उठाई है। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज मेरा नाम है। मैं उत्तर प्रदेश के सदन में वीरांगना ऊदा देवी पासी की वीरगाथा को उत्तर प्रदेश की पाठ्य-पुस्तकों में शामिल करने की मांग करता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वीरांगना ऊदा देवी पासी लखनऊ के पास उजरियाँव गाँव की रहने वाली दलित पासी समाज की बेटी थीं। बचपन से ही वह जुझारू स्वभाव की थीं और उनके पति मक्का पासी वाजिद अली शाह की सेना में सैनिक थे और वह स्वयं वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल की सेना में महिला सेना की कमाण्डर थीं। महोदय, उनके पति मक्का पासी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में मारे गये थे, उसी समय ऊदा देवी पासी ने कसम खायी थी कि मैं अपने पति का बदला लूंगी। लखनऊ के सिकन्दरबाग में 2000 विद्रोही सैनिक रुके हुए थे। अग्रेजों की सेना ने उस पार्क की घेराबन्दी की और वह विद्रोही सैनिकों का दमन करना चाह रही थी। ऊदा देवी पासी पुरुषों के वेश में पीपल के पेड़ पर चढ़ गयीं और वहीं से उन्होंने अंग्रेज अफसर कूपर और लेम्सडन सहित 32 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले कूलिन कैम्पवेल ने जब देखा पेड़ से गिरने वाले सैनिक की लाश एक पुरुष की नहीं बल्कि एक महिला की है तो उसने अपनी हैट उतार करके उनको सलामी दी थी। वीरांगना ऊदा देवी पासी की शौर्य गाथा तमाम अंग्रेजो नें लिखी है और उनकी प्रशंसा की है, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पाठ्य-पुस्तकों में उनकी शौर्य गाथा को शामिल किया जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा दूसरा प्वाइंट है कि हमारे मिर्जापुर, सोनभद्र सहित तमाम कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बियार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली बियार जाति एक गरीब आदिवासी जाति है जिसका आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर अत्यन्त ही गिरा हुआ है, जिससे गरीबी के कारण शिक्षा का अभाव है। इस जाति का लगभग 90 प्रतिशत जीवन पूर्णतया मजदूरी पर ही आश्रित है। तत्कालीन मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में वर्ष 1951 से ही बियार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, 20 सितम्बर, 1951 के द गजट ऑफ इण्डिया के पेज नं0-2 पर जो सूची है उसमें बियार अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में क्रमांक-13 पर अंकित है। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, मिर्जापुर-1988 में बियार जाति को अनुसूचित जनजाति बताया गया है। अतः मैं मांग करता हूँ कि बियार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करते हुए मुसहर जाति जैसी सुविधाएं प्रदान की जायें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी तीसरी बात पत्रकार बन्धुओं के विषय में रखना चाहूँगा। मीडिया देश का चौथा स्तम्भ है, परन्तु आज तक मीडिया कर्मी अर्थात् पत्रकार बन्धु असुरक्षा में जी रहे हैं। जान हथेली पर लेकर खबरें एकत्रित करने वाले पत्रकार बन्धुओं के लिए वेतन की व्यवस्था की जाये और आकस्मिक दुर्घटना होने पर इनके परिवार के लिए 25 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना लायी जाये, ऐसी मैं मांग करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं अपनी विधान सभा में रखना चाह रहा हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम सभा लखरावां हैं जहाँ पर स्टेडियम की बात चली है और स्टेडियम के नाम से जमीन भी स्थानान्तरित हो गयी है। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप सुनाइये नहीं, संक्षेप कर दीजिये।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मान्यवर, तहसीलदार फूलपुर के आदेश दिनांक 10-12-2015 के क्रम में ग्राम लखरावां, परगना सिकन्दरा, तहसील फूलपुर के आ0सं0 18 रकबा 2.200 हे0 गांव सभा के खाते से निरस्त होकर क्रीड़ा संकुल की स्थापना हेतु प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण का

नाम दर्ज किया जाये, यानी कि स्टेडियम के नाम से जमीन स्थानान्तरित हो गयी है, लेकिन उस पर कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अब आप समाप्त करें।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इस बजट से स्टेडियम का कार्य पूरा हो जाये और ग्राम सभा कटरा सारी पट्टी करनाईपुर में फुटहवा महादेव मंदिर है, जो अत्यन्त ही प्राचीन है, इस मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित किया जाये और उसका सौन्दर्यीकरण कराया जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी लास्ट बात रखना चाहूँगा।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी विधान सभा क्षेत्र मऊआइमा ब्लाक में एक कताई मिल है जोकि बहुत दिनों से बन्द पड़ी हुई है, जिसके कारण कई हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, हमने 2017 में भी यह विषय उठाया था। मैं मांग करता हूँ कि उस कताई मिल को प्रारम्भ किया जाय। इसके अलावा लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला है, महाराजा बिजली पासी जी का बहुत बड़ा इम्पायर था, बहुत ज्यादा भूमि थी, लेकिन अब उस भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। मैं अपनी सरकार से माँग करता हूँ कि वह महाराजा बिजली पासी के किले को संरक्षण प्रदान करे जो अतिक्रमण की गयी भूमि है, उसे सुरक्षित करते हुए उसका सुन्दरीकरण कराया जाये। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, सर्वसमावेशी, लोकहितकारी और जन-सरोकारों से जुड़े बजट प्रस्तुत करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी जी के प्रति, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ वित्त राज्य मंत्री जी के प्रति और उनकी पूरी टीम के प्रति जिन्होंने इतना सुन्दर बजट रखा है। इसी सदन में चार बार विधायक रहे मेरे पिता पूर्व सहकारिता मंत्री स्व0 श्रीराम प्रकाश त्रिपाठी जी, वे 40 वर्ष के राजनीतिक सेवा सिद्धान्त के बारे में जब एक बार पत्रकार बन्धुओं ने उनसे पूछा कि आपका राजनीति का ध्येय क्या है ? आपकी राजनीति का सिद्धान्त क्या है तो उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि-

कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को समझाने निकला हूँ,
घायल पड़े जटायु को मैं गोद उठाने निकला हूँ,
और हर दीन, दुखी, अबला की कुटिया में मैं दीप जलाने निकला हूँ।

ऐसे पिता की बेटी होने के नाते जिस समय यह बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा था आज वह इस दुनियां में नहीं हैं। लेकिन निश्चित रूप से स्वर्ग में बैठकर कहीं न कहीं उनकी आत्मा को वह शान्ति मिली होगी जिस कल्पना के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में

40 वर्ष तक लगातार अपनी सेवाएं दीं और जनता की सेवा की। इस बजट में पिछली सरकारों की भांति कुछ वर्गों की तुष्टि के स्थान पर सभी वर्गों की पुष्टि की संकल्पना को समाहित किया गया है, जिसमें समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित के सामाजिक, आर्थिक न्याय को बल मिलेगा, जिससे समृद्ध प्रदेश के साथ समर्थ भारत का सपना साकार होगा। वर्ष 2017 में हमें जो प्रदेश मिला था वह बीमारू प्रदेश था जोकि अव्यवस्था, आतंक, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। वातावरण भय और आतंक से ग्रस्त था। समाज में जातिवाद का जहर व्याप्त था, महिलाओं में असुरक्षा की भावना थी तो युवा दिग्भ्रमित था। जी हां, युवा का दम्भ भरने वाली पूर्व सरकार में शिक्षा व्यवस्था एकदम पंगु थी, स्वास्थ्य व्यवस्था शिथिल थी, कृषि व्यवस्था लाचार थी। मा0 प्रधानमंत्री जी के दिशा-निर्देश में मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल साहसिक नेतृत्व से ही यह सम्भव हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश प्रगतिशील और विकासशील राज्यों की कतार में अग्रिम पंक्ति पर खड़ा है।

आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, युवा संयमित है, व्यवसायी व्यवस्थित है और किसान कर्मयोगी की भूमिका का निर्वहन कर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने में अग्रसर हो रहा है। यह स्पष्ट है कि राजनीति इच्छाशक्ति संकल्प से पूर्ण होती है। हमारे श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी ने उस दिन कहा था कि राजनीति जैसे हाथों में जाती है उसी तरह की बन जाती है यह भी कहीं मेरे पिताजी ने कहा था कि राजनीति राम के हाथ में गयी तो भक्ति बन गयी, राजनीति कृष्ण के हाथ में गयी तो युक्ति बन गयी और राजनीति कुछ दलों के हाथों में गयी तो जातिवाद की अभिव्यक्ति बन गयी और राजनीति कुछ दलों के हाथों में गयी तो धन उगाही की अभिव्यक्ति बन गयी और राजनीति मा0 योगी जी के हाथों में आई तो शक्ति बन गयी, विरक्ति बन गयी और आज समाजसेवा के लिए पहचानी जाने लगी। ऐसी राजनीति के लिए मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ भगवान का, ईश्वर का जिन्होंने मुझे इस ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण की साक्षी बनाने के लिए आशीर्वाद दिया है।

इस विधान सभा में मार्च, 1952 के बाद प्रथम विधान सभा के गठन से लेकर 2017 में सत्रहवीं विधान सभा के गठन तक संसदीय परम्परा का पूर्ण निर्वहन करते हुए तकनीकी से साम्य स्थापित कर आपने पेपरलेस पहला बजट प्रस्तुत किया। इस हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शिता के लिए उनका करबद्ध अभिवादन करती हूँ। इस बजट में साढ़े सत्ताइस हजार करोड़ की धनराशि का नवीन योजनाओं हेतु किया गया भारी-भरकम आवंटन यह स्पष्ट करता है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा भी योगी आदित्यनाथ सरकार का मनोबल तोड़ने में नाकाम रही है। विशेष रूप से इस वर्ष इस बजट में किसी नये टैक्स का प्राविधान न कर कोरोना से उपजी स्थितियों से तालमेल बैठाने हेतु आम जनमानस तथा करदाताओं के हाथ में अधिक नगदी होने की सहूलियत का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

मान्यवर, अयोध्या के सम्बन्ध में भी यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प अद्वितीय और अतुलनीय हैं। इन्हें शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। अयोध्या एक भू-भाग नहीं है, अयोध्या एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, अयोध्या समूचे संसार में, समूची दुनियां में हमारी संस्कृति का पोषक है, हमारे संस्कारों का परिचायक है और हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। 492 वर्ष से उपेक्षा के संताप से ग्रस्त अयोध्या महज एक भू-भाग नहीं अपितु सनातन की सहायक संघ सहधर्मिता की संवाहक, संस्कृति की सहचय और सरयू की संचारक है। यह मैं सदन के माध्यम से बताना चाहती हूँ। श्रीराम जन्म भूमि को विश्व पर्यटन मानचित्र पर प्रतिस्थापित कर वसुधैव कुटुम्बकम की वैदिक संकल्पना को साकार करने के अविस्मरणीय कार्य का सम्पादन यह सरकार साकार कर रही है और भी कई बजट में ऐसे आकर्षण हैं जिनके बारे में पूरे उत्तर प्रदेश ने इसको हाथों-हाथ स्वीकार किया है। मेधावी छात्र मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से जो बच्चे किसी कारणवश नहीं कर पाते थे, वह काम जो उनकी इच्छाशक्ति के अन्दर होता था। मेधावी छात्रों को टैबलेट दिया जायेगा। आफलाइन, आनलाइन कोचिंग कराई जायेगी। मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट इसमें रखा गया है। रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, मुख्य मंत्री जन आरोग्य मुझे याद है कि मैं जब गाँव में जाती थी तो लोग कहते थे कि दुनियां में दो ही कष्ट सबसे बड़े होते हैं या तो कोई 302, 307 का मुकदमा या बहुत बड़ी बीमारी जिसके कारण गरीबों के खेत बिकने पर आ जाते थे, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए जो इस बार मुख्य मंत्री जन आरोग्य की व्यवस्था की गयी है, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने की थी, वह अपने आप में अद्वितीय है। पहली बार एक साथ 13 जनपदों में नये मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था की गयी है। जल जीवन पेयजल योजना पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, गंगा एक्सप्रेस-वे, अयोध्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कानपुर, आगरा मेट्रो आदि तमाम ऐसे काम हैं जो इस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि राजनीति में विश्वसनीयता लाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने आज हम सब लोगों को यह गौरवशाली क्षण प्रदान किया है कि जब हम गाँव में जाते हैं अभी मैं सुन रही थी नेता विरोधी दल कह रहे थे कि नौकरियां नहीं हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि नौकरियां तो दी ही जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ नौजवानों में इस बात का आत्मविश्वास भी आ रहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बैठी है तब तक उनको नौकरियां मिलेंगी, यह उनके अन्दर आत्मविश्वास फैलता है। जब मैं गाँव में जाती हूँ। लड़के दौड़कर आते हैं, बेटियां दौड़कर आती हैं कि दीदी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया और मुझे नौकरी मिली है। यह इस बात का परिचायक है कि हमारी सरकार कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। तमाम काम ऐसे हैं, जिनके बारे में मैं गिनाना शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी बार-बार आपको कहना पड़ेगा कि समाप्त कीजिये। एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ दिन पूर्व एक वेब सीरीज ने लोगों की आस्था

से खिलवाड़ किया था, लेकिन यू0पी0 सरकार की माननीय उच्च न्यायालय में सशक्त पैरवी ने ऐसे विभाजनकारी तत्वों को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसी संदर्भ में निम्न पंक्तियों के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि दुर्योधन की कुटिल चालों से लाक्षागृह में अब पाण्डव नहीं होगा, आस्था के अपमान का यू0पी0 में अब कभी ताण्डव नहीं होगा। अन्त में केवल एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारी बहन अनीता ने कहा था कि मैं उसी के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हुए चाहती हूँ कि हम सबके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से 200 हैण्डपम्प की व्यवस्था की जाय। हमारी विधान सभा क्षेत्र में गुरसहायगंज नगर पालिका है, इसमें एक महिला महाविद्यालय की स्थापना कराई जाये। इसी के साथ एक बार फिर अधिष्ठाता महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।

श्री मूलचन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है निश्चित रूप से प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए यह संकल्पित बजट है। इस बजट में प्रत्येक वर्ग का चाहे वह किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे श्रमिक हो, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए 5,50,000 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट प्रस्तुत किया गया है और मैं समझता हूँ कि इस बजट से उत्तर प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। मान्यवर, हम सब देख रहे हैं कि यह जो वर्ष 2020 रहा है वह अपने प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश और पूरे विश्व के लिए एक चुनौती भरा वर्ष रहा है। विश्व की बड़ी महाशक्ति और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी कहे जाने वाले तमाम सक्षम देशों की अर्थव्यवथा कोविड-19 महामारी के दौर में ध्वस्त हो गयी थी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी का हृदय से बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनकी कुशलता, योग्यता और कुशल मार्गदर्शन के कारण अपने देश ने और उत्तर प्रदेश ने इस कोविड-19 पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की है।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जहाँ कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थीं, जहां हमारे पास कोई टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी, जहां हमारे पास कोई सामग्री नहीं थी, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे, हमारे पास वेन्टीलेटर नहीं थे, उस उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं की गयीं और दो लाख प्रतिदिन टेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो छह लाख से अधिक लोग पॉजिटिव हुए थे। उनमें सबसे अच्छा रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश का 98 प्रतिशत से अधिक रहा है। मैं समझता हूँ कि योगी जी की कुशलता और अच्छी व्यवस्था के कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और डब्लू0एच0ओ0 ने भी उत्तर प्रदेश की इस

व्यवस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की है। आदरणीय योगी जी की सरकार, उनकी पूरी टीम और उनके मंत्रि-मण्डल के सहयोगियों का मैं अभिनन्दन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोविड प्रारम्भ हुआ था तो लोग सोचते थे कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, यहां का क्या हाल होगा। लेकिन उनकी कुशलता के कारण से उत्तर प्रदेश में आज पूर्ण रूप से स्थिति नियंत्रण में है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने वाले कुछ भाई कह रहे थे कि इनके जो बजट रहे हैं चाहे 2017-18 का हो, चाहे 2018-19 का हो, चाहे 2019-20 का हो, यह सभी बजट खोखले हैं और आज का, यह बजट खोखला है। मैं आदरणीय बन्धुओं को बता देना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश को देखिये। आज पूरा प्रदेश चहुंमुखी विकास में अग्रणी है। आज प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चाहे जनता की कल्याणकारी योजनाएं देखें, चाहे किसानों की आर्थिक स्थिति देखें, चाहे विकास को देखें, चाहे स्वास्थ्य विभाग को देखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को देखें, जिस तरफ आप दृष्टि डालेंगे हर ओर उत्तर प्रदेश आगे है। चाहे रोजगार के मामले में देखें और चाहे कानून-व्यवस्था की स्थिति देखें। जहाँ एक समय 4 साल पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यह थी कि दिन-दहाड़े लूट होती थी, हत्या होती थी, डकैती होती थी और लोग शासन-प्रशासन का उपयोग लोगों की जमीन, मकान पर कब्जा करने के लिए करते थे। आज पूरे प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था पूर्ण रूप से नियंत्रण में है।

आज गुण्डा-माफिया या तो जेलों में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। आज अगर बिजली के क्षेत्र में देखेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बुन्देलखण्ड के जनपद जालौन से आता हूँ। बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। बुन्देलखण्ड के हमारे और भी विधायक बन्धु बैठे हैं 04 साल पहले बुन्देलखण्ड में बिजली 24 घण्टे में 5-10 घण्टे भी मिल जाये तो बहुत बड़ी बात थी। तमाम गाँव ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं थी। तमाम मजरे ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं थी। हालत यह थी कि अगर ट्रांसफारमर फुंक जाते थे, लाइन टूट जाती थी तो महीनों ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे, लाइन नहीं बदली जाती थी। आज एक-एक गाँव में 6-6, 8-8, 10-10 ट्रांसफार्मर हैं। बुन्देलखण्ड में आज 15-20 घण्टे गांव में बिजली मिल रही है। बुन्देलखण्ड में पहले सड़कों पर चलना दूभर था। चाहे वह राज्य की सड़के हों, चाहे वह जिले के मार्ग हों, चाहे गाँव के सम्पर्क मार्ग हों। पूर्ण रूप से ध्वस्त थे। नेता प्रतिपक्ष चौधरी साहब कह रहे थे कि अखिलेश जी के नेतृत्व की सरकार ने हर जिले को फोर लेन से जोड़ा था। मैं चौधरी साहब को बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि 3-4 जिले औरैया, इटावा, कन्नौज जोड़ दिये गये हों, बाकी उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी जिला न फोर लेन से जोड़ा गया था न कोई तहसील या ब्लाक मुख्यालय टू-लेन से जोड़ा गया था। आज प्रदेश के अन्दर जिला केन्द्र को फोर लेन से जोड़ दिया गया है। तहसील केन्द्र मुख्यालयों को, ब्लाक केन्द्र मुख्यालयों को दो-लेन से जोड़ दिया गया है। 1-1 गाँव के सम्पर्क मार्ग को बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। प्रदेश के अन्दर लगभग 67 सड़कों को हमारी सरकार ने स्टेट हाई-वे घोषित किया है जिसमें 5400 कि0मी0 स्टेट हाई-वे सड़कें बनेंगी। अधिष्ठाता

महोदय, बुन्देलखण्ड के लिए मैं मा0 मोदी जी और मा0 योगी जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बुन्देलखण्ड को बिलकुल खुले मन से डिफेंस कारीडोर दिया है, बुन्देलखण्ड को एक्सप्रेस-वे दिया है। आज तक बुन्देलखण्ड के किसानों की किसी ने भी नहीं सुनी है। मान्यवर, तमाम बुन्देलखण्ड की सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गयी हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरी मांग पर उन्होंने जनपद जालौन, कानपुर देहात और औरेया जिले के किसानों की सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना पंचनद बैराज परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को और मा0 उप मुख्य मंत्री केशव प्रसाद जी को भी धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने हमारे जिले में एक स्टेट हाई-वे एट-बंगरा से लेकर भीकेपुर जो लगभग 100 कि0मी0 से अधिक लम्बा है, की स्वीकृति प्रदान की है। आपके माध्यम से मैं इतनी अवश्य माँग करूंगा कि स्टेट हाई-वे 152 नम्बर घोषित हो गया है। इसके लिए जल्दी से जल्दी धनराशि निर्गत हो, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्र का स्टेट हाई-वे बनना प्रारम्भ हो जाये। हमारे क्षेत्र की एक-दो मांगे हैं, हमारी विधान सभा क्षेत्र में तीन गांव बंगरा, जगम्मनपुर एवं सरावन बड़े-बड़े हैं जिनकी आबादी 15-20 हजार है। मैं आपके माध्यम से इन ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने की मांग रखता हूँ। कोंच नगर पालिका में 50 साल पुरानी सीवर लाइन है और वह लाइन कम क्षमता के कारण फट जाती है जिससे शहर में गन्दगी फैली रहती है। मैं आपके माध्यम से इसके पुनर्गठन की मांग करता हूँ। हमारे क्षेत्र में कठोंद ब्लाक से लेकर माधवगढ़ को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है। गोहन से लेकर माधवगढ़ मध्य प्रदेश सीमा तक चौड़ीकरण की स्वीकृति जारी हो गयी है। केवल कुठौंद से लेकर गोहन तक के मार्ग का चौड़ीकरण रह गया है। मैं आपके माध्यम से उसके भी चौड़ीकरण की मांग रखता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक पहुंज नदी है, गोपालपुरा के पास एक महोई गांव है। पहुंज नदी के उस पार के 08-10 गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। यदि महोई के पास लिफ्ट कैनाल बना दी जायेगी तो इससे किसान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और दूसरा माधवगढ़ में बहुत पहले एक गन्ना मिल संचालित थी जो आज बन्द पड़ी हुई है जिससे किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया है। यदि गन्ना मिल प्रारम्भ करा दी जायेगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। मैं फिर जनपद जालौन और बुन्देलखण्ड की ओर से प्रदेश के यशस्वी मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और मा0 प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने बराबर बुन्देलखण्ड पर ध्यान दिया है और आगे भी बुन्देलखण्ड के विकास में लगे हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मा0 वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास का खाका खींचने का प्रयास करते हुए इसका केन्द्र बिन्दु स्वावलम्बन से सशक्तीकरण रखा है। इसमें आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भी बात कही गयी है। स्वस्थ,

सुरक्षित-समृद्धि और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का संकल्प रखा गया है। लेकिन मान्यवर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश न तो स्वस्थ है और न ही सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में सरकरी सेवाएं खुद स्ट्रेचर पर हैं और सरकारी तंत्र वेंटीलेटर पर है। प्रतिदिन समाचार-पत्रों में खबर आती रहती है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाली और बद-इन्तजामी का शिकार हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं, जांच की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूरा स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों, सरकारी कर्मचारियों और माफिया सिंडीकेट की भेंट चढ़ गया है। सरकार की योजनाएं गरीब जनता से वसूली का माध्यम बन गयी हैं। सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन इस प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, इससे पूरा सदन अवगत है। मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट में महिलाओं के संबंध में अनेक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख किया है। मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्य मंत्री सक्षम सुपोषण योजना, एनेमियाग्रस्त बालिकाओं के लिए अतिरिक्त पोषण योजना और वर्ष 2021-22 से प्रस्तावित महिला सामर्थ्य योजना। यह योजनाएं केवल नाम में ही लोक-लुभावन दिख रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन योजनाओं को जमीन स्तर पर कोई जान तक नहीं रहा है तो लाभ पाने की बात बहुत दूर है। यह योजनाएं केवल कागजों पर चल रही हैं। सरकार की महिलाओं एवं बच्चों के पोषण की योजना से इनका कुपोषण दूर तो नहीं हो रहा है। लेकिन इसके जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार कर अपना पोषण जरूर कर रहे हैं।

मान्यवर, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कई-कई महीनों तक पोषण के नाम पर केवल चावल खाने को दिया गया और जब बाल विकास विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उनका जवाब रहता था कि शासन से उन्हें इतना ही बजट मिला है। मान्यवर, सरकार ने पोषण हेतु 415 करोड़ और पुष्टाहार हेतु 4094 करोड़ बजट का प्रावधान किया है, तो यह पैसा जा कहाँ रहा है, इस बात को देखने की आवश्यकता है और मैं इस ओर सरकार का ध्यानाकर्षण चाहती हूँ। मान्यवर, आधारभूत संरचना प्रदेश के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट में सड़क, हाई-वे, रेलवे और ओवरब्रिज के संबंध में सरकार के अनेक कार्यों की रूप-रेखा रखी है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि हमारे जनपद जौनपुर की पूरी तरह उपेक्षा की गयी है। जनपद जौनपुर में जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सात साल से ओवरब्रिज बन रहा है जो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। मेरी अपनी विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में जौनपुर-प्रयागराज मुख्य मार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर मैंने कई बार सरकार से ओवरब्रिज बनाने की मांग रखी, यह कई जिलों से प्रयागराज जाने का मुख्य मार्ग है और कुम्भ के समय पर तो बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का इसी रास्ते से आवागमन होता है, लेकिन भीषण जाम के कारण लोग 24 से 48 घण्टे तक फंसे रह जाते हैं। मान्यवर, कई बार मैंने इस संबंध में सरकार से मांग रखी, लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया। आज पूरा जौनपुर टूटी सड़कों पर चल रहा है। लोक निर्माण विभाग, जौनपुर को केवल खानापूर्ति करके बजट व्यय दिखा रहा है। जौनपुर जिला मुख्यालय तो केवल सीवर लाइन के नाम पर पूरा खोद डाला गया

है और रोज सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह जो चमचमाती सड़कों का दावा है केवल दिखावटी है और कागजी है।

मान्यवर, मा0 वित्त मंत्री जी ने सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत किया है, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर था कि वे समावेशी और संतुलित बजट प्रस्तुत करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जबकि सच सब जानते हैं कि कोरोनाकाल में पूरा व्यापार ठप हो गया था। आसमान छूते डीजल-पेट्रोल के दाम पर सरकार कमी करके आम जनता को राहत दे सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसानों के लिए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मान्यवर, यह बजट किसी भी दृष्टिकोण से समावेशी नहीं है, विकासशील नहीं है। हाँ, इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में यही अन्तर है कि पहले सरकार कागज के पन्नों पर जनता को सपने दिखा रही थी और इस बार ऐप्पल-आईपैड के स्क्रीन से दिखा रही है। जनता को न तो चार सालों में कुछ मिला था, न अब मिलने वाला है। मान्यवर, मैं अन्त में मा0 वित्त मंत्री जी के बजट में प्रस्तुत आर्थिक आंकड़ों पर सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहती हूँ। मा0 वित्त मंत्री जी ने कुल 5 लाख 50 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का राजकोषीय घाटा कुल 90 हजार करोड़ रुपये दर्शाया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2020-21 के बजट में इसे 53 हजार करोड़ रुपये बताया गया था अर्थात् एक साल में सरकार का कुल राजकोषीय घाटा लगभग 40 हजार करोड़ रुपये बढ़ गया है। यह एक गम्भीर चिन्ता की बात है, जबकि सरकार बार-बार कह रही है कोरोनाकाल के उपरान्त सरकार की राजस्व प्राप्तियां बढ़ी हैं।

मान्यवर, प्रारम्भिक घाटा 2020-21 के बजट अनुमान की तुलना में 15 हजार करोड़ से बढ़कर 47 हजार करोड़ का अनुमान रखा गया है। इन आंकड़ों की बाजीगरी से यह समझ से बाहर है कि इतने बड़े घाटे का बजट प्रस्तुत करने के बाद सरकार कैसे अपने बजटीय वादे को पूरा करेगी, यह समझ के बाहर है। यह पूरा बजट चंद्रकांता सीरियल का तिलिस्म है जिसे समझना किसी के बस का नहीं है। मान्यवर, अभी भी राज्य की ऋण ग्रस्तता जीडीपी का 28 प्रतिशत बना हुआ है, पूरी जीडीपी का 20 प्रतिशत ऋण लेकर हम कौन सा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएंगे, यह समझ के बाहर है। यह तो केवल अर्थशास्त्र के जानने वाले ही समझ सकते हैं या सरकार में बैठे नीति-नियंता। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामानन्द बौद्ध-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2021-22 के बजट की चर्चा में प्रतिभाग करने के लिए अवसर दिया है, मैं आपको हृदय की गहराइयों से वन्दन करता हूँ, स्वागत करता

हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वर्ष 2017-18 से देख रहा हूँ जो भी बजट आया है, निश्चित रूप से गांव के गरीब, गांव के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान किसी के हित में यह बजट नहीं है। बजट एक दिखावा है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने, आदरणीय नेता बसपा और आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने बजट के सम्बन्ध में जो बातें रखी हैं, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए, उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम कुछ बातें अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में रखना चाहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा देश की बुनियाद होती है और देश ही नहीं, एक समाज की, अगर अच्छी शिक्षा है तो हम अच्छे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं और शिक्षा की बदौलत एक गरीब भी समाज के निचले तबके का व्यक्ति भी शिक्षा लेकर एक अधिकारी बन सकता है, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। मानीनय अधिष्ठाता महोदय, चार वर्ष हो रहे हैं, आज तक मैंने छात्रवृत्ति के बारे में, जिस छात्रवृत्ति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चे पढ़-लिख करके आगे बढ़ने का काम करते हैं, आज चौथा वर्ष यह चल रहा है, हम लोग सदन में हैं, लेकिन आज तक किसी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिली। छात्रवृत्ति का बजट लाया जा रहा है, कहां बजट जा रहा है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन विद्यालयों में गरीब के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, न पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। आदरणीय हमारे नेता जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी जब मंत्री रहे तो पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति देने को लेकर झड़प हुई थी, उसकी मुझे जानकारी है। मैं भी गया था, घोषणा करा दी गयी कि जिलों में पैसा चला गया, लेकिन कहीं पैसा गया नहीं। आदरणीय मंत्री जी से भी इस पर वाद-विवाद हुआ था।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा को कमजोर करने की नीति चल रही है, जिससे गाँव का गरीब, गाँव का मजदूर, गांव के हलवाहे का बेटा शिक्षा न ग्रहण कर पाये, यह व्यवस्था चल रही है। हम तो सरकार से कहते हैं, शिक्षा को बड़ा साफ-सुथरा बनाना चाहते हैं, शिक्षा को बड़ा अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो शिक्षा को एक समान कर दीजिये। जहां एक मजदूर का बेटा पढ़े, जहां एक गरीब का बेटा पढ़े, वहीं मंत्री और एम0एल0ए0 का बेटा पढ़े, वहीं आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा पढ़े। यह व्यवस्था नहीं बनायी जायेगी, क्योंकि निचले तबके का व्यक्ति पढ़-लिख लेगा तो आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता बन जायेगा। अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जितना बजट चाहिए, इस सरकार को चार वर्ष बीतने जा रहा है, लेकिन इस सरकार ने ऐसा बजट नहीं दिया, जिससे हम शिक्षा को मजबूत कर सकें। अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में, मुझे लगता है कि प्रदेश की 403 विधान सभाओं में रामकोला विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है, जहाँ 4-4 चीनी मिलें चलती थीं और एक एशिया स्तर की डिस्टिलरी चलती थी। लेकिन आज सरकार की गलत नीतियों के कारण 02 चीनी मिलें बन्द हो गईं, गन्ने का प्रोडक्शन वही है। महाराज जी ने अपने गोरखपुर परिक्षेत्र में चीनी मिल लगवाया, जहाँ आज गन्ने का प्रोडक्शन

10 से 15 परसेन्ट है। लेकिन शत-प्रतिशत प्रोडक्शन हमारे विधान सभा में क्षेत्र है, रामकोला जोन में है, कप्तानगंज जोन में है, गन्ना पैदा होता है, इतना गन्ना कहीं किसी विधान सभा क्षेत्र में नहीं होता। मैंने महाराज जी से अनुरोध किया था कि महाराज जी, लक्ष्मीगंज की बन्द पड़ी चीनी मिल, जहां का बाजार उजड़ गया, किसानों के चेहरों से मुस्कान खत्म हो गयी, उस चीनी मिल को चालू करा दिया जाये। किसान आज भी धरना-प्रदर्शन करता है, 2-2 महीना धरना-प्रदर्शन करता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में कप्तानगंज चीनी मिल पर लगभग 95 करोड़ रुपया बाकी है और इतना ही नहीं, वर्ष 2002 और 2003 का साढ़े सात करोड़ रुपया बाकी है।

अब तक किसानों के घर गया नहीं, अधिष्ठाता महोदय और वर्तमान सत्र में जो पेराई हुई, और पिछले सत्र का 7.5 करोड़ रुपया यह भी बाकी है, मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले साल वह चीनी मिल बन्द हो जायेगी। किसानों का हाल बेहाल है, किसान फटे हाल हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने भी उसी में मा0 मुख्य मंत्री महोदय से कहा था कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ गन्ना सूख गया है और किसान का गन्ना सूख गया है जिसके पास केवल 02 बीघा जमीन थी, जिसने केवल 02 बीघे में अपना गन्ना लगाया था, क्योंकि गन्ना एक मुद्रादायिनी फसल है, लेकिन वह किसान गन्ना सूखने के बाद त्राहिमाम कर रहा है। कोई उसकी सुनने वाला नहीं है।

मैंने महाराज जी से मांग किया था कि आप सर्वे करा लीजिये और ऐसे किसानों को क्षतिपूर्ति दिला दीजिये, ताकि वह किसान धरती पर जिन्दा रहे। सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दूना करेंगे, कैसे करेंगे ? चार साल बीत गये, लेकिन किसान की गोद में फूटी कौड़ी नहीं गई। किसानों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं गई। अभी धान की खरीद हुई है और हम अपने क्षेत्र का हाल आपको बता रहे हैं कि 1100-1200 रु0 कुण्टल खरीद हुई है, लेकिन सारे सेण्टरों पर बनिया के द्वारा धान लिया गया है और हम कहते हैं कि किसानों की आय दूनी हो जाएगी। अधिष्ठाता महोदय, किसानों की आय कैसे दूनी हुई होगी ? कौन सा उपाय है ? गेहूँ का भी हाल यही होगा।

(सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी किये जाने पर)

भाई साहब हमारी बात सुन लीजिये, हमको सुन लीजिये। एक तो हमको चार साल के बाद बोलने का मौका मिला है तो हमको सुन लीजिये। महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। आपको अगर यकीन न हो तो चलिये मेरे साथ। यह मैं क्रय केन्द्रों का हाल बता रहा हूँ। आज चार साल हो गये हैं। अगर गन्ने का एक पैसा भी बढ़ा हो तो बता दें। अधिष्ठाता महोदय, मेरे जनपद कुशीनगर की धरती पूरे विश्व में जानी जाती है। यहाँ सदन में रामराज की कल्पना हो रही है, मन्दिर-मस्जिद की कल्पना हो रही है। बने लेकिन तथागत बुद्ध की धरती कुशीनगर विश्व में जानी जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय धरती के रूप में जानी

जाती है और वहाँ बसपा की सरकर में एयरपोर्ट बनाने की बात आयी थी, उस समय बात आयी थी, बहन जी के सामने यह बात आयी थी।

(सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा पुनः टोका-टाकी किये जाने पर)

बतिया सुनिये भई। हमारी बात तो सुन लीजिये। अधिष्ठाता महोदय, चार साल हो गये लेकिन कुशीनगर एयरपोर्ट को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। आप उठा करके देख लीजिये। कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए इस सरकार ने 05 पैसे भी नहीं दिये। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ मा0 अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने अपने शासनकाल में 440 करोड़ रुपया कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए दिया था और आप कहते हैं कि हम सब कुछ कर डालेंगे। आप जहाँ-जहाँ बनवा रहे हैं आप केवल फैजाबाद को बनवा रहे हैं, हर जगह पर आप अपना बजट दे रहे हैं, लेकिन कुशीनगर में ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने एक फूटी कौड़ी का भी बजट नहीं दिया। अधिष्ठाता महोदय, मुझे अपनी बात कहने दें। हम लोगों को चार साल तो मौका मिला नहीं। हम लोग पर्चियां भेजते हैं तब भी हमको बुलाने का अवसर आता नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, हम केवल एक बात और कहेंगे कि हमारे यहां मैं अभी शिक्षक संगोष्ठी में भी गया था। शिक्षक देश का आईना होता है, शिक्षक ही हमको-आपको पैदा किया है। हमको-आपको पढ़ा करके पैदा करता है और शिक्षक जब सकते में रहेगा, वह मानसिक दबाव में रहेगा तो शिक्षक वह शिक्षा नहीं दे पायेगा।

दूसरी बात शिक्षक आज भी यह पछतावा कर रहा है कि इस सरकार में हम शिक्षा नहीं देंगे लेकिन पैसा लेंगे। गरीबों के घर जबरन पैसा वसूली की जा रही है। यह पैसा जो पढ़ाई की फीस होती है। अधिष्ठाता महोदय, आपने साल भर कोरोना में गंवा दिया और पढ़ाई आपने करवाई नहीं, शिक्षा से उनको दूर रख दिया, बच्चों को दूर कर दिया। अधिष्ठाता महोदय, वह बच्चा जो विद्यालय नहीं आया, हम कहते हैं कि वह विद्यालय में आयेगा तो उसको कोरोना हो जायेगा, लेकिन वह बच्चा गांव भर में अपने समूह में खेलता है तब उसको कोरोना नहीं होता।

(इसी मध्य सायं 05 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अगर वह विद्यालय में पढ़ने आयेगा तो उसको कोरोना हो जायेगा। आज वे बच्चे जो शिक्षा लिये थे, उसको भी भूल गये। अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा तो देश, प्रदेश और गाँव की बुनियाद है, लेकिन हम उसी को कमजोर करने पर लगे हुए हैं। आप शिक्षा का बजट देख लीजिए। सरकार कितनी बदलती है। अधिष्ठाता महोदय, जरा हमको सुन लिया जाये। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ, मैं आपके लड़के के समान हूँ। मेरा कहना है कि चीनी मिल को चलवा दिया जाये। चूँकि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना का प्रोडक्शन रामकोला विधान सभा क्षेत्र में होता है, आप सर्वे करा लीजिए। अगर वहाँ एक चीनी मिल और लग जाये तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कप्तानगंज चीनी मिल बीमार है, वह खत्म हो जाएगी, अगली बार चलेगी नहीं,

डिस्टिलरी भी नहीं चलने जा रही है। केवल दो मिलें चल रही थीं। रामकोला रह जायेगा, कप्तानगंज चीनी मिल बन्द हो जायेगी। किसान मर रहा है। अधिष्ठाता जी, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा कि चीनी लक्ष्मीगंज को चलाया जाये, ताकि वहां का किसान खुशहाल हो जाये और पंजाब चीनी मिल चल रही है और एक नई चीनी मिल लगाई जाये, ताकि जो गन्ने की खेती है, वह हो सके।

क्योंकि गन्ने का प्रोडक्शन प्रदेश में किसी विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है तो वह रामकोला है। मा0 अधिष्ठाता जी, हम यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन सदन में जिसके लिए मैं आया था वह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हम मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। एक शायर ने लिखा है कि-

हम क्या करने आये थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे।

अरे हमसे अच्छे तो वो परिन्दे हैं, जो कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे।

हमें इस सदन में प्रदेश के भाग्य का फैसला करना है। क्षेत्र के विकास का फैसला करना है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम आपका ध्यान छात्रवृत्ति की तरफ आकृष्ट करना चाहेंगे, आज हम लोगों की जो छात्रवृत्ति है, मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ हमारी छात्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। इसकी व्यवस्था की जाये, हम पीठ से अनुरोध करेंगे कि इसकी व्यवस्था की जाये। इन चार सालों में पिछड़ी जाति के बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट रुक जाइये।

(सत्ता पक्ष से आवाज आई कि लगातार 20 मिनट से बोल रहे हैं)

श्री रामानन्द बौद्ध-

कहां आप लोग बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से आदेश आया है कि 5 के बजाय 6 मिनट में मा0 सदस्य लोग अपनी बात को पूरी करें और मा0 सदस्य 20 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, अभी इतने लोगों को बोलना है। आपके आदेशों का तो पालन करें।

श्री रामानन्द बौद्ध-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं दर्द की बात कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी या दल का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप हमारे मा0 ओम प्रकाश राजभर को ललकार रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता

हूँ आपके माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी कि यह वही बहराइच की धरती है, चित्तौड़ा में सबसे पहले हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। अध्यक्ष जी, दो मिनट आप इनको जवाब तो देने दीजिये।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, अब ये बात आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री रामानन्द बौद्ध-

आप कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर धर्म रक्षक थे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ धर्म रक्षक और इतने बड़े, बहादुर वीर, धीर राजा...

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट रुकिये, आप पहले हमारी बात को सुनिये। आपस में परस्पर बातचीत का क्या मतलब है ? आप कह रहे हैं कि मैं इनको बताना चाहता हूँ। आप हमारी बात तो सुन लीजिये कृपा करके कि यहाँ सदन में जो भी बात कही जाती है आपने देखा होगा वरिष्ठ नेताओं को सब अध्यक्ष की तरफ मुँह करके बात करते हैं और आप दोनों पक्ष आमने-सामने हाथ उठा रहे हैं तो इससे सदन का समय गड़बड़ होता है।

श्री रामानन्द बौद्ध-

मा0 अध्यक्ष जी, उतने बड़े धर्म रक्षक को आप लोगों ने ही सदन में कहा कि राजा सुहेलदेव राजभर धर्म रक्षक थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मा0 अध्यक्ष जी आज की डेट में बहराइच की धरती पर उस धर्म रक्षक राजा के ऊपर ईंट और पत्थर मारा जाता है। व्यवस्था बन्द करा दिया जाये, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े धर्मरक्षक के ऊपर ईंट-पत्थर क्यों मारा जाता है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। आप बजट पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, जो महाराजा सुहेलदेव के नाम को बेचकर राजनीति करते हैं, वे यह बात कह रहे हैं।

श्री रामानन्द बौद्ध-

मा0 अध्यक्ष जी, एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा-

अगर मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं हादसों का भी ऐहतराम करता हूँ।

मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जायेगा मेरी हकीकत ढूंढ़ते-ढूंढ़ते।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

बहुत अच्छा।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने बजट में संशोधन/कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, इस सरकार का अंतिम बजट था।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का यह अंतिम बजट है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा था। जहाँ वह महंगाई की मार झेल रहा था, वहीं कोविड की मार से उभरा नहीं था। आज उम्मीद लगाकर बैठा था कि बजट आयेगा तो इस बजट में हम लोगों के लिए कोई इन्तजाम होगा, लेकिन यह बजट जो झूठ का पुलिन्दा है, वह कहीं से किसान के हित में नहीं है। न तो नौजवान के हित में है और न मजदूर के हित में है। इस बजट में बहुत बड़ी चर्चाएं की गयी हैं। कोविड के मामले में बहुत बड़ी तारीफ सरकार की हुई, लेकिन जब यह वैश्विक महामारी इस देश में आयी तो लॉकडाउन लगा। हमारे देश के मजदूर, गरीब जो दूसरे प्रदेशों में अपनी रोजी-रोजगार के लिए गये थे, यदि सरकार के बढ़िया इन्तजाम हुए होते और उनके लिए हुए होते, 70 से 75 हजार बसें केवल उत्तर प्रदेश में हैं, यदि यह साधन उपलब्ध कराये गये होते तो जो हमारे देश के मजदूर पैदल चले, साइकिल से चले, रिक्शे से चले, कुछ रेलवे लाइन पर कटकर मर गये, कुछ भोजन के अभाव में मर गये, पानी के अभाव में मर गये, तो यह दुर्गति उनको झेलने का काम नहीं करना पड़ता, लेकिन इस सरकार की हम लोगों ने बहुत सहजता देखी कि कोई श्रद्धांजलि देने की बात तो छोड़िये, उन मृतक प्रवासी मजदूरों के घर जाकर उनके प्रति श्रद्धा सुमन की बात नहीं की।

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर बोलिये।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, कोविड पर बोल रहा हूँ। उनके परिवार को एक रुपये की मदद देने का काम नहीं किया। मैं बधाई देता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के वह लोग जो इस महामारी में मौत के घाट उतरे, उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपये अपने समाजवादी पार्टी के खजाने से देने का काम किया। चिकित्सा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि आज अस्पतालों का वह हाल है कि जहाँ एक रुपये में दवाई की पर्ची मिलती थी, दवा भी मुफ्त मिलती थी और सारी जांचें भी फ्री होती थीं, लेकिन आज न तो दवा है और न ही कोई जांच मुफ्त है। बहुत सी महत्वपूर्ण दवाएं चाहे वह कुत्ता काटने का रेबीज इंजेक्शन हो, चाहे सर्प काटने का इंजेक्शन हो यदि आप अस्पतालों में चले जायें तो वह कहीं दिखाई नहीं देता है। सिंचाई की बात हो तो बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है। हम सब किसान परिवार से आते हैं। यहाँ काफी लोग बैठे हैं, जो किसान होंगे और खेती से सम्बन्धित होंगे।

जल मंत्री जी की बड़ी तारीफ की जाती है और सभी नहरों के टेल तक पानी पहुंच जा रहा है। इस सरकार ने इतना बेहतर इन्तजाम किया है। अध्यक्ष जी, जो पहले व्यवस्था थी कि जब नहरों के सिल्ट की सफाई होती थी तो वर्ष में दो बार होती थी, लेकिन जबसे यह सरकार आयी है, साल में एक बार सफाई होती है। जो सफाई का भी पैसा है, उसमें भी कटौती करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि यह कैसे किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे ? विद्युत विभाग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने का ऐलान सरकार करती है। जो कम्पनियां आज विद्युतीकरण करने का काम कर रही हैं, आज भी ऐसे-ऐसे मजरे हैं, गांव हैं, जहाँ खम्भे लगाकर ऐसे ही छोड़कर जाने का काम किया गया है। वह इन्तजाम कर रहे हैं कि हमें तीसरे फेज और दूसरे फेज का बजट मिलेगा तो हम उस गांव के विद्युतीकरण करने का काम करेंगे। फर्जी बिलिंग के नाम पर गरीबों का जिस तरह से शोषण किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, अभी तो दो मिनट हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट नहीं हुआ है, ज्यादा हो गया है।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, बस समाप्त करने जा रहा हूँ। बिलिंग के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट उन गरीबों, किसानों की चढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि आज शिक्षा की हालत बहुत चौपट है। जहां इस वैश्विक महामारी ने हमारी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर इतना बड़ा प्रभाव डालने का काम किया है, तो इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कृषि और किसान। आज कृषि भी बर्बाद हो रही है और किसान भी बर्बाद हो रहा है। किसान की पैदावार दोगुनी करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। हम लोग नहीं समझते कि ये कौन-सी गणित आप लोग पढ़कर आये हैं, जो हम लोगों को समझाते हैं। बिजली पाँच गुना महंगी हो गयी, डीजल-पेट्रोल महंगा हो गया, खाद महंगी हो गयी, 50 किलो की बोरी आती थी उसमें 05 किलो कटौती करने का काम भी कर लिया गया और उसके बाद भी किसान की आमदनी बढ़ाने की बात होती है, उसको फसल का उचित मूल्य मिलने का काम नहीं हो रहा है। हमारे देश का किसान आन्दोलन में बैठने का काम कर रहा है। वह आज यह महसूस कर रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी किसानों के प्रति बड़े घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि आज बजट का अन्तिम सत्र है। इस विधान सभा से एक प्रस्ताव जाने का काम होगा कि किसानों के ऊपर जो काला कानून बनाया गया है उसको वापस लिया जायेगा और एम0एस0पी0 देने की जो बात सरकार कर रही

है उस एम0एस0पी0 को कानून बनाने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भेजने का काम किया जायेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेरने का काम हुआ।

माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे जनपद में 2-3 बार गये, वह कुछ नया देने का काम करते तो हम सब उनका धन्यवाद करते, बधाई देते। पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने चन्दौली जनपद को एक मेडिकल कालेज दिया था और उसका बजट रु0 200 से 250 करोड़ एलाट करने का काम किया था। कई बार उन्होंने मंच से भी घोषणा की। वही स्टेडियम बनाने के लिए भी उन्होंने बजट दिया था, लेकिन आज तक 4 साल हो गये मेडिकल कालेज और स्टेडियम के नाम पर एक ईंट रखने का काम नहीं हुआ। आज चन्दौली जनपद की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि बड़े-बड़े पुल जो गंगा नदी में बलुआ घाट और सैदपुर घाट पर बने हैं, पूर्वांचल के जितने भी भारी वाहन हैं, यहाँ से लेकर बिहार से आते हैं, नेपाल तक उसी रास्ते जाने का काम करते हैं, लेकिन आज सड़कों पर डेढ़-डेढ़, दो-दो फिट के गड्ढे हैं। आये दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, कई बार सवालों के माध्यम से हम लोगों ने पत्र लिखकर भी माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया है, लेकिन नहीं हो पाया है। इसलिए आज इस अवसर पर हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी स्कीम माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने दिया था, भगौली पम्प कैनाल को पक्का करने की। आज टाइलिंग के अभाव में किसानों के खेत तक पानी पहुंचने का काम नहीं हुआ है। नहरों में टूट-फूट पड़े हैं, प्रस्ताव भी पड़े हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। लेकिन एक रुपया भगौली पम्प कैनाल के नाम पर देने का काम नहीं किया। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता बसपा ने इस बजट पर जो भाषण दिया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए इस बजट के संशोधन पर बल देता हूँ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री रवि सोनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बजट प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र महादेवा की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें विरासत में मिली है और लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ना यह बताता है कि हम अपनी विरासत के प्रति कितना संवेदनशील हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कामों को मिलाकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन लगातार विपक्ष का यह प्रयास रहता है कि जब महामहिम राज्यपाल महोदया आयीं तो उनके कृत्यों से मैं यह कह सकता हूँ कि इस सदन ने ही नहीं उत्तर प्रदेश ने एक विश्वास खोया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से 17वीं विधान सभा में वर्ष 2017 में हम लोग यहाँ चुनकर आये हैं और इस विधान सभा ने कई कीर्तिमान बनाये हैं, इसमें सबसे पहला जो है वह सी0पी0ए0 भारत क्षेत्र का आयोजन है। 7वें सम्मेलन का आयोजन 15 से 19 जनवरी, 2020 तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है इसका निश्चित ही पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनियां में इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस का आयोजन कर इस दिन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के रूप में मनाये जाने की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दी है, इसके लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में बाबा साहब के प्रति लोगों की जानने और जागरूकता का जो विषय मिला है, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। 02 अक्टूबर गाँधी जयन्ती के उपलक्ष में जो यह सदन 36 घण्टे लगातार कार्य किया, इससे यह भी पता चलता है कि 150वीं गांधी जयन्ती के अवसर पर किस तरीके से महात्मा गांधी जी को यह सदन श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग अयोध्या वासी हैं। बस्ती जनपद को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह गुरू वशिष्ठ की धरती है। लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन यह चर्चा तब अधूरी रह जाती है, क्योंकि राम के बारे में जो विषय आता है उसमें दो चीजें बहुत याद की जाती हैं, एक तो मंथरा का विषय, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर जाते हैं। इसी तरीके से हमारे विपक्ष का कार्य है कि वह लगातार मंथरा बनकर सरकार का भी विरोध करती है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी विरोध करती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम टाट में थे, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी और गोरक्षपीठाधीश्वर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने उनको टाट से निकाल कर ठाठ में लाने की जो व्यवथा की है इसके लिए उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा भी कर रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जिस तरीके से सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है उसके लिए कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी तरफ चले जाइये, उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है, वह पूरी तरह से खुशहाल है। लेकिन 2017 के पहले के जो लोग हैं जिनकी दुकानें बन्द हो गयी हैं जो लोग लगातार सरकार के बारे में प्रलाप कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह दुकानें अब खुलने वाली नहीं हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोनाकाल की बहुत चर्चा हो रही है। कोरोनाकाल में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोनाकाल में लगातार चल रहे थे और कार्य कर रहे थे, कहीं अपने लिए नहीं, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, पूरा जीवन समर्पित करते हुए कार्य कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पंचायत भवन दिया है, क्योंकि पहले पंचायत भवन के जो कर्मचारी होते थे, सेक्रेट्री होते थे उनसे जब किसी प्रमाण-पत्र की बात होती थी तो वह अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी से निकालकर कागज प्रमाणित करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है और हर ग्राम पंचायत को पंचायत भवन मिला है और सुन्दर पंचायत भवन में बैठकर सेक्रेट्री भी काम कर रहे हैं और गांव का मान भी बढ़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब प्रवासी मजदूर हमारे यहां आ रहे थे तो एक चिन्ता बढ़ रही थी कि लोग

कैसे काम करेंगे और कोरोना का जो रूप है वह बढ़ेगा। लेकिन हमारी ऐतिहासिक यह जो सरकार है उसने एक हजार रुपये का मान जो उनको दिया है, उसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, नलकूप के बारे में हमारा जो क्षेत्र है वह बहुत पिछड़ा है, लेकिन 70 सालों में जितना नलकूप का सृजन किया गया होगा, 2017 के बाद उससे कहीं ज्यादा नलकूप हमारी सरकार ने दिया है। इसके लिए भी मैं सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे विषय हैं यह जो सामूहिक विवाह की योजना है 35 हजार से 51 हजार की धनराशि सरकार ने स्वीकृत की है, इसके लिए भी मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र महादेवा की तरफ से अपने दो छोटे-छोटे सुझाव सदन में रखना चाहता हूँ। हमारे यहां एक नवसृजित नगर पंचायत गायघाट के नामांकन का विषय है जो हमारे यहां के बहुत महान साहित्यकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी हैं, मैं उनके नाम से गायघाट नगर पंचायत के नाम के लिए इस सदन में अपना प्रस्ताव रखता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक नगर पंचायत हमें और प्राप्त हुई है जो नगर बाजार है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद राजा उदय प्रताप सिंह के नाम पर इसे किये जाने के लिए भी मैं सदन में प्रस्ताव रखता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, कहुओरघाट पर एक पक्के पुल के निर्माण कराये जाने की भी मैं मांग रखता हूँ। हलुवापार, अकारी पिपरा गौतम, कप्तानगंज मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने की भी मैं मांग रखता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, गायघाट कड़सरीमिस चन्दो महसी, महुली मार्ग के चौड़ीकरण का भी मैं प्रस्ताव रखता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र महादेवा की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब श्री विनोद कटियार जी। आप तो पांच मिनट से कम समय लेंगे ?

श्री विनोद कुमार कटियार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री और बहुत ही योग्य उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्य हो रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का एक बहुत वृहद् बजट आया है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश से यह सबसे बड़ा बजट है और यह बजट अपने आप में बता रहा है कि उत्तर प्रदेश विकास की तरफ चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश

का 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ से ज्यादा का बजट है और जिसमें कि 27 हजार 598 करोड़ की नई योजनाओं का बजट है और यह वास्तव में अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के उत्थान के लिए और विकास के लिए इस तरह का बजट प्रस्तुत किया है। आज किसानों की बात करते हैं। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2021-22 से प्रारम्भ की गयी है, इसमें आज 5 लाख रुपये की जो आर्थिक सहायता दी जा रही है, यह पहले सम्भव नहीं थी। आज इसके सह खातेदार, यहां तक कि बटाईदारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। 2020-2021 में मुख्य मंत्री सक्षम सुपोषण योजना का सूत्रपात किया जा रहा है। गांव की महिलाओं और बच्चों का पोषण किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेस-वे सपा सरकार ने बनाया था, उसकी आज तक वाहवाही लूटी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक नहीं, तीन-तीन एक्सप्रेस-वे बनाने का काम किया है। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हो, चाहे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस-वे हो, इस तरह के एक्सप्रेस-वे बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस-वे मय कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, चूंकि सारी योजनाओं को अगर कहेंगे तो बहुत समय लग जायेगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि -

बन सहारा बे-सहारों के लिए,
बन किनारा, बे-किनारों के लिए,
जो जिए अपने लिए तो क्या जिए,
जी सके तो जियो हजारों के लिए।
नजर वालों को हिन्दू और मुसलमान दिखता है,
मैं अन्धा हूँ साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है।

इसलिए आज इंसानियत जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरह से बजट के माध्यम से चाहे गरीबों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, हर तरफ इस समय सरकार की जो योजनाएं शुरू हुई हैं, अभी विगत दो दिन पहले साढ़े नौ हजार से ज्यादा सब-इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है, डेढ़ लाख से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती हुई है, डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है, साढ़े चार लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देने का काम योगी सरकार ने किया है। निजी क्षेत्रों में देखा जाये तो 30 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम योगी सरकार ने किया है। जिस तरह से प्रदेश बढ़ रहा है, आज कोरोनाकाल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, उसकी वाहवाही हिन्दुस्तान में ही नहीं, डब्लू0एच0ओ0 ने उत्तर प्रदेश

सरकार की सराहना की है कि किस तरह से उन्होंने कोरोनाकाल में काम किया है। जो अच्छे काम हो रहे हैं, विपक्ष उसकी वाहवाही नहीं करता है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष की एक धारणा बन गयी है, लाल निशान खतरे का निशान होता है, कहीं बिजली घर में लाल निशान होता है तो लोग वहां जाते नहीं हैं। कुछ लोग लाल निशान को सिरमौर बना लेते हैं और जब सिरमौर बना लेते हैं तो उससे डर लगने लगता है, इसीलिए 2017 से पहले जो गुण्डाराज था, जो भ्रष्टाचार था, उससे लोगों को डर लगता था। उससे निजात दिलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय योगी जी की सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष-

विनोद जी, अब समाप्त करिये।

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि-

न जात की बात करूँगा, न धर्म की बात करूँगा,
न गर्व की बात करूँगा, न शर्म की बात करूँगा,
इंसान होने का वो महान फर्ज बस तुम अदा कर दो,
जो ला दे दुनियां में खुशी, मैं उस कर्म की बात करूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आज कानून व्यवस्था की बात होती है। मैं दो-तीन शब्दों में, किस तरह से गुण्डाराज और भ्रष्टाचार का अन्त हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शस्त्र अधिनियम में 35,437, जुआ में 14,637, आबकारी अधिनियम में 82,520, गुण्डा अधिनियम में 33,537 और गैंगस्टर में 4402 और रासुका में 320, इस तरह की योजनाएं आई हैं, कुल मिलाकर 17 से 18 परसेंट अपराध उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। 13.41 परसेंट की कमी पारिवारिक उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न में आयी हैं। इसी तरह से 25.88 प्रतिशत की कमी कुपोषण में आयी है। गुण्डे आज जेल में है या भाग गये हैं और गुण्डागर्दी खत्म हो रही है। देश का मोदी और प्रदेश का योगी अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहा है। अब इसको कोई रोक नहीं पायेगा। देश की ऐतिहासिक धरोहर जो हमारा राम मंदिर था, जिसके बनने की सैंकड़ों साल से प्रतीक्षा हो रही थी, उस मंदिर निर्माण का कार्य आज शुरू हो गया है। इसके साथ-साथ मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन हमारी सरकार ने मुहैया करायी है।

श्री अध्यक्ष-

तुम्हारे कागजों में अगर कोई शेर हो तो पढ़ कर सुना दो और समाप्त कर दो।

श्री विनोद कुमार कटियार-

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर में एक पुखरायां कस्बा है, उस कस्बे के अन्दर से बसें नहीं जाती हैं, बल्कि बाहर से जाती हैं। इसलिए अगर बाहर की तरफ एक बस स्टाप बन जाये तो 1 लाख से अधिक आबादी के पुखरायां कस्बे के लोगों को

लाभ मिल जायेगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र में भोगनी सागर तालाब है, जब लखनऊ से झांसी जाते हैं और दिल्ली से कलकत्ता जाते हैं तो बीच में पड़ता है, जहां पर कभी किसी समय में राजा बलि ने 99 यज्ञ किये थे, भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र भोगनी सागर तालाब के नाम से जानी जाती है, 50 एकड़ का तालाब है, यदि उसका सुन्दरीकरण पर्यटन विभाग के माध्यम से हो जाये तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र है, इन दोनों विधान सभा क्षेत्र के बीच में 24 किलोमीटर की जो मूल रोड है अगर वह फोरलेन में बदल जाये तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुतायत में बंजारा समाज रहता है, यह समाज बहुत पिछड़ा है, उस समाज की आवाज कोई उठाता नहीं है। उनका दो-दो सौ, तीन-तीन सौ, चार-चार सौ, पांच-पांच सौ लोगों का ग्रुप है, उसे आप मोहल्ला टाइप का मान लीजिये, उनके भरण-पोषण के लिए काम किया जाय। उनके समाज के एक ही महान व्यक्ति थे, लकी शाह बंजारा, अगर हमारे विधान सभा क्षेत्र में लकी शाह बंजारा की मूर्ति लगा दी जाय तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक शेर से अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

रात नहीं ख्वाब बदलता है,
मंजिल नहीं कारवां बदलता है,
जज्बा रखे जीतने का,
क्योंकि किस्मत बदले न बदले,
पर वक्त जरूर बदलता है।
जब हौसला बना लिया है ऊँची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।
मंजिलों पर जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते,
तूफानों से जो डरे, मंजिल कभी पाया नहीं करते।
न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं,
जो भूखे पेट हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं।
जो मातृभूमि की जय कहते सकुचाते हैं,
मजहब को मुल्क से ऊपर बतलाते हैं,
नमक देश का खाते हैं और गुण दुश्मन का गाते हैं।

ऐसा नहीं करना चाहिए, हिन्दुस्तान में रहते हैं, हिन्दुस्तान की संस्कृति और हिन्दुस्तान की भाषा को जरूर अपनाना चाहिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाओं को लेता हूँ।

श्री फतेह बहादुर-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और नाम भी हमारा है, या तो इसको आगे बढ़ा दें कल के लिए रख लें या आज ही 5-5 मिनट सुन लें, जैसा आपका आदेश हो।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह कल बोल दें।

श्री फतेह बहादुर-

कल नई सूची पहुंच जाती है, इसलिए मान्यवर, इसी सूची को आगे बढ़ा दें या 5-5 मिनट का समय दे दें उसके बाद नियम-51 लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-51 निपटा दें उसके बाद जैसा चाहें वैसा करें।

श्री फतेह बहादुर-

मान्यवर, पहले चर्चा करा लें, तत्पश्चात् नियम-51 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा कल और परसों दोनों दिन होगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनके कहने का मतलब यह है कि बजट पर चर्चा के लिए आज जो सूची जारी की गयी है, यही सूची कल भी रख ली जाये, कोई नई सूची न जारी की जाये।

चौ0 उदयभान सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है कि मैं अथवा मेरे जैसे अन्य लोग इस प्रत्याशा में बैठे रहते हैं कि मेरा भी नम्बर आयेगा, लेकिन नम्बर आ नहीं पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगले दिन हमारा नम्बर पहले आ जाये। जैसे कि मेरा आज 18वें नम्बर पर नाम है तो कल वह पहले आ जाये, इस प्रकार से कोई सही व्यवस्था बन जाये।

श्री अध्यक्ष-

देख लेंगे।

[06:05] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

अब हम नियम-51 लेते हैं। नियम-51 की आज 60 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से निम्नलिखित सूचनाओं को स्वीकार किया जाता है। सूचनाएं संलग्न हैं :-

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत डूडा में व्याप्त अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश के वित विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को मानदेय दिये

जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री विनोद कटियार की जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत भोगनी सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में तमसा नदी के पुनरोद्धार हेतु लघु सेतु/पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री मनीष असीजा की प्रदेश में उचित दर की दुकानों में घटतौली रोके जाने हेतु ई-पॉज की प्रक्रिया को अपनाये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर में अवैध कब्जा हटाये जाने एवं कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तथा सातवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं में नगर पंचायत उसेहत की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की प्रदेश में हो रहे अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड फत्तेपुर की मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में हुए घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा पांचवीं सूचना श्री सुभाष राय की उत्तर प्रदेश में जिला अस्पतालों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है,

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में जीर्ण-शीर्ण मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के धनौरा ब्लाक की प्राचीन शिव मन्दिर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' की जनपद शाहजहांपुर में मेडिकल वेस्ट प्लाण्ट में अप्रशिक्षित एवं अनुभवहीन कर्मचारियों के कारण हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास में नवसृजित मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की ग्राम्य विकास विभाग के विकास खण्डों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की उ0प्र0 में समूह ग की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री फतेह बहादुर सिंह की जनपद गोरखपुर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम नवीपनाह में पी0एच0सी0 को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं

सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री मौहम्मद फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की किसानों को निजी नलकूप के बिजली का सामान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में कतिपय निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ की प्रियदर्शिनी कालोनी के कूड़ाघर को नगर निगम क्षेत्र से बाहर विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में ग्राम सभा अमुवारी नरायनपुर में ग्राम प्रधान द्वारा की गई घोर अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में है, तथा उन्नीसवीं सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट में ओवरलोडिंग ट्रकों से सड़क ध्वस्त होने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री आशीष सिंह पटेल 'आशू', श्री संजीव कुमार, श्री दयाराम चौधरी, श्री पूरन प्रकाश, डॉ0 श्याम बिहारी लाल, श्री काली प्रसाद, श्री गंगा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री ममतेश शाक्य, श्री अबरार अहमद, श्रीमती जय देवी, श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री सुभाष पासी, श्री नरेश सैनी, श्री मसूद अख्तर, श्री असलम अली, श्री लकी यादव, श्रीमती अर्चना पाण्डेय, श्री विनय शाक्य, श्री राम अचल राजभर, डॉ0 हरगोविन्द भार्गव, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्रीमती सरिता भदौरिया, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री बम्बा लाल, श्री राम फेरन पाण्डेय।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, आपको कल और परसों भी मैंने बताया था कि मेरी सूचना आज लगा लें, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह किसानों के पानी से जुड़ा हुआ मामला है।

[06:08] जनपद कानपुर नगर के के0पी0एम0 अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

मा0 सदस्य द्वारा मा0 सदन में दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के0पी0एम0 चिकित्सालय....

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया है, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री जय प्रताप सिंह-

[कानपुर नगर के पत्र दिनांक 25-02-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना अनुसार उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों के कुल 18 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष कुल 13 चिकित्सक तैनात हैं तथा 05 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। तैनात चिकित्सक में से डॉ0 उदय नरायन सिंह स्वास्थ्यगत कारणों से अनुपस्थित चल रहे हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद कानपुर में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के के0पी0एम0 चिकित्सालय के अतिरिक्त यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर, ए0एच0एम0 (डफरिन) चिकित्सालय, कानपुर नगर एवं मा0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय कानपुर नगर स्थित हैं, जहाँ पर जनसामान्य को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है। प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्सकों, कुल 19011 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 13756 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 5255 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। चिकित्सकों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार तैनाती चिकित्सालयों में की जाती है।]

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, आपसे यह कहना है कि आपके पास जो सूचना आयी है, वह भ्रामक है। आप कहें, तो मैं डॉक्टरों के नाम गिना दूँ। आपने कहा है कि 18 पद हैं। 18 पद में एक डॉक्टर यू0एन0 सिंह लम्बे समय से अस्वस्थ होने के कारण अवकाश पर हैं। डॉ0 आर0 के0 शर्मा पी0जी0 करने गये हैं, वह भी अवकाश पर हैं। 02 डॉक्टर मनीष चन्द्रा और जगदीश कौर रिटायर हो चुके हैं। एक डॉ0 एस0 के0 शर्मा कहीं सम्बद्ध हैं। डॉ0 ज्योति सक्सेना, पदोन्नत होकर ट्रांसफर हो गयी हैं और 03 डॉक्टर कोविड की ड्यूटी में हैं। वहाँ मौके पर केवल 09 डॉक्टर हैं, जबकि आपने अपने पत्र में लिखा है कि वहाँ पर 13 डॉक्टर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका विभागीय पत्र कह रहा है जो आपके सी0एम0एस0 ने आपको पत्र संख्या-761 दिनांक 01-12-2020 को लिखा है।

महोदय, यह सूचना भ्रामक है। अगर वहाँ पर 13 डॉक्टर होंगे, तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। कृपा करके वह सूची हमें उपलब्ध करा दें कि कौन से डॉक्टर मौके पर ड्यूटी कर रहे हैं। मान्यवर, ये कानपुर महानगर के मध्य में घनी बाजारों के बीच में स्थित है। यह

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हास्पिटल बहुत महत्वपूर्ण है और यह बहुत अच्छा काम भी कर रहा था। वहाँ पर दो ई0एम0ओ0 के पद भी रिक्त हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि वहाँ पर दो ई0एम0ओ0 पोस्ट करने की व्यवस्था करें और आपने जो कहा है कि 18 की जगह 13 डॉक्टर तैनात हैं, उनकी सूची बता दें, जो मौके पर काम कर रहे है, हम स्वीकार कर लेंगे।

महोदय, यह आपका डी0ओ0 लेटर है, हमने इसका पत्रांक संख्या दे दिया है। इस पर नाम लिखे हैं और हमने उनके नाम पढ़े भी हैं। यह सूचना भ्रामक आयी है, कृपा करके इसकी जांच करा लें और मौके पर 13 डॉक्टर तैनात कर दें। मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें माननीय सदस्य का कहना सही है, डॉ0 जसमीत कौर 28-02-2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री सुधीर कुमार शर्मा कोविड ड्यूटी पर हैं। डॉ0 रमेश चन्द्र द्विवेदी सेवानिवृत्त हो गये हैं। कुल तीन डॉक्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुछ कोविड की ड्यूटी में हैं और एक डॉ0 श्री यू0एन0 सिंह दिनांक 06-11-2020 से अवकाश पर हैं। आपने जो कमियां बतायी हैं मैं उसको देख लूँगा और ई0एम0ओ0 सहित जितने भी कोविड ड्यूटी पर हैं उसको डि-नोटीफाई करके मैं करवा दूँगा।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (श्री विजय कुमार कश्यप)-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बलिया में टोंस नदी की कुल लम्बाई 50.00 कि0मी0 है जिसमें विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विजय कुमार कश्यप-

[अन्तर्गत टोंस नदी की कुल लम्बाई 22.00 कि0मी0 है। ग्राम सभा तिराहीपुर, आमघाट, बेसवान, जेवनिया एवं कोड़रा टोंस नदी के किनारे स्थित है। इस ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि टोंस नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं टोंस नदी में बाढ़ आने के कारण जलमग्न हो जाती है। उक्त ग्राम सभा नदी के डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित होने के कारण ठोकर बनाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

जनपद बलिया में लकड़ा नाला, लकड़ा ताल से निकलकर सिंहपुर के पास टोंस नदी में मिलता है, जिसकी कुल लम्बाई 32.00 कि0मी0, हेड डिस्चार्ज 989 क्यूसेक एवं कैचमेन्ट एरिया 5868 हेक्टेयर है। लकड़ा नाला की पूरी लम्बाई 32.00 कि0मी0 में सफाई हेतु रु0 225.00 लाख की कार्य योजना अनुरक्षण मद में प्रस्तावित है। नाले की सफाई का कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्षा ऋतु से पूर्व कराया जाना प्रस्तावित है।]

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी का जो जवाब आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उक्त ग्राम सभा नदी के डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित होने के कारण ठोकर बनाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। मुझे इस प्रश्न को लाने का औचित्य ही यही था कि लगभग 30-35 हजार की आबादी और 8 से 10 बड़े गांव हैं, जिनकी फसल तो डूबती ही डूबती है, इनके घरों के अन्दर महीनों तक पानी भरा रहता है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में स्वीकार कर रहे हैं कि बाढ़ आती है जिस कारण से पानी पहुंच जाता है। तो मैं आपकी अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक साल जो काफी नुकसान होता है, वह न हो, इसलिए टोंस नदी के किनारे बंधे व ठोकर का निर्माण कराया जाये, जिससे कि दसों गांवों की 30-35 हजार की आबादी जो हर साल बाढ़ में डूब जाती है उसको बचाया जा सके। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह जनहित का मामला है, इसको करवा दें। दूसरे पैरे में आपने लकड़ा नाले का जिक्र किया है, तो जो लकड़ा नाला है, उसमें एक जगह देवस्थली है, जहां पर नदी संकरी हो गयी है, संकरी हो जाने की वजह से इधर के 20 गांव पूरी तरह से डूब जाते हैं, संकरी हो जाने की वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पर माननीय मंत्री जी का आश्वासन आ जाये।

श्री विजय कुमार कश्यप-

माननीय सदस्य ने अभी जो नाले की बात कही है, उसके लिए व्यवस्था की गयी है। लकड़ा नाला की पूरी लम्बाई 32.00 कि0मी0 में सफाई हेतु रु0 225.00 लाख रुपये की कार्य योजना अनुरक्षण मद में प्रस्तावित है। नाले की सफाई का कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्षा ऋतु से पूर्व कराया जाना प्रस्तावित है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ से बचाना हमारी जिम्मेदारी भी है इसके लिए तकनीकी दृष्टि से जो भी आवश्यक होगा, उसके सम्बन्ध में हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले करके जो भी उचित होगा, वह कर देंगे।

ग्राम्य विकास विभाग डी0आर0डी0ए0 कर्मियों की पेंशन, नगदीकरण तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव ललई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती...

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया है, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[से नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-डी-383/38-2-2016-2(17)डी/2006, दिनांक 18-07-2016 निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर मानते हुए इन कार्मिकों के संवर्ग को 'ड्राइंग कैडर' घोषित करते हुए नयी पेंशन योजना वर्ष 2005 से आच्छादित करने एवं संविलियन के फलस्वरूप कोई भी लाभ पूर्वगामी तिथि से न दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी कर्मी को यह विकल्प स्वीकार नहीं होगा तो उसे पूर्व की भांति सोसाइटी का कर्मी बने रहने का विकल्प रहेगा। उक्त शर्तों के अधीन जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सीधी भर्ती के नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों, जिनकी संख्या लगभग-967 है, उन्होंने उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर अपना विकल्प प्रस्तुत किया, जिसे शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

उक्त शासनादेश दिनांक 18-07-2016 निर्गत होने के पश्चात् जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की भांति मौलिक नियुक्ति की तिथि से राजकीय कर्मी मानते हुए समस्त सेवा लाभ यथा-पेंशन, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि प्रदान किये जाने की मांग की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से यथोचित निर्णयोपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।]

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो-तीन छोटे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। भारत सरकार की योजना मार्गदर्शन वर्ष 2002 के अनुसार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डी0आर0डी0ए0 कर्मियों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार ने इनका संविलियन किया है। संविलियन के साथ इनको प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है। जब प्रतिनियुक्ति की एक निश्चित अवधि होती है जो अधिकतम 5 साल होती है और कभी-कभी माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर एक साल के लिए और बढ़ा दी जाती है। मेरा आपसे आग्रह यह है कि सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन, ग्रेच्युटी और नकदीकरण जो 300 दिन के बराबर होता है। जब आप ग्रेच्युटी दे रहे हैं और पेंशन, ग्रेच्युटी और नकदीकरण तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं। आप एक दे रहे हैं और दोनों नहीं दे रहे हैं तो इस पर मैं माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ 'मोती सिंह'-

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया, जो स्पष्टीकरण वह चाहते हैं, यह विषय सदन में 27 फरवरी, 2020 को भी आया था। नियम-56 में इस सदन में उठा था और विधान परिषद् में भी उठा था और बहुत डिटेल में इस पर चर्चा हुई थी। माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है, उस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूँगा कि हमने कुछ किया है ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में और आपने खुद कहा कि हमने कर दिया है। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में कुछ शर्तें थीं जिन्हें कर्मचारी स्तर पर पूरा नहीं किया जा सका था। इसलिए हम उसे नहीं कर सके। नकदीकरण को हमने माना है और मृतक आश्रित के सेवायोजन के संबंध में भी हमने विचार किया और उस पर भी निर्णय लिया। जो आपने कहा है, उसको दिखवा लेंगे और जो भी सम्भव होगा, विभाग कार्यवाही करेगा।

प्रदेश में कार्यरत चौकीदारों को मानदेय व अन्य सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा का नाम पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं थे)

जनपद रायबरेली में नगर पंचायत द्वारा सड़क निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं थे)

लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद अयोध्या में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्य श्री राम चन्द्र यादव का नाम पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं थे)

जनपद श्रावस्ती में तटबन्ध बनाये जाने में की गयी अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य व वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड हरिहरपुररानी के परसा....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं। यह केवल वक्तव्य है, इसलिए इस पर प्रश्नोत्तर नहीं।

(जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[डेहरिया, तिलकपुर तटबन्ध 22.4 कि0मी0 तथा खजुहा झुनझुनिया, अन्धपुरवा तटबन्ध 22.5 कि0मी0 तटबन्ध बनाने का कार्य चल रहा है, दोनों तटबन्धों की लागत 54 करोड़ रुपये सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जनपद बस्ती के ठेकेदार श्री शैलेन्द्र पाण्डेय व फैजाबाद के श्री जनार्दन सिंह द्वारा तटबन्धों का कार्य कराया जा रहा है। तटबन्ध अभी पूरी तरह बना नहीं है। लेकिन ठेकेदार व सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से उक्त तटबन्ध का भुगतान हो रहा है। अभी तक उक्त विभाग के अधिकारियों, ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कार्यवाही न होने से क्षेत्र की जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से श्रावस्ती जिले में उक्त विभाग द्वारा कि ये भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों, ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-श्री मोहम्मद असलम राइनी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर परसा डेहरिया, तिलकपुर तटबन्ध के निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना लागत रु0 3786.29 लाख केन्द्रीय जल आयोग की 141वीं बैठक दिनांक 18-02-2019 को स्वीकृत की गयी तथा परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-231/2020/459/27-सिं-2-137/बजट/2015-16, दिनांक 23-06-2020 द्वारा प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष मात्र रु0 40.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसका व्यय तटबन्ध निर्माण कार्यों पर किया गया, जिसमें श्री जनार्दन सिंह को रु0 11.80 लाख का भुगतान अनुबन्ध संख्या-01/अ0अ0/19-20 के सापेक्ष कराये गये कार्यों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हेतु किया गया एवं ठेकेदार श्री शैलेन्द्र पाण्डेय द्वारा इस तटबन्ध पर कोई कार्य नहीं किया गया है। उक्त परियोजना पर शासनादेश संख्या-421/2020/1509/सत्ताइस-सिं-2-2020-137 बजट/2015-16, दिनांक 24-11-2020 द्वारा रु0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति/आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष भूमि क्रय सम्बन्धी कार्रवाई प्रगति में है।

जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध के निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना लागत रु0 4637.26 लाख केन्द्रीय जल आयोग की 141वीं बैठक दिनांक 18-02-2019 को स्वीकृत की गयी तथा परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-232/2020/460/27-सिं-2-2020-58 बजट/2019-20, दिनांक 23-06-2020 द्वारा प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष मात्र रु0 40.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसका व्यय तटबन्ध निर्माण कार्यों पर किया गया, जिसमें श्री जनार्दन सिंह द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है तथा ठेकेदार श्री शैलेन्द्र पाण्डेय द्वारा इस तटबन्ध पर अनुबन्ध संख्या-01/अ0अ0/2020 के अन्तर्गत कार्य प्रगति में है।]

फिरोजाबाद में राजकीय मेडिकल कालेज में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य व वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर स्थित लगभग 27 लाख की जनसंख्या वाले...

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको भी पढ़ा हुआ मान लेते हैं। यह भी केवल वक्तव्य है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[श्रमिक बाहुल्य औद्योगिक जनपद फिरोजाबाद अपने कांच उत्पादों के लिए पूरे देश भर में विख्यात है। नगर फिरोजाबाद के वर्तमान में स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज (पूर्व में जिला अस्पताल) परिसर में निर्मित 12 शय्याओं की क्षमता का ट्रामा सेन्टर स्थापित है।

उक्त ट्रामा सेन्टर में एम0आर0आई0 मशीन की उपलब्धता न होने के कारण गम्भीर रूप से घायल रोगियों को तत्काल उपचार न मिल पाने और ऐसी स्थिति में एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा रेफर करने के कारण बड़ी संख्या में रोगियों/पीड़ितों को जीवन से हाथ धोना पड़ता है। यहां उल्लेखनीय है कि एम0आर0आई0 मशीन के अभाव में ट्रामा सेन्टर अपने यहां 'एक्यूट ट्रामा' की परिस्थितियों में पूरी तरह से असफल सिद्ध हो रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना कराये जाने की महती आवश्यकता है। अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।

टिप्पणी :-

इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-एफजेडडी/2020/4090, दिनांक 24-02-2021 द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में पी0पी0पी0 मॉडल पर एम0आर0आई0 मशीन स्थापित करने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

दिनांक 8 जुलाई 2019 को आगरा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे में मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से प्राप्त की गयी आख्या दिनांक 24-02-2021 के अनुसार....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको भी पढ़ा हुआ मान लेते हैं। यह भी केवल वक्तव्य है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से यात्रा करने के दौरान बस दुर्घटना में किसी यात्री के घायल हो जाने अथवा यात्री की मृत्यु हो जाने पर घायल यात्री अथवा मृतक यात्री के परिवार को यात्री राहत योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

1-यात्री राहत योजना के बिन्दु सं0-11 :-

दावाकर्ता :- इस योजना के अन्तर्गत दावाकर्ता से अभिप्राय मृतक यात्री के वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों से होगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-यात्री राहत योजना के बिन्दु सं0-12 के अन्तर्गत राहत आवरण की धनराशि निम्नवत् होगी :-

अ- दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु की दशा में :-

क्र0-सं0	यात्री का प्रकार	देय राशि
1	वयस्क यात्री	रु0 5.00 लाख (रुपया पांच लाख मात्र)
2	आधा टिकट धारक बच्चा यात्री	रु0 2.50 लाख (रुपया दो लाख पचास हजार मात्र)
3	ऐसे छोटे बच्चे जिनको अपनी आयु के आधार पर परिवहन निगम के नियमों के अन्तर्गत बस में यात्रा हेतु टिकट की छूट प्राप्त है।	रु0 1.25 लाख (रुपया एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

यात्री राहत योजना के बिन्दु सं0-23 के अन्तर्गत व्यवस्था निम्नवत् है :-

23-अन्य लाभ का प्रभाव :-

इस योजना से आच्छादित दावाकर्ता को किसी अन्य योजना से मिलने वाली सहायता राशि का प्रभाव इस योजना के अन्तर्गत देय राहत राशि पर नहीं पड़ेगा। किन्तु यदि मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (एम0ए0सी0टी0) के अन्तर्गत कोई राशि प्राप्त होनी है तो इस योजना के अन्तर्गत दी गयी राहत राशि को एम0ए0सी0टी0 क्लेम में समायोजित किया जायेगा परन्तु यदि एम0ए0सी0टी0 क्लेम के अन्तर्गत देय धनराशि इस योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि से कम है तो ऐसी स्थिति में दावाकर्ता से वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

उपरोक्त यात्री राहत योजना तथा मोटर व्हेकिल ऐक्ट के अन्तर्गत दिनांक 08-07-2019 को यमुना एक्सप्रेस-वे पर घटित दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिवार के वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित धनराशि प्रदान की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-यात्री राहत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मृतक यात्री (कुल 29 मृतक यात्री) के परिवार के वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को रु0 5,00,000/- का भुगतान किया गया है।

2-यात्री राहत योजना के अन्तर्गत एक मृतक यात्री के परिवार के वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को रु0 1,25,000/- का भुगतान किया गया है।

3-इस प्रकार क्षेत्रीय प्रबन्धक आगरा को उपलब्ध कराये गये रु0 150.00 लाख के सापेक्ष किये गये भुगतान कुल रु0 146.25 लाख का समायोजन निगम मुख्यालय के पत्रांक-276 या0रा0यो0/19-88 या0रा0यो0 दिनांक 14-10-2019 द्वारा किये जा चुके हैं।]

जनपद गाजियाबाद के आवास विकास की कालोनियों में अवैध निर्माण रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (श्री विजय कुमार कश्यप)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24-02-2021 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के.....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

यह भी पढ़ा हुआ मान लेते हैं। यह भी केवल वक्तव्य है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व, बाढ़ नियंत्रण मंत्री ने दिया)

श्री विजय कुमार कश्यप-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि जनपद गाजियाबाद की उत्तर प्रदेश आवास विकास की कालोनी वसुन्धरा के अन्तर्गत बहुत से अवैध निर्माण कराये जा रहे हैं, जोकि स्वीकृत मानचित्रों के बिलकुल विपरीत हैं, जिससे वहां पर आने वाले दिनों में पार्किंग, पेयजल व सीवरेज की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग मा0 सदस्य द्वारा की गयी है।

2-मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 24-02-2021 के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से आख्या प्राप्त की गयी। परिषद् के पत्र संख्या-795/नियम-51 दिनांक 25-02-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार गाजियाबाद स्थित परिषद् की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में अवैध/अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-82 एवं 83 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए अवैध निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28(क) के अन्तर्गत अवैध/अनाधिकृत निर्माण को सील कराने/ध्वस्त कराने की कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सहयोग प्राप्त करके समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है तथा अवैध निर्माणों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गयी है।

आवास एवं विकास परिषद् की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद की जन-सेवाएं माह अक्टूबर, 2002 में नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरित हो गयी है, जिसके कारण पार्किंग, पेयजल एवं सीवरेज के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा की जा रही है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चित्रकूट में अधूरे पड़े ब्लास्टिंग कूप के सम्बन्ध में श्री आनन्द शुक्ला द्वारा नियम-51 अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट, विधान सभा क्षेत्र-237, मानिकपुर में बुन्देलखण्ड पैकेज तृतीय....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह भी पढ़ा हुआ माना जाता है। यह भी केवल वक्तव्य है।

(जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[चरण योजनान्तर्गत ब्लास्टिंग कूप के निर्माण हेतु दिनांक 01-11-2019 को 150 नये डग/ब्लास्ट वेल के निर्माण कार्य के लिए कुल रुपये 719.00 लाख का आवंटन किया गया था। उक्त के सापेक्ष कुल 150 कूपों की निविदा की प्रक्रिया दिनांक 11-12-2019 से प्रारम्भ होकर 05 चरणों में दिनांक 18-03-2020 तक की गयी। मार्च, 2020 तक कुल 150 में से कुल 127 कूपों का 05 चरणों में अनुबन्ध गठित करते हुए कार्य आरम्भ कराया गया। दिनांक 24-03-2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत सम्पूर्ण लाकडाउन लगा देने के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया। फलस्वरूप दिनांक 31-03-2020 को रुपये 595.69 लाख समर्पित कर दिया गया। अवशेष 23 कूपों के अनुबन्ध का गठन वित्तीय वर्ष 2020-21 में करते हुए कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ करा दिया गया है।]

जनपद उन्नाव-बांगरमऊ मार्ग पर कतिपय पुनर्निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी एवं बांगरमऊ के अन्तर्गत हफीजाबाद से बरुआघाट...

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

इसको भी पढ़ा हुआ मान लेते हैं। यह भी केवल वक्तव्य है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। यह मार्ग लखनऊ-बांगरमऊ-बिल्हौर राज्यमार्ग सं0 40 के कि0मी0 87 की बांगरमऊ आबादी से प्रारम्भ होकर ग्राम-माढ़ापुर, राजेपुर, बरुआघाट होते हुए हफीजाबाद में बिलग्राम-उन्नाव-प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग सं0-38) के कि0मी0 45 से मिलता है। मार्ग की लेपित चौड़ाई 3.00 मी0 है। मार्ग के चैनेज 0.000 से चैनेज 6.500 तक का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जो यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है।

चैनेज 6.500 से चैनेज 16.00 तक का भाग वर्तमान में पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0 यूनिट-1, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव के स्वामित्व में है एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त दशा में है, जिसकी मरम्मत का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यूनिट-1, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव के द्वारा किया जाना है।

मार्ग के चैनेज 16.000 से 17.000 का भाग लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जिसमें चैनेज 16.890 से 17.000 तक का कुल 110 मी0 लम्बाई में हफीजाबाद आबादी का भाग क्षतिग्रस्त है, इस भाग में सी0सी0 रोड एवं नाली के निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।]

प्रदेश में आयुष चिकित्सक व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ तैनात कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुष मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-80 स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल 11:00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 06 बजकर 19 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक : 01 मार्च, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-02 का उत्तर पीछे पृ0सं0-22 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2021 के 1–सोमवार हेतु निर्धारित श्री विनय शंकर तिवारी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–2 का संलग्नक।

जनपदवार वेन्टीलेटरों का विवरण					
क्र0 सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	साइरेक्स प्रा0लि0 (माह दिसम्बर, 2019 तक)	यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा कोराना काल में कय किये गये वेन्टीलेटरों की संख्या	कुल वेन्टीलेटरों की संख्या
1	आगरा	आगरा		2	2
2		फिरोजाबाद	5		5
3		मैनपुरी		4	4
4		मथुरा	1		1
5	अलीगगढ़	अलीगढ		7	7
6		एटा		4	4
7		कासगंज		4	4
8		हाथरस		4	4
9	प्रयागराज	प्रयागराज	1	9	10
10		फतेहपुर		4	4
11		कौशाम्बी		4	4
12		प्रतापगढ	3	4	7
13	आजमगढ	आजमगढ			0
14		बलिया			0
15		मऊ		4	4
16	बरेली	बदायूं			0
17		बरेली	3		3
18		पीलीभीत	1	2	3
19		शाहजहांपुर	4		4
20	बस्ती	बस्ती	31		31
21		संत कबीर नगर	9	4	13
22		सिद्धार्थनगर	17	4	21
23	चित्रकूटधाम	बांदा		3	3
24		चित्रकूट		4	4
25		हमीरपुर		4	4
26		महोबा		4	4
27	देवीपाटन	बहराइच	9		9
28		बलरामपुर	1	2	3

29		गोण्डा	1	4	5
30		श्रावस्ती		4	4
31	**अयोध्या**	अम्बेडकर नगर	1		1
32		बाराबंकी			0
33		अयोध्या	1		1
34		सुल्तानपुर	4		4
35		अमेठी		4	4
36	**गोरखपुर**	देवरिया	13	4	17
37		गोरखपुर	14		14
38		कुशीनगर	15	4	19
39		महराजगंज	10	4	14
40	**झांसी**	जालौन	2		2
41		झांसी	1		1
42		ललितपुर		4	4
43	**कानपुर**	औरैया		4	4
44		इटावा	2		2
45		फर्रूखाबाद	1	4	5
46		कन्नौज	7		7
47		कानपुर देहात		4	4
48		कानपुर नगर	1	4	5
49	**लखनऊ**	हरदोई	11	4	15
50		खीरी	9	4	13
51		लखनऊ	17	2	19
52		रायबरेली		4	4
53		सीतापुर			0
54		उन्नाव			0
55	**मेरठ**	बागपत		4	4
56		बुलन्दशहर	1		1
57		गाजियाबाद	2	3	5
58		गौतमबुद्धनगर	1		1
59		मेरठ	4		4
60		पँचशीलनगर (हापुड़)			0
61	**मिर्जापुर**	मिर्जापुर	1	10	11
62		संत रविदासनगर		4	4
63		सोनभद्र		2	2

64	मुरादाबाद	बिजनौर	1	4	5
65		सम्भल		4	4
66		अमरोहा			0
67		मुरादाबाद	1		1
68		रामपुर	1	4	5
69	सहारनपुर	मुज्जफ्फरनगर			0
70		शामली		4	4
71		सहारनपुर	5		5
72	वाराणसी	चन्दौली		4	4
73		गाजीपुर		4	4
74		जौनपुर	1	4	5
75		वाराणसी	12	3	15
कुल योग			**225**	**189**	**414**

नत्थी 'ख'

(देखिये नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-16 का उत्तर पीछे पृ0सं0-41-42 पर)

Ayushmaan Bharat -Pradhanmantri Jan Arogya Yojna

List of Empanaled Hospital in District Azamgarh

	1. Private Hospitals
Sr.no	Hospital Name
1	Aarab Nursing Home
2	Anand Hospital Multispeciality
3	Eye Care Azamgarh Pvt Ltd
4	Global Multi Specialty & Trauma Center
5	Khetan Hospital
6	Matruchhaya Hospital
7	Prakashnursinghome
8	Rahman Hospital
9	Rama Multi Speciality Hospital & Trauma Centre
10	Saroj Multispeciality Hospital And Trauma Centre
11	Seema Hospital
12	Shanti Nursing Home
13	Sharda Poly Clinic
14	Shiva Hospital And Trauma Centre
15	Vashdei Memorial Hospital
16	Vedanta Hospital
17	Vidya Hospital
Sr.No	2.Goverment Hospitals
1	100 Beded Combined District Hospital
2	Chc Phoolpur
3	Chc Ahiraula
4	Chc Atraulia
5	Chc Bardah
6	Chc Bilariyaganj Azamgarh
7	Chc Harriya
8	Chc Jianpur
9	Chc Jigani Azamgarh
10	Chc Koilsa
11	Chc Kolhukhor
12	Chc Lalganj
13	Chc Mahrajganj
14	Chc Martinganj
15	Chc Mehnagar
16	Chc Mehnajpur
17	Chc Mirzapur
18	Chc Mubarakpur
19	Chc Palhani
20	Chc Parshurampur
21	Chc Pawai
22	Chc Tahbarpur
23	District Women Hospital Azamgarh
24	Divisional District Hospital Azamgarh
25	Govt. Medical College & Super Facility Hospital

नत्थी 'ग'

(देखिये नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-18 का उत्तर पीछे पृ0सं0-43 पर)

विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2021 के 1–सोमवार हेतु निर्धारित श्री मनोज कुमार पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–18 की अनुपूरक सामग्री।

- **प्रदेश के जिला अस्पतालों में स्थित बर्न वार्ड वातानुकूलित हैं।**
- **प्रदेश के 34 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिटों की स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 17.03.2016 द्वारा उपकरणों/साज-सज्जा का मानकीकरण एवं शासनादेश दिनांक 29.03.2016 द्वारा पदों का मानकीकरण किया गया है, जिसके सापेक्ष शासनादेश दिनांक 29.03.2016 द्वारा 29 प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट हेतु पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।**
- **उक्त 34 यूनिटों में से शासनादेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा 07 यूनिटों एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2021 द्वारा 11 यूनिटों के संचालन हेतु उपकरणों एवं साज-सज्जा की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में सम्बन्धित परिधिगत अधिकारियों एवं यू0पी0एम0एस0सी0एल0, लखनऊ को उपकरणों एवं साज-सज्जा का क्रय किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।**

नत्थी 'घ'

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न सं0-77 का उत्तर पीछे पृ0सं0-83-84 पर)

Ayushmaan Bharat -Pradhanmantri Jan Arogya Yojna

List of Empanaled Hospital in District Azamgarh

	1. Private Hospitals
Sr.no	Hospital Name
1	Aarab Nursing Home
2	Anand Hospital Multispeciality
3	Eye Care Azamgarh Pvt Ltd
4	Global Multi Specialty & Trauma Center
5	Khetan Hospital
6	Matruchhaya Hospital
7	Prakashnursinghome
8	Rahman Hospital
9	Rama Multi Speciality Hospital & Trauma Centre
10	Saroj Multispeciality Hospital And Trauma Centre
11	Seema Hospital
12	Shanti Nursing Home
13	Sharda Poly Clinic
14	Shiva Hospital And Trauma Centre
15	Vashdei Memorial Hospital
16	Vedanta Hospital
17	Vidya Hospital
Sr.No	2.Goverment Hospitals
1	100 Beded Combined District Hospital
2	Chc Phoolpur
3	Chc Ahiraula
4	Chc Atraulia
5	Chc Bardah
6	Chc Bilariyaganj Azamgarh
7	Chc Harriya
8	Chc Jianpur
9	Chc Jigani Azamgarh
10	Chc Koilsa
11	Chc Kolhukhor
12	Chc Lalganj
13	Chc Mahrajganj
14	Chc Martinganj
15	Chc Mehnagar
16	Chc Mehnajpur
17	Chc Mirzapur
18	Chc Mubarakpur
19	Chc Palhani
20	Chc Parshurampur
21	Chc Pawai
22	Chc Tahbarpur
23	District Women Hospital Azamgarh
24	Divisional District Hospital Azamgarh
25	Govt. Medical College & Super Facility Hospital

नत्थी 'ङ'

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न सं0-111 का उत्तर पीछे पृ0सं0-102 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2021 के 1-सोमवार के लिये निर्धारित श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस, मा. सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-111 का उत्तरालेख का संलग्नक

क्र.सं.	एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नं.	संचालन की अवधि	दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 01.09.2019 तक का विवरण					
			दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 01.09.2019 तक तैनात रहे ड्राईवर (पायलट) का नाम	सम्बद्ध स्वा. केन्द्र का नाम	एम्बुलेंसो में व्यय हुये डीजल का विवरण		एम्बुलेंसो की मरम्मत में हुये व्यय का विवरण	टिप्पणी
					मात्रा (ली.)	धनराशि (रू.)	धनराशि (रू.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UP41G1113	01.02.2013 से 10.07.19 तक	आशीष अवस्थी, कमलेश कुमार, मनोज कुमार यादव	सामु.स्वा.केन्द्र, सिंधौली	15043	898690.62	519286.36	एम्बुलेंस सं. UP41G1113 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32BG9969 संचालित
	UP32BG9969	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	मनोज, जसवन्त, अमित कुमार		713	46407.57	914.05	
2	UP41G1130	01.02.2013 से 10.07.19 तक	शैलेश कुमार, दिलीप कुमार, विपिन कुमार	प्रा.स्वा.केन्द्र, खुटार	16140	972057.04	555525.71	एम्बुलेंस सं. UP41G1130 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32BG9970 संचालित
	UP32BG9970	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	रामेन्द्र, शशिकान्त, अर्जुन सिंह		898	58548.88	1397.00	
3	UP41G1195	01.02.2013 से 10.07.19 तक	कुलदीप कुमार, स्वदेश कुमार, देवेन्द्र कुमार, अखिलेश	सामु.स्वा.केन्द्र, निगोही	17460	1065676.34	678540.05	एम्बुलेंस सं. UP41G1195 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0001 संचालित
	UP32EG0001	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	अखिलेश, मुनेन्द्र, सुचित सिंह		1145	74621.56	0.00	
4	UP41G1298	01.02.2013 से 10.07.19 तक	विजय कुमार, धमेन्द्र सिंह, श्याम, पवन	सामु.स्वा.केन्द्र, पुवाया	19408	1149732.87	456273.48	एम्बुलेंस सं. UP41G1298 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0260 संचालित
	UP32EG0260	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	पवन, श्याम, राजकुमार		1040	67675.90	0.00	
5	UP41G1323	01.02.2013 से 10.07.19 तक	प्रदीप कुमार, अमित कुमार, विनोद कुमार, राकेश	जैतीपुर 1	17347	1056167.26	789403.15	एम्बुलेंस सं. UP41G1323 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0013 संचालित
	UP32EG0013	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	अमित, सुरजीत, शिव कुमार		1164	75508.99	5831.00	
6	UP41G1368	01.02.2013 से 10.07.19 तक	रामेन्द्र सिंह, अरूनेश कुमार त्रिपाठी, सत्य कुमार, धर्मेन्द्र	सामु.स्वा.केन्द्र, ददरौल	16210	996217.29	409462.22	एम्बुलेंस सं. UP41G1368 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0018 संचालित
	UP32EG0018	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	सत्य कुमार, धमेन्द्र, प्रमोद कुमार		1111	72066.35	24465.12	
7	UP41G1390	01.02.2013 से 10.07.19 तक	राजेश कुमार, योगेन्द्र पाल सिंह, प्रदीप कुमार, जय प्रकाश	प्राथ.स्वा.केन्द्र, कालन	19313	1173202.73	42721107.00	एम्बुलेंस सं. UP41G1390 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0030 संचालित
	UP32EG0030	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	उदयवीर, मनोज, जयकरन पटेल		689	45006.33	2360.00	

क्र.सं.	एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नं.	संचालन की अवधि	दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 01.09.2019 तक तैनात रहे ड्राईवर (पायलट) का नाम	सम्बद्ध स्वा. केन्द्र का नाम	दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 01.09.2019 तक का विवरण: एम्बुलेंसो में व्यय हुये डीजल का विवरण		एम्बुलेंसो की मरम्मत में हुये व्यय का विवरण	टिप्पणी
					मात्रा (ली.)	धनराशि (रू.)	धनराशि (रू.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	UP41G1406	01.02.2013 से 10.07.19 तक	राजेश कुमार, विवेक कुमार, वीरेन्द्र कुमार, राम सिंह, राम मोहन	सामु.स्वा.केन्द्र, जलालाबाद	13819	813793.65	378467.08	एम्बुलेंस सं. UP41G1406 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0033 संचालित
	UP32EG0033	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	मनोज, देवेन्द्र, पवन कुमार		492	32104.66	3684.00	
9	UP41G1448	01.02.2013 से 10.07.19 तक	श्याम सिंह, अमित कुमार, राजेश कुमार, अश्वनी, आलोक	सामु.स्वा.केन्द्र, भावलखेड़ा	14036	853992.05	415665.86	एम्बुलेंस सं. UP41G1448 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0040 संचालित
	UP32EG0040	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	अश्वनी, आलोक, महेन्द्र पाल सिंह		461	29831.58	2964.00	
10	UP41G1461	01.02.2013 से 10.07.19 तक	राजेश कुमार, संजीव कुमार, शाहिद खान, रामू, विपिन	सामु.स्वा.केन्द्र, मिर्जापुर	18222	1081311.68	608796.36	एम्बुलेंस सं. UP41G1461 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0049 संचालित
	UP32EG0049	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	धर्मेन्द्र, हुकुम, लवलेश कुमार		501	32660.52	4686.00	
11	UP41G1472	01.02.2013 से 10.07.19 तक	कुतुब खान, गौरव कुमार, राकेश, रामपाल	सामु.स्वा.केन्द्र, कोठ	18954	1167958.43	416391.23	एम्बुलेंस सं. UP41G1472 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0114 संचालित
	UP32EG0114	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	राकेश, शाहिद, हुकुम सिंह		991	64150.64	3497.00	
12	UP41G1473	01.02.2013 से 10.07.19 तक	प्रदीप कुमार यादव, अमर सिंह वर्मा, उमाशंकर, प्रमोद	पु. चौकी, अजीजगंज	14719	888710.29	571313.92	एम्बुलेंस सं. UP41G1473 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0123 संचालित
	UP32EG0123	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	रोहित, प्रमोद, राकेश कुमार		701	45577.04	4948.00	
13	UP41G1492	01.02.2013 से 10.07.19 तक	बालक राम, दिनेश चन्द्र, प्रशान्त कुमार, हीरालाल, दिलीप	सामु.स्वा.केन्द्र, मदनापुर	19286	1155380.73	542464.64	एम्बुलेंस सं. UP41G1492 के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण नयी एम्बुलेंस सं. UP32EG0139 संचालित
	UP32EG0139	10.07.2019 से निरन्तर संचालित	गिरीश, दिलीप, हितेन्द्र कुमार शर्मा		878	57002.94	1346.00	
14	UP41G1253	01.02.2013 से निरन्तर संचालित	पुष्पेन्द्र कुमार, अम्बरीष शुक्ला, सुमित कुमार, दीनानाथ	सामु.स्वा.केन्द्र, तिलहर-1	17004	1055971.19	575344.99	—
15	UP41G1255	01.02.2013 से निरन्तर संचालित	सुमित कुमार राठौर, महेश पाल, सोमपाल, सुचित	पु. स्टेशन, कटारा	15797	956883.45	606604.72	—
16	UP41G1374	01.02.2013 से निरन्तर संचालित	प्रवीन सिंह, निर्मल कुमार, मन्दीप सिंह, महेन्द्र	सामु.स्वा.केन्द्र, बांदा	19952	1234945.27	769898.69	—

क्र.सं.	एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नं.	संचालन की अवधि	दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 01.09.2019 तक का विवरण					
			दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 01.09.2019 तक तैनात रहे ड्राईवर (पायलट) का नाम	सम्बद्ध स्वा. केन्द्र का नाम	एम्बुलेंसो में व्यय हुये डीजल का विवरण		एम्बुलेंसो की मरम्मत में हुये व्यय का विवरण	टिप्पणी
					मात्रा (ली.)	धनराशि (रू.)	धनराशि (रू.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	UP41G1420	01.02.2013 से निरन्तर संचालित	आशीष कुमार यादव, प्रदीप कुमार, सोमपाल सक्सेना, मुनेन्द्र, राजेश	पु. स्टेशन, रोजा	13726	847979.92	450232.78	—
18	UP41G3062	28.11.2015 से निरन्तर संचालित	नन्द कुमार, शिव मोहन सिंह, सुरजीत सिंह, अमित	पी2 पीएससी, अल्लागंज	21614	1316871.10	246685.15	—
19	UP41G3079	28.11.2015 से निरन्तर संचालित	भूपेन्द्र कुमार, गौरव कुमार, हरीश कुमार तिवारी, अमित	सामु.स्वा.केन्द्र, शेरामऊ दक्षिण	23521	1428382.01	244508.66	—
20	UP41G3090	28.11.2015 से निरन्तर संचालित	शिवपाल यादव, प्रदीप कुमार यादव, राम सिंह, अखिलेश, रियाज	पी2 पीसी, अजीजगंज–2	24579	1514432.89	279276.68	—
21	UP41G3157	28.11.2015 से निरन्तर संचालित	ओम प्रकाश भारती, दिलीप कुमार, राजेश वर्मा, रमेश, हरेन्द्र	पी2 सामु.स्वा.केन्द्र, कांठ–2	18833	1130969.33	602379.23	—
22	UP41G3230	28.11.2015 से निरन्तर संचालित	अरविन्द सिंह, भरत देव वर्मा, मनोज कुमार, चन्द्रपाल	सामु.स्वा.केन्द्र, जैतीपुर	21342	1304767.65	325217.22	—
23	UP41G3249	28.11.2015 से निरन्तर संचालित	अखिलेश कुमार यादव, राजेश कुमार, प्रमोद, दीनानाथ	पी2 सामु.स्वा.केन्द्र, तिलहर–2	23475	1471936.47	126466.58	—
24	UP41G3301	28.11.2015 से निरन्तर संचालित	महबूब आलम, अनुज कुमार, रोहित कुमार, परमात्मा, संतोष	रेलवे स्टेशन	22675	1390856.28	517275.10	—
25	UP41G3317	28.11.2015 से निरन्तर संचालित	हरी शंकर, कुतुब खान, शेषमणी दूबे, जितेन्द्र	पी2 सामु.स्वा.केन्द्र, पोवायाँ–2	20194	1238410.78	151291.86	—
26	UP32BG9128	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	सचिन, अरूनेश	प्रा.स्वा. केन्द्र, बन्थरा	1111	72023.45	6400.00	—
27	UP32BG9129	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	उमा शंकर, प्रमोद, दिलीप कुमार	हरदोई मोड	1049	68093.96	7934.69	—
28	UP32BG9135	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	देशराज, सुधीर, सुभाष सिंह	कचेहरी चौराहा	716	46476.17	500.00	—
29	UP32BG9137	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	बृजेश, राजेश, जितेन्द्र कुमार	गुर्रही चौकी सीतापुर रोड	972	63079.29	6192.07	—
30	UP32BG9148	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	जितेन्द्र, सुचित, अमित कुमार	प्राथ.स्वा. केन्द्र, खुदागंज	733	47592.54	0.00	—
31	UP32BG9168	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	मनोज, शिव कुमार, चन्द्र पाल गंगवार	सामु. स्वा. केन्द्र, जलालाबाद	874	56912.48	5324.00	—
32	UP32BG9169	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	प्रदीप, धर्मेन्द्र, प्रमोद कुमार यादव	प्राथ. स्वा. केन्द्र, कालन	882	57387.38	5612.00	—

क्र.सं.	एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नं.	संचालन की अवधि	दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 01.09.2019 तक का विवरण					
			दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 01.09.2019 तक तैनात रहे ड्राईवर (पायलट) का नाम	सम्बद्ध स्वा. केन्द्र का नाम	एम्बुलेंसो में व्यय हुये डीजल का विवरण		एम्बुलेंसो की मरम्मत में हुये व्यय का विवरण	टिप्पणी
					मात्रा (ली.)	धनराशि (रू.)	धनराशि (रू.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	UP32BG9187	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	धर्मेन्द्र, नीरज, अमित	प्राथ. स्वा. केन्द्र, गदिया रंगीन	1028	66735	1560.00	–
34	UP32BG9192	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	विकास, सुरजीत, नन्दराम, फतेह सिंह	प्राथ. स्वा. केन्द्र, मिर्जापुर–2	861	55910.53	4336.00	–
35	UP32BG9200	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	रमन, उमेन्द्र, सतीश कुमार	सामु. स्वा. केन्द्र, निगोही	1054	68574.12	5483.00	–
36	UP32BG9206	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	मन्दीप, महेन्द्र, मुनेन्द्र पाल	प्राथ. स्वा. केन्द्र, बांदा	1081	70579.02	5129.00	–
37	UP32BG9215	13.06.2019 से निरन्तर संचालित	दानवीर, चन्द्रपाल, सत्य कुमार	प्राथ. स्वा. केन्द्र, खुटार	983	64046.09	6951.69	–
				योग	484817	29603870.31	54069413.54	

संलग्नक-2

102 एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत जनपद–शाहजहाँपुर के समस्त सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 पर दिनांक 01.04.2016 से 01.09.2019 तक संचालित एम्बुलेंसो के नम्बर, ड्राइवर के नाम, व्यय हुये डीजल तथा रिपेयर व्यय का विवरण।

क्र0 सं0	सा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	एम्बुलेंस पंजीकरण सं0	ड्राइवर (पायलेट का नाम)	सन्दर्भित अवधि में एम्बुलेंसो मे व्यय हुये डीजल क विवरण		सन्दर्भित अवधि में एम्बुलेंसो की मरम्मत में हुये व्यय (रू0 में)	प्रतिस्थापित की गयी नई एम्बुलेंस का पंजीयन नम्बर।	प्रतिस्थापन की तिथि
				मात्रा (ली0में)	धनराशि (रू0 में)			
1	सा0 स्वा0 केन्द्र मदनापुर	UP41G2423	VINOD/GIRISH/MOHAR / SUMIT GUPTA	22710	1351530.63	359247.47	UP32EG0611	04-10-2019
2	सा0 स्वा0 केन्द्र निगोही	UP41G0253	ANIL/MUNENDRA/ANIL / BHUPRAM	18532	1107253.57	550745.81	UP32EG0935	04-10-2019
		UP41G2419	MUNENDRA/ARJUN /DEVENDRA KUMAR/ MUNINDER KUMAR	24754	1495701.54	497350.28	UP32EG0913	21-10-2019
3	सा0 स्वा0 केन्द्र कलान	UP41G0263	JITENDRA/NEERESH/ JITENDRA KUMAR/ GUDDU KUMAR	20082	1209959.99	615307.14	UP32EG1382	02-11-2019
		UP41G2441	RAVI/NEERESH/NEERES H/ GUDDU KUMAR	18968	1138473.62	591871.87	UP32EG0919	21-10-2019
4	सा0 स्वा0 केन्द्र तिलहर	UP41G2427	Amit/sumit/Hari Om Yadav/ Jagannath	19861	1205457.74	447832.10	UP32EG0916	21-10-2019
		UP41G0323	ROHTAS/DINANATH/ Hari OM YADAV/ KAMAL SHARMA	16749	1007840.16	530376.12	UP32EG0593	04-10-2019
5	सा0 स्वा0 केन्द्र कांठ	UP41G0246	JITENDRA/HITENDRA/JI TENDRA SINGH/ OM VEER SINGH	21583	1298113.77	360194.53	UP32EG1383	02-11-2019
		UP41G2414	SHYAM/LALJI/SHYAM SINGH/ DEENA NATH	20336	1231862.33	335191.16	UP32EG1791	19-11-2019

क्र0 सं0	सा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	एम्बुलेंस पंजीकरण सं0	ड्राइवर (पायलेट का नाम)	सन्दर्भित अवधि में एम्बुलेंसों में व्यय हुये डीजल क विवरण		सन्दर्भित अवधि में एम्बुलेंसो की मरम्मत में हुये व्यय (रू0 में)	प्रतिस्थापित की गयी नई एम्बुलेंस का पंजीयन नम्बर।	प्रतिस्थापन की तिथि
				मात्रा (ली0में)	धनराशि (रू0 में)			
6	सा0 स्वा0 केन्द्र -ददरौल	UP41G2474	HEMANT/VINEET/HANUMANT PRATAP Mishra/ ARVIND KUMAR MAURYA	19053	114469.22	355017.95	UP32EG0566	04-10-2019
		UP41G3638	HANUMAT /ANUJ/HEMANT KUMAR/ OM VEER	21151	1280277.22	154567.39	-	-
7	सा0 स्वा0 केन्द्र जैतीपुर	UP41G2413	SUDHAKAR/DEVENDRA /SUDHAKER/ DEVENDRA SINGH	25371	1529143.29	496208.65	UP32EG1886	19-11-2019
8	सा0 स्वा0 केन्द्र सिन्धौली	UP41G2450	SIKANDER/GURDEEP/ ANIL KUMAR/ SIKANDER KHAN	19872	1166013.74	192357.30	UP32EG1799	05-11-2019
9	सा0 स्वा0 केन्द्र भवालखेड़ा	UP41G2469	SATISH/RAM NARAYAN/RAM NARAYAN DUBEY/ SACHCHIDANAND MISHRA	18949	1146650.49	317563.07	UP32EG1565	19-11-2019
10	सा0 स्वा0 केन्द्र कटरा	UP41G3635	SUMIT/GIRISH/ DEVENDRA SINGH/ JAGAN NATH	21039	1277884.86	118006.26	-	-
11	सा0 स्वा0 केन्द्र पुवाया	UP27G0220	SHIVKUMAR/BHUPRAM /NARESH KUMAR/ SHIV KUMAR	20773	1255782.57	264834.58	UP32EG1806	05-11-2019
		UP41G0301	SHIV KUMAR/NARESH/BHOOP RAM/ ANIL KUMAR	19621	1183686.01	296961.59	UP32EG0740	24-10-2019

क्र0 सं0	सा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	एम्बुलेंस पंजीकरण सं0	ड्राइवर (पायलेट का नाम)	सन्दर्भित अवधि में एम्बुलेंसों में व्यय हुये डीजल क विवरण		सन्दर्भित अवधि में एम्बुलेंसो की मरम्मत में हुये व्यय (रू0 में)	प्रतिस्थापित की गयी नई एम्बुलेंस का पंजीयन नम्बर।	प्रतिस्थापन की तिथि
				मात्रा (ली0में)	धनराशि (रू0 में)			
12	सा0 स्वा0 केन्द्र - कुटार	UP41G2473	ASFAK ALI/GURVINDER/ASFAQ ALI/ SATISH PANDEY	25359	1548574.77	238346.23	UP32EG1915	19-11-2019
13	सा0 स्वा0 केन्द्र बन्डा	UP27G0215	ARUN/BRIJESH/VARUN KUMAR/ DEENA NATH	21381	1299109.37	530434.27	UP32EG0610	04-10-2019
		UP24G0193	MOHAN/PRASHANT/ARUN YADAV/ PANKAJ KUMAR	21636	1308042.26	489538.29	UP32EG0902	21-10-2019
14	सा0 स्वा0 केन्द्र जलालाबाद	UP27G0224	CHANDRAPAL/AVNEESH/RAM SINGH/ SIKANDAR KHAN	24145	1463994.85	393186.89	UP32EG0910	21-10-2019
		UP94G0152	ANEET/VIPIN/ANIT/ AWNANISH	21292	1285636.07	410702.83	UP32EG1387	02-11-2019
15	सा0 स्वा0 केन्द्र जरियनपुर	UP27G0214	NIMT/SUNVESH/NIMIT SIDDHU/ SHAHID	19114	1106879.51	295506.42	UP32EG1384	02-11-2019
16	प्रा0 स्वा0 केन्द्र चकभितरा	UP41G3639	SACHIDANAND/BRIJ KISHORE/IBARAT ALI/ SACHCHIDA NAND MISHRA	19588	1175971.30	208212.07		
17	प्रा0 स्वा0 केन्द्र खुदागंज	UP77G0347	ARVIND/KAMAL/KAMAL SHARMA/ ARVIND KUMAR PANDEY	20211	1225505.64	247725.32	UP32EG1530	20-11-2019
18	प्रा0 स्वा0 केन्द्र अल्लागंज	UP41G2397	BRIJESH/SURJEET/BRAJESH KUMAR/ JITENDRA KUMAR	18716	1138716.23	369663.37	UP32EG0931	04-10-2019
19	प्रा0 स्वा0 केन्द्र मिर्जापुर	UP79G0101	HUKUM/NIMIT/ROHIT KUMAR/ BRIJESH KUMAR	21408	1271216.28	279191.29	UP32EG0714	04-10-2019

08/2/2021

नत्थी 'च'

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न सं0-132 का उत्तर पीछे पृ0सं0-112-113 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-132 का संलग्नक

कम संख्या	कार्य का नाम	लागत (रूपये)
	वर्ष 2018-19	
1	सा0स्वा0केन्द्र जलालाबाद के टाइप-4 के आवासों (5 नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	171254
2	सा0स्वा0केन्द्र जलालाबाद के टाइप-2 व 1 के आवासों (12नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	199180
3	सा0स्वा0केन्द्र बन्डा के टाइप-4 के आवासों (5 नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	126729
4	सा0स्वा0केन्द्र बन्डा के टाइप-2 व 1 के आवासों (12नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	166830
5	प्रा0स्वा0केन्द्र मुडियाकुर्मियात के टाइप-4 2 1 के आवासों (5 नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य	199861
6	प्रा0स्वा0केन्द्र खुदागंज के टाइप-4 2 1 के आवासों (11 नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	199861
7	सा0स्वा0केन्द्र अल्लागंज के मुख्य भवन में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	198996
8	सा0स्वा0केन्द्र अल्लागंज के टाइप-4 2 1 के आवासों (15 नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	175280
9	सा0स्वा0केन्द्र जलालाबाद के मुख्य भवन में रिनोवेशन कार्य । (50 प्रति0धनराशि अवमुक्त)	1199973
10	सा0स्वा0केन्द्र जलालाबाद के पहुँच मार्ग का रिनोवेशन कार्य । (50 प्रति0धनराशि अवमुक्त)	823000
11	प्रा0स्वा0केन्द्र कलान के मुख्य केन्द्र के भवन की विशेष मरम्मत का कार्य ।	243017
12	प्रा0स्वा0केन्द्र भावलखेडा के मुख्य केन्द्र के भवन की विशेष मरम्मत का कार्य ।	253314
13	सा0स्वा0केन्द्र तिलहर के पी0पी0सी0भवन के रिनोवेशन कार्य ।	413176
	वर्ष 2019-20	
1	प्रा0स्वा0केन्द्र रमापुर के टाइप-4 2 1 के आवासों (5नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	190437
2	प्रा0स्वा0केन्द्र रमापुर की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य ।	89917
3	प्रा0स्वा0केन्द्र सेहरामऊ के टाइप-4 2 1 के आवासों (5नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	137831
4	प्रा0स्वा0केन्द्र सेहरामऊ की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य ।	84077
5	प्रा0स्वा0केन्द्र नाहिल के टाइप-4 2 1 के आवासों (5नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	123269
6	प्रा0स्वा0केन्द्र नाहिल की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य ।	49920
7	प्रा0स्वा0केन्द्र कुर्रियाकला के टाइप-4 2 1 के आवासों (5नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	221971
8	प्रा0स्वा0केन्द्र कुर्रियाकला की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य ।	98026
9	प्रा0स्वा0केन्द्र खेडरठ के टाइप- 2 1 के आवासों (8 नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	132611
10	प्रा0स्वा0केन्द्र ढकाघनश्याम के टाइप- 2 1 के आवासों (4 नग) में वार्षिक मरम्मत का कार्य	179045
11	प्रा0स्वा0केन्द्र ढकाघनश्याम की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य ।	112363
12	प्रा0स्वा0केन्द्र खेडरठ के एस0एस0एन0 भवन व बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य ।	84595
13	प्रा0स्वा0केन्द्र बन्तारा के आवासीय भवनो व बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य ।	157164
14	प्रा0स्वा0केन्द्र खेडरठ के मुख्य भवन सामने की बाउन्ड्रीवाल की बिशेष मरम्मत का कार्य ।	102177
15	प्रा0स्वा0केन्द्र ददरौल के मुख्य केन्द्र के भवन की मरम्मत का कार्य ।	50330
16	सा0स्वा0केन्द्र जलालाबाद के आवासीय भवनो की पहुँच मार्ग का रिनोवेशन कार्य ।	399868
17	सा0स्वा0केन्द्र जलालाबाद के मुख्य भवन में रिनोवेशन कार्य । (50 प्रति0धनराशि अवमुक्त)	1312027
18	सा0स्वा0केन्द्र जलालाबाद के पहुँच मार्ग का रिनोवेशन कार्य । (50 प्रति0धनराशि अवमुक्त)	863000
19	सा0स्वा0केन्द्र तिलहर के पी0पी0सी0भवन के रिनोवेशन कार्य ।	469466
20	प्रा0स्वा0केन्द्र भावलखेडा के टाइप- 3 2 1 के आवासों (5नग)में बिशेष वार्षिक मरम्मत का कार्य ।	384759

1	प्रा0स्वा0केन्द्र निगोही पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
2	प्रा0स्वा0केन्द्र परसोना पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
3	प्रा0स्वा0केन्द्र लोहरगवॉ पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
4	प्रा0स्वा0केन्द्र खुदागंज पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
5	प्रा0स्वा0केन्द्र हसनापुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
6	प्रा0स्वा0केन्द्र ओखली पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
7	प्रा0स्वा0केन्द्र सिउरा पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
8	प्रा0स्वा0केन्द्र रमापुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
9	प्रा0स्वा0केन्द्र जैतीपुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
10	प्रा0स्वा0केन्द्र खेडारठ पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
11	प्रा0स्वा0केन्द्र रूमौरा पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
12	प्रा0स्वा0केन्द्र गढियारंगीन पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
13	सा0स्वा0केन्द्र पुर्वॉया पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
14	प्रा0स्वा0केन्द्र नाहिल पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
15	प्रा0स्वा0केन्द्र गंगसरा पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
16	प्रा0स्वा0केन्द्र बन्डा पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
17	प्रा0स्वा0केन्द्र मुडियाकुर्मियात पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
18	प्रा0स्वा0केन्द्र ढकाघनश्याम पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
19	प्रा0स्वा0केन्द्र देवकली पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
20	प्रा0स्वा0केन्द्र खुटार पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
21	प्रा0स्वा0केन्द्र नवदियानवाजपुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
22	प्रा0स्वा0केन्द्र कैमहरिया पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
23	प्रा0स्वा0केन्द्र सिंघौली पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
24	प्रा0स्वा0केन्द्र कलुआपुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
25	प्रा0स्वा0केन्द्र बिलन्दपुर निगोही पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
26	प्रा0स्वा0केन्द्र कॉठ पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
27	प्रा0स्वा0केन्द्र कुर्रियाकला पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
28	प्रा0स्वा0केन्द्र हटीपुरकुर्रिया पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
29	प्रा0स्वा0केन्द्र मदनापुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
30	प्रा0स्वा0केन्द्र बुधवाना पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
31	प्रा0स्वा0केन्द्र बरूआ पर डीप बरियल पिट का कार्य।	25538
32	सा0स्वा0केन्द्र जलालाबाद पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
33	प्रा0स्वा0केन्द्र कटेली पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
34	प्रा0स्वा0केन्द्र चौकीसाहबगंज पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
35	प्रा0स्वा0केन्द्र अल्लागंज ी पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
36	प्रा0स्वा0केन्द्र मिर्जापुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
37	प्रा0स्वा0केन्द्र ढाई पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
38	प्रा0स्वा0केन्द्र शेरपुरकुर्रिया पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
39	प्रा0स्वा0केन्द्र कलान पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
40	प्रा0स्वा0केन्द्र परौर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
41	प्रा0स्वा0केन्द्र विक्रमपुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
42	प्रा0स्वा0केन्द्र भावलखेडा निगोही पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
43	प्रा0स्वा0केन्द्र बन्तारा पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
44	प्रा0स्वा0केन्द्र सेहरामऊ पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812

45	प्रा0स्वा0केन्द्र	सुन्दरनगर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
46	प्रा0स्वा0केन्द्र	ददरौल पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
47	प्रा0स्वा0केन्द्र	ढकाउद्धरनपुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
48	प्रा0स्वा0केन्द्र	चांन्दापुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
49	प्रा0स्वा0केन्द्र	चकझाऊ पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
50	प्रा0स्वा0केन्द्र	राजनपुर पर डीप बरियल पिट का कार्य।	26812
	वर्ष 2020–21		
1	प्रा0स्वा0केन्द्र ददरौल के मुख्य भवन की मरम्मत का कार्य ।		134409

नत्थी 'छ'

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न सं0-133 का उत्तर पीछे पृ0सं0-113 पर)

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात स्टाफ की सूचना
(जनपद-- शाहजहाँपुर)

क्रमिक	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	तैनात संविदा स्टाफ का नाम	पदनाम	विभाग में योगदान करने का दिनांक
1	2	3	4	5
1	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र लोधीपुर	मोहसिन सईद	फार्मासिस्ट	12/12/2014
2	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र लोधीपुर	श्री विकास गौतम	एल0टी0	5/8/2016
3	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र लोधीपुर	प्रीती तिवारी	ए0एन0एम0	12/12/2014
4	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र लोधीपुर	श्रीमती पूनम देवी	स्टाफ नर्स	9/10/2014
5	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र लोधीपुर	श्री विनोद कुमार	सपोर्ट स्टाफ	16/12/2015
6	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र लोधीपुर	श्रीमती मुन्नी देवी	सपोर्ट स्टाफ	1/12/2015
7	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र एमनजई जलालनगर	श्रीमती रूपी शर्मा	ए0एन0एम0	9/10/2014
8	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र एमनजई जलालनगर	श्रीमती रूचि देवी	ए0एन0एम0	9/10/2014
9	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र एमनजई जलालनगर	शालिनी	स्टाफ नर्स	19/9/2014
10	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र एमनजई जलालनगर	कु0 सोनम	ए0एन0एम0	25/3/2015
11	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र एमनजई जलालनगर	श्री रामकिशोर	सपोर्ट स्टाफ	6/3/2013
12	नगरीय प्राथमिक स्वा0 केन्द्र एमनजई जलालनगर	श्री अर्पण कुमार श्रीवास्तव	सपोर्ट स्टाफ	8/12/2015
13	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, ककरौंखुर्द	श्री निखिल कुमार	फार्मासिस्ट	25/8/2015
14	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, ककरौंखुर्द	नेहा भारती	स्टाफ नर्स	9/10/2014
15	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, ककरौंखुर्द	श्री मोईज अहमद खाँ	सपोर्ट स्टाफ	23/11/2015
16	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र ककरौंखुर्द	श्रीमती रिंकी देवी	ए0एन0एम0	9/10/2014
17	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र ककरौंखुर्द	श्रीमती आशा देवी	ए0एन0एम0	9/10/2014
18	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, ककरौंखुर्द	श्री सीरम कुमार	एल0टी0	25/8/2015
19	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, ककरौंखुर्द	श्री मोहम्मद जुबैर	सपोर्ट स्टाफ	28/11/2015
20	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, ककरौंखुर्द	कु0 अंजली देवी	सपोर्ट स्टाफ	24/11/2015
21	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, हुसैनपुरा	श्री आकाश मिश्रा	एल0टी0	28/11/2015
22	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र हुसैनपुरा	श्रीमती संजू देवी	ए0एन0एम0	9/10/2014
23	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, हुसैनपुरा	श्रीमती सीमा पाठी	ए0एन0एम0	9/10/2014
24	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र हुसैनपुरा	श्रीमती मोनिका	ए0एन0एम0	9/10/2014
25	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, हुसैनपुरा	श्रीमती मधुलता वर्मा	ए0एन0एम0	9/10/2014
26	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र हुसैनपुरा	श्रीमती लोकेश्वरी	स्टाफ नर्स	3/2/2018
27	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र हुसैनपुरा	कु0मुमताज जहाँ	सपोर्ट स्टाफ	23/11/2015
28	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, हुसैनपुरा	श्री शम्सुद्दीन	फार्मासिस्ट	28/8/2015
29	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	श्री अनिल कुमार	सपोर्ट स्टाफ	28/11/2015
30	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	कु0 ममता	ए0एन0एम0	9/10/2014
31	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	श्री रोहित कठेरिया	एल0टी0	30/01/2018
32	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	श्रीमती गीता गौतम	सपोर्ट स्टाफ	24/11/2015
33	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	श्री सलीम इख्तेदार खाँ	सपोर्ट स्टाफ	23/11/2015
34	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	कु0 मोनिका चंदेल	ए0एन0एम0	25/3/2015
35	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	डा0आसमा हिकमत	पार्ट टाईम एम0बी0बी0एस चिकित्सक	10/8/2016
36	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	कु0 शीलू यादव	स्टाफ नर्स	7/10/2014
37	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव	फार्मासिस्ट	25/08/2015
38	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, जलीकोठी	कु0अर्चना देवी	ए0एन0एम0	9/10/2014
39	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, अजीजगंज	कु0सोनम शर्मा	स्टाफ नर्स	25/8/2015
40	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, अजीजगंज	श्रीमती रेहाना कुल्सुम फातिमा	ए0एन0एम0	30/3/2015
41	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, अजीजगंज	श्रीमती शालिनी मिश्रा	ए0एन0एम0	9/10/2014
42	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, अजीजगंज	कु0 मृदुल कुमारी	ए0एन0एम0	9/10/2014
43	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, अजीजगंज	श्री दिलीप कुमार	एल0टी0	26/8/2015
44	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, अजीजगंज	श्री मोहम्मद तैयब	सपोर्ट स्टाफ	23/11/2015
45	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, अजीजगंज	श्री हरीओम सिंह	फार्मासिस्ट	25/8/2015
46	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, अजीजगंज	सतीश	सपोर्ट स्टाफ	24/11/2015
47	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,ककराकला	श्रीमती अनिता	ए0एन0एम0	9/10/2014
48	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र ककराकला	श्री दीपेन्द्र गुप्ता	स्टाफ नर्स	3/2/2018
49	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,ककराकला	सविता देवी	ए0एन0एम0	9/10/2014
50	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,ककराकला	श्रीमती राम रोशनी	ए0एन0एम0	9/10/2014

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
शाहजहाँपुर

51	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,ककराकला	श्री मो0एईस अहमद	एल0टी0	9/10/2014
52	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,ककराकला	श्री धीरेन्द्र सिंह	फार्मासिस्ट	9/10/2014
53	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्री मनोज कुमार	सपोर्ट स्टाफ	1/12/2015
54	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	कु0सरोजनी देवी	ए0एन0एम0	30/03/2016
55	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्रीमती राधा	ए0एन0एम0	29/03/2016
56	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्री हरीओम	एल0टी0	24/08/2015
57	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्री सर्वेश कुमार	सपोर्ट स्टाफ	23/11/2015
58	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्रीमती कुसुमी देवी	सपोर्ट स्टाफ	24/11/2015
59	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्रीमती प्रतिभा राय	ए0एन0एम0	9/10/2014
60	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्री अनुराग सिंह	फार्मासिस्ट	24/08/2015
61	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्रीमती प्रतिभा पटेल	ए0एन0एम0	29/03/2016
62	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्रीमती लाली	ए0एन0एम0	30/03/2016
63	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,तिलहर	श्रीमती संजिता	ए0एन0एम0	12/4/2016
64	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, कटिया टोला (रोशनी गोदाम)	श्रीमती नीलू देवी	ए0एन0एम0	9/10/2014
65	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, कटिया टोला (रोशनी गोदाम)	कु0 आरती	ए0एन0एम0	9/10/2014
66	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, कटिया टोला (रोशनी गोदाम)	श्रीमती स्वर्णलता	एल0टी0	2/2/2018
67	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, कटिया टोला (रोशनी गोदाम)	श्री दीपक कुमार	सपोर्ट स्टाफ	24/11/2015
68	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, कटिया टोला (रोशनी गोदाम)	श्रीमती सुमन देवी	सपोर्ट स्टाफ	23/11/2015
69	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, कटिया टोला (रोशनी गोदाम)	कु0कल्याणी अवस्थी	ए0एन0एम0	9/10/2014
70	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, कटिया टोला (रोशनी गोदाम)	श्री अनुराग श्रीवास्तव	फार्मासिस्ट	25/8/2015
71	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, कटिया टोला (रोशनी गोदाम)	श्रीमती निधि	स्टाफ नर्स	3/2/2018
72	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, कटिया टोला (रोशनी गोदाम)	श्री मो0 नकीम	सपोर्ट स्टाफ	7/12/2015
73	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, सरायकाईया	श्री सर्वेश कुमार	सपोर्ट स्टाफ	24/11/2015
74	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, सरायकाईया	श्री अनूप कुमार	स्टाफ नर्स	3/9/2018
75	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, सरायकाईया	श्रीमती पिंकी देवी	ए0एन0एम0	9/10/2014
76	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, सरायकाईया	श्रीमती सिम्पल गुप्ता	ए0एन0एम0	31/3/2016
77	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, सरायकाईया	श्री जईम खाँ	एल0टी0	6/10/2015
78	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, सरायकाईया	श्री पंकज अग्निहोत्री	सपोर्ट स्टाफ	23/11/2015
79	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, सरायकाईया	कु0 नूर बानो	सपोर्ट स्टाफ	12/4/2016
80	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, सरायकाईया	कु0अर्चना शर्मा	ए0एन0एम0	9/10/2014
81	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र, सरायकाईया	श्री अनूप कुमार	फार्मासिस्ट	28/8/2015
82	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,जलालनगर (पुलिस लाइन)	श्रीमती नीलू गुप्ता	ए0एन0एम0	9/10/2014
83	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,जलालनगर (पुलिस लाइन)	श्री विजय कुमार	सपोर्ट स्टाफ	24/11/2015
84	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,जलालनगर (पुलिस लाइन)	श्री रईस अहमद	सपोर्ट स्टाफ	27/11/2015
85	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,जलालनगर (पुलिस लाइन)	श्रीमती शना परवीन	सपोर्ट स्टाफ	23/11/2015
86	नगरीय प्राथमिक स्वा0केन्द्र,जलालनगर (पुलिस लाइन)	श्री दीपक गुप्ता	फार्मासिस्ट	25/8/2015

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
शाहजहाँपुर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

नत्थी 'ज'

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न सं0-137 का उत्तर पीछे पृ0सं0-115 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2021 के 1—सामवार हेतु निर्धारित श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या—137 का संलग्नक

कंपनी द्वारा चयनित कर्मचारियों की सूची			
कम संख्या	कर्मचारी का नाम	सी0एच0सी0 का नाम	मानदेय (प्रतिमाह)
1	प्रमोद कुमार	जलालाबाद	3500 रूपये
2	अजीत	जलालाबाद	3500 रूपये
3	गुड्डू	अल्हागंज	3500 रूपये
4	रामदीन	अल्हागंज	3500 रूपये
5	रामबाबू	मिर्जापुर	3500 रूपये
6	रामकिशोर	मिर्जापुर	3500 रूपये
7	सुरेन्द्र कुमार	मदनापुर	3500 रूपये
8	गयाराय	मदनापुर	3500 रूपये
9	विनोद कुमार	जैतीपुर	3500 रूपये
10	राम लड़ैते	जैतीपुर	3500 रूपये
11	महेन्द्र	तिलहर	3500 रूपये
12	रामकुमार	तिलहर	3500 रूपये
13	शेखर	सिधौली	3500 रूपये
14	अनीता	सिधौली	3500 रूपये
15	कल्लू	ददरौल	3500 रूपये
16	राजकुमारी	ददरौल	3500 रूपये
17	रामकुमार	खुदागंज	3500 रूपये
18	छोटेलाल	खुदागंज	3500 रूपये
19	नरेशपाल	बन्डा	3500 रूपये
20	मुरारी	बन्डा	3500 रूपये
21	क्षेत्रपाल	भावलखेड़ा	3500 रूपये
22	शीला	पुवायां	3500 रूपये
23	राम लड़ैते	पुवायां	3500 रूपये
24	राजकुमारी	कांठ	3500 रूपये
25	राजेश कुमार	कांठ	3500 रूपये
26	आशाराम	जैतपुर	3500 रूपये
27	श्रीनिवास	निगोही	3500 रूपये
28	मनीराम	निगोही	3500 रूपये

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त नियमित सफाई कर्मचारियों का विवरण जनपद शाहजहापुर विधान सभा प्रश्न संख्या—137 का संलग्नक :—

कम संख्या	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	तैनाती कर्मचारियों का नाम	वेतनमान (रूपये)
1	पुवायॉ	श्री राम औतार	18000—56900
		श्री राजेश कुमार	18000—56900
		श्री कैलाश चन्द्र	18000—56900
		श्रीमती मीरा	18000—56900
2	बण्डा	श्री विनीत	18000—56900
		श्री रामपाल	18000—56900
3	तिलहर	श्री रामऔतार	18000—56900
		श्री राधेश्याम	18000—56900
4	निगोही	श्री जयकिशन	18000—56900
5	जैतीपुर	श्री बब्लू	18000—56900
6	मावलखेड़ा	श्री अनिल कुमार	18000—56900
7	मदनापुर	श्री यशवीर	18000—56900
8	जलालाबाद	श्री रामफूल	18000—56900
		श्री विनोद	18000—56900
9	मिर्जापुर	श्री जितेन्द्र	18000—56900

पी0एस0यू0पी0-एल0-112 विधान सभा (194)-22-08-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।